# लोक-सभा वाद-विवाद
# का
# संक्षिप्त अनूदित संस्करण

## SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF 4th LOK SABHA DEBATES

[ग्यारहवाँ सत्र
Eleventh Session]

Preservation Unit
12-4-92
Fumigated
On 9.84
Parliament Library

PARLIAMENT LIBRARY
No. 61642
Date 11.12.70

सत्यमेव जयते

[खण्ड 43 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XLIII contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

# विषय-सूची/CONTENTS

अंक 14, गुरुवार, 13 अगस्त, 1970/22 श्रावण, 1892 (शक)

**No. 14, Thrusday, August 13, 1970/Sravana 22, 1892 (Saka)**


**प्रश्नों के मौखिक उत्तर** — **ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**

**ता० प्र० संख्या**

S. Q. Nos.

| S. Q. Nos. | विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|---|
| 391 | पत्रकारों के लिये आचार संहिता | Code of conduct for Journalists | 1-5 |
| 392 | पश्चिमी बंगाल में भुखमरी के सम्बन्ध में संसद् सदस्यों और विधान-सभा सदस्यों का ज्ञापन | Memorandum from Members of Parliament and M.L.A's regarding starvation deaths in West Bengal | |
| 393 | पश्चिमी बंगाल में मछली की सप्लाई बढ़ाना | Augmenting supply of fish in West Bengal | 8-15 |
| 396 | कर्मचारी भविष्य निधि में संस्थापन द्वारा योगदान जमा कराना | Payment of E.P.F. contributions by Establishments | 15-18 |

**अल्प-सूचना प्रश्न** — Short Notice Question

| S. N. Q. No. | विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|---|
| 5 | अलकनन्दा की दुखद घटना | Alaknanda Tragedy | 18-27 |

**प्रश्नों के लिखित उत्तर** — Written Answers to Questions

**ता० प्र० सं०**

S. Q. Nos.

| S. Q. Nos. | विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|---|
| 395 | खरपतवार के खतरे को रोकने के उपाय | Steps to counter meanace of weeds | 27 |
| 397 | बम्बई में टेलीविजन टावर का निर्माण | Construction of a T. V. Tower in Bombay | 28 |
| 398 | उत्तर प्रदेश के सहकारी क्षेत्र में चीनी मिलों की स्थापना | Setting up of sugar mills in cooperative sector in U. P. | 28-29 |
| 399 | चुने हुए क्षेत्रों में बहु फसल परियोजना | Project for multiple cropping in selected areas | 29-30 |


किसी नाम पर अंकित यह +इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign+marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the flor of the House by him.

| विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| ता० प्र० सं० | | |
| S. Q. Nos. | | |
| 400 नई दिल्ली में डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये मकानों को सुविधाएँ | Housing facilities for post and telegraph staff at New Delhi | 30-31 |
| 401 बढ़िया बीजों का उत्पादन | Production of quality seeds | 31 |
| 402 अनाज के लाने ले जाने पर क्षेत्रीय प्रतिबन्ध समाप्त करना | Abolition of zonal restrictions on movement of foodgrains | 31 |
| 403 सोयाबीन, रुई और गेहूं का उत्पादन तथा आयात | Production and import of soyabean, cotton and wheat | 32-33 |
| 404 'वर्ष 1970' का यूरोपीय संरक्षण वर्ष के रूप में मनाया जाना और वायु/जल/दूषण की रोक-थाम के उपाय | Observation of 1970 as European conservation year and steps to check Air/water Pollution | 33 |
| 405 विज्ञापन कार्यक्रमों का विस्तार | Extension of commercial broadcasing | 33-34 |
| 406 चमड़ा मजूरी बोर्ड की शिफारिशें | Recommendations of leather wage board | 34 |
| 407 गुजरात में रुई-क्रांति | Cotton revolution in Gujarat | 34-35 |
| 408 भारतीय खाद्य निगम द्वारा हापुड़ में गेहूं खरीद में कथित गोलमाल | Reported Bungling in purchase of wheat by food corporation of India at Hapur | 35 |
| 409 संसद् सदस्यों द्वारा आकाशवाणी के युववाणी कार्यक्रम में भाग लेना | M. Ps. on YUVA VANI Programme of AIR | 35-36 |
| 410 आकाशवाणी के कलाकारों और कर्मचारियों की मांगे | Demands of AIR Artists and Employees | 36 |
| 411 टेलीविजन केन्द्रों के चयन का आधार | Basis of selection of T. V. cells | 36-37 |
| 412 पुर्जे के उपलब्ध न होने के कारण बेकार पड़े ट्रैक्टर | Tractors lying Idle in states due to non availability of spare part | 37, 38 |
| 413 आकाशवाणी कलकत्ता से सरकारी नीति का प्रसारण | Broadcast of Government policy over AIR Calcutta | 38 |
| 414 समाचारपत्रों द्वारा अखबारी कागज के उपभोग पर लगे प्रतिबंद्ध को हटाना | Lifting of Ban on Consumption of Newsprint by Newspapers | 38-39 |
| 415 चीनी का आरक्षित भण्डार | Buffer stock of Sugar | 39 |
| 416 खाद्य तेलों तथा भेड़-बकरी की चरबी का आयात | Import of edible oils and mutton tallow | 39 |

| विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| ता० प्र० सं० S. Q. Nos. | | |
| 417 विदेशी दूतावासों द्वारा प्रचार सामग्री की भारी मात्रा में परिचालन | Massive circulation of propaganda materials by Foreign embassies | 39-40 |
| 418 राज्यों में चकबन्दी के कार्य में प्रगति | Progress of consolidation of holdings in States | 40 |
| 419 प्रतिवर्ती मुद्रा लेने सम्बन्धी पद्धति को चालू करना | Introduction of reversible exchange | 41-41 |
| 420 स्वायत्त फिल्म सेंसर बोर्ड | Autonomous film censor board | 41 |
| अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos. | | |
| 2601 कलकत्ता में गोदी कर्मचारियों की हड़ताल से हुई हानि | Losses due to dock workers strike in Calcutta | 41 |
| 2602 यांत्रिक खेती सम्बन्धी अनुसंधान के लिये पंजाब कृषि विश्वविद्यालय को केन्द्र द्वारा दिया जाने वाला अनुदान | Cantral Grant to Punjab Agricultural university for reasearch in Farm Mechanization | 42 |
| 2603 चुकन्दर की पैदावार | Growth of Sugar Beet | 42-43 |
| 2604 यंत्रीकृत मंहगाई की तकनीकें | Mechanised threshing techniques | 43-44 |
| 2605 जुलाई, 1970 में कर्मचारी राज्य बीम योजना के चिकित्सकों द्वारा भूख हड़ताल | Hunger strike by ESIS doctors in July, 1970 | 44 |
| 2606 पुनर्वास विभाग के न्यायालयों में विचाराधीन मामले | Cases pending in courts of Rehabilitation | 44 |
| 2607 बिना लाइसेंस वाले रेडियो सेटों का पता लगाना | Detection of Unlicensed Radio Sets | 44-45 |
| 2608 सितम्बर, 1968 में हुई हड़ताल में भाग लेने पर मुअत्तल हुए मध्य प्रदेश के डाक-तार कर्मचारियों की बहाली | Reinstatement of P & T Employees of Madhya Pradesh suspended due to participation in September, 1968 strike | 45 |
| 2609 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले उत्तर प्रदेश के डाक-तार विभाग के दण्डित और निलम्बित कर्मचारी | P & T employees victimised and suspended in U. P. due to September, 1968 strike | 45-46 |
| 2610 आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र के द्वारा उन्नीसवीं शताब्दी के महान व्यक्तियों के जीवन पर रुपकों का प्रसारित न किया जाना | Features on life of great personalities of 19th Century not Broadcast by AIR, Delhi | 46 |

| अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos. | विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|---|
| 2611 | महाराष्ट्र में बहु फसलें उगाने का परीक्षण | Experiments in Relay cropping in Maharashtra | 46-47 |
| 2612 | अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की कनवेंशन संख्या 87 तथा 88 को अंगीकार करना | Adoption of ILO Convention Nos. 87 and 88 | 47-48 |
| 2613 | कालकाजी तथा लाजपतनगर, नई दिल्ली में प्लाटों की नीलामी | Auction of plots in Kalkaji and Lajpat Nagar, New Delhi | 48 |
| 2614 | दिल्ली में निर्धारित समय के पश्चात् दुकानों का खुला रहना | Opening of shops beyond official time in Delhi | 49 |
| 2615 | संसद् सदस्यों द्वारा दिल्ली प्रशासन के श्रम आयुक्त को भेजे गये पत्र व्यवहार | Communications addressed by M. Ps. to Labour commisssioner, Delhi Administration | 49 |
| 2616 | निष्क्रान्त सम्पत्ति परिरक्षक नई दिल्ली, के कार्यालय से खोये हुए कागजात | Missing documents from office of custodian evacuee property, New Delhi | 49-50 |
| 2617 | छोटे उर्दू समाचार पत्रों को सरकारी विज्ञापन देना | Allocation of Government advertisements to small Urdu Newspapers | 50 |
| 2618 | गांधी-शताब्दी के दौरान दिये गये सरकारी विज्ञापन | Government advertisements released during Gandhi Centenary | 51 |
| 2619 | पश्चिमी बंगाल तथा केरल में बन्द कर दी गई, मिले करखानों तथा उद्योग | Mills, Factories and Industries closed in West Bengal and Kerala | 51 |
| 2620 | काम पाने के मूल भूत अधिकार को संविधान में शामिल करना | Incorporation of fundamental right to work in Constitution | 51 |
| 2621 | श्रम कानूनों में परिवर्तन | Changes in labour laws | 52 |
| 2622 | राजधानी में डिब्बा बन्द गोमांस के आयात पर प्रतिबन्ध | Ban on the import of tinned beef into the capital | 52 |
| 2623 | कृषि मजदूरों तथा जमींदारों के बीच मतभेदों को समाप्त करने के लिये व्यवस्था | Machinery to remove differences between agricultural labourers and landlords | 53 |
| 2624 | निगमित क्षेत्र के कर्मचारियों की अहस्तान्तरणीय इक्विटी शेयर खरीदने की छूट | Option to purchase non-transferable equity shares by workers of coroporate sectors | 53 |
| 2625 | भूमिगत जल विकास आयोग का गठन | Setting up of a ground water Development Commission | 53-54 |
| 2626 | राष्ट्रीय वैमानिक, अान्तरिक्ष प्रशासन का उपग्रह सम्बन्धी टेलीविजन कार्यक्रम | NASA satellite T. V. Programme | 54 |
| 2627 | कोलगेट कारखाने में हड़ताल | Strike in colgate factory | 54-55 |

| विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos. | | |
| 2628 इंजीनियरों को रोजगार देने के लिये एकीकृत ग्रामीण सेवा केन्द्र | Integrated rural service centres to provide employment to Engineers | 55 |
| 2629 गुजरात के महाडाकपाल द्वारा स्वेच्छा से पद निवृत्त होने के बाद अपने कार्य पर वापस आना | Return to duty of Post Master-General, Gujarat after voluntary retirement | 56 |
| 2630 रूस तथा चीन से रेडियो प्रसारण | Radio Broadcasts from China and Russia | 56 |
| 2631 उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन | Report of committee on Nationalisation of Sugar Industry in Uttar Pradesh | 57 |
| 2632 तमिलनाडु से मलयालियों को भूमि से बेदखल किया जाना | Eviction of Malayalese from their lands in Tamil Nadu | 57 |
| 2633 करनाल (हरियाणा) में पंजाबी कृषकों का अपनी जमीन से निष्कासन | Eviction of Punjab farmers from their lands in Karnal (Haryana) | 57-58 |
| 2634 गौरक्षा आन्दोलन के अन्तर्गत गिरफ्तार किये व्यक्ति एवं उसका हल | Persons arrested under Cow Protection Movement and its solution | 58-59 |
| 2635 संयुक्त मोर्चा सरकार के पतन के बाद पश्चिमबङ्गाल में किसानों के लिये राहत कार्य | Relief Measures for peasants of West Bengal after the fall of United Front Government | 59 |
| 2636 खान अधिनियम में संशोधन | Amendment of Mines Act | 59-60 |
| 2637 पश्चिम बंगाल में पारिवरिक भूस्वामित्व की अधिकतम सीमाएं | Ceilings on Family Holdings in West Bengal | 60 |
| 2638 चौथी पंचवर्षीय योजना में सुपर बाजारों की स्थापना | Setting up of super Bazars during Fourth Five Year Plan | 60-61 |
| 2639 बूचड़ खानों में तथा अन्यथा पशुओं के अनुपयोगी अवशिष्ट पदार्थ से विदेशी मुद्रा कमाना | Animal waste and slaughter House waste as Foreign Exchange earners | 61 |
| 2640 1970-72 के दौरान उर्वरक की सप्लाई के लिये नार्वे का प्रस्ताव | Offer from Norway for suply of Fertilizer during 1970-72 | 61 |
| 2642 उर्वरकों पर अधिकार की समाप्ति के बारे में मैसूर के कृषि मंत्री के विचार | Views of Mysore agriculture Minister regarding abolition of surcharge on fertiliser | 62 |
| 2943 बेरोजगारी के कारण पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था की स्थिति | Law and order situation in West Bengal due to Unemployment | 62-63 |

| विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|


अता० प्र० सं०

U. S. Q. Nos .

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2644 | सरकार द्वारा संचालित सहायता प्राप्त दुग्ध वितरण योजनाओं के कार्य का मूल्यांकन | Evaluation of working of Government aided /Run Milk supply Scheme | 63 |
| 2646 | नकद मजूरी तथा असल मजूरी | Money Wages and real Wages | 63-64 |
| 2647 | चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में रूई उत्पादन की वृद्धि पर व्यय | Expenditure on develolment of cotton during Fourth Plan | 64-65 |
| 2648 | स्थायी श्रम समिति द्वारा हड़ताल के अधिकार संबन्धी राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिश पर विचार | Consideration on recommendation of National Labour Commission on right to strike by standing Labour Committee | 65 |
| 2649 | सब्जियों के मूल्यों का विनियमन | Regulation of prices of vegetables | 65-66 |
| 2650 | मध्य-प्रदेश के भिण्ड नगर में टेलीफोन लगवाने के लिये आवेदन पत्र | Application for telephone connections in Bhind city in Madhya Pradesh | 66 |
| 2651 | पश्चिम बंगाल में सीधे डायल करके टेलीफोन करने की व्यवस्था | Trunk dialing system in West Bengal | 66-67 |
| 2652 | दुर्गापुर में उद्योगवार रोजगार | Industry-wise employment in Durgapur | 67 |
| 2653 | पश्चिम बंगाल में चावल तथा अन्य खाद्यान्नों का उत्पादन, अधिप्राप्ति और आवश्यकता | Production, procurement and requirement of rice and cereals in West Bengal | 67-69 |
| 2654 | मनीपुर में लागू किये गये श्रम सम्बन्धी कानून | Labour laws enforced in Manipur | 69 |
| 2655 | मनीपुर की पंचायत परिषद् | Panchayat Parishad, Manipur.. | 69 |
| 2656 | मनीपुर में सहकारी खेती समितियां | Co-operative farming societies in Manipur | 70 |
| 2657 | छोटे ट्रेक्टरों का उत्पादन, मांग और आयात | Production , demand and import of small Tractors | 70-71 |
| 2658 | कृषि विश्वविद्यालय, पंतनगर में अनाज, तिलहन, सोयाबीन तथा दालों का विश्लेषण | Anaeysis of grains, oil seeds, soyabean and pulses at Agriculture University, Pantnagar | 71 |
| 2659 | इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज | Electronic Telephone Exchange | 71-72 |
| 2660 | मजदूर संघ द्वारा स्थायी श्रम समिति की बैठक का बहिष्कार | Boycott of Standing Labour Committee Meeting by Trade Union | 72 |
| 2661 | दिल्ली में लघु कृषक विकास एजेंसी | Small Farmers Develolment Agency in Delhi | 72-73 |

| विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos. | | |
| 2662 जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य से ट्रैक्टरों का आयात और उनका वितरण | Import of Tra tors from German Democratic Republic and their distribution | 73-74 |
| 2663 टेलीफोन कनेक्सनों को मांग पूरी करने में असफलता | Failure to meet demands for Telephone connections | 74-76 |
| 2664 सुपर बाजरों के धन का गबन | Misappropriation of funds of Super Bazars | 76 |
| 2665 बनस्पति के तेल के मूल्य का पुनरीक्षण | Revision of Price of Vanaspati oil | 76-77 |
| 2666 काश्मीर में आई० टी० आई० के सहायक कारखाने के बिलों को जांच का कार्य एक गैर सरकारी फर्म को सौंपा जाना | Entrusting of checking of Bills of ITI Ancilliary Unit in Kashmir to a Private Firm | 77 |
| 2667 गोवध पर रोक | Ban on cow slaughter. | 77-79 |
| 2668 विस्थापितों का मध्य प्रदेश में पुनर्वास | Displaced persons rehabilitated in Madhya Pradesh | 79-80 |
| 2669 राष्ट्रीय श्रम आयोग की शिफारिशें | Recommendation of National Labour Commission | 80 |
| 2670 आकाशवाणी श्रोता अनुसंधान निदेशालय | AIR Listners Research Directorate | 80 |
| 2671 भारतीय खाद्य निगम की राजस्थान शाखा द्वारा तिरपालों की खरीद | Purchase of Tarpaulins by Rajasthan branch of Food Corporation of India | 80-81 |
| 2672 भारत में अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन करने के लिये (विशेष) फिल्म डिवीजन | Films Division (Special) to organise Internaional Film Festivals in India | 81 |
| 2673 हरियाणा में खोले गये सार्वजनिक टेली-फोन कार्यालय | Public call offices opened in Haryana | 81-82 |
| 2674 भारत निर्मित बहुउद्देशीय उपग्रह का प्रयोग | Use of Domestic Multi Purpose Satellite | 82 |
| 2675 सरकारी क्षेत्र में फिल्म स्टूडियो | Film Studios in Public Sector | 82-83 |
| 2676 पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों के लिये राहत शिविरों के कार्य को जांच करने के लिये विशेषज्ञों की समिति | Expert Committee to enquire into the working of Relief camps for East Bengal Refugees | 83 |
| 2677 राजस्थान में खजूर का उत्पादन | Production of date plams in Rajasthan | 83 |
| 2678 नीलगिरी में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की परियोजनाओं की स्थापना के लिए तामिलनाडु सरकार का निवेदन | Request from Tamil Nadu for Setting up Indian Council of Agriculture Research Project in Nilgiris | 84 |
| 2679 पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों के पुनर्वास के लिए सेना की सेवाओं की मांग करना | Requisitioning the services of Army to Rehabilitate E. Pak. refugees | 84-85 |

| विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| **अता० प्रा० सं०** | | |
| **U. S. Q. Nos.** | | |
| 3680 पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों के लिये दण्डाकरण्या विकास प्राधिकरण द्वारा सिंचाई कार्यक्रम की योजना | Plan by Dandakaranya Development Authority for an irrigation Programme for East Pakistan refugees | 85 |
| 2681 आसनसोल में स्वचालित केन्द्रीय टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना | Setting up of Automatic Central Telephone Exchange at Asansol | 85-87 |
| 2682 पटना में डाक व तार औषधालय का निरीक्षण और उसके लिए डाक्टर की नियुक्ति | Inspection of P & T Dispensary at Patna and appointment of Doctor therefor | 87-88 |
| 2683 खाद्यान्न गोदाम बनाने के लिये स्वीडन से वित्तीय सहायता | Financial aid from Sweden for construction of foodgrain Godowns | 88 |
| 2684 पंजाब कृषि उद्योग निगम द्वारा जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य से खराब ट्रैक्टरों के आयात सम्बन्धी मामले की जांच की मांग किया जाना | Demand by Punjab Agro Industries co-operation for enquiring into Import of defective tractors from German Democratic Republic | 88-89 |
| 2686 कपास, पटसन और तिलहन के उत्पादन में कमी | Shortfall in production of cotton, jute and oil seeds | 89-90 |
| 2687 दिल्ली के 'पेट्रियट, और बम्बई के 'ब्लिट्ज' 'दावत' और 'आर्गनाईजर' द्वारा अखबारी कागज की खपत | Newsprint consumption of "The Delhi, "Patriot"; "Blitz" Bombay" Davat" and "Organiser" | 90-91 |
| 2688 उड़ीसा की छोटी सिंचाई योजनाओं के लिए ज्ञापन | Memer and um on Minor Irrigation Scheme of Orissa | 91-92 |
| 2689 बहु फसल उगाने के बारे में गोष्ठी | Seminar on Multiple Cropping | 92-93 |
| 2690 खुले बाजार में बिकने वाली चीनी पर उत्पादन शुल्क में कटौती | Reduction in Excise Duty for free Sugar | 93 |
| 2691 अन्नपूर्णा जलपान गृह, नई दिल्ली | Annapoorna Restaurant, New Delhi | 93-94 |
| 2692 क्योंझरगढ के टेलीफोन केन्द्र को वाहक प्रणाली में परिवर्तन | Conversion of Telephone Exchange Keonjhargarh into Carnier system | 94-95 |
| 2693 शैक्षणिक संस्थानों में प्राथमिकता के आधार पर टेलीफोन लगाना | Telephone connection to educational Institution on Priority basis | 95 |
| 2694 गहन कृषि कार्यक्रम के लिए जापान से सहायता | Japanese Aid for intensive Agriculature Programme | 95-96 |

| विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| अता० प्र० सं० U, S. Q. Nos. | | |
| 2695 कार्मिक संघ के कर्मचारियों के लिये प्रशिक्षण शिविर | Training Camp for Trade Union Workers | 96 |
| 2696 सरकारी उद्योगों में अधिकारियों के कार्मिक संघों को मान्यता देना | Recognition to Officers' Trade Unions in Public Sector Industries | 96-97 |
| 2697 पंजाब सरकार के नियंत्रण पुनर्वास विभाग की भूमि तथा सम्पत्ति | Land and property belonging to Deptt. of Rehabilitation with Punjab | 97 |
| 2698 नई दिल्ली में ओखला में टेलीफोन केन्द्र | Telephone Exchange at Okhla, New Delhi | 97-98 |
| 2699 टेलीफोन विभाग की समस्याएं | Problems of Telephone Department | 98-99 |
| 2700 पूर्वी पाकिस्तान से आये बेरोजगार शरणार्थी | Unemployment Refugees from East Pakistan | 99-100 |
| 2701 आकाशवाणी से सामयिक विषयों पर वार्ताओं के लिए वक्ताओं के चयन का आधार | Basis of selection of Speakers for Speeches on current topics broadcast by AIR. | 100 |
| 2702 राजस्थान के चारे की कमी के कारण पशुओं की मृत्यु | Death of cattle due to shortage of fodder in Rajasthan | 100-101 |
| 2703 दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में दूध का उत्पादन में वृद्धि | Increase in Milk Production in areas around Delhi | 101 |
| 2704 साम्प्रदायिक दंगों पर वृत्त चित्र | Documentary films on communal riots. | 101-102 |
| 2705 पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को बसाने के लिये केन्द्र द्वारा विकसित की जाने वाली भूमि का आबंटन | Allotment of land to be developed by Centre for Rehabilitation of East Pak. Refugees | 102 |
| 2706 कानपुर की कपड़ा मिलों द्वारा कपड़ा मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित करना | Implementation of Textile wage Board recommendations by Textile Mills in Kanpur | 102-103 |
| 2707 कानपुर के चमड़ा कारखानों में चमड़ा मजूरी की सिफारिशों को क्रियान्वित करना | Implementation of Recommendation of leather wage board in Kanpur Leather units | 103 |
| 2708 मैसर्स मार्शल सन्स एण्ड कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड, कलकत्ता की ओर बकाया कर्मचारी भविष्य निधि | Employees provident fund dues of M/s Marshall Sons & Co. (India) Limited, Calcutta | 103-104 |
| 2709 दिल्ली की पुनर्वास बस्तियों में पुनर्वास विभाग के खाली प्लाट | Open plots owned by Department of rehabilitation in Rehabilitation colonies of Delhi | 104 |

| अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos. | विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|---|
| 2710 | नई दिल्ली के कालकाजी क्षेत्र में पुनर्वास कालोनियों को नगर निगम द्वारा अपने अन्तर्गत लाना | Taking over of rehabilitation colonies in Kalkaji Area of New Delhi by Municipal Corporation | 104-105 |
| 2711 | रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय में संघ लोकसेवा आयोग के माध्यम से अनुसंधान अधिकारियों के पदों का भरा जाना | Filling of posts of Research officers in Directorate General of Employment and Training through UPSC. | 105-106 |
| 2712 | दिल्ली दुग्ध योजना के दुग्ध केन्द्रों से एकत्र को जाने वाली नकद राशि के बारे में सुरक्षात्मक उपाय | Safety measures regarding cash collected from DMS Booths | 106-107 |
| 2713 | अगठित श्रमिकों के लिये सामाजिक सुरक्षा | Social Security for unorganised Labour | 107-108 |
| 2714 | काली मिर्च के मूल्यों में अत्यधिक कमी | Crisis in Peper Prices | 108-109 |
| 2715 | मंगलौर में सूक्ष्म तरंग तथा टेलिक्स की स्थापना | Microwave and Telex installation at Mangalore | 109-110 |
| 2716 | मधुबनी को एक अलग डाक डिवीजन बनाना | Creation of Madhubani as a separate Postal Division | 110-111 |
| 2717 | वेणीपट्टी के लिये टेलीफोन का कनेक्शन और उसका माधवपुर से जोड़ा जाना | Telephone connections for Benipatti and its link with Madhawapur | 111 |
| 2718 | दरभंगा जिले के शहरघाट, सिंगिया और बहेड़ी में सार्वजनिक टेलोफोन केन्द्र | Public call offices at Shaharghat Singia, Baheri in Darbhanga District | 111 |
| 2719 | दरभंगा में डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों को राहत | Relief to P&T staff of Darbhanga | 112 |
| 2720 | अनाज के वसूली मूल्य में कमी का सुझाव | Suggestion for reduction in procurement price of foodgrains | 112 |
| 2721 | रविवार और छुट्टियों के दिन उपलब्ध डाक सेवाओं का विस्तार | Expansion of postal services available on Sundays and holidays | 112-113 |
| 2722 | खान श्रमिकों को जूतों की सप्लाई के बारे में नियम | Rules regarding supply of boots to Mine workers | 113 |
| 2723 | चोनी के लिये लाइसेंस और चीनी वितरण के सम्बन्ध में उदार नोनि अपनाना | Liberalisation of sugar licensing and sugar distribution | 113-114 |

| विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos. | | |
| 2724 औद्योगिक कच्चे माल के लिये बन सर्वेक्षण | Survey of Forest for Industrial raw materials | 114 |
| 2725 स्मारक टिकटों का निर्यात | Export of commemorative stamps | 114 |
| 2726 चीनी का भण्डार जमा होने के कारण गन्ने खेती वाले क्षेत्र में कमी | Fall in acreage of sugarcance due to glut in sugar market | 114-115 |
| 2727 पश्चिम बंगाल कों देहातों के लिये ऋण देना | Rural credit to West Bengal | 115-116 |
| 2728 दिल्ली में परिरक्षक के अधीन कृषि भूमि तथा भूमि आवास | Acreage of Agricultural and Residential land in Delhi under the Custodian | 116 |
| 2729 बिहार में रिग की कमी तथा सिंचाई के मिले-जुले कार्यक्रम पर प्रभाव | Shortage of rigs in Bihar and its effect on Cluster Programme of Minor Irrigation | 116-117 |
| 2730 आकाशवाणी के युव वाणी कार्यक्रक की सफलता | Achievement of Yuva Vani programme of AIR | 117 |
| 2731 इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्री द्वारा एक टेलीफोन जिवेल वाक्स का निर्माण | Evolution of a New Telephone "Jewel Box" by Indian Telephone Industry | 117-118 |
| 2732 कलकत्ता की जय ईंजीनियरिंग एण्ड कम्पनी में ताला बन्दी | Lock out in Jay Engineering Co. Calcutta | 118 |
| 2733 रेडियों इण्यिन लिबरेशन | "Radio Indian Liberation" | 118-119 |
| 2734 डाक बचत खाते | Postal savings accounts | 119 |
| 2735 पंजाब डाक सर्विस का विभाजान | Bifurcation of Punjab Postal Circle | 119 |
| 2736 कुछ राज्यों द्वारा अनाज का थोक व्यापार गैर-सरकारी क्षेत्र में जारी रखा जाना | Continuation of wholesale trade in foodgrains in private sector by certain states | 120 |
| 2737 महाराष्ट्र में पेलमोड पद्वति को समात करने की योजना | Scheme of eradication of Palemod system in Maharashtra | 120 |
| 2738 वर्ष 1971-71 में मध्य प्रदेश में हिन्दी में तार देने की सुविधाओं सहित खौले जाने वाले डाक घर | Post Offices to be opened in Madhya Pradesh during 1970-71 with Telegraph facilities in findi | 120-121 |
| 2739 स्वर्गीय श्री माखन लाल चतुर्वेदी की स्मृति में डाक-टिकट का जारी किया जाना | Commemorative stamp on Pandit Makhan Lal Chaturvedi | 121 |
| 2740 मध्य प्रदेश में पूर्व निमाड में खौले गये ड़ाक घर | Post offices opened in East Nimar in Madhya Pradesh | 121 |

| अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos. | विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|---|
| 2741 | आवास सुविधा प्राप्त डाक कर्मचारी | Postal Employees provided with housing facility | 121-122 |
| 2742 | मध्य प्रदेश के सिनेमाओं में समाचर दर्शन का न दिखाया जाना तथा राष्ट्रीय गान का न बजाया जाना | Non-exhibition of News Reels and non-playing of National anthem in Madhya Pradesh cinemas | 122-123 |
| 2743 | सेंसर बोर्ड द्वारा प्रमाणित चलचित्र हर आयु की जनता के लिये उपयुक्त | Films certified by Board of Film censors suitable for all age groups | 123 |
| 2744 | अनाज में आत्मनिर्भता | Self sufficiency in food | 123-124 |
| 2745 | चावल के उत्पादन में कमी तथा रासायनिक उर्वरक की खपत | Fall in Production of Rice consumption of chemical fertilisers | 124-125 |
| 2746 | फार्म स्नातकों के लिये नौकरियों की सम्भावनायें | Job prospects for farm Graduates | 125-126 |
| 2747 | कुपोषण के उपाय | Remedy for Malnutrition | 126-127 |
| 2748 | कृषि विश्वविद्यालय तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के कृत्य | Functons of Agricultural Universities vis-a-vis Indian Council of Agricultural Research | 127-128 |
| 2749 | राज्यों में भूमि पर जबरन कब्जा करने के लिये संयुत्त समाजवादी दल द्वारा आह्वान | Call by SSP for Grabbing land in in the states | 128-129 |
| 2750 | आजाद काश्मीर रेडियो से प्रसारण | Broadcast over Azad Kashmir Radio | 129 |
| 2751 | रेडियो सीलोन से भारतोय माल के विज्ञापनों पर रोक | Ban on Advertisements of Indian Goods over Radio Ceylon | 129-130 |
| 2752 | चीनी के अधिक उत्पादन के कारण गन्ना उत्पादकों और चोनी उद्योग को पारिश्रमिक मूल्य देना | Remuneration price to Sugarcare Growers and Sugal Industry due to Excess Production of of Sugar | 130 |
| 2753 | राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम में अनुशासन संहिता के अन्तर्गत कर्मचारी संघ को मान्यता देना | Recognition under code of discipline to Employees' Union in National Industrial Developlopment Corporation | 130 |
| 2754 | कृषि विभाग के अन्तर्गत विस्तार निदेशालय के लिये एक अलग आयुक्त की नियुक्ति | Separate Commissioner for Extension Directorate under department of Agriculture | 130-131 |
| 2755 | भारतीय खाद्य निगम द्वारा बन्दरगाहों से आयातित खाद्यान्नों को हटाना | Clearance of imported foodstuff at ports by FIC | 131 |
| 2756 | पूर्वी पाकिस्तान से मछली का आयात | Import of fish from East Pakistan | 131-132 |
| 3757 | भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बंगलौर के रेल कोच डोवीजन के कर्मचारियों को निलम्बित किया जाना | Suspension of Employees of Rail Coach division of Bharat Earth Movers Limited, Bangalore | 132 |

| विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| अता० प्र० सं० | | |
| U. S. Q. Nos. | | |
| 3758 आन्ध्र प्रदेश में दूसरी फसल के लिये धान की खेती वाले क्षेत्र को सीमित करना | Limit on area under paddy for Second Crop in Andhra Pradesh | 133 |
| 2759 आंध्र प्रदेश में अनबिके उर्वरकों के स्टाक का होना | Accumulated stock of fertilizers lying unsold in Andhra Pradesh | 133-134 |
| 2760 पश्चिमी बंगाल में अच्छे किस्म के पटसन की कृषि के लिये प्रायोगिक परियोजना | Pilot project for cultivation of quality jute in West Benlal | 134-135 |
| 2761 पश्चिमी बङ्गाल को अनाज की सप्लाई | Supply of foodgrains to West Bengal | 135 |
| 2762 पश्चिमी बङ्गाल में पटसन के औसत उत्पादन में कमी | Fall in average yield of Jute in West Bengal | 135-136 |
| 2763 पश्चिमी बङ्गाल में पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों के शिविरों का दौरा करने का पुनर्वास मंत्री का कार्यक्रम | Programme of visit of Minister of Rehabilitation to East Pak. Refugees Camps in West Bengal | 136 |
| 2764 उड़ीसा के समुद्र तट पर मछली पकड़ने के बन्दरगाहों के लिये केन्द्रीय सहायता | Central Assistance for fishing Harbour on Orissa coast | 136-137 |
| 2765 शाहदरा में भवानीपुर खेड़ा में कस्टोडियन के भूमि की बिक्री | Sales of land belonging to custodian in Bhawanipur Khera in Shahdara | 137-138 |
| 2766 पुनर्वास आयुक्त, दिल्ली के कार्यालय में प्रतिनियुक्त कर्मचारी | Deputationists in Office of Settlement Commissioner, Delhi | 138 |
| 2767 दिल्ली स्थिति बन्दोबस्त आयुक्त के कार्यालय में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी | S. C and S. T. Employees in office of Settlement Commissioner Delhi | 138-139 |
| 2768 पोस्टकार्ड के लिये प्रयुक्त होने वाले कागज की किस्म के बारे में शिकायतें | Complaints regarding quality of paper used for Post Cards. | 139 |
| 2769 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अधीन समुचित अर्हताओं के बिना तकनीकी पदों पर कार्य करने वाले अधिकारी तथा कर्मचारी | Officers and staff holding technical jobs without Requisite qualifications under ICAR. | 139 |
| 2770 भारत के रिजर्व बैंक के कर्मचारियों को बोनस से वंचित रखना | Deprivation of Employees of Reserve Bank of India from Bonus | 140 |
| 2771 नियोजकों को बागान श्रम अधिनियम के उपबन्धों से छूट | Exemption to Employers from provisions of plantations labour Act | 140 |

| विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| **अता० प्र० सं०** **U. S. Q. Nos.** | | |
| 2773 कोयम्बटूर में सिंगानल्लूर में कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल | ESI Hospital at Singanallur in Coimbatore | 140-141 |
| 2774 आन्ध्र प्रदेश द्वारा दिया गया चावल | Rice supplied by Andhra Pradesh | 141 |
| 2775 खेतों में अभी भी खड़े गन्ने का अनुमान | Estimate of sugarcane still standing in fields | 141-142 |
| 2776 गाजीपुर जिले (उत्तर प्रदेश) में जमानिया टेलीफोन एक्सचेंज में आग लगना | Fire in Zamania Telephone Exchange Ghazipur District (U. P.) | 142 |
| 2777 भारतीय खाद्य निगम द्वारा जापान से धान कूटने की मशीन का आयात | Import of rice mill from Japan by Food Corporation of India | 142-143 |
| 2778 ग्रीन पार्क, नई दिल्ली स्थिति दिल्ली दुग्ध योजना की बूथ संख्या 962 के डिपो मैनेजर के विरुद्ध शिकायत | Complaint against depot manager of DMS. Booth No. 982, at Green Park, New Delhi | 143-144 |
| 2779 उर्वरकों के स्टाक का जमा होना तथा उसका निबटान | Accumulated Stock of fertilizer and other disposal | 144 |
| 2780 भुवनेश्वर और कटक के बीच डायल घुमा कर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था | Direct trunk dialing system between Bhubaneshwar and Cuttack | 144-145 |
| 2781 भुवनेश्वर को अधिक टेलीफोन कनेक्शन दिये जाने के उद्देश्य से अतिरिक्त टेलीफोन लाइनों का दिया जाना | Extra telephone lines for Bhubaneswar for providing more telephone connections | 145 |
| 2782 गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिये 1967-70 में उड़ीसा को केन्द्र से अनुदान | Central Grant to Orissa during 1967-70 for deep-sea fishing | 145-146 |
| 2783 सेवाइल लिमिटेड एडवरटाइजिंग कर्मचारियों के कार्य घंटे | Working hours of staff in Savile Ltd. Advertising Agency | 146 |
| 2784 बहरामपुर (उड़ीसा) में पुरानाकटक के स्थान पर सार्वजनिक टेलीफोन घर | Public call office at Puranakatak, Baharampur (Orissa) | 146 |
| 2785 उड़ीसा में अल्हामलिक में डाकघर | Post-Offices in Alhhamalik in Orissa | 147 |
| 2786 कृषि उत्पादन के लिये उर्वरक ऋण तथा पंजीकृत उपकरण की व्यवस्था | Provision of Fertiliser, credit and Mechanised Equipment for Agricultural Production | 147-148 |
| 2787 अखिल भारतीय छोटे उर्दू समाचार पत्र सम्पादक परिषद् का संकल्प | Resolution of All India Urdu Small Newspapers Editors' Council | 148 |
| 2788 छोटे कृषकों को विद्युत चालित हलों की सप्लाई और उनका निर्माण | Supply of Power Tillers to Small Farmers and their manufacture | 148-149 |

| विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| 2889 कृषकों को किराये के आधार पर ट्रैक्टर देने सम्बन्धी योजना के लिये गुजरात को वित्तीय सहायता | Financial assistence to Gujarat for supply of Tractors on hire basis to Farmers | 149-150 |
| 2790 वन्य जन्तुओं का ह्रास | Decimination of wild life | 150 |
| अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना | Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance | 150-154 |
| जर्मन लोक तन्त्रात्मक गणराज्य से भारत सरकार द्वारा दोषपूर्ण ट्रैक्टर खरीदे जाने का समाचार | Reported purchase of defective tractors by the Government of India from the German Democratic Republic | |
| श्री यशपाल सिह | Shri Yashpal Singh | |
| श्री अन्नासाहेब शिन्दे | Shri Annasahib Shinde | |
| सभा पटल पर रखे गये पत्र | Papers Laid on the Table | 154-155 |
| लोक लेखा समिति | Public Accounts Committee | 155-156 |
| एक सौ तेईसवां प्रतिवेदन | Hundred and Twenty-third Report | |
| सदस्यों की गिरफ्तारी | Arrest of Members | 156 |
| (श्री इसहाक सम्भली और श्री एस० एम० जोशी) | (Shri Ishaq Samabhali and Shri S. M. Joshi) | |
| कार्य मन्त्रणा समिति | Business Advisory Committee | 156-161 |
| बावनवां प्रतिवेदन | Fifty-second report | |
| खागा मे रेलवे दुर्घटना के बारे में वक्तव्य | Statement re. Railway Accident at Khaga | 160-162 |
| श्री नन्दा | Shri Nanda | |
| अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव तथा अस्पृश्यता सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव | Motions re: Reports of the Commissioner for Scheduled Casstes and Scheduled Tribes and the Committee on Untouchability | 162 |
| श्री रणधीर सिह | Shri Randhir Singh | 162 |
| श्रीमती इलापाल चौधरी | Shrimati Ila Palchoudhrui | 163 |
| श्रीमती जयाबेन शाह | Shrimati Jayaben Shah | 165 |
| श्री के० रमानी | Shri K. Ramani | 166 |
| श्री यमुना प्रसाद मंडल | Shri Yamuna Prasad Mandal | 168 |
| श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा | Shrimati Tarkeshwari Sinha | 169 |
| श्री कार्तिक उरांव | Shri Kartik Oraon | 171 |

| विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| आसाम में बाढ़ के बारे में चर्चा | Discussion Re. Floods in Assam | 171 |
| श्री हेम बरुआ | Shri Hem Barua | 172 |
| डा० राम सुभग सिंह | Dr. Ram Subhag Singh | 173 |
| श्री लीलाधर कटकी | Shri Liladhar Kotoki | 174 |
| श्री श्रीचन्द गोयल | Shri Shri Chand Goyal | 175 |
| श्री वेदव्रत बरुआ | Shri Bedabrata Barua | 176 |
| श्री नन्दकुमार सोमानी | Shri N. K. Somani. | 177 |
| श्री धीरेश्वर कलिता | Shri Dhireshwar Kalita | 179 |
| श्री बसुमतारी | Shri Basumatari | 181 |
| श्री ज्योतिर्मय बसु | Shri Jyotirmoy Basu | 182 |
| श्री शिवचन्द्र झा | Shri Shiva Chandra Jha | 183 |
| श्री नि० रं० लास्कर | Shri N. R. Laskar | 184 |
| श्री वे० कृ० दास चौधरी | Shri B. K. Daschoudhury | 185 |
| श्री लखन लाल कपूर | Shri Lakhan Lal Kapoor | 186 |
| डा० कु० ल० राव | Dr. K. L. Rao | 186 |

# लोक-सभा
# LOK SABHA

**गुरुवार, 13 अगस्त, 1970/22 श्रावण, 1892 (शक)**

**Thursday, August 13, 1970/Sravana 22, 1892 (Saka)**

---

**लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई**

*The Lok Sabha met at Eleven of the Clock*

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. SPEAKER IN THE CHAIR]

---

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर
## ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

**पत्रकारों के लिये आचार-संहिता**

*391. **श्री नि० रं० लास्कर :**
**श्री दण्डपाणि :**
**श्री सामिनाथन :**
**श्री नारायणन :**
**श्री मयावन :**

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में पत्रकारों के लिये आचार संहिता बनाने की जोरदार मांग की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उड़ीसा के राज्यपाल ने भी यह कहा है कि पत्रकारों के लिये बनायी जाने वाली आचार संहिता संकट के समय बहुत उपयोगी सिद्ध होगी;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक लिया जायेगा। ?

**सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री** (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां, ऐसी संहिता की मांग है।

(ख) जी, हां।

(ग) से (ङ) : इस देश में प्रेस को उपलब्ध स्वतन्त्रता के सन्दर्भ में एक व्यापक आधार संहिता पत्रकारों द्वारा स्वयं बनाई जानी चाहिए और यह सरकार द्वारा उन पर लागू नहीं की जानी चाहिए।

**श्री नि० रं० लास्कर :** मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि देश में कतिपय ऐसे समाचारपत्र हैं जो साम्प्रदायिक पद्धति पर समाचारों को प्रकाशित कर रहे हैं और जाति तथा धर्म के आधार पर घृणा का भाव फैला रहे हैं। इस तथ्य को देखते हुए क्या सरकार कम से कम ऐसे समाचारपत्रों के लिए आचार संहिता की व्यवस्था करना आवश्यक समझती है ?

**श्री इ० कु० गुजराल :** जहां तक साम्प्रदायिक दंगों के समाचारों का सम्बन्ध है, इसके लिए अखिल भारतीय सम्पादक सम्मेलन ने आचार संहिता बनाई है। प्रेस परिषद ने भी कुछ मार्ग-निर्देशक सिद्धान्त निश्चित किए हैं। इसके अलावा हाल ही में फिलिपीन्स में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था जिसमें उन्होंने साम्प्रदायिक दंगों और तनावों के बारे में सम्मानित आचरण संहिता जारी की है। मेरे विचार में ये तीन बातें पर्याप्त हैं और यदि इनका अनुसरण किया गया तो मैं समझता हूं कि प्रेस को साम्प्रदायिक लेखनियों के सम्बन्ध में अपना उत्तरदायित्व निभाने में समर्थ होना चाहिए।

**नि० रं० लास्कर :** प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में मन्त्री महोदय ने बताया है कि पत्रकारों द्वारा आचार संहिता की ऐसी मांग है।

**श्री इ० कु० गुजराल :** जैसा कि मैंने अभी कहा है आमतौर पर, जहां तक साम्प्रदायिक लेख का सम्बन्ध है, समय-समय पर संहितायें बनायी गयी हैं। परन्तु मेरे विचार में पत्रकारों के लिए सामान्य व्यापक आचरण संहिता की आवश्यकता है और प्रेस परिषद का एक अधिकार और कर्त्तव्य यह भी है कि वह समाचार पत्रों और पत्रकारों के लिए उनके व्यावसायिक स्तर के अनुसार आचरण संहिता बनाए। इस संदर्भ में संहिता की आवश्यकता है।

**डा० राम सुभग सिंह :** कुछ समय पूर्व प्रधान मन्त्री ने 20 पत्रकारों को आमन्त्रित किया था जिसमें सम्भवतः अधिकांश राष्ट्रीय पत्रों के सम्पादक थे। क्या वह बैठक प्रेस की स्वतन्त्रता को कम करने अथवा प्रेस की स्वतन्त्रता को बढ़ावा देने के लिए बुलाई गई थी ? यदि बढ़ावा देने के लिए बुलाई गई तो केवल 20 पत्रकारों को ही क्यों बुलाया गया था ?

**श्री इ० कु० गुजराल :** यह पहला अवसर न था कि जब बैठक बुलाई गई थी। प्रेस सूचना ब्यूरो का एक उत्तरदायित्व तथा कार्य यह भी है कि वह समय-समय पर पत्रकारों को आमन्त्रित करें जो कि प्रधान मन्त्री और अन्य संबन्धित मन्त्रियों से भेंट करते हैं। उदाहरण के लिए हम आर्थिक मामलों से सम्बन्ध रखने वाले सम्पादकों की वर्ष में एक बार बैठक बुलाते हैं। इसी प्रकार हम सम्पादकों को प्रदेश-वार, माला-वार, विशेषज्ञ-वार विभाजित करते हैं तथा उनसे भेंट करते हैं ताकि सरकार और सम्पादकों के बीच विचारों तथा सूचना का आदान-प्रदान हो सके, इसके अलावा और कोई उद्देश्य नहीं है।

**डा० राम सुभग सिंह :** जिनको पिछली बार बुलाया गया वे किस स्तर के सम्पादक थे ?

**श्री इ० कु० गुजराल :** जहां तक मुझे याद आता है—मैं अपने स्मरण से ऐसा कर रहा हूं जो ठीक भी किया जा सकता है ये सम्पादक प्रमुख समाचारपत्रों के थे और वे सभी आये थे।

**श्री स० कुन्दू :** यह एक महत्वपूर्ण समस्या है। एक पत्रकार होने के नाते मैं भी इसके कुछ पहलुओं की जानकारी रखता हूं। जब मन्त्री महोदय ने कहा कि प्रेस परिषद को एक आचरण संहिता बनानी चाहिए तो क्या उनका विचार है कि प्रेस परिषद् को एक सांकेतिक आचरण संहिता बनानी चाहिए, जैसा कि अपमान गौरव या हानि के सामान्य नियमों में होता है, और प्रेस परिषद् को प्रत्येक मामले के गुण दोषों पर विचार करना चाहिए ? दूसरे, क्या उन्हें पता है कि कुछ राज्य सरकारें और समाचारपत्रों के कुछ मालिक कतिपय पत्रकारों को कुछ विशेष कार्य करने को कहते हैं और क्या उनका विचार है कि राज्य सरकारों तथा समाचारपत्रों के मालिकों के लिए आचरण संहिता का होना आवश्यक है ? मैं यह इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि हाल ही में दो या तीन महत्वपूर्ण बातें हुई है। पहली यह कि उत्तर प्रदेश सरकार ने **टाइम्स आफ इंडिया** तथा **नवभारत टाइम्स** को विज्ञापन देना बन्द कर दिया था क्योंकि उस रिपोर्टर ने लखनऊ में श्री चरण सिंह के बारे में कुछ लिखा था। दूसरी घटना हैदराबाद में हुई जब कि प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया के रिपोर्टर को हैदराबाद से चले जाने को कहा गया और सरकार ने प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया को चंदा देना बन्द कर दिया क्योंकि उक्त पत्रकार ने तेलगांना के बारे में समाचार बाहर भेजा था। यही बात अन्य स्थानों पर भी हुई। हाल ही में पंजाब में **ट्रिब्यून** का भी मामला हुआ था। हरियाणा सरकार ने समाचारपत्र को विज्ञापन देने बन्द कर दिये और पुलिस को इस प्रकार के अनुदेश दिये गये कि उनके वाहनों का चालान करके उन्हें न्यायालय में भेजा जाये। ये बातें आमतौर पर होती रहती है। अतएव क्या सरकार का विचार राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार तथा समाचारपत्रों के उन मालिकों के लिए है, जिनको केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा परेशान किया जाता है ? आचार संहिता बनाने का यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैं इसको विशिष्ट उत्तर चाहूंगा ?

**श्री इ० कु० गुजराल :** जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, चाहे यह केन्द्र की हो अथवा राज्यों की, इसके लिये किसी आचार संहिता की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए संविधान है। अतएव सरकार के लिए एक अन्य संहिता की आवश्यकता नहीं है।

जहाँ तक विज्ञापनों का प्रश्न है, मैं कहना चाहूंगा कि यह एक ऐसा मामला है जिस पर अभी ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है कि क्या विज्ञापन प्रेस की स्वतंत्रता के अंग हैं और क्या किसी समाचार पत्र को विज्ञापन प्राप्त करने का अधिकार है या नहीं और यदि किसी समाचार पत्र को विज्ञापन प्रात करने का अधिकार है तो इसकी विचारणीय बात यह होगी कि क्या उन विज्ञापनों को प्राप्त करने का अधिकार होगा जो सरकार के हों अथवा गैर-सरकारी विज्ञापनों को भी प्राप्त करने का अधिकार होगा।

मेरे माननीय मित्र ने तीसरी बात विभिन्न मामलों के बारे में कही है, मेरे विचार में जहां तक 'ट्रिब्यून' का मामला है, यह प्रेस परिषद के विचाराधीन है और हमें इस मामले पर प्रेस परिषद के निर्णय की प्रतिक्षा करनी चाहिए। मेरे विचार में अन्य मामलों में भी यही ठीक रहेगा कि हम उनको प्रेस परिषद पर छोड़ दें।

**श्री श्रीचन्द गोयल :** संहिता की आवश्यकता तब उठती है जब किसी विशेष संस्था की ओर से कोई गलती की जाती है, जब विधेयकों की ओर से भूलें हुईं और उन्होंने एक दल छोड़कर दूसरे दल में जाना आरम्भ किया तो संहिता बनाने की आवश्यकता अनुभव की गई, मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार के ध्यान में उन भूलों को लाया गया है जिसके कारण संहिता बनाने की

आवश्यकता हुई और इस संहिता को बनाने वालों ने इसके लिए क्या कारण बताये हैं ? मैं यह भी जानना चाहूँगा कि पत्रकारों के लिए आचरण संहिता के बारे में अन्य देशों में क्या स्थिति है ! क्या उनकी अपनी संस्था इस मामले में कुछ मार्ग निर्देशक सिद्धान्त तय करती है अथवा अन्य देशों में कुछ सांविधिक संहिताएं हैं ।

**श्री इ० कु० गुजराल :** मैं समझता हूं कि उन देशों में, जहां प्रेस की स्वतंत्रता है, काफी सीमा तक पत्रकारों और स्वयं समाचारपत्रों की ओर से ये स्वैच्छिक कार्य हैं । आप को याद होगा कि जब तक प्रेस परिषद विधेयक पारित कर रहे थे तो मैंने कहा था, और यह समूचे तथ्य का सार है, कि प्रेस परिषद की स्थापना का उद्देश्य यह है कि इस व्यवसाय में आन्तरिक अनुशासन बना रहे ताकि सरकार को हस्तक्षेप न करना पड़े । जब मैं कहता हूं कि संहिता की आवश्यकता का अनुभव किया गया तो मेरा यह कहना नहीं है कि सरकार का विचार इसमें हस्तक्षेप करने का है । प्रेस परिषद को दिये गये एक अधिकार के बारे में मैंने पढ़ा है, प्रेस परिषद् को ऐसी संहिता बनाने का अधिकार है । मैं समझता हूं कि इस ओर हमारा वास्तविक दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि सरकार को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और यह कार्य प्रेस परिषद् और प्रेस के स्वैच्छिक संगठनों पर छोड़ देना चाहिए ।

**श्री कंवर लाल गुप्त :** यह एक अच्छी नीति है ।

**श्री के० रमानी :** मंत्री महोदय के उत्तर से यह सुस्पष्ट है कि सरकार का विचार पत्रकारों के लिए किसी भी संहिता के विरुद्ध नहीं है । मैं सरकार से विशेषकर यह जानना चाहता हूँ कि क्या वे इस तथ्य से परिचित हैं कि इस देश में अधिकांश बड़े समाचारपत्रों के मालिक बड़े-बड़े व्यापारी और एकाधिकारी पूंजीपति हैं । दुःख की बात यह है कि साम्प्रदायिक दंगे देश के अधिकांश बड़े औद्योगिक केन्द्रों में हो रहे हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का विचार पत्रकारों के लिए आचरण संहिता बनाकर एकाधिकारी प्रेस पर नियंत्रण रखने का है ? आखिर पत्रकार उन बड़े-बड़े व्यापारियों और बड़े पूंजीपतियों के कर्मचारी हैं ? मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इस पर विचार करेगी और पत्रकारों तथा प्रेस के लिए आचरण संहिता बनाने का प्रयास करेगी ?

**श्री इ० कु० गुजराल :** मेरे विचार में इस प्रश्न को दो या तीन भागों में बांटा जा सकता है । जहां तक मैं समझता हूं कि मेरे माननीय मित्र का मुख्यतः यह कहना है कि क्या सरकार साम्प्रदायिक लेखों के बारे में कोई कार्यवाही कर रही है, संसद ने इस बारे में पहले ही एक वादन पारित कर दिया है, इसका जो आचरण संहिता के बारे में है, मैंने उसका उत्तर पहले ही दे दिया है, जहां तक एकाधिकारी प्रेस और अन्य बातों का सम्बन्ध है, मेरे विचार में ये अलग बातें हैं, यह अवसर नहीं है.........

**श्री के० रमानी :** यह अन्तःसम्बद्ध हैं ।

**श्री इ० कु० गुजराल :** मैं इसके सम्बन्ध को समझना चाहूंगा । मैं इसको समझ नहीं सका हूं ।

**अध्यक्ष महोदय :** श्री नायनार ।

**श्री स० कुण्डू :** **

---

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

Not recommended.

**अध्यक्ष महोदय :** यह कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायेगा। उन्होंने ऐसा मेरी अनुमति के बिना किया।

**श्री ई० के० नायनार :** सरकार केवल एकाधिकारी समाचारपत्रों में रुचि रखती है और उन्होंने उनके प्रतिनिधियों को आमन्त्रित किया है। वे प्रादेशिक समाचारपत्रों में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं। उनका लिखित उत्तर यह है कि पत्रकारों को अपनी एक आचरण संहिता बनानी चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने पत्रकारों को कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त बताये हैं।

समाचारपत्रों को विज्ञापन देने के बारे में मन्त्री महोदय ने उत्तर दिया है कि प्रादेशिक समाचारपत्रों को भी विज्ञापन मिलते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि सरकार इस पर राजनीतिक उद्देश्य से विचार करती है, उन समाचारपत्रों को जो सरकार की नीति का उलघंन करते हैं, विज्ञापन नहीं दिये जाते हैं। मैं इसे सिद्ध कर सकता हूं, मेरे पास अधिकृत सूचना है, एरणाकुलम में **देशाभिमानी** समाचारपत्र है। मैं उस पत्र का मुद्रक और प्रकाशक हूं। मैंने मन्त्री महोदय को लिखा है। उनसे इसके बारे में कोई उत्तर नहीं मिला है। सरकार केवल एकाधिकारी समाचार-पत्रों को संरक्षण दे रही है और उन समाचारपत्रों से समर्थन प्राप्त कर रही है। मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इस जन-विरोधी और एकाधिकार समर्थन नीति का परित्याग करेगी ?

**श्री इ० कु० गुजराल :** मैं कहना चाहूंगा कि जब हम विज्ञापन देते हैं तो हम किसी समाचारपत्र के दृष्टिकोण की ओर ध्यान नहीं देते हैं कि वह सरकार समर्थक है अथवा सरकार विरोधी ?

**श्री इ० के० नायनार :** मैं इसे सिद्ध कर सकता हूं।

**श्री इ० कु० गुजराल :** जहां तक माननीय सदस्य के पत्र का सम्बन्ध है, मुझे किसी पत्र का उत्तर न देने की आदत नहीं है। यदि उन्हें मेरा उत्तर नहीं मिला है, तो शायद वह पत्र गलत स्थान पर जा सकता है, यदि मेरे माननीय मित्र उस पत्र की एकप्रति दें तो मैं 48 घंटों में उसका उत्तर देने का आश्वासन दे सकता हूं।

**Shri Molahu Prashad** : May I know whether the Government have looked into the criticism and recommendations made by the Perumal Committee regarding Newspapers ? If so, what decision has been taken in this respect ?

**श्री इ० कु० गुजराल :** प्रेस के संदर्भ में मुझे उस समिति की किसी सिफारिश की जानकारी नहीं है ?

## पश्चिमी बंगाल में भूखमरी के सम्बन्ध में संसद् सदस्यों और विधान-सभा सदस्यों का ज्ञापन

\+

* 392. **श्री नेजा गौडर :** **श्री धी० ना० देव :**
**श्री रा० की० अमीन :** **श्री गं० च० नायक :**
**श्री नन्द कुमार सोमनी :**

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल के संसद् सदस्यों और विधान-सभा सदस्यों के एक प्रतिनिधि मंडल ने हाल ही में पश्चिमी बंगाल के कई जिलों में भूख से हुई मौतों के बारे में सरकार को अवगत कराया है ;

(ख) क्या इन सदस्यों ने प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन भी दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) :** (क) से (ग) : पश्चिमी बंगाल के संसद् सदस्य राज्य के पुरुलिया और बांकुरा जिलों की सूखे की स्थिति के बारे में प्रधान मन्त्री से मिलते रहे हैं लेकिन उन्हें ऐसा कोई ज्ञापन दिया गया प्रतीत नहीं होता है । तथपि, प्रधान मन्त्री के हाल ही में अपने पश्चिमी बंगाल के दौरे के दौरान पुरुलिया के लोक सेवक संघ के सचिव द्वारा उन्हें पुरुलिया में कथित भूखमरी की मौतों के बारे में एक विवरण दिया गया था जिसे पश्चिमी बंगाल को उपयुक्त कार्यवाही के लिए भेजा गया है।

**श्री नंजा गौडर :** मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल में उपद्रव तथा अशान्ति व असुरक्षा के कारण साधारण व्यक्ति की आय गिर गई है जिसके परिणामस्वरूप निर्धनता तथा भुखमरी फैली है ।

**श्री अन्नासाहेब शिन्दे :** यह प्रश्न कुछ सीमित है । माननीय सदस्य ने पूछा हैं कि क्या पश्चिमी बंगाल में कानून तथा व्यवस्था से देश की अर्थिक व्यवस्था पर प्रभाव पड़ा है तो मैं सोचता हूं कि पश्चिमी बंगाल की स्थिति से यह सभा अवगत है । स्वभावतः कानून तथा व्यवस्था के न होने से समूचे समाज की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा ।

जहां तक खाद्य स्थिति का सम्बन्ध है क्या मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता है कि हम पश्चिमी बंगाल की आवश्यकताओं की ओर ध्यान देने के लिए पर्याप्त कार्यावाही कर रहे हैं और गत अवसरों पर हमने पश्चिमी बंगाल सरकार को आश्वासन दिया है कि उनकी उचित आवश्यकताओं को पूरा किया जायेगा ।

**श्री नंजा गौडर :** जहां तक सूखे की स्थिति तथा अन्य बातों का संबन्ध हैं, मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि सरकार ने इस संबन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

**श्री अन्नासाहेब शिन्दे :** जब की देश के किसी भाग में सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है और जब विशेषकर यह पुरुलिया या बांकुरा जिलों में, जहां सूखे की, स्थिति बार-बार उत्पन्न होती है तो विभिन्न राहत संबन्धी कार्य किए जाते हैं जिनमें निःशुल्क सहायता भी शामिल है तथा विभिन्न कृषि विकास कार्यों का आयोजन किया जाता है । मेरे पास इसके सभी आंकड़े हैं । इसके अतिरिक्त, केन्द्र ने पश्चिमी बंगाल सरकार को अर्थोपात्र ऋण के रूप में 50 लाख रुपये का ऋण दिया है ।

**श्री हेम बरुआ :** क्या पश्चिमी बंगाल में राष्ट्रपति शासन के चालू होने के बाद विशेषकर पश्चिमी बंगाल के उत्तरी जिलों में चावल तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हुई है, यदि हां, तो क्या यह पश्चिमी बंगाल में राष्ट्रपति शासन चालू करने के कारण हुआ है, अथवा यह बिगड़ती हुई कानून तथा व्यवस्था की स्थिति के कारण हुआ है अथवा यह सिलीगुड़ी में रेलवे हड़ताल के कारण हुआ है ?

**श्री अन्नासाहेब शिन्दे :** देश में चावल की खपत वाले क्षेत्रों में इसके मूल्यों में कुछ वृद्धि होना एक साधारण बात है यह केवल पश्चिमी बंगाल तक सीमित नहीं है परन्तु एक महीने में पश्चिमी बंगाल सहित समूचे देश में मूल्यों में स्थिरता आई है, निश्चय ही बंगाल में यह स्थिति कानून तथा व्यवस्था के कारण कुछ कठिनाई में पड़ गई है क्योंकि पश्चिमी बंगाल सरकार ने हमें यहँ सूचना दी है कि कानून तथा व्यवस्था के कारण अर्थव्यवस्था का प्रशासन कुछ कठिनाई में पड़ गया है। परन्तु मुझे पश्चिमी बंगाल के प्रशासन के बारे में हाल ही में सूचना मिली है, मुझे लगता है कि सभी स्थानों पर मूल्यों में स्थिरता आ रही है।

**श्री हेम बरूआ :** क्या राष्ट्रपति शासन के लागू होने के बाद उत्तरी बंगाल के जिले में चावल के मूल्यों में वृद्धि हुई है ?

**श्री तेन्नेटी विश्वनाथम :** मन्त्री महोदय "बैस्ट बंगाल" (पश्चिमी बंगाल) के लिये वैस्ट बंगाल" कह रहे हैं। क्या मन्त्री महोदय का तात्पर्य यह है कि पश्चिम बंगाल बरबादी कर रहा है ? क्या वह यह बता सकेंगे कि क्या पश्चिम बंगाल की जनसंख्या आंध्र प्रदेश की जन संख्या से कम है तथा क्या उसका उत्पादन आंध्र प्रदेश के उत्पादन से ज्यादा है ? इसके उपरांत भी वहां की जनता चावल की कमी तथा अधिक मूल्यों से दुखी हैं।

**श्री अन्नासाहेब शिन्दे :** महोदय ! यह सर्व विदित बात है कि आंध्र प्रदेश में कृषि के सुविकसित तरीके विद्यमान हैं तथा वहां खपत से अधिक उत्पादन होता है किन्तु पश्चिम बंगाल बहुत कमी वाला राज्य है। इसका एक कारण यह हो सकता है कि वहां जन संख्या अधिक है किन्तु इसके कई अन्य कारण भी हैं। इस समय उन सब कारणों का उल्लेख करना तो सम्भव नहीं है जिससे पश्चिम बंगाल में उत्पादन कम होता है तथा आंध्र प्रदेश में अधिक। किन्तु, जैसा कि मैंने निवेदन किया है यद्यपि पश्चिम बंगाल बहुत कमी वाला राज्य है तथापि हम उसकी सभी संगत मांगों को पूरा कर रहे हैं। चावल और गेहूँ के सम्बन्ध में उसकी हर न्याय संगत मांग को पूरा करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

**Shri Mohammad Ismail:** May I know from the hon. Minister whether any memorandum was submitted by Lok Sewek Sangh or any other organisation and whether he has sent any reply to that memorandum ? May I know whether the West Bengal Government have given any information as to how many persons have been killed ?

**श्री अन्नासाहेब शिन्दे :** प्रधान मन्त्री को प्रस्तुत किये गये ज्ञापन में 31 मामलों का उल्लेख किया गया था। इस ज्ञापन को हमने पश्चिम बंगाल सरकार को भेज दिया था। उन्होंने जांच की थी तथा हमें पश्चिम बंगाल सरकार से सूचना मिली है कि 19 मामलों के सम्बन्ध में लगाया गया यह आरोप गलत है कि इन लोगों की मृत्यु भूख के कारण हुई। पांच मामलों में उन लोगों की पहचान नहीं हो सकी। मैं अपने उत्तर के मुख्य भाग में निवेदन कर चुका हूँ कि पुरूलिया और बांकुरा जिलों की स्थिति के सम्बन्ध में संसद्-सदस्यों ने प्रधान मन्त्री से मुलाकात की थी। प्रधान मन्त्री महोदय ने पश्चिम बंगाल को यह लिखा था;

"पश्चिम बंगाल के संसद्-सदस्य मुझसे पुरूलिया और बांकुरा जिलों में उत्पन्न हुई सूखों की स्थिति के बारे में भेंट करते रहे हैं। मुझे आशा है कि राज्य सरकार को स्थिति का पूरा ज्ञान थी।" वहां भूख से हुई मृत्यु के भी कुछ समाचार मिले हैं। आशा है जिला अधिकारों इन सभी आरोपों की जांच कर रहे हैं तथा वे हमें सही स्थिति बतान में कोई संकोच नहीं करेंगे। यह विचार

व्यक्त किया जा रहा है कि भोजन सामग्री वितरण केन्द्र खोल कर अधिक सहायता की जा सकती हैं इसके उपरान्त पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रत्येक मामले की अलग-अलग जांच की तथा उसने ऐसो कोई बात नहीं पाई जिससे आरोपों को सिद्धि हो सकती। सात मामलों के सम्बन्ध में जांच की जा रही है। अंतः भूख के कारण मृत्यु के सम्बन्ध में किसी भी आरोप को सिद्ध नहीं किया जा सका।

**पश्चिम बंगाल में मछली की सप्लाई बढ़ाना**

*393. **श्री गणेश घोष : श्री ज्योतिर्मय बसु :**

**श्री मुहम्मद इस्माईल :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल में मछली की कमी हो गई है और उसकी कीमत भो बढ़ गई है ;

(ख) इस समय पश्चिमी बंगाल में प्रतिदिन मछली की आवश्यकता कितनी है और उसकी वास्तविक सप्लाई कितनी है; और

(ग) राज्य में मछली सप्लाई बढ़ाने की दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन योजनाएं क्या है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री ( श्री अन्नासाहेब शिन्दे ) : (क) से (ग)** : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

**विवरण**

(क) पश्चिम बंगाल में मछलियों की आपूर्ति आवश्यकता से कहीं कम रहती है। कुछ किस्मों के उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि 1969 के तदनुरूप मूल्यों की तुलना में 1970 के मूल्यों का रुख वृद्धि की ओर रहा है। 1969 के मूल्यों के सन्दर्भ में इन किस्मों में 15 से 30 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है।

(ख) पश्चिम बंगाल में मछलियों की अनुमानित दैनिक आवश्यकता लगभग 1397 मोटरी टन ( 5.10 लाख मीटरी टन वार्षिक ) है। पश्चिम बंगाल सरकार के अनुसार 1969 में राज्य का मछली उत्पादन 2.41 लाख मीटरी टन है। हावड़ा तथा कलकत्ता में अन्य राज्यों से 0.40 लाख मीटरी टन मछलियों का आयात होता है। पश्चिम बंगाल के अन्य क्षेत्रों में आयात की जाने वाली मछलियों की मात्रा के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ग) पश्चिम बंगाल सरकार ने मछली उद्योग विकास के लिये धीरे-धीरे परिव्यय बढ़ा दिया है। चतुर्थ योजना की अवधि में 250 लाख रुपये की राशि तक की व्यवस्था की गई है जबकि तृतीय योजना कीं अवधि में इसके लिये 162 लाख रुपये का परिव्यय था। डिम्पौना ( फिस सीड ) के उत्पादन में वृद्धि के लिये 50 लाख रुपये के परिव्यय की एक अल्पावधि योजना है। मध्यावधि योजनायें राजकीय मात्स्यकी विभाग, ब्लाक विकास एजेन्सियों तथा सहकारी समितियों के माध्यम से परित्यक्त क्षेत्रों के सुधार के सम्बन्ध में है।

राज्य सरकार का प्रस्ताव है कि समुद्र में मछली पकड़ने के लिये 10 लाख रुपये की राशि व्यय की जाये।

मत्स्य बन्दरगाहों के निर्माण के लिये राज्य सरकार को केन्द्र द्वारा सहायता दी जा रही है। 1967 में नामखाना में एक बन्दरगाह की स्वीकृति दी गई जिसकी लागत अनुमानतः 5 लाख रुपये होगी। रायचौक में एक गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के बन्दरगाह के विषय में स्वीकृति देने का प्रश्न विचाराधीन है। केन्द्र द्वारा भारतीय पोत प्रांगणों में निर्मित किये जा रहे गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के पोतों का निर्माण की योजना में आर्थिक सहायता प्रदान करने की एक योजना स्वीकृत की गई है। कलकत्ते में बंगाल की खाड़ी में गहरे समुद्र के समन्वेषण के लिये एक सर्वेक्षण केन्द्र की स्थापना की जा रही है। पूर्वी जर्मनी से एक 105 फुट लम्बा पोत प्राप्त हुआ है, जिसे अब उपकरणों से सज्जित किया जा रहा है। दो 57 फुट लम्बे पोतों को उपकरणों से सज्जित करने के साथ-साथ कर्मचारियों को भी प्रशिक्षित किया जा रहा है। उपलब्ध की जा रही बन्दरगाह सम्बन्धी सुविधाओं तथा प्रचलित की गई साहाय्य योजनाओं के फलस्वरूप उद्योगों द्वारा गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के क्षेत्र में विनियोजन करने की सम्भावना है तकनीकी अध्ययन पूर्ण करने के साथ-साथ भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् ने सुन्दरवन के खारी पानी में मत्स्य पालन की एक मार्गदर्शी स्कीम की योजना तथा प्राक्कलनों को भी तैयार कर लिया है, जिसके लिये चतुर्थ योजना में 50 लाख रुपये की व्यवस्था कर दी गई है।

**श्री गणेश घोष :** लगभग दो वर्ष पहले केन्द्र सरकार के खाद्य तथा कृषि मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक प्रायोगिक परियोजना प्रस्तुत की थी। उस परियोजना में बहुप्रयोजनीय जहाजों से मछली पकड़ने तथा हल्दिया पर मछली पकड़ने का बन्दरगाह बनाने का सुझाव दिया गया था। उन्होंने यह भी सुझाव दिया था कि 300 मशीनयुक्त नावों से सुन्दरबन के मुहानों से मछली पकड़ने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जाये। एक लाख एकड़ दलदल आदि का सुधार कर खारी पानी में मछली पालन का कार्य करने का भी सुझाव दिया गया था।

**महोदय** ! कलकत्ता के निवासियों को प्रतिदिन कम से कम 6,000 मन मछली अवश्य चाहिये। किन्तु उन्हें केवल 2,000 मन मछली की सप्लाई की जा रही है। साधारण मछली का मूल्य 8.50 रुपये तथा हिल्शा मछली का मूल्य 15 रुपये से भी अधिक हो गया है। प्रायोगिक परियोजना के सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल सरकार ने पूरी सहायता तथा सहयोग दिया है। सुन्दर-बन की दलदल भूमि में से 20,000 एकड़ भूमि की मांग की गई थी तथा उन्होंने भूमि दे दी है। केन्द्र सरकार ने कलकत्ता और पश्चिम बंगाल के लोगों को मछली की सप्लाई की व्यवस्था करने के लिये इससे आगे क्या कार्यवाही की है ?

**श्री अन्नासाहेब शिन्दे :** यह सच है कि कलकत्ता में मछली की कमी है।

**श्री गणेश घोष :** मछली की कमी के बारे में तो हमें पता है तथा उन्हें इस सम्बन्ध में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। हम तो प्रायोगिक परियोजना के बारे में जानना चाहते हैं।

**श्री अन्नासाहेब शिन्दे :** तीसरी पंच वर्षीय योजना की अवधि में राज्य सरकार द्वारा किये गये कुछ उपायों के फलस्वरूप मछली की आवश्यकता और उसकी सप्लाई के बीच अन्तर में कमी हुई है किन्तु साथ-साथ यह भी सच है कि वहां की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। जहां तक सुन्दरवन में प्रायोगिक परियोजना का सम्बन्ध है चौथी योजना में विकास के लिये 50 लाख रुपयों की व्यवस्था की गई है। किन्तु परियोजना राज्य सरकार को ही क्रियान्वित करनी है। हम राज्य सरकार से समय-समय पर निवेदन करते रहे हैं कि वह परियोजना को क्रियान्वित करने के

लिये आवश्यक कार्यवाही करे। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि सरकार से जो भी सहायता मांगी जायेगी वह बिना किसी संकोच के दी जायेगी तथा पश्चिम बंगाल प्रशासन द्वारा या पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा इस परियोजना के विकास के लिये की गई कार्यवाही का समर्थन किया जायेगा।

**श्री गणेश घोष** : वह सदा पश्चिम बंगाल सरकार पश्चिम बंगाल सरकार कहते रहते हैं परन्तु अब वहां पर राष्ट्रपति का शासन है। अतः पश्चिम बंगाल सरकार की बात करने से अब कोई लाभ नहीं है। इस प्रायोगिक परियोजना के बारे में अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। केन्द्रीय सरकार ने इसकी घोर उपेक्षा की है। मैं जानना चाहता हूँ कि बाकहाली परियोजना, जो कि एक केन्द्रीय सरकार की परियोजना है, के कार्य में क्या प्रगति हुई है ?

**श्री अन्नासाहेब शिन्दे** : मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य किस परियोजना का उल्लेख कर रहे हैं।

**श्री गणेश घोष** : वाकेहाली परियोजना।

**श्री अन्नासाहेब शिन्दे** : मुझे इसके लिए नोटिस चाहिए। वहां पर रायचौक गहन समुद्र मत्स्य ग्रहण पत्तन परियोजना नामक एक महत्वपूर्ण केन्द्रीय परियोजना है जिसके लिए माननीय सदस्य बहुत जोर दे रहे हैं। परिवहन मंत्रालय ने इसको मंजूरी दे दी है और हम इस बारे में वित्त मंत्रालय को लिख रहे हैं।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : एक समय था जबकि अन्नासाहेब शिन्दे को बहुत जानकारी रहती थी परन्तु अब वह उस व्यक्ति की तरह हैं जो खुदरा बिक्री करता है।

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह बता रहे हैं कि वह भी सभा में उपस्थित हैं।

**Shri Mohammad Ismail** : Bengal had been solving the problem of fish supply previously. There was no such problem before partition. This problem arose only when Congress came to power there. There is no dearth of rivers, canals and Sea in Bengal. We can procuce sufficient fish there for ourselve and for others. But during the last twenty years no arrangements have been made for the development of fisheries. They are saying that naxalites have swallowed all the fish. The United Front Government had some efforts in this regard. I would like to know whether the United Front Government had submitted a scheme a or not and what reply was given by the Central Government thereto and what action it is now proposed to be taken by the Government during the Presidential rule there ? It is very essential to solve this problem in Bengal.

**श्री अन्नासाहेब शिंदे** : कलकत्ता तथा पश्चिम बंगाल के अन्य क्षेत्रों को मछली की सप्लाई के बारे में माननीय सदस्य को जो चिन्ता है हम उसके बारे में पूरी तरह अवगत हैं। परन्तु जहां तक विकास पहलू का सम्बन्ध है जैसा मैंने पहले कहा अन्ततः यह एक राज्य का विषय है और केन्द्रीय सरकार से जो भी वित्तीय सहायता चाहिए हम पश्चिम बंगाल को वह सहायता देने को तैयार हैं। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पश्चिम बंगाल में मत्स्यपालन का विकास केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु तथा अन्य क्षेत्रों की तरह नहीं हो रहा है। इस बारे में राज्य सरकार को सक्रिय रूप से कार्यवाही करनी चाहिए। अन्य क्षेत्रों में नौकाओं का यन्त्रीकरण हो रहा है और वहां पर वित्तीय संस्थाएं भी हैं जो इस कार्य के लिए वित्तीय सहायता देने को तैयार हैं। परन्तु दुर्भाग्यवश पश्चिम बंगाल में यंत्रीकरण कार्यक्रम भी नहीं चल रहा है। जब माननीय सदस्य का दल

वहां पर सत्तारूढ़ था, जो कि वहां पर एक अथवा दो वर्ष रहा, उसने भी यंत्रीकरण को प्रोत्साहन देने के लिए कोई सक्रिय कार्यवाही नहीं की।

इस योजना में आगामी चार वर्षों के लिए पश्चिम बंगाल में मत्स्यपालन विकास के लिए 2.50 करोड़ रुपये रखे गये हैं। मुझे आशा है कि कम से कम इस कार्यक्रम को तेजी से चलाया जायेगा।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : कलकत्ता में मछली 14 रुपये प्रति किलो तथा आसाम में, जहां से फखरुद्दीन अलीअहमद चुनाव लड़कर यहाँ इस सभा में आये हैं, 25 रुपये प्रति किलो बिक रही है। इस बात को देखते हुए मैं नहीं जानता कि माननीय मंत्री को इस पद पर बने रहने का क्या अधिकार है? यह केन्द्रीय सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल, आसाम तथा उड़ीसा की अपेक्षा किये जाने का एक उदाहरण है।

प्राक्कलन समिति ने अपने 1967-68 के 14वें प्रतिवेदन में पृष्ठ 10 पर यह कहा है कि "पश्चिम बंगाल में मत्स्यपालन विकास कार्यक्रम को जिस प्रकार किया गया उससे समिति संतुष्ट नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है कि आरम्भ में बंगाल की खाड़ी में कोई उचित सर्वेक्षण नहीं किया गया और पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा वाणिज्यिक स्तर पर जो गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का जो कार्य किया गया वह अनुत्पादक था।

केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल में मत्स्य पालन की पूर्णतया उपेक्षा की है। ज्वार-नदसंगम मत्स्य क्री तथा गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की सदा उपेक्षा की गई। जिसके फलस्वरूप पश्चिम बंगाल, आसाम तथा उड़ीसा में मछली की बहुत कमी है। चिल्का झील की उपेक्षा की गई और इस साधन से पर्याप्त सप्लाई नहीं हो रही है ......।

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य को इतनी लम्बी भूमिका बांधने की आदत नहीं डालनी चाहिए।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि केन्द्रीय सरकार ने मत्स्यपालन निगम बनाते समय मत्स्य नीति सम्बन्धी घोषणा में यह कहा था "कि यह निगम प्रति वर्ष 10,000 मीटरी टन तक उत्पादन बढ़ा कर धीरे-धीरे इस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करेगा।" क्या सरकार तूतीकोरीन, मद्रास, विशाखापटनम् तथा अन्य स्थानों पर सरकारी नौकाओं से उतरने वाली मछली को पश्चिम बंगाल में बातचीत द्वारा तय किये गये मूल्य पर बिक्री के लिए उपलब्ध करेगी? यदि हां, तो किस तारीख तक और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

**श्री अन्नासाहेब शिन्दे** : माननीय सदस्य ने मत्स्य निगम का उल्लेख किया है। जिस समय उनका दल पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ था उस समय मैंने यह प्रयास किया था कि इस निगम को पश्चिम बंगाल सरकार अपने हाथ में ले ले। मैं समझता था कि वह इसको अपने नियंत्रण में लेकर अच्छी तरह चला सकेंगे।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : उसको क्रय करने के लिए धन कहां है। वे इसको राजनीतिक चाल-बाजी से चला रहे हैं।

**श्री अन्नासाहेब शिंदे** : परन्तु वह इसको अपने हाथ में लेने के लिए तैयार नहीं थे। केन्द्रीय मत्स्य निगम को उन्हें चलाना चाहिए क्योंकि वे समुद्र के बहुत निकट हैं। यदि पश्चिम बंगाल

सरकार इस निगम को चलाने को तैयार हो तो हम कुछ हानि उठाने अथवा कुछ वित्तीय सहायता उन्हें देने को तैयार हैं।

**श्री ज्योतिर्मय बसु :** मैं यह जानना चाहता हूँ कि केन्द्रीय सरकार इस निगम को उचित ढंग से चलाने में क्यों असफल रही है और क्या कारण है कि इसने लोगों के धन का अपव्यय किया है ?

**श्री अन्नासाहेब शिंदे :** बंगाल की खाड़ी में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने हेतु कलकत्ता में एक सर्वेक्षण यूनिट स्थापित किया गया है। इस प्रयोजन हेतु जर्मन लोकतंत्र गणराज्य से 105 फुट लम्बी नौका प्राप्त की गई है। खोज के लिए 57 फुट लम्बी दो मछली पकड़ने वाली नौकाएँ भी उपलब्ध की गई हैं। परन्तु इसका अधिक लाभ नहीं होगा जब तक यंत्रीकरण कार्यक्रम में पर्याप्त प्रगति नहीं होती और अन्ततः यह सब राज्य सरकार की गतिविधियों पर निर्भर करता है।

**श्री ज्योतिर्मय बसु :** माननीय मंत्री ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया।

**अध्यक्ष महोदय :** उन्होंने आपके प्रश्न का एक विशिष्ट ढंग से उत्तर दे दिया है।

**श्री ज्योतिर्मय बसु :** मैंने पूछा था कि क्या विशाखापतनम तथा अन्य स्थानों पर उतरने वाली मछली को बातचीत द्वारा तय किये गये मूल्य पर बिक्री के लिए उपलब्ध किया जायेगा ? उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया।

**अध्यक्ष महोदय :** आप एक प्रश्न में पूरे सप्ताह के प्रश्न पूछ लेना चाहते हैं।

**श्री वेदव्रत बरुआ :** क्या यह सच है कि समुद्र में मछली पकड़ने के 95 प्रतिशत साधनों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है और इस समय की जा रही कार्यवाही के बावजूद स्थिति में अधिक परिवर्तन होने की सम्भावना नहीं है। वास्तव में इस कार्य के लिए कई सौ करोड़ रुपये की आवश्यकता है। अतः क्या किसी भी राज्य सरकार के लिए इस कार्य को अपने हाथ में लेना, इस अन्तर को पूरा करना सम्भव होगा ? मत्स्य पालन राज्य का विषय है परन्तु समुद्र में मत्स्य पकड़ने का विषय अवशिष्ट विषय है। इस प्रकार क्या यह केन्द्रीय सरकार के क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आता ? क्या इस बात की जांच की गई है कि क्या कठिनाइयां हैं, क्या बाधायें हैं, और क्या कारण है कि लोग समुद्र में मछली पकड़ने वाली नौकाओं को अस्वीकार कर रहे हैं ? क्या ऐसा केवल व्यापारियों के कारण तो नहीं हो रहा जो मछली पकड़ने के लिए तैयार नहीं हैं।

**श्री अन्ना साहेब शिन्दे :** जहां तक नदी में मछली पकड़ने का प्रश्न है इस बारे में राज्य सरकार को ही पहल करानी है। केन्द्रीय सरकार द्वारा सभी राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता दी जायेगी। जहां तक गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का प्रश्न है माननीय सदस्य को यह जानकर खुशी होगी कि इस क्षेत्र में पर्याप्त विकास हुआ है हम केवल छः करोड़ की मछली का निर्यात करते थे परन्तु इस वर्ष 33 करोड़ रुपये की मछली का निर्यात किया गया है। गहरे समुद्र में मछली खोज करने के कार्य में पर्याप्त प्रगति हुई है। आगामी तीन अथवा चार वर्षों में देश में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले 30 और जहाज इस काम पर लगाये जायेंगे।

**श्री सरदार अमजद अली :** पश्चिम बंगाल में संयुक्त मोर्चा सरकार के समय यह कार्य श्री ज्योतिर्मय बसु के दल के व्यक्ति के पास था। श्री इस्माइल ने कहा है कि संयुक्त मोर्चा सरकार ने केन्द्रीय

सरकार को अभ्यावेदन दिये थे और राज्य में मतस्य विकास हेतु कुछ योग्यताएं भी भेजी थी। क्या ऐसी कोई योजना केन्द्रीय सरकार के समक्ष रखी गई थी।

देश में तथाकथित लोकतंत्रात्मक आन्दोलन के नाम पर श्री ज्योतिर्मयबसु के दल ने भूमि हत्याओं आन्दोलन आरम्भ कर रखा है। वे यहां पर तालाबों में मछलियों की खोज कर रहे हैं। उन्होंने राज्य के अनेक तालाबों को लूटा है। मैं जानना चाहता हूं कि इससे सप्लाई पर किस हद तक प्रभाव पड़ा है ?

**श्री अन्नासाहेब शिन्दे :** यह सच है कि मछलियों के स्थानों को हत्यानों के आन्दोलन को कुछ राजनैतिक दलों द्वारा प्रोत्साहन दिया गया है (**व्यवधान**) इससे राज्य के अन्तर्गत उपलब्ध होने वाली मछली को सप्लाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। जहां तक संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा श्री जगजीवनराम अथवा मुझे कोई योजना प्रस्तुत किये जाने का प्रश्न है मैं यह कह सकता हूं कि केवल रायचौक परियोजना के बारे में श्री बसु से चर्चा हुई थी और इसके लिए दो करोड़ रुपये को व्यवस्था की गई है और इसकी शीघ्र ही मंजूरी दी जायेगी।

**Shri Lakhan Lal Kapoor** : So far as fish is conceaned, I think it is a foodstuff. I would like to know whether they treat it according to the policy of foodgrains ? If so, whether they have formulated any special scheme by providing financial assistance in the coastal areas such as Bengal, Orissa and Andhra Pradesh where the fishermen are Harijans and If so the details thereof ?

Secondly, I want to know the steps so far taken in regard to the deep Sea fishing Scheme. It is astonishing that we have not been able to meet the shortage of fish inspite of the fact that we have a large sea area. May I know the limit by which they propose to cateh fish through modern methods in deep sea ?

**श्री अन्नासाहेब शिन्दे :** प्रश्न का प्रथम भाग बहुत महत्वपूर्ण है। देश के अधिकांश मछुए बहुत ही गरीब हैं। इस क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि मछुओं की स्थिति को केवल इसी ढंग से सुधारा जा सकता है कि वे सहकारी समितियां बनायें और हमने इस बारे में एक योजना भी बनाई है। यदि वे राज्य सरकार की सहायता से छोटी-छोटी सहकारी समितियां बना लेते हैं तो उनको वित्तीय सहायता दी जाती है और यह योजना देश के कुछ भागों मैसूर, केरल, तमिलनाडु में अच्छी तरह से कार्य कर रही है और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बङ्गाल की सरकारों द्वारा भी ऐसे कदम उठाये जाने चाहिए। गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के बारे में मैं स्थिति पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं परन्तु इस मामले में मुझे इस सभा के माननीय सदस्यों का समर्थन चाहिए। क्योंकि अभी अनेक कार्य करने हैं और इसलिए समस्या की जानकारी होना आवश्यक है। मुझे प्रसन्नता है कि माननीय सदस्य ने इसका उल्लेख किया है। मुझे विश्वास है कि चौथी पंच वर्षीय योजना में इस क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति होगी और मछली उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि होगी।

**श्री समर गुह :** मछली और चावल बंगालियों का सब से स्वादिष्ट भोजन है। परन्तु बाजार में मछली की सप्लाई 65 प्रतिशत कम होने के कारण हमें दुर्भाग्य से दाल और चावल से संतुष्ट होना पड़ता है। माननीय मन्त्री ने मेरे प्रश्नों के उत्तर में बताया है कि कमी का एक कारण पश्चिम बङ्गाल में 80 प्रतिशत मत्स्यपालन स्थानों का लूटा जाना और सप्लाई का अस्तव्यस्त होना तथा संयुक्त मोर्चा सरकार तथा साम्यवादी मार्क्सवादी मन्त्री का केन्द्रीय सरकार को परियोजना को

क्रियान्वित करने में असफल रहना है। अब वास्तव में केन्द्रीय सरकार ही पश्चिम बङ्गाल की सरकार का कार्य कर रही है। इस तथ्य को देखते हुए पूर्वी पाकिस्तान से मछली की सप्लाई के लिए सरकार पूर्वी पाकिस्तान सरकार से बातचीत करने के लिए क्या कार्यवाही करने वाली है ?

दूसरे, क्या राज्य के बाहर से मछली की सप्लाई को बढ़ाया जायगा ? क्या प्रायोगिक परियोजना को अन्तिम रूप दिया जायेगा और रायचौक मग्न परियोजना को शीघ्र पूरा किया जायेगा और खारे पानी तथा मछली विकास के लिए राज्य के मत्स्य विकास निगम को धन दिया जायगा।

लगभग दो लाख मछुए पूर्वी पाकिस्तान से वहां आते हैं और उनको पश्चिम बङ्गाल में मछया ता मघना में मछली पकड़ने का अनुभव है। क्या सरकार पश्चिम बङ्गाल में मत्स्य विकास के लिए उन मछुओं की सेवाओं से लाभ उठाने के लिए कार्यवाही करेगी ?

**श्री अन्नासाहेब शिन्दे :** माननीय सदस्य ने पाकिस्तान और भारत के बीच व्यापार शुरू करने का उल्लेख किया है। जहां तक मछली पकड़ने का प्रश्न है भारत सरकार ने इस मामले की जांच की थी और वास्तव में मछली तथा अन्य पदार्थों से रोक हटाने के लिए कार्यवाही की थी। परन्तु पाकिस्तान की प्रतिक्रिया अच्छी नहीं थी और इस बारे में उसने कोई कार्यवाही नहीं की। अतः इस सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही नहीं की जा सकी।

जहां तक विकास सम्बन्धी पहलुओं का सम्बन्ध है मैंने सभा को स्पष्टरूप से बता दिया है कि अन्ततः ठोस कार्यवाही राज्य सरकार को ही करनी होगी। श्री बसु इस बात का शिकायत कर रहे थे कि हमने कोई कार्यवाही नहीं की। जब उनका दल सत्तारूढ़ था तब उन्होंने मनमाना मत्स्य के विकास के लिए कोई कार्यवाही नहीं की हालांकि उसकी मंजूरी सदन में दी गई थी और उसके लिए शतप्रतिशत सहायता दी गई थी। अतः अन्त में मत्स्य बिकास के लिए राज्य सरकार को ही ठोस कार्यवाही करनी होगी।

**श्री समर गुह :** अब यह आपकी जिम्मेदारी है।

**श्री अन्नासाहेब शिन्दे :** जहां तक वित्तीय सहायता का सम्बन्ध है हम पश्चिम बङ्गाल के प्रति सहानुभूति पूर्ण रवैया अपनायेंगे।

**श्री समर गुह :** पूर्वी पाकिस्तान से आये दो लाख मछुओं के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

**श्री अन्नासाहेब शिन्दे :** हम उनकी सहायता करेंगे।

**श्रीमती इला पालचौधरी :** माननीय मन्त्री ने अभी-अभी बताया है कि यदि वे सहकारी समितियां बना लें तो वह उनको सहायता देंगे। ग्वालपाड़ा सहकारी समिति पिछले कुछ समय से केन्द्रीय सरकार से सहायता मांग रही है परन्तु उनको कोई सहायता नहीं मिली। यह समिति मछुओं तथा स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा बनाई गई है। इसके बारे में हम कई बार लिख चुके हैं परन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा उसपर विचार नहीं किया गया।

पश्चिम बङ्गाल में जब श्री बसु का दल सत्तारूढ़ था तो उन्होंने मत्स्य पालन स्थानों में बांध तोड़ दिये थे और वे पूर्णतया नष्ट हो गये थे। क्या कलकत्ता के आसपास ये बांध पुनः मछुओं को बहाल कर दिये जायेंगे और मछली की उपलब्धता में बहुत वृद्धि होगी क्योंकि मछलियों को लूट लिया गया था और मत्स्य पालन स्थानों को नष्ट कर दिया गया था।

**श्री अन्नासाहेब शिन्दे :** जहां तक राज्य के अन्दर मछली पकड़ने का प्रश्न है राज्य सरकार मामले से पूरी तरह अवगत है। जहां तक किसी विशेष सहकारी समिति को सहायता देने का सम्बन्ध है मुझे याद नहीं कि मुझे उनसे कोई पत्र प्राप्त हुआ है परन्तु मैं इस मामले पर विचार करने को तैयार हूं और यदि आवश्यक हुआ तो मैं जानकारी प्राप्त करने तथा सदस्यों को उसे देने का प्रयास करूंगा। हम सभी सम्भव कदम उठाने का प्रयास करेंगे।

**कर्मचारी भविष्य निधि में संस्थापन द्वारा योगदान जमा कराना**

+

*369. **श्री राम किशन गुप्त :** **श्री जनार्दनन :**
**श्री जि० मो० बिश्वास :** **श्री वासुदेवन नायर :**
**श्री इन्द्रजीत गुप्ता :**

यह **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत से संस्थापनों ने भविष्य निधि में अपना योगदान जमा नहीं कराया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे दोषी संस्थापनों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और क्या ऐसे संस्थापनों को काली सूची में दर्ज किया जायेगा ;

(ग) उद्योगवार, विभिन्न संस्थापनों की भविष्य निधि की कितनी-कितनी राशि बकाया है तथा वर्ष 1968-69 और 1969-70 में, वर्षवार, कुल कितने संस्थापनों ने सरकार के पास भविष्य निधि जमा नहीं कराई थी ;

(घ) उन संस्थापनों के नाम क्या हैं जिन्हें सरकार को भविष्य निधि की 25,000 रुपये से अधिक की राशि देनी है ; और

(ङ) वर्ष 1968-69 और 1969-70 में कितने दोषी संस्थापनों को संरक्षण प्रदान किया गया था ?

**श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ राय) : (क) से (ङ) :** कर्मचारी भविष्य निधि के प्रशासन का सम्बन्ध कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत स्थापित केन्द्रीय न्यासी बोर्ड में है, जो कि एक स्वायत्त संगठन है, और केन्द्रीय सरकार से इसका सीधा सम्बन्ध नहीं है। एक विवरण, जिसमें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा भेजी गई सूचना दी गई है सभा की मेज पर रख दिया गया है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3950/70**]

**Shri Ram Kishan Gupta** : After going through the statement, it appears that there is still an arrear of about Rs.27 crores which has not been recovered. It also makes clear that the criminal cases have been initiated. I would like to know the result of these cases and whether any amount of arreas has been recovered or not ? I would also like to know whether it is a fact that many cases are pending for the last one and half years and no decision is taken about them and becasuse of this huge amount has been spent on litigation.

**The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagawat Jha Azad)**: So far we have launched about 35,056 cases. you haveasked

about the results. They have been penalized in 17,242 cases till now, and they were told that they had committed a mistake. Eleven thousand cases are pending. Thus, we have been able to realise the amount. Where the amount is in arrears, unfortunately 65 per cent of them are textile mills and most of them are sick mills. In engineering, the balace is eleven percent. Such cases are very few where their eonomic position is good and who are financially sound.

**Shri Ram Kishan Gupta** : I had asked as a result of these cases how much amount has been given till now to the labourers as provident fund ?

**Shri Bhagwat Jha Azad** : So far as the question of paying to the labourers is concerned, this is not going to make any difference. In respect of their own contribution, we have recenlly created a fund, from which we pay to them. But where we do not get the employers contribution, we are unable to pay it. As far the question of arrears realisation is concerned, it pertains to many years. We realised an amount of 2.20 crores in 1968-69 and 2.55 crores in 1969-70 by 31st Decemher.

**Shri Ram Kishan Gupta** : Public Sector has also been mentioed in the Statement, but no details have been given about it. I would like to know the number of such concerns in public sector which have not paid their share, what is the amount of their arrears and what action the Government is taking about it ?

**Shri Bhagwat Jha Azad** : The total figures of public sector as well as the private sector comes to Rs.14.67 crores for this year and Rs.12 crores for previous years. I have no separate figures for the private sector. But those figures will be laid on the Table of the House. In this connection we have taken so many steps. Prosecution proceeding and criminal cases for breach of trust have been initiated. Where the question of liquidation arises, we go far liquidation. The public sector under State Governments and different Departments of the Central Government are continuously consulted by us, so that their dues are realized. We are trying to do so by persuation and by asking the State Governments and Central Departments to this effect.

**श्री वासुदेवन नायर** : यह सामान्य ज्ञान की बात है कि इन हजारों दोषियों में, कुछ चिरकालिक हैं जो प्राय: जान बूझ करके भुगतान टालते रहते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास ऐसी कम्पनियों की सूची है और क्या वे उन कम्पनियों के साथ ठीक तरीके से कार्यवाही करने का प्रयत्न कर रहे हैं अथवा क्या वे सभी दोषियों के बिरूद्ध एक साथ कार्यवाही करेंगे ? किसी सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के दोषी होने के बारे में सरकार क्या स्पष्टीकरण देना चाहेगी ? सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा इस बारे में क्या स्पष्टीकरण दिया जाता है जिन्हें गैर-सरकारी कम्पनियों के लिये एक आदर्श होना चाहिए ? इस तरह वे कम्पनियां क्यों दोषी होती हैं ? इन पर कितना खर्च आया है ?

**श्री भगवत झा आजाद** : मेरे पास दोषी प्रतिष्ठानों की एक सूची है जिनके नाम एक लाख रुपये से अधिक देय राशि है। यह एक लम्बी सूची है। कुछ स्थितियों में कम्पनी की खराब बित्तीय अवस्था होने के कारण मुकद्दमें को दायरे करने में हमारी असमर्थता है। जब हम राज्य सरकार को लिखते हैं और अभियोग का सुझाव देते हैं तो वे कहते हैं; यदि हम अभियोग चलाते हैं तो वित्तीय कठिनाइयों के कारण प्रतिष्ठान बन्द हो जायेगा और बेरोजगारी बढ़ेगी जैसे उदाहरण के लिये वस्त्र मिलों के मामले में उनके बन्द होने से हो रहा है। महाराष्ट्र को लीजिये, जहां कई वस्त्रों के कारखानों को सहायता प्राप्त उपक्रम के रूप में अभिरक्षकों द्वारा चलाया जा रहा है। ये हमारी कठिनाइयों

हैं। वित्तीय कठिनाइयों के कारण सरकारी क्षेत्र में भी यही हुआ है। जहां कहीं भी हमें पता चलता है कि वे जान बूझ करके भुगतान को रोके हुए हैं, हम उनके विरूद्ध पूरे उत्साह से कार्यवाही करते हैं। लेकिन आर्थिक संकट-ग्रस्त कारखानों के बारे में, जहां वित्तीय कठिनाइयां हैं और जहाँ बेरोजगारी बढ़ सकती है, हमें थोड़ा सा नरम रुख अपनाना पड़ता है। दूसरे दोषी प्रतिष्ठानों के बारे में हमने अनेक मामलों में अभियोग चलाये हैं। हाल ही, में राष्ट्रीय श्रम आयोग और प्राक्कलन समिति द्वारा भी एक सुझाव था कि दोषियों के प्रति हमें कठोर होना चाहिए। हम विचार कर रहे हैं कि इन मामलों में हम कहाँ तक इस उपबन्ध को और अधिक कड़ा बना सकते हैं।

**Shri Hukam Chand Kachwai** : It is said that we have punished some persons by initiating prosecutions. I would like to know as to how many persons have been punished and what type of piushment has been given to them ? It appears that the punishment given to them is quite less and because of this the whole matter is delayed. Not only this, the money, which is deducted from the labourers is not deposited in many cases and they do not deposit their contribution. These people utilise this amount by giving it on interest and for running other industries and factories and make profit from it. In such a situation, will they make the punishment more stringent so that the amount is not misused and the labourers get their money quickly ?

Have they any proposal to charge interest from them on the amount which they do not deposit ? Unless the amount is not deposited, the amount of interest may be recovered from them as the banks charge interest.

Various kinds of malpracticies are indulged in at different places in advancing loans to employees. When a labourer gives application for loan for the construction of a house or for long illness, he has to get it signed by the recognised union. The unions force the labourers to become their members in order to have loans. A right has been given to the union that no loan will be sanctioned without their consent. Are they prepepared to remove this restriction, so that this difficulty of labourers is removed ?

**Shri Bhagwat Jha Azad** : It is a fact that there are many such establishments which not only do not pay their contribution but also withhold the labourers share which they have deducted. We launch prosecutions against such establishments.

So far as the question of punishment is concerned, according to the rule they can be imprisoned for six months or fined upto one thousand rupees or both.

**Shri Hukam Chand Kachwai** : Has anybody been sent to jail ? Nobody has been sent.

**Shri Bhagwat Jha Azad** : Sentence is given by the court. The punishment has been given in 37,700 cases. So far as the question of making the punishment more stringent is concerned, I have told that the National Labour Commission has also pointed out to us to make this punishment more severe. In the report of Estimates committee also, it has been recommended that we should make it as a cognizable offence under the Indian Criminal Code and increase the punishment. We are considering over it . We are looking into it as to how we could make this punishment more severe. His suggestion is under consideration.

**Shri Hukam Chand Kachwai** : I have not received complete reply to my question. I have asked a question on interest .

**Shri Bhagwat Jha Azad** : We will consider the point of interest also.

**श्री लोबो प्रभु** : सुनहरी अंडे देने वाली मुर्गी को ही मारने के कार्य में कुछ लोग लगे हुए हैं।

आपने बताया है कि अनेक कारखाने बन्द हो चुके हैं। कितने कारखाने बन्द हुए हैं; भविष्य निधि की इस मांग के परिणामस्वरूप कितनी बेरोजगारी हुई है......( **व्यवधान** ) क्या आप ऐसे कारखानों को छूट देने के लिये उस उपबन्ध को अर्थात् धारा 17 को लागू करेंगे और उन कारखानों को छूट देंगे ?

**श्री भागवत झा आजाद** : हमारी जानकारी के अनुसार कोई भी कारखाना इस कारण बन्द नहीं हुआ है कि उससे भविष्य निधि की मांग की गई है। वे कारखाने कुप्रबन्ध अथवा वित्तीय कठिनाइयों के कारण बन्द हुए हैं। मेरे कहने का आशय यह है कि यह कई कारणों में से एक कारण था और राज्य सरकारें ध्यान पूर्वक देखती थी कि यदि यह उक्त कारण से था तो इन्हें अभिरक्षकों से ले लिया जाता था। लेकिन यह कारण नहीं है अर्थात् क्योंकि हम भविष्य निधि मांगते हैं, तो वे कारखाने बन्द कर देते हैं।

**श्री लोबो प्रभु** : क्या मैं आपकी जानकारी में वृद्धि करूं और उन कारखानों के नाम आप को दूं जो बन्द हैं ?

---

## अल्प सूचना प्रश्न
## SHORT NOTICE QUESTION

### अलकनन्दा की दुखद घटना

*5. **श्री श्रीचन्द्र गोयल** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को अलकनन्दा की दुखद घटना के बारे में समाचार कब मिला था;

(ख) उक्त दुखद घटना का समाचार किस माध्यम से प्राप्त हुआ—किसी सरकारी बेतार के संदेश द्वारा अथवा किसी समाचार एजेंसी के द्वारा;

(ग) उक्त दुखद घटना का समाचार विलम्ब से प्राप्त होने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है और यदि हां, तो उसका परिणाम क्या निकला ?

**सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री ( श्री इ० कु० गुजराल)** : (क) अलकनन्दा की दुखद घटना की पहली सूचना आकाशवाणी को 22 जुलाई, 1970 को दोपहर 12,00 बजे प्राप्त हुई थी और उसे अपराह्न 1·30 बजे के अंग्रेजी बुलेटिन में और बाद के हिन्दी तथा अन्य भाषाओं के बुलेटिनों में प्रसारित किया गया था।

(ख) समाचार एजेंसियों अर्थात् पी० टी० आई० तथा यू० एन० आई० से।

(ग) आकाशवाणी की ओर से उसे प्रसारित करने में कोई विलम्ब नहीं किया गया। समाचार प्राप्त होने के तुरन्त बाद ही देहरादून में स्थित आकाशवाणी के सम्वाददाता से सम्पर्क किया गया और समाचार को तुरन्त बाद के बुलेटिन में शामिल किया गया;

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

**श्री श्रीचन्द गोयल :** यह बहुत गम्भीर मामला है क्योंकि अलकनन्दा में 20 तारीख की शाम को एक दुःखद घटना घटी। माननीय मन्त्री के उत्तर के अनुसार उक्त दुर्घटना के बारे में सूचना दो दिन बाद प्रसारित कर दी गई थी। उक्त गम्भीर दुःखद घटना के बारे में समस्त देश को अंधेरे में रखा गया। उक्त दुर्घटना में सैंकड़ों लोगों की मृत्यु हुई और सारी संचार व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई। लेकिन इस बारे में समाचार दो दिन बाद प्रसारित किया गया जबकि प्रधान मन्त्री द्वारा चांदनी चौंक में दिया गया भाषण साथ-साथ प्रसारित किया गया था।

इस सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या ज्योतिमठ और ऋषिकेश के बीच तीन स्थानों-बेलाकुची, पीपल कोटी और चमोली में टेलीफोन लाइन उपलब्ध थी; और क्या उक्त टेलीफोन सेवा का प्रयोग किया गया था या नहीं ? यदि नहीं, तो उसका प्रयोग न करने के क्या कारण हैं ?

मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या कोचर में एक आकाशवाणी केन्द्र है। डा० के० एल० राव द्वारा राज्य सभा में दिये गये उत्तर के अनुसार जहां से ज्योतिमठ अधिकारियों ने 21 तरीख को सुबह 9 बजे समाचार दिया था। माननीय मन्त्री ने उल्लेख किया है "कि मुझे विदित हुआ है कि ज्योतिमठ वायरलैस से 21 तारीख की सुबह **कोचर** को जहां वायरलैस केन्द्र है, सूचना दी गई।" उक्त वायरलैस केन्द्र सीमा सड़क संगठन द्वारा चलाया जाता है। हम वर्ष 1970 में रह रहे हैं और हमें संचार की सब सुविधाएं उपलब्ध हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या देहरादून के अतिरिक्त चमोली या श्रीनगर में भी आकाशवाणी का एक संवाददाता हैं, और यदि हां तो, उसने अपने कर्तव्य का पालन क्यों नहीं किया ?

मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि उक्त सब स्थानों पर समाचार एजेंसी है और उक्त समाचार को उसी दिन प्रसारित न करने के क्या कारण हैं ?

**श्री इ० कु० गुजराल :** उक्त दुर्घटना से स्वभावतया हम सब दुखी हैं। मेरे माननीय मित्र यह स्वीकार करेंगे कि उक्त दुर्घटना का क्षेत्र इतना विशाल था कि संचार के सब साधन और टेलीफोन लाइनें आदि खराब हो गई थी। जहां तक आकाशवाणी के संवाददाता का सम्बन्ध है, जोशीमठ में हमारा एक संवाददाता काम कर रहा है। वह केवल 22 तारीख को ही सम्पर्क स्थापित करने में सफल हो सका। इस बारे में सर्वप्रथम सूचना 22 तारीख को प्राप्त हुई और वह भी सरकारी स्रोत से नहीं बल्कि परिवहन सहकारी समिति की सहायता से; तब तक हम उक्त समाचार की पुष्टि नहीं कर सके। बाद में हमें पता लगा कि उत्तर प्रदेश सरकार को 22 तारीख की रात का समाचार प्राप्त हो गया था। दुर्भाग्य से उत्तर प्रदेश सरकार उस समाचार को किसी को नहीं भेज सकी और हम उसको प्रसारित नहीं कर सके। उक्त समाचार 22 तारीख की दोपहर को प्राप्त हुआ। आकाशवाणी की समाचार एजेंसी द्वारा उक्त समाचार 22 तारीख को प्राप्त हुआ। अतः हम इस समाचार का इससे पहले प्रसारित नहीं कर सके। इस सम्बन्ध में हमने यह कार्यवाही की कि हमने शीघ्र एक संवाददाता को लखनऊ से भेजा जो 22 तारीख की शाम को उक्त क्षेत्र में पहुँचा और वहां से उसने हमें सीधे समाचार भेजे। इसके बाद हमारी संचार व्यवस्था बनी रही। यह दुःख की बात है कि हमारी संचार व्यवस्था भंग हो गई और हमें समाचार जल्दी प्राप्त नहीं हो सके।

**श्री श्रीचन्द गोयल :** मुझे यह सूचना मिली है कि आकाशवाणी को यह सूचना 21 तारीख की सुबह को प्राप्त हो गई थी। लेकिन चूंकि वह समस्त देश का इस दुर्घटना के बारे में विश्वास प्राप्त नहीं करना चाहती थी इसलिये उसने और समय प्राप्त करने के लिये जानबूझकर समाचार को दबाया ताकि इस बारे में वह एक कहानी गढ़ सके और इस मामले को दूसरा रंग दे सके अन्यथा वे कठिनाई में पड़ जाते।

**श्री इ० कु० गुजराल :** इससे हम कठिनाई में कैसे पड़ जाते। यह एक प्राकृतिक आपद् थी। पहाड़ गिर रहे थे और भारी वर्षा हो रही थी। अभी तक हमने कोई ऐसी एजेंसी नहीं बनाई जो दैवी विपत्ति के लिये जिम्मेवार हो।

हम इस बात का आश्वासन देते हैं कि यह समाचार हमें 22 तारीख को 12 बजे से पहले प्राप्त नहीं हुआ था और मैं माननीय सदस्य को चुनौती देता हूं कि वह यह सिद्ध करें कि हमें यह समाचार 21 तारीख को प्राप्त हो गया था।

**Shri Yashpal Singh:** I want to know why the Government is trying to hide his weakness In Barahoti which is a part of U. P., near Alaknanda, one lakh army of China is posted. She has alway tried to do damage to India. It has not rained so heavily according to any chart, register or meteorological report. China has diverted this water to India by cutting some streams and rivers so that India may be drowred. It is due to the blessings of **Ganga Mata** that we have been saved. (**Intrruptions**).

**श्री स० कुन्दू :** ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर मंत्री महोदय को यह बहाना नहीं बनाना चाहिए था कि उन्हें इस बाढ़ की सूचना नहीं थी। मुझे बताया गया है कि 1962 के चीनी आक्रमण के बाद सेना तथा सीमा सड़क संगठन ने घाटी का वायरलैस आदि से सम्पर्क बनाने रखने को पूरी व्यवस्था की हुई है। मुझे विदित हुआ है कि उक्त दुर्घटना के तुरन्त बाद प्रतिरक्षा विभाग ने सूचना भेजी थी। गृह-मंत्रालय को उक्त सूचना प्राप्त हुई थी यदि गृह-मंत्रालय को इस समाचार की सूचना 20 तारीख की रात को प्राप्त हो गई थी तो सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और आकाशवाणी ने गृह-मंत्रालय और प्रतिरक्षा विभाग से सम्पर्क स्थापित क्यों नहीं किया? क्या माननीय मंत्री ने इस बारे में जांच की है? मैं अपने इस प्रश्न का मंत्री महोदय से उत्तर जानना चाहता हूँ।

**श्री इ० कु० गुजराल :** उक्त दुर्घटना 20 और 21 तारीख की रात को घटी। इसलिए गृह-मंत्रालय को इसकी सूचना 20 तारीख को नहीं मिली (**अन्तर्बाधाएं**) मैं यह बताने की स्थिति में नहीं हूं कि गृह-मंत्रालय को क्या सूचना मिली क्योंकि गृह-मंत्रालय का हमारे से सम्पर्क नहीं बना हुआ था। मेरे पास प्रतिरक्षा मंत्रालय का एक समाचार है। इसमें सीमा सड़क संगठन द्वारा दी गई सहायता का उल्लेख है।

यह हमें 22 तारीख की दोपहर को प्राप्त हुआ था और तब तक हम समाचार प्रसारित कर चुके थे। मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि सर्वप्रथम हमें इस बारे में सूचना देहरादून से मिली। देहरादून से उक्त समाचार गढ़वाल मोटर ट्रांसपोर्ट कोआपरेटिव यूनियन को मिला। शीघ्र ही समाचार सरकार को प्राप्त हुआ और हमने इसकी पुष्टि करने की भी प्रतीक्षा नहीं की। हमने इस समाचार को पुष्टि करने से पूर्व ही प्रसारित कर दिया। अतः इस सम्बन्ध में हमारी ओर से कोई देरी नहीं हुई।

जैसा कि मैं अभी बता चुका हूं, हमने अपने उक्त क्षेत्र में संवाददाताओं के एक दल को भेजा। 22 तारीख के बाद हम जनता को उक्त दुर्घटना के बारे में बराबर सूचित करते रहे। मैं तो केवल यही कहूंगा कि जब ऐसी भारी दुर्घटना होती है, तो ऐसा हो जाता है। जो लोग दुर्घटना स्थल पर गये थे उनका सर्वप्रथम कर्त्तव्य लोगों की सहायता करना था न कि आकाशवाणी को समाचार भेजना। अतः यदि हमें इस बारे में समाचार प्राप्त नहीं हुए तो हमें उन्हें दोषी नहीं ठहराना चाहिये।

**श्री स० कुन्दू :** मेरे प्रश्न का स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया है। क्या उनके मंत्रालय ने गृह तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय से यह पता लगाया है कि उन्हें इस बारे में कब समाचार मिला था? उन्होंने बताया है कि "उन्हें सीमा सड़क संगठन द्वारा भेजा गया एक संदेश 22 तारीख को प्राप्त हुआ।" मेरा यह प्रश्न नहीं था?

**अध्यक्ष महोदय :** यदि वे स्वयं ही समाचार प्राप्त करते हैं तो उन्हें गृह-मंत्रालय से इस बारे मे सम्पर्क स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

**श्री स० कुन्दू :** उन्हें 22 तारीख को समाचार प्राप्त हुआ। मुझे यह सूचना मिली है कि गृह और प्रतिरक्षा मंत्रालय को 21 तारीख को रात को समाचार मिल गया था। क्या उन्होंने उन मंत्रालयों से सम्पर्क स्थापित किया या उन मंत्रालयों ने उन्हें ये समाचार भेजा? यह व्यवस्था का प्रश्न है।

**अध्यक्ष महोदय :** इसमें व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

**श्री स० कुन्दू :** मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि मेरे प्रश्न का स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया है।

**अध्यक्ष महोदय :** इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

**श्री स० कुन्दू :** यदि प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर नहीं दिया जाता तो प्रश्न पूछने का क्या लाभ?

**श्री बलराज मधोक :** माननीय मंत्री ने बताया कि उन्हें इस बारे में सूचना 22 तारीख को मिली लेकिन माननीय सदस्य का कहना है कि भारत सरकार को उक्त सूचना 20 तारीख को मिली। माननीय मंत्री सभा को इस बात से सूचित करें कि क्या गृह-मंत्रालय और प्रतिरक्षा मंत्रालय को उक्त सूचना 20 तारीख को प्राप्त हुई थी अथवा नहीं? (**अन्तर्बाधाएं**)

**अध्यक्ष महोदय :** इस बारे में एक प्रक्रिया है। आप इस बारे में अध्यक्ष को नियम 115 के अन्तर्गत लिख सकते हैं। मैं उसे माननीय मंत्री को भेज सकते हैं। इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

**श्री स० कुन्दू :** यदि माननीय सदस्य तर्कसंगत उत्तर नहीं देते तो आप उनसे ऐसा करने को कह सकते हैं। यदि आप हमें संरक्षण नहीं देंगे तो हम यहां कैसे काम करेंगे? आप हमारे अधिकारों के संरक्षक हैं।

**अध्यक्ष महोदय :** कृपया जोश में न आइये। यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

**श्री स० कुन्दू :** कृपया नियम देखें।

**अध्यक्ष महोदय :** दुर्व्यवहार न कीजिये। कृपया बैठ जाइये।

**श्री स० कुन्दू :** मैं अपने प्रश्न का उत्तर चाहता हूँ। क्या आप दिये गये उत्तर से सन्तुष्ट हैं ? क्या उन्होंने गृह-मन्त्रालय या प्रतिरक्षा मन्त्रालय से सम्पर्क किया था या गृह-मन्त्रालय ने जिसे मेरी जानकारी के अनुसार 20 तारीख की रात को सूचना मिल गई थी, उक्त सूचना उनके मन्त्रालय को भेज दी थी ?

**अध्यक्ष महोदय :** इसमें व्यवस्था का क्या प्रश्न है ?

**श्री स० कुन्दू :** मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि मेरे प्रश्न का उत्तार नहीं दिया गया। आप हमारे अधिकारों के संरक्षक हैं और आपको मन्त्री को स्पष्ट उत्तार न देने के कारण बतलाना चाहिये। क्या मैं यह समझूं कि आप मन्त्री महोदय से मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए नहीं कहेंगे ?

**अध्यक्ष महोदय :** मैं ऐसा नहीं करूंगा।

**श्री स० कुन्दू :** मैं इसके विरोध में सभा छोड़कर चला जाता हूं क्योंकि इससे मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है।

**(इसके पश्चात् श्री स० कुन्दू सभा भवन छोड़कर चले गये)**

( Shri S. **Kundu then left the House** )

**अध्यक्ष महोदय :** यदि आप ऐसा करें तो बेहतर है।

**Shri Abdul Ghani Dar :** I want to know whether such a thing has happened that the information about this tragedy was received earlier but it was not given to the public. I want a ruling on this matter. I want to know whether the Prime Minister has a right to hide the information even after it was given to her through the House ?

**अध्यक्ष महोदय :** आप अनावश्यक रूप से जोश में आ रहे हैं। यदि माननीय मन्त्री कोई उत्तर देते हैं और यदि उस मामले में कोई मतभेद होता है तो इस बारे में अध्यक्ष ने उचित निदेश दिये हुए हैं। सदस्य निदेश संख्या 115 के अन्तर्गत मुझे लिख सकते हैं और उसके आधार पर यदि आवश्यक हुआ तो मैं इस बारे में उनसे पूछूंगा। इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। उन्होंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया। मैंने उनका ध्यान निदेश संख्या 115 की ओर दिलाया था। उन्हें उक्त प्रक्रिया का पालन करना चाहिये था। यह बहुत बुरी बात है कि नये सदस्य जो बहुत ज्यादा जोशीले हैं अकसर सभा की गरिमा और शिष्ठता की अवहेलना कर रहे हैं। इस घटना का मुझे बहुत दुःख है।

डा० **राम सुभग सिंह :** यह प्रश्न सभा में पहले भी उठाया जा चुका है। यह दुर्घटना 20 तारीख को हुई थी। क्या सरकार को उक्त घटना की जानकारी थी ? मन्त्री महोदय को प्रश्न का स्पष्ट उत्तार देना चाहिये।

**Shri Abdul Ghani Dar :** I want your ruling is this matter.

**Mr. Speaker :** How can I give a ruling in this matter. I could hear your point only if there had been any discrepancy in what was stated.

**श्री हेम बरूआ :** मुझे दुःख है कि श्री कुन्दू सभा भवन को इसलिये छोड़कर चले गये कि मंत्री महोदय ने उनके प्रश्न का उत्तार नहीं दिया। मन्त्री महोदय ने उक्त दु:खद समाचार को प्रसारित करने में दो दिन का समय लिया जबकि माननीय सदस्य का यह कथन है कि गृह-मन्त्रालय तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालय को उक्त समाचार की सूचना बहुत पहले मिल चुकी थी। अत: वह यह जानना चाहते थे कि क्या सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय ने उक्त दोनों मन्त्रालयों से सम्पर्क स्थापित किया

था अथवा नहीं। माननीय सदस्य ने यह प्रश्न पूछा था और मन्त्री महोदय ने उनके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया।

**अध्यक्ष महोदय :** श्री हेम बरूआ आप सदन् के पुराने सदस्य हैं। सौभाग्य से हम जिला स्तर से विधान सभा में आये और विधान सभा से संसद् में आये लेकिन ये नये संसद् सदस्य हमसे भी अधिक भाग्यशाली हैं क्योंकि वह सोधे संसद् में आ गये। आप मेरे जैसे पुराने सदस्य हैं। क्या आप मुझे ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जिसके अनुसार अध्यक्ष मन्त्री महोदय को उत्तर देने के लिये वाध्य कर सकता है? क्या आप अपने 15 या 20 वर्षों के अनुभव के दौरान इस सम्बन्ध में बनायी गयी कोई नियम बता सकते हैं जिससे मेरा पथ प्रदर्शन हो सके।

**श्री हेम बरूआ :** मैं यह कहता हूं कि मन्त्री महोदय ने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

**अध्यक्ष महोदय :** निदेश संख्या 115 के अन्तर्गत माननीय सदस्य मुझे लिखकर दें और यदि आवश्यक हुआ तो मैं इस सम्बन्ध में कार्यवाही करूंगा।

**श्री पीलू मोदी :** हम इस बारे में किन्हीं विशेष नियमों का उल्लेख नहीं कर सकते। लेकिन हम पहले ऐसे बहुत से उदाहरणों का उल्लेख कर सकते हैं जब अध्यक्ष महोदय मन्त्री महोदय के साथ प्रश्न का उत्तर न देने के कारण सख्ती से पेश आये हैं।

**अध्यक्ष महोदय :** मैं मन्त्री महोदय को तभी कुछ कह सकता हूं जब माननीय सदस्य मुझे इस बारे में लिख कर दें।

**Shri Prakash Vir Shastri :** I want to remind you about your rulings. You had given a ruling that during the Question Hour no point of Order can be raised. In spite of that a point of order has been raised during Question Hour. As a result of it only two or three Questions are taken up during this Hour.

**अध्यक्ष महोदय :** मैंने उन्हें बताया था कि प्रश्न काल के दौरान व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता परन्तु माननीय सदस्य सभा से उठकर चले गए।

**श्री पीलु मोडी :** लेकिन आपने उनका व्यवस्था का प्रश्न सुना था।

**अध्यक्ष महोदय :** लगता है उनमें हमसे ज्यादा जोश है।

**Shri Prakash Vir Shastri :** So far as I understand two correspondents of A. I. R. are there where Alak-Nanda tregedy occurred. One is a part-time departmental correspondent at Dehra Dun and the other is a full time correspondent at Chamoli. Garhwal ; Almora and Dehra Dun are of much importance from the geographical point of view. Keeping this in view, I would like to know whether the Government contemplate to appoint a full-time correspondent in this region so that such information may not be delayed ?

So far as I know, it was the part-time correspondent who gave this information first. May I know whether Government propose to convert it into full-time post ?

**श्री इ० कु० गुजराल :** जहां तक उस क्षेत्र में नियुक्त हमारे संवाददाताओं का सम्बन्ध है, हमारा एक संवाददाता जोशीमठ में है और दूसरा अंशकालिक संवाददाता देहरादून में है। इन में से किसी भी संवाददाता ने सबसे पहले सूचना नहीं दी। सबसे पहले सूचना प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया तथा यू० एन० आई० से प्राप्त हुई। तब उसके बाद हमने अपने संवाददाता से सम्पर्क स्थापित किया। उसने यह खबर सुनी थीं और वह इसकी पुष्टि के लिए प्रयत्न कर रहा था। वह इस

मामले में सचेष्ट था। जोशीमठ में नियुक्त संवाददाता ने कुछ समय के बाद सूचना भेजी क्योंकि अपनी सूचना भेजने के लिए उसे रेडियो सम्पर्क नहीं मिल पाया था।

जहां तक और संवाददाता नियुक्त करने का प्रश्न है, इस समय सम्पूर्ण देश में पूर्णकालिक एवं अंशकालिक संवाददाताओं की संख्या ६8 है। लेकिन अब हम ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं कि प्रत्येक जिले में कम से कम एक संवाददाता हो। सरकार अधिक संवाददाता नियुक्त करने के मामले पर भी ध्यान दे रही है।

**श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :** अलकनन्दा की दुःखद घटना के लिए माननीय मन्त्री को दोष नहीं दिया जा सकता। अतः इन पर यह आरोप लगाना अनुचित होगा कि माननीय मन्त्री खबरों को दबाए बैठे हैं। लेकिन यह बात स्पष्ट है कि यह एक सामरिक महत्व का क्षेत्र है और थोड़े समय के लिए इसके साथ सम्बन्ध विच्छेद हो गया था। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूँ कि क्या उस क्षेत्र में संचार-साधन या संचार-व्यवस्था असंतोषजनक है और यदि हां तो इसको सुचारू ढंग से चलाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

**श्री इ० कु० गुजराल :** चाहे मामला निजी हो अथवा सरकारी, मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि किसी भी समाचार को दबाया नहीं गया। जैसे ही मिला, उचित समय के भीतर ही उसे प्रसारित कर दिया गया।

**श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :** वास्तव में मैंने मन्त्री महोदय की प्रसंसा की थी ...

**श्री पीलू मोडी :** यदि माननीय सदस्य माननीय मन्त्रियों की प्रसंशा करते हैं तो वे उन्हें काटने को दौड़ते हैं।

**श्री इ० कु० गुजराल :** जहां तक संचार-सम्पर्क का सम्बन्ध है, ये सम्पर्क प्रायः सामान्य स्थिति को ध्यान में रखकर स्थापित किए जाते हैं। लेकिन जब भी ऐसी दुःखद घटना होती है और टेलीफोन सम्पर्क तथा संचार के अन्य साधन समाप्त हो जाते हैं, तब...

**श्री हेम बरुआ :** वायरलैस के बारे में क्या स्थिति है?

**श्री इ० कु० गुजराल :** कुछ समय के लिए तो वायरलैस सम्पर्क उपलब्ध नहीं हो सका क्योंकि समस्या के कई पहलू थे। जैसा कि मैंने पहले कहा, सिंहालोकन करने से हमें पता चला कि सबसे पहले सूचना उत्तर प्रदेश सरकार को 21 तारीख की संध्या को प्राप्त हुई परन्तु दुर्भाग्य-वश हमें वह सूचना नहीं भेजी गई...

**श्री पीलू मोडी :** क्योंकि उनके संचार सम्पर्क टूट गए थे।

**श्री इ० कु० गुजराल :** पूछा गया है कि क्या हमने गृह-मन्त्रालय या रक्षा-मंन्त्रालय से सम्पर्क स्थापित किया था? मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि समाचार का संकेत मिलने के बाद ही गृह मंत्रालय या रक्षा-मन्त्रालय से सम्पर्क स्थापित किया जा सकता था। ऐसी कोई परम्परा नहीं है कि हम गृह मंत्रालय या रक्षा मन्त्रालय से सम्पर्क स्थापित करें और उनसे पूछें कि क्या उस मन्त्रालय को अलकनन्दा की दुःखद घटना की कोई जानकारी मिली है। यह कैसे पता लगा सकते हैं कि अमुक स्थान पर कोई घटना घटी है या नहीं?

**श्री पीलु मोडी :** उन्हें माननीय मंन्त्री को सूचना देनी चाहिए थी।

कुछ माननीय सदस्य उठे—

**अध्यक्ष महोदय :** मैं सबको एक साथ बोलने की अनुमति कैसे दे सकता हूँ। माननीय सदस्यों को अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए।

**Shri B. P.Mandal :** Is it not true that one way traffic system prevails between Rishikesh and Badri Nath and after every five or ten miles, one telephone has been installed ? During one term 10 to 50 Vehicles are allowed to pass. In case any fleet does not reach the destination within the fixed time, whether police posted there receive this information by telephone ? What is the reason that Government of India did not receive any information for three days ? How far it is justified ? Is it not a fact that net work of telephone system as well as one way traffic is there ?

**श्री इ० कु० गुजराल :** जहाँ तक मुझे जानकारी है, सारी व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गई थी। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि उस क्षेत्र में कितने टेलीफोन लगे हुए हैं। मैं उस क्षेत्र में कभी नहीं गया।

**श्री वि० प्र० मंडल :** गत वर्ष मैं अपनी कार में वहां गया था। ऋषिकेश और बद्रीनाथ के बीच 258 किलोमीटर की दूरी है और लगभग 30 या 40 टेलीफोन लगे हुए हैं। जहां भी टेलीफोन लगा हुआ है वहां एक पुलिस कांस्टेबल तैनात है। सरकार यह किस प्रकार कह सकती है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है? क्या इससे सरकार की लापरवाही का पता नहीं चलता?

**Dr. Ram Subhag Singh :** That department is also related to his Ministry.

**श्री इ० कु० गुजराल :** मुझे इस बात की जानकारी नहीं कि वहां 49 या 51 टेलीफोन हैं। मैं उस क्षेत्र में कभी नहीं गया।

**श्रीमती सुचेता कृपलानी :** मन्त्री महोदय ने जो उत्तर दिया है और जो दुःखद स्थिति स्पष्ट की गई है, उसको ध्यान में रखते हुए मैं कहना चाहती हूं कि मैं उस क्षेत्र से भली-भाँति परिचित हूं, वहां रही हूं और उस क्षेत्र में काफी घूम चुकी हूं। चीनी आक्रमण के बाद वहां सेना तैनात की गई और वायरलैस की सुविधा दी गई। वायरलैस की सुविधा प्राप्त होने के बावजूद भी केन्द्रीय सरकार इतनी बड़ी दुःखद घटना का समाचार प्राप्त क्यों नहीं कर सकी यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। यदि गृह मन्त्रालय या रक्षा मन्त्रालय को घटना की सूचना मिल गई थी तो उस मन्त्रालय तथा सूचना मन्त्रालय के बीच सम्पर्क स्थापित क्यों नहीं हुआ? यह बहुत ही आश्चर्यजनक और खतरनाक घटना है। मानलीजिए उस क्षेत्र पर आक्रमण होता है तो संचार व्यवस्था के अभाव में सूचना मन्त्रालय को घटना की जानकारी नहीं मिल सकेगी।

**श्री इ० कु० गुजराल :** इस समय मैं केवल उन्हीं प्रश्नों का उत्तर दे सकता हूं जो मेरे मन्त्रालय से संबद्ध हैं। हमें कोई सूचना नहीं दी गई और मुझे यह जानकारी नहीं कि क्या रक्षा मन्त्रालय अथवा गृह मन्त्रालय को कोई सूचना मिली थी? मेरे लिए यह बताना बहुत कठिन है। यदि उन मन्त्रालयों को कोई सूचना प्राप्त हुई भी थी तो उन्होंने हमें इसकी कोई सूचना नहीं दी।

**श्रीमती सुचेता कृपलानी :** मन्त्रिमन्डल संयुक्त उत्तरदायित्व के आधार पर कार्य करता है। क्या मन्त्री महोदय इस बात पर रोष प्रकट कर रहे हैं कि प्रत्येक मन्त्रालय अलग रूप से कार्य करता है?

**श्री इ० कु० गुजराल :** मुझसे यह प्रश्न पूछा गया है कि मुझे यह सूचना कब मिली और उस सूचना को कब प्रसारित किया गया। मैंने यह बता दिया है कि मुझे यह सूचना कब मिली और वह कब प्रसारित की गई। रक्षा मन्त्रालय या गृह मन्त्रालय को यह सूचना कब मिली मुझे इस बात की जानकारी नहीं है।

**श्रीमती सुचेता कृपलानी :** मन्त्रिमन्डल में परिवर्तन किये जाने के बाद विभिन्न विभागों के खुफिया अभिकरण गृह-मन्त्रालय के अन्तर्गत रखे गए। क्या गृह-मन्त्री, जो कि प्रधान मन्त्री भी हैं, और सूचना मन्त्री के बीच कोई सम्बन्ध नहीं है? सूचना प्राप्त करना बहुत आसान है, लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि इस मामले में निश्चिन्तता बरती गई है।

**श्री इ० कु० गुजराल :** यह घटना मन्त्रिमन्डल में अदल-बदल से पूर्व घटित थी।

**श्रीमती सुचेता कृपलानी :** माननीय मन्त्री गलत जानकारी दे रहे हैं।

**श्री शिव नारायण :** अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री क्या उत्तर दे रहे हैं?

**Shri Jagannath Rao Joshi** : After the calamity took place in boarder area, the House wants to know whether Defence Ministry or Home Ministry received the information or not? We have not been informed about it till now. How far it is justified that any calamity takes place in boarder area and hon. Minister should say that he is not aware of it? Pilgrims rom all over India were there and all of them were worried. **(Interruptions).**

**The Minister of Information and Broadcasting and Communication (Shri Satya Narayan Sinha)** : So far as Defence Ministry is concerned, we were not aware of it **(Intrruptions.)**

**Shri Jagannath Rao Joshi** : The House has the right to get information.

**Shri Satya Narayan Sinha** : Shall we say 'yes' for a thing which we really, do not know. **(Intrruptions.)**

**अध्यक्ष महोदय :** माननीय मन्त्री अपने मन्त्रालय के लिए जिम्मेदार हैं।

**डा० राम सुभग सिंह :** सदन को सरकार से यह जानने का पूरा अधिकार है कि समग्र रूप से गृह मन्त्रालय को सूचना मिली थी या नहीं।

**Shri Satya Narayan Sinha** : We will let you know after having enquired.

**श्री स० मो० बनर्जी :** मैं माननीय मन्त्री से यह जानना चाहता हूं—सम्भवत: मेरी बात गलत हो सकती है—कि क्या यह सच है कि अलकनन्दा की दु:खद घटना का समाचार आकाशवाणी से पहले पीकिंग रेडियो और पाकिस्तान रेडियो ने प्रसारित कर दिया था?

**श्री इ० कु० गुजराल :** बहुत ही आश्चर्य की बात है कि माननीय सदस्य सीधे ही इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि पीकिंग रेडियो और पाकिस्तान रेडियो ने सूचना पहले ही प्रसारित कर दी थी।

**श्री स० मो० बनर्जी :** मैंने कहा था कि मेरी बात गलत हो सकती है।

**श्री इ० कु० गुजराल :** उदाहरण के तौर पर बी० बी० सी० प्रसारण......

**एक माननीय सदस्य :** माननीय सदस्य पीकिंग रेडियो और पाकिस्तान रेडियो की बात पूछ रहे हैं।

**श्री इ० कु० गुजराल :** मैं महत्वपूर्ण रेडियो केन्द्रों के बारे में विस्तृत जानकारी देने लगा था।

**एक माननीय सदस्य :** हम जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक नहीं हैं।

**श्री इ० कु० गुजराल :** यदि आप जानने के लिए इच्छुक नहीं हैं तो संक्षेप में मैं यह बताना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने जो वक्तव्य दिया है, वह गलत है।

## प्रश्नों के लिखित उत्तर

## WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

### खरपतवार के खतरे को रोकने के उपाय

*395. **श्री मणिभाई जे० पटेल :** क्या **खाद्य तथा कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खरपतवार भूमि से बड़ी मात्रा में पोषक तत्व ले लेते है और परिणामत; कृषि के उत्पादन को बहुत हानि पहुँचती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या खरपतवार के अभिशाप को समाप्त करने के लिए सरकार का कोई विशेष कार्यवाही करने का विचार है ;

(ग) क्या भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् ने इस सम्बन्ध में कोई विशेष योजना तैयार की है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे ) :** (क) जी हां।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा बहुत से राज्यों में खरपतवारों के नियंत्रण के उपायों के विषय में होने वाले अनुसंधान तथा प्रदर्शन परियोजनाओं को सहायता दी गई है। राज्यों के कृषि विभाग स्थानीय विभिन्नताओं के साथ परिणामों का उपयोग कर रहे हैं। खरपतवार नियंत्रण की ऐसी ही पद्धतियां राष्ट्रीय प्रदर्शनों में भी अपनाई जा रही है।

(ग) जी हां।

(घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की समन्वित फसल सुधार परियोजनाओं में हानि की मात्रा का अनुमान लगाने, प्रयोग के समय तथा खरपतवारनाशी औषधियों द्वारा खरपतवार के नियंत्रण में मितव्ययता के सम्बन्ध में अनुसंधान किया जाता है। समन्वित शस्य विज्ञान सम्बन्धी प्रयोग योजनाओं में विशिष्ट रूप से इस प्रकार के प्रयोग किये जाते हैं जिससे कि इन बातों पर देश के विभिन्न कृषि-जलवायु के क्षेत्रों में विभिन्न फसलों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की जा सके।

## बम्बई में टेलीविजन टावर का निर्माण

*397. **श्री ए० श्रीधरन् :** **श्री क० लकप्पा :**
**श्री यमुना प्रसाद मन्डल :**

क्या **सूचना तथा प्रसरण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार बम्बई में लगभग 1000 फुट ऊंचे टेलीविजन टावर का निर्माण करने का विचार कर रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस परियोजना के डिजाइन और संरचना का कार्य त्रिवेणी स्ट्रक्चर्स, इलाहाबाद को सौंपा गया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि दिल्ली के मेसर्स कोठारी एण्ड एसोशिएट्स को उसका निरीक्षण करने और विलों की जांच इत्यादि का कार्य सौंपा गया है;

(घ) क्या इस परियोजना से सम्बद्ध निरीक्षण और दूसरे कार्य के लिए सरकार के पास अपनी कोई व्यवस्था नहीं है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं तथा गैर-सरकारी पार्टियों को यह कार्य किन परिस्थितियों में सौंपा गया है ?

**सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) :** (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) मैसर्ज कोठारी एण्ड एसोशिएट्स को इस काम के परामर्शदाताओं के रुप में सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है।

(घ) और (ङ) क्योंकि 1000 फुट ऊंचे टावर का निर्माण, भारत में ऐसा पहला कार्य है, इसलिए यह आवश्यक समझा गया था कि इस समूचे कार्य की एकीकृत नियंत्रणाधीन लगातार देख-रेख का काम एक ख्यातिप्राप्त परामर्शदाता को सौंपा जाए। सरकार द्वारा देख-रेख के लिए बहुत सी एजेन्सियों को लगाना पड़ता और खर्चा भी अधिक होता।

## Setting up of Sugar Mills in Cooperative Sector in U. P.

*398. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be plesed to state :

(a) whether it is a fact that the Agriculture Minister of U. P. has complained that on the basis of the percentage of the small farmers there should be eleven development blocks in Ul P. ;

(b) whether it is also a fact that he has demanded that permission should be given for setting up more sugar mills in cooperative sector for utilising the increased prcduction of sugarcane ; and

(c) if so, the reaction of Government in this regard and the action taken so far ?

**Minister of State in the Ministry of Food, Agricujture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb P. Shinde) :** (a) Yes, Sir. The Uttar Pradeh Minister sent a letter dated 24th May, 1970. requesting for the allocation of 11 small Farmers Development Agencies for the State.

(b) Yes, Sir.

(c) The State Government has been informed that allocation of further Projects for small farmers can be considered only later in the light of experience gained in implementation of the four projects already allocated to the State and that specific proposals for additional cooperative sugar factories may be sent for further examination.

## चुने हुये क्षेत्रों में बहु-फसल परियोजना

***399. श्री हिम्मतसिंहका :** **श्री चन्द्रशेखर सिंह :**
**श्री सरजू पाण्डेय :** **श्री अदिचन :**
**श्री जगेश्वर यादव :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण पूर्व एशियाई देशों, विशेषतया ताइवान और फिलीपीन में, जिनका दौरा कृषि आयुक्त के नेतृत्व में एक दल ने हाल ही में किया था, प्रचलित खेती की पद्धति के अनुसार भारत के चुने हुए क्षेत्रों में कई फसलें साथ उगाने की कोई योजना है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा तथा उसकी लागत क्या है;

(ख) इस सम्बन्ध में प्रत्येक राज्य के कौन-कौन से क्षेत्र चुने गये हैं; और

(ग) यह योजना कब लागू की जायेगी तथा इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे)** : (क) भारत सरकार के कृषि आयुक्त की अध्यक्षता में अक्तूबर, 1969 में फिलिपाइन, तायवान हांगकांग का दौरा करने वाले विशेषज्ञों के दल की सिफारिशों के आधार पर बहु-फसल विषयक मार्गदर्शी परियोजना शुरू करने की एक स्कीम बनाई गई है। योजना के चुंनिदा क्षेत्रों में सघन कृषि के वही सिद्धांत अपनाए गए हैं जो कि कुछ दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में अपनाए जा रहे हैं। परन्तु योजना का प्रतिमान और ब्यौरा स्पष्ट रूप से स्थानीय अवस्थाओं के अनुसार ढाला जाना है। यह कार्यक्रमों उन उपयुक्त क्षेत्रों में शुरू करने का प्रस्ताव है जहां सिंचाई की अधिक सुविधायें मौजूद हैं और फसल की सघनता को बढ़ाया जा सकता है सुझाव दिया गया है कि प्रत्येक राज्य इन परियोजनाओं को 2 से 3 चुंनिदा खण्डों में प्रारम्भ करेगा। इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य अनुसन्धान परीक्षणों के लिये एकीकृत कार्यक्रय तैयार करना वैज्ञानिक प्रदर्शन करना, संगठित विस्तार प्रयत्न करना, आदान सप्लाई करना और ऋण सम्बन्धी सेवाओं को बढ़ाना तथा क्षेत्र में बहु-फसल के विकास को बढ़ाने के लिए चुंनिदा खंडों में विपणन गतिविधियों का आयोजन करना है। यह परियोजना कृषि विकास से सम्बन्धित समस्त संगठनों और अभिकरणों के प्रयत्नों को समान्वित करने की बहु-अभिकरण नीति का अनुकरण करेगी। भाग लेने वाली विभिन्न संस्थायें ऐसे विभिन्न घटक सप्लाई करेंगी जिन्हें एक वृहत्त पैकेज की पद्धतियों और सेवाओं में एकीकृत किया जाएगा। चौथी योजना के दौरान समस्त देश के विभिन्न राज्यों में लगभग 51 परियोजनायें स्थापित करने पर अनुमानतः 3·09 करोड़ रुपए की रकम व्यय होगी। सुझाव दिया गया है कि भारत सरकार द्वारा यह समस्त व्यय स्वयं वहन किया जाना चाहिये।

**(ख) और (ग)** : योजना आयोग ने हाल ही में इस योजना को सिद्धान्तः स्वीकार कर

लिया है और अब इस पर आगे कार्यवाही की जा रही है इसे अन्तिम रूप मिलने के पश्चात् शीघ्र ही राज्य सरकारों से योजना को क्रियान्विति की निर्धारित कसौटी के आधार पर उपयुक्त जिले चुनने का अनुरोध किया जाएगा।

**नई दिल्ली में डाक तार कर्मचारियों के लिए मकानों की सुविधाएँ**

*400. **श्री म० ला० सोंधी : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में डाक तथा तार कर्मचारियों की उपलब्ध मकानों की सुविधाएं वास्तविक आवश्यकता से बहुत कम हैं ;

(ख) क्या सरकार ने नई दिल्ली में डाक तथा तार कर्मचारियों की उनके काम करने के स्थान के निकट उपयुक्त आवास सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये कोई कार्यवाही की है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री (श्री सत्यनारायण सिंह)** : (क) जी हां। दिल्ली और नई दिल्ली में डाक-तार पूल में क्वार्टरों के हकदार कर्मचारियों की कुल संख्या 18573 है, जबकि उपलब्ध क्वार्टरों की संख्या 2622 है।

(ख) जी हां। डाक-तार कर्मचारियों के लिए यथासंभव समुचित आवास सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, बशर्ते कि इनके लिए भूमि और साधन उपलब्ध हों।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

**विवरण**

चौथी पंचवर्षीय योजना में दिल्ली में भूमि के लिए 132·60 लाख रुपये और कर्मचारियों के क्वार्टरों के निर्माण के लिए 101·28 लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई है। दिल्ली में आवास सुविधाओं में सुधार के लिए उठाए गए कदम नीचे दिए गए हैं ;

( 1 ) हाल ही में दिल्ली विकास प्राधिकरण से 63·07 लाख रुपये की लागत से पंखा रोड पर 29·6 एकड़ और शाहदरा में 6·5 एकड़ भूमि अर्जित की गई है। इनके नक्शे तैयार किए जा रहे हैं।

( 2 ) मालवीय नगर में 43·5 लाख रुपये की लागत से 15 एकड़ भूमि प्राप्त करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण से बातचीत चल रही है। इस राशि में से 12 लाख रुपये का भुगतान कर दिया गया है।

( 3 ) निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय से अनुरोध किया गया है कि–

(क) डी० आई० जेड० क्षेत्र में क्षेत्रीय योजना के कारण जिन क्वार्टरों पर असर पड़ेगा उसकी जगह भूमि अलाट की जाए ताकि और अधिक क्वार्टरों का निर्माण किया जा सके।

(ख) मिंटो रोड क्षेत्र में 18 एकड़ भूमि अलाट की जाए।

( 4 ) रामकृष्ण पुरम् और सरोजिनी नगर की मौजूदा कालोनियों में क्रमशः 24 और 52 क्वार्टरों के निर्माण की योजना है ।

( 5 ) गाजियाबाद में 36 क्वार्टरों और फरीदाबाद में 22 क्वार्टरों का निर्माण-कार्य चल रहा है ।

### बढ़िया बीजों का उत्पादन

***401. श्री रामावतार शास्त्री : श्री योगेन्द्र शर्मा :**
**श्री क० मि० मधुकर :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों के कृषि उत्पादन कार्यक्रमों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये बढ़िया बीजों का उत्पादन करने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री ( श्री अन्नासाहेब शिन्दे ) (क) और (ख)** : राज्यों के कृषि उत्पादन कार्यक्रमों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बढ़िया बीजों के उत्पादन की जिम्मेदारी अनिवार्यरूप से राज्य सरकारों की है । वार्षिक योजना सम्बन्धी विचार विमर्श के दौरान और क्षेत्रीय बैठकों में भी जिनमें राज्य सरकारों, राष्ट्रीय बीज निगम तथा बीज उत्पादकों के प्रतिनिधि उपस्थित होते हैं राज्यों की मांगों का निर्धारण किया जाता है और इसके बाद समस्त सम्बन्धित एजेंसियों द्वारा बीज उत्पादन के कार्यक्रमों को शुद्ध किया जाता है ।

### अनाज के लाने ले जाने पर क्षेत्रीय प्रतिबन्ध समाप्त करना

***402. न० कु० सोंधी : श्री रा० बरुआ :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र सरकार बम्बई तथा उसके आसपास के नगरों में अनाज की कानूनी राशन व्यवस्था समाप्त करने के लिये उत्सुक है बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार चावल लाने ले जाने के बारे में क्षेत्रीय प्रतिबन्ध समाप्त कर दे क्योंकि उस राज्य में चावल का उत्पादन कम होता है और पड़ोसी राज्यों में कोई चावल खरीदने वाला नहीं है और वहां पर 75 किलोग्राम की बोरी 35 रुपये की दर से बेची जाती है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार समस्त देश में अनाज लाने और ले जाने पर क्षेत्रीय प्रतिबन्ध समाप्त कर देना उचित समझती है ; विशेषकर जबकि खाद्य उत्पादन की स्थिति में काफी सुधार हो चुका है और उत्पादकों को अपने उत्पादन का प्रतियोगी मूल्य मिल सकता है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री ( श्री अन्नासाहेब शिन्दे)** : (क) महाराष्ट्र सरकार के अनुसार, बृहत्तर बम्बई में सांविधिक राशन-व्यवस्था समाप्त करने का प्रश्न, राज्य में चावल पर लगे क्षेत्रीय प्रतिबन्धों को उठाने से जुड़ा हुआ नहीं है । राशन-व्यवस्था की समाप्ति के बाद भी राज्य भर में चावल और ज्वार की एकाधिकार अधिप्राप्ति चलती

रहेगी। यदि बम्बई के राशन वाले क्षेत्र को राष्ट्रीय गेहूं क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया जाता है तो उस स्थिति में वे बम्बई से सांविधिक राशन-व्यवस्था समाप्त कर देंगे। यह कहना ठीक नहीं है कि पड़ोसी राज्यों में चावल का 75 किलो का बोरा 35 रुपये में मिलता है। वास्तव में बाजार मूल्य अपेक्षाकृत बहुत अधिक हैं।

(ख) : सांविधिक राशन वाले क्षेत्रों को छोड़ कर देश भर में गेहूं और गेहूं से बने पदार्थों के संचलन पर कोई भी प्रतिबन्ध नहीं है। वस्तुत: मोटे अनाजों का संचलन भी मुक्त रूप से ही हो रहा है। जहां तक चावल का संबंध है, इस वर्ष सितम्बर-अक्तूबर में किसी समय, खरीफ खाद्यान्नों के मूल्य नीति पर होने वाले मुख्य मंत्रियों के आगामी सम्मेलन में क्षेत्रीय प्रतिबंध के प्रश्न पर पुन-विचार किया जाना है।

**सोयाबीन, रूई और गेहूं का उत्पादन तथा आयात**

*403. **श्री शारदा नन्द :** **श्री रामऔतार शर्मा :**
**श्री जि० ब० सिंह :** **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :**
**श्री कंवर लाल गुप्त :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अमरीका सरकार से सोयाबीन के तेल, रूई और गेहूं की सप्लाई करने का निवेदन किया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक मद की कितनी-कितनी मात्रा की मांग की गई है तथा इस पर अमरीका सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) अमरीका से इन वस्तुओं की सप्लाई कब तक प्राप्त हो जायेगी ;

(घ) रूई तथा सोयाबीन के अधिक उत्पादन के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ङ) खाद्य तथा अन्य इसी प्रकार की वस्तुओं का देश में अपेक्षित उत्पादन कराने के लिये एक योजना नहीं बनाने के क्या कारण हैं ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री ( श्री अन्नासाहेब शिंदे ) : (क) और (ख) :** संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार से अमरीकी वित्तीय वर्ष 1971 के दौरान पी० एल० 480 के अधीन गेहूं, रूई और सोयाबीन की निम्नलिखित मात्राएं सप्लाई करने के लिए अनुरोध किया गया है :—

| | | | |
|---|---|---|---|
| (1) गेहूं | ... | ... | 30 लाख मीटरी टन |
| (2) रूई | ... | ... | 3 लाख अमरीकी गांठें |
| (3) सोयाबीन का तेल | ... | ... | 135,000 मीटरी टन |

यह मामला संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार के विचाराधीन है।

(ग) यह अभी मालूम नहीं है। तथापि, संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार ने जुलाई-सितम्बर 1970 के दौरान लदान के लिये सोयाबीन के तेल की 23,700 मीटरी टन की मात्रा का अग्रिम आवंटन किया है।

(घ) रूई की पैदावार बढ़ाने के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारों के सघन खेती कार्यक्रम तथा रूई विकास योजनाएं प्रारम्भ की हैं। राज्य सरकारें सोयाबीन विकास कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही हैं। तथापि, भारत सरकार उन्नत किस्मों के प्रमाणित बीजों की सप्लाई सुनिश्चित करती है।

(ङ) देश में खाद्य वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने के लिये सभी सम्भव उपाय किए जा रहे हैं और राज्य सरकारों के परामर्श से विस्तृत कार्य योजना तैयार की गयी है।

## वर्ष 1970 का युरोपीय संरक्षण वर्ष के रूप में मनाया जाना और वायु/जल दूषण की रोक-थाम के उपाय

*404. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि वर्ष 1970 को यूरोपीय वर्ष संरक्षण के रूप में मनाया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो यूरोपीय संरक्षण वर्ष के मुख्य उद्देश्य क्या है ;

(ग) क्या वायु तथा जल दूषण को रोकना उस कार्यक्रम का अभिन्न भाग है ; और

(घ) सरकार ने भारत में वायु/जल दूषण को रोकने के बारे में क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे ) :** (क)जी हां।

(ख) यूरोपीय संरक्षण वर्ष का मुख्य उद्देश्य तकनीकी प्रगति, जन संख्या वृद्धि तथा परिवर्तित सामाजिक परिस्थितियों के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली समस्याओं के समाधान के लिये जनता तथा सरकार का ध्यान सहकारी प्रयत्नों की आवश्यकता की ओर केन्द्रित करना था।

(ग) जी हां।

(घ) भारत में वायु/तथा दूषण के सम्बन्ध में उठाये गये तथा उठाये जाने वाले प्रस्तावित कदम निम्न प्रकार है :–

(i) जल दूषण को रोकने के लिए स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण आवास तथा नगर विकास मन्त्रालय ने राज्य सभा में 22-12-69 को एक बिल प्रस्तुत किया था। राज्य सभा में 10-8-70 से बिल पर विचार किया जा रहा है।

(ii) इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास तथा नगर विकास मंत्रालय ने वायु दूषण की समस्या के अध्ययन तथा इसकी रोक थाम के लिये विधियों तथा समुचित विधान के सम्बन्ध में सुझाव देने के लिये एक समिति की स्थापना की है।

## विज्ञापन कार्यक्रमों का विस्तार

*405. **श्री चेंगलराया नायडू :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी के विज्ञापन कार्यक्रमों की बढ़ती हुई लोकप्रियता

को देखते हुए सरकार इस कार्यक्रम की आकाशवाणी के कुछ अन्य केन्द्रों में व्यवस्था करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में विचाराधीन प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक लिये जाने की सम्भावना है ?

**सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) :** (क) जी, हां ।

(ख) सेवा का विस्तार अन्य 11 केन्द्रों अर्थात् चण्डीगढ़-जालन्धर, बंगलौर-धारवाड़, कानपुर-लखनऊ-इलाहाबाद, अहमदाबाद-राजकोट तथा हैदराबाद-विजयवाड़ा में किया जा रहा है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

**चमड़ा मज़ूरी बोर्ड की सिफारिशें**

*406. **श्री दा० रा० परमार :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चमड़ा मज़ूरी बोर्ड ने चमड़ा शोधक उद्योग कार्य में सुधार करने तथा इस उद्योग के कर्मचारियों के कल्याण के लिये कुछ सिफारिशें की थी ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा क्या चमड़ा उद्योग स्वामियों ने इन सिफारिशों को कार्यरूप दे दिया था ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) उस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) :** (क) से (घ) चमड़ा तथा चमड़े से बनी वस्तुओं के उद्योग की केन्द्रीय मजूरी बोर्ड ने मज़ूरी, मंहगाई, भत्ते, कल्याण कार्यों आदि के बारे में सर्वसम्मत सिफारिशों की ये सिफारिशें सरकारी संकल्प, दिनांक 18 सितम्बर, 1969 के अनुसार, जिसमें सिफारिशों का सारांश भी दिया हुआ है, स्वीकार कर ली गई ।

इस सिफारिशों को राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित कराया जा रहा है । चूंकि इन सिफारिशों के पीछे कोई कानूनी बल नहीं है, इसकी क्रियान्विति अधिकांशतः परामर्श तथा अनुभव द्वारा करवाई जा रही है ।

**गुजरात में रुई-क्रांति**

*407. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 जून, 1970 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है कि गुजरात के बीज से रुई क्रांति आ गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) किन स्थानों पर इन बीजों का प्रयोग किया गया है ;

(घ) इस बीज के प्रयोग से प्रति एकड़ उत्पादन कितना हुआ है ;

(ङ) इस बीज को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ;

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री ( श्री अन्नासाहेब शिंदे ) :** (क) जी, हां

(ख) गुजरात में अमरीकी कपास की नई संकर किस्म अर्थात् संकर-4 का विकास किया गया है और गत दो वर्षों के दौरान इसका खेतों में परीक्षण किया गया है। "गुजरात-47" नामक पहली किस्म की तुलना में संकर किस्म से काफी अधिक उत्पादन हुआ है।

(ग) सन् 1968-69 से गुजरात में इसका बड़े पैमाने पर तथा चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र, मैसूर, मध्य प्रदेश, राजस्थान और आन्ध्र प्रदेश में छोटे पैमाने पर प्रयोग हुआ है।

(घ) औसत रूप से प्रति हैक्टार 4-5 गांठों तक के उत्पादन की सम्भावना है।

(ङ) शेष राज्यों में बड़े पैमाने पर परीक्षण किये जा रहे हैं; जिसके लिए लगभग 2500 किलोग्राम बीज सप्लाई किया गया है।

**Reporrted Bunglling in Purchase of wheat by Food Corporation of India at Hapur**

*408. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the **Minister of Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that employees of Food Corporation in Hapur Mandi (District Meerut) are bungling very much in the procurement of wheat and they are purchasing wet wheat due to rain from farmers at the rate of Rs.60 to Rs.68 per quintal and charging the Government Rs.76 per quintal ;

(b) whether any complaint has been received in this connection ; if so, whether Government have inquired into this bungling by Food Corporation ;

(c) if so, the result thereof ; and

(d) if not, whether Government would hold an inquiry ?

**The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde ) : (a)** It is not correct to say that employees of the Food Corporation in Hapur Mandi are bungling in purchases of wheat and that they are purchasing wet wheat from farmers at Rs.60 to Rs.68 and charging the Government Rs.76 per quintal.

**(b)** One Shri Shri Chand Garg of Hapur had published a leaflet alleging bungling of the nature referred to above. Enquairies were made immediately through the Senior Regional Manager, F.C.I., Lucknow.

**(c)** The complaint was found to be without substance.

**(d)** Does not arise.

**संसद-सदस्यों द्वारा आकाशवाणी के युववाणी कार्यक्रम में भाग लेना**

*409. **श्री बलराज मधोक :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के युववाणी कार्यक्रम में भाग लेने के लिये संसद् सदस्यों को भी आमन्त्रित किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम में इसके प्रारम्भ होने के पश्चात् जिन संसद् सदस्यों ने, जिनमें मन्त्री भी शामिल हैं, भाग लिया है, उनके नाम क्या है तथा वे किस किस दल से सम्बद्ध है; और

(ग) उनमें से प्रत्येक सदस्य ने किन-किन विषयों पर अपने विचार व्यक्त किये ?

**सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) :**
) जी, हां। जब कभी जरूरी होता है।

(ख) श्री सत्य नारायण सिंह, सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री ; कांग्रेस (सत्तारूढ़)।

(ग) श्री सत्यनारायण सिंह ने तीन युवकों के साथ रामचरितमानस पर चर्चा में भाग लिया।

**आकाशवाणी के कलाकारों और कर्मचारियों की मांगें**

*410. **श्री मधु लिमये :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आकाशवाणी के कलाकारों तथा कर्मचारियों का कोई ज्ञापन और मांगों की सूची प्राप्त हुई है ;

(ख) क्या उन्होंने अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए हड़ताल करने का निर्णय भी किया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार बातचीत और समझौते के द्वारा झगड़े को निपटाने का प्रयत्न करेगी ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) :**
(क) जी, हां।

(ख) सरकार को आर्टिस्टों तथा कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने के किसी निर्णय की जानकारी नहीं है।

(ग) और (घ) : प्रश्न नहीं उठते।

**टेलीविजन केन्द्रों के चयन का आधार**

*411. **श्री लोबो प्रभु : श्री स० अ० अगड़ी :**

क्या सूचना तथा प्रसारण और सन्चार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर तथा हैदराबाद की जनसंख्या अधिक होने पर भी 7 टेलीविजन केन्द्रों के चुनाव में पूना तथा कानपुर को प्राथमिकता दिये जाने के क्या कारण हैं जब कि ये राज्यों के सदर मुकाम भी नहीं हैं; और

(ख) नये प्रसारण केन्द्रों के कार्यक्रम में अन्य दूसरे छोटे नगरों की अपेक्षा मंगलौर को प्राथमिकता ने दिये जाने के क्या कारण हैं ?

**सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) :**
(क) पूना तथा कानपुर में रिले केन्द्र ( पूर्णरूपेण केन्द्र नहीं ) स्थापित करने का प्रस्ताव है

जो क्रमशः बम्बई तथा लखनऊ के मुख्य टेलीविजन केन्द्रों के कार्यक्रमों को रिले करेंगे, ताकि थोड़े अतिरिक्त खर्चे पर बड़े क्षेत्र में कार्यक्रम दिखाए जा सके।

(ख) मंगलौर में एक रेडियो स्टेशन स्थापित करने की योजना को 1970-71 की वार्षिक योजना में प्राथमिकता दी गई हैं तथा प्रारम्भिक कार्रवाई पहले ही शुरू की जा चुकी है।

**पूंजी के उपलब्ध न होने के कारण बेकार पड़े ट्रैक्टर**

*412. **श्री बाबुराव पटेल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सच है कि फालतु पूर्जों के अभाव के कारण विभिन्न राज्यों में हजारों ट्रैक्टर बेकार पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार, ठीक-ठीक कितनी संख्या में ट्रैक्टर बेकार पड़े है;

(ग) ट्रैक्टर के पुर्जों की काले बाजार में बिक्री को रोकने के लिए सरकार कार्य-वाही क्यों नहीं करती है; और

(घ) क्या सरकार छोटे स्तर पर ट्रैक्टर के पुर्जे बनाने वाले भारतीय निर्माताओं को राज्य सहायता देने के बारे में विचार करेगी ; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे)** : (क) से (ग) अतिरिक्त कल-पुर्जों की अनुपलब्धि के कारण खाली पड़े हुये आयातित ट्रैक्टरों के बारे में ठीक आंकड़े उपलब्ध नहीं है फिर भी अनुमान लगाया गया है कि देश में पुराने मैक के लगभग 40,000 ट्रैक्टर हैं। इनमें से अधिकांश ट्रैक्टर इतने समय तक कार्य कर चुके हैं जितना इन्होंने करना चाहिये था। केवल इन ट्रैक्टरों के अतिरिक्त कलपुर्जों के बारे में ही कठिनाई है। फिर भी ट्रैक्टरों के अतिरिक्त कल-पुर्जों की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये, ट्रैक्टरों के साथ 10 प्रतिशत अतिरिक्त कल-पुर्जे आयात किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न मान्यता प्राप्त आयात कर्ताओं, राज्य कृषि उद्योग निगमों और वास्तविक प्रयोग कर्ताओं (व्यक्तिगत ट्रैक्टर मालिकों) को अतिरिक्त कलपुर्जों के आयात की अनुमति दी जाती है। सन् 1967 से 1969 तक की अवधि में ट्रैक्टरों के आयात किये कलपुर्जों के मूल्य प्रदर्शित करने वाला एक **विवरण संलग्न** है। ट्रैक्टरों के अतिरिक्त कलपुर्जों में चोर बाजारी और अन्य भ्रष्ट प्रवृत्तियों को रोकने के लिये अतिरिक्त कलपुर्जों के आयात का प्रबन्ध कृषि उद्योग निगमों (जो कि राज्य सरकारों के संस्थान है) के माध्यम से किया जाता है। इसके अतिरिक्त उन्हें आयात के लिये लाइसेन्स देने के लिये उदारता से सिफारिश की जाती है। आशा है 1970-71 के दौरान 10 लाख रुपये के अतिरिक्त कलपुर्जों के आयात का प्रबन्ध कर दिया जायेया।

(घ) ट्रैक्टरों के अतिरिक्त कलपुर्जों या किसी अन्य उपकरण के छोटे स्तर के निर्माताओं को सरकार कोई विशेष उपदान नहीं देती है। यदि ये एककें योजना आयोग द्वारा घोषित किसी पिछड़े हुये जिले में स्थिति हो तो वे अपनी कुल लागत पूंजी के 10 प्रतिशत तक उपदान लेने की भागी होती हैं। फिर भी सरकार लघु स्तरीय क्षेत्र में पूरक एककों को अन्य कई तरीकों से विशेष सहायता देती है।

**विवरण**

**सन् 1967-68 से 1969-70 तक की अवधि में आयातित कृषि ट्रैक्टरों के अतिरिक्त कलपुर्जों के मूल्य**

| वर्ष | मूल्य 000' रुपयों में |
|---|---|
| 1967-68 | 63005 |
| 1968-69 | 89113 |
| 1969-70 | 67712 |

आयात व्यापार वर्गीकरण में कृषि ट्रैक्टरों के सब अतिरिक्त कलपुर्जों का अलग से वर्गीकृत नहीं किया गया है। अत: कोड संख्या 732.8901 के अन्तर्गत आने वाले कृषि ट्रैक्टरों के आयात के आंकड़ों को ही उपरोक्त विवरण में शामिल किया गया है।

**आकाशवाणी कलकत्ता से सरकारी नीति का प्रसारण**

*413. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बङ्गाल में भूमि-छीनों आन्दोलन का समाचारपत्रों द्वारा जोरदार प्रचार किये जाने पर भी कलकत्ता स्थिति आकाशवाणी केन्द्र ने सरकार की भूमि सम्बन्धी नीति का जनता की सूचना के लिये समुचित प्रसारण नहीं किया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कलकत्ता स्थिति आकाशवाणी केन्द्र द्वारा ऐसा प्रचार न किये जाने के कारण भूमि छीनों आन्दोलन अधिक लोकप्रिय होता जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने भूमि छीनों आन्दोलन की अवैधता के बारे में प्रचार करने तथा सरकार को वर्तमान नीति का समुचित प्रचार करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

**सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) :** (क) जी, नहीं।

**(ख) तथा (ग)** : प्रश्न नहीं उठते।

**समाचारपत्रों द्वारा अखबारी कागज के उपभोग पर लगे प्रतिबन्ध को हटाना**

*414. **श्री वि० नरसिम्हा राव :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एण्ड ईस्टर्न-न्यूजपेपर्स सोसाइटी के अध्यक्ष ने सरकार से समाचार पत्रों द्वारा अखबारी कागज के उपभोग पर लगे सभी नियंत्रणों को हटाने का आग्रह किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) :** (क) जी, हां।

(ख) अखबारी कागज एक आवश्यक वस्तु है। समाचारपत्रों की आवश्यकताएं अधिकतर आयातित अखबारी कागज से पूरी होती हैं जिसके मंगाने के लिए लगभग 15.00 करोड़ रुपये की

विदेशी मुद्रा खर्च होती है। विदेशी मुद्रा लगातार कठिन स्थिति, जो आयात को सीमित करती है, और देशी अखबारी कागज के सीमित उत्पादन के कारण सरकार के लिए यह संभव नहीं है कि वह सीमित मात्रा में उपलब्ध अखबारी कागज को विभिन्न श्रेणियों के समाचार-पत्रों के बीच ठीक और साम्यिक वितरण सुनिश्चित करने की सरकार की घोषित नीति को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए अखबारी कागज की खपत पर से नियन्त्रण को हटाए।

### चीनी का आरक्षित भण्डार

***415. श्री शिव चन्द्र झा :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार चीनी का आरक्षित भंडार बनाने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं तथा इस सम्बन्ध में अन्य व्योरा क्या है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) :** (क) : जी हां।

(ख) : चीनी के व्यापार में स्थिरता लाने के लिए बफर स्टाक बनाना वांछनीय है। योजना के व्योरे तैयार किये जा रहे हैं।

### खाद्य तेलों तथा भेड़-बकरी की चरबी का आयात

***416. श्री देविन्दर सिंह गार्चा :** क्या खाद्य तथा कृषी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बम्बई आयल सीड्स एण्ड आयल एक्सचेन्जिज लि० के अध्यक्ष ने अगले पांच वर्षों के लिए प्रति वर्ष कम से कम एक लाख टन खाद्य तेल और एक लाख टन भेड़-बकरी की चरबी का आयात करने का अनुरोध किया है जिससे इस प्रकार के नियमित आयात कार्यक्रम का देश में तेल और तिलहनों की कीमतों पर अच्छा प्रभाव पड़ सके ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इस प्रकार के कार्यक्रम से भारत एच० पी० एस० मूंगफली की खली और रेंड़ी के तेल का अधिक पैमाने पर निर्यात कर सकेगा ;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) इस मामले में कब तक निर्णय लिए जाने की सम्भावना है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) :** (क) : जी नहीं।

(ख), (ग) और (घ) : प्रश्न ही नहीं उठते।

### विदेशी दूतावासों द्वारा प्रचार सामग्री का भारी मात्रा में परिचालन

***417. श्री समर गुह : श्री के० कु० दासचौधरी :**

क्या सूचना तथा प्रसारण और सन्चार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने अपने मन्त्रालय की परामर्शदायी समिति के सदस्यों को इस बारे मे

सूचित किया है कि उन्होंने गृह मन्त्रालय और वैदेशिक-कार्य मन्त्रालयों को टिप्पण भेजे हैं कि विदेशी दूतावासों द्वारा भारी मात्रा में प्रचार सामग्री का परिचालन किये जाने के विरुद्ध कार्रवाई की जाए ; और

(ख) यदि हां, तो टिप्पणों में उल्लिखित बातें क्या हैं और गृह मन्त्रालय तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

**सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) :** (क) जी, हां। गृह मन्त्रालय से मामले के सभी पहलुओं पर विस्तृत रूप से जांच करने के लिए निवेदन किया गया है। एक नोट, जिसमें भारत में प्रचार सामग्री के परिचालन सम्बन्धी विदेशी दूतावासों की गतिविधियों के बारे में वास्तविक स्थिति विस्तार से दी हुई है, गृह मन्त्रालय को उनकी सूचनार्थ तथा ऐसी कार्यवाई के लिए भेजा गया था जो वह उचित समझें।

**(ख)** मामला गृह मन्त्रालय तथा वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में विचाराधीन है।

### राज्यों में चकबन्दी के कार्य में प्रगति

*418. **श्री हेमराज :** **श्री ना० रा० देवघरे :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 1970 तक प्रत्येक राज्य और संघ राज्य में कितनी भूमि की चकबन्दी की गई।

(ख) इनमें से कितनी जमीन को फिर से बंटवारे, बिक्री, उपहार आदि के द्वारा टुकड़ों-टुकड़ों में बांटा गया है ; और

(ग) जमीन की चकबन्दी पर इस प्रकार हो रहे बेकार के व्यय को रोकने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) से (ग)** जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पलट पर रख दी जायेगी।

### प्रतिवर्ती मुद्रा लेने सम्बन्धी पद्धति को चालू करना

*419. **श्री एस० के० सम्बन्धन :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय भारत में विदेशियों द्वारा बुक कराई जाने वाली टेलीफोन कालों के लिए प्रतिवर्ती मुद्रा ली जाती है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार को ज्ञात है कि प्रतिवर्ती मुद्रा पद्धति को अपनाने से काफी विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है ; और

(ग) यदि नहीं तो क्या सरकार शीघ्र ही इस पद्धति को चालू करने पर विचार करेगी ?

**सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : (क)** जी हां, सम्बद्ध विदेशी प्रशासन के साथ किये गए करार की शर्तों के अधीन भारत में विदेश को बुक की गई

टेलीफोन कालों के लिए मूल्य-देय या प्रतिवर्तित प्रभार सुविधा उपलब्ध है ।

**(ख) तथा (ग)** : प्रश्न नहीं उठता ।

## स्वायत्त फिल्म सेंसर बोर्ड

*420. **श्री रवि राय : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खोसला आयोग की सिफारिश को मानते हुए सरकार ने स्वायत्त फिल्म सेंसर बोर्ड स्थापित करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और** (ख) : फिल्म सेंसर पर खोसला समिति की रिपोर्ट सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन है ।

## कलकत्ता में गोदी कर्मचारियों की हड़ताल से हुई हानि

2601. **श्री बाबू राव पटेल : क्या श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौका कर्मचारियों, गोदी कर्मचारियों की हाल में हुई हड़ताल और कलकत्ता पत्तन के समुद्र पर काम करने वाले कुछ कर्मचारियों द्वारा 'धीमे काम करो' नीति अपनाने से सरकार को कुल कितनी हानि हुई ;

(ख) हड़ताल किस दिन हुई थी;

(ग) क्या यह सच है कि 25 करोड़ रुपये के मूल्य के 65000 मीटरी टन पटसन उत्पाद तथा बड़ी मात्रा में चाय वहां पड़ी रही; और

(घ) नौवहन को पुनः सामान्य स्थिति में लाने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया)** : (क) हानियां अनेक प्रकार की हैं और इस समय उनका अनुमान नहीं लगाया जा सकता ।

(ख) नौका कर्मचारी 22 मई से 26 जुलाई 1970 तक तथा गोदी श्रमिक पहली जुलाई से चौदह जुलाई, 1970 तक हड़ताल पर रहे । समुद्र-तटीय श्रमिकों ने 17 जून, 1970 से 31 जुलाई, 1970 तक "धीमे काम करो" की नीति अपनाई ।

(ग) पूर्ण ब्यौरे उपलब्ध नहीं है । यह अनुमान लगाया गया है कि 29 करोड़ रुपये के मूल्य का 95,000 टन पटसन का माल वहां पड़ा रहा ।

(घ) सम्बन्धित पक्षों के साथ कलकत्ता और नई दिल्ली में हुये विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप गोदी श्रमिकों ने 15 जुलाई को और नौका कर्मचारियों ने 27 जुलाई को हड़ताल समाप्त कर दी तथा समुद्र-तटीय श्रमिकों ने पहली अगस्त, 1970 को 'धीरे काम करो' की नीति समाप्त कर दी ।

**यांत्रिक खेती सम्बन्धी अनुसंधान के लिये पंजाब कृषि विश्वविद्यालय को केन्द्र द्वारा दिया जाने वाला अनुदान**

2602. **श्री बाबू राव पटेल : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा **करेंगे कि :**

(क) क्या यह सच है कि पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने केन्द्रीय सरकार से अपील की है कि उनको यान्त्रिकृत कृषि सम्बन्धी अनुसंधान के लिये 5 करोड़ रुपये का विशेष अनुदान दिया जाये ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अनुसंधान पर व्यय होने वाले धन को देना स्वीकार कर लिया है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि लुधियाना में बनाया गया गहाई-यन्त्र एक सर्वोच्च प्रकार का यन्त्र है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों को नये-नये डिजाइन तैयार करने के अवसर क्यों नहीं देती ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे)** : (क) पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

(ग) पंजाब में कई प्रकार के थैशरों का विकास हुआ है । लुधियाना में विकसित किया गया हीरा थैशर 1965-66 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पुरस्कार योजना में सम्मलित किये गये थैशरों में से एक था। अन्य मशीनों की तुलना में यह थैशर अधिक अच्छा काम करता है और इस बात को ध्यान में रखते हुये निर्णायक समिति द्वारा की गई शिफारिश के आधार पर इस मशीन के लिये एक प्रशंसा प्रमाणपत्र दिया गया था। फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि वह थैशर सर्वोत्तम किस्म का है क्योंकि निर्णायक समिति को इस मशीन में कई कमियां दिखाई दी हैं।

(घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना में कृषि उपकरण तथा मशीनरी सम्बन्धी अनुसंधान केन्द्र की स्थापना के लिये पूरी सहायता दी है । यह सहायता जारी है और अनुसंधान विशेषतः फसल-कटाई की मशीनों के सम्बन्ध में किये जा रहे हैं ।

**चुकन्दर की पैदावार**

2603. **श्री बाबू राव पटेल : क्या खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा **करेंगे कि :**

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने चुकन्दर के उत्पादन के लिए राज्यवार कितना धन नियत किया है;

(ख) चुकन्दर से चीनी बनाने वाली इस समय कितनी मिलें हैं, वे कहां पर स्थित हैं और कितने मिलें चालू करने का प्रस्ताव है ;

(ग) प्रति एकड़ गन्ने से और प्रति एकड़ चुकन्दर से क्रमशः कितनी चीनी बनती है;

(घ) क्या यह सच है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ गन्ना उत्पादकों ने अन्य फसलें

उगाना शुद्ध कर दिया है क्योंकि गन्ने से चीनी कम प्राप्त होने के फलस्वरूप उनको लाभ नहीं होगा ; और

(ङ) गन्ना उद्योग के संकट को दूर करने के लिए बड़ी मात्रा में चुकन्दर उपजाने के लिए सरकार द्वारा प्रोत्साहन न दिए जाने के क्या कारण हैं ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे)** : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने चुकन्दर के अनुसंधान के लिये एक समन्वित परियोजना स्वीकृत की है। चतुर्थ योजना के लिये केन्द्रवार नियतन निम्न प्रकार है :—

| **मुख्य केन्द्र** | **रुपये लाखों में** |
|---|---|
| 1. भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) | 5.01 |
| 2. उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पन्तनगर (उत्तर प्रदेश) | 4.46 |
| 3. जम्मू तथा कश्मीर सरकार | 3.59 |
| 4. राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर (उत्तर प्रदेश) | 2.52 |
| **उप-केन्द्र** | |
| 1. पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (जालन्धर) | 1.35 |
| 2. राजस्थान सरकार (श्रीगंगानर) राजस्थान | 1.35 |
| 3. हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार | 1.35 |
| 4. समन्वयकारी एकक लखनऊ | 1.95 |

**(ख) से (ङ)** : जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

## यंत्रीकृत गहाई की तकनीकें

2604. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून-जुलाई, 1970 में भारी वर्षा की वजह से पंजाब में कितनी मात्रा में और कितने मूल्य का खाद्यान्न नष्ट हुआ;

(ख) क्या यह सच है कि यन्त्रीकृत गहाई की तकनीकी के अभाव में काट ली गई गेहूँ की धसलें पिछले कई सप्ताह से भारी मात्रा में खुली जगह में पड़ी हैं;

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार किसानों की किस प्रकार सहायता करने का है ताकि वे ठीक समय पर गेहूँ की गहाई कर सकें और इस प्रकार भारत की अधिक जनसंख्या के लिए अत्यावश्यक इस बहुमूल्य अनाज को बर्बादी से बचाया जा सके और यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे)** : **(क) से (ग)** : पंजाब में, मई तथा जून के महीनों में, असामयिक और बारम्बार मूसलाधार वर्षा से गेहूँ, विशेषकर गहाई के लिए तैयार कटी फसल को काफी हानि होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं। नष्ट हुए कुल खाद्यान्नों की मात्रा और मूल्य और जो सहायता राज्य सरकार

कृषिकों को देना चाहती है, उसके बारे में जानकारी की पंजाब सरकार से प्रतीक्षा की जा रही है ।

**जुलाई, 1970 में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के चिकित्सकों द्वारा भूख हड़ताल**

2605. **श्री बेधर बेहेरा : क्या श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश भर में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के कई चिकित्सकों ने 1 जुलाई, 1970 को भूख हड़ताल की थी ;

(ख) सभी राज्यों में भूख हड़ताल करने वाले चिकित्सकों की संख्या (राज्य वार आंकड़े) कितनी थी; और

(ग) उनके विरोध के क्या कारण थे ?

**श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया)** : कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने निम्नलिखित सूचना भेजी है :—

**(क) और (ख)** : देश के किसी भी स्थान से बीमा चिकित्सकों द्वारा हड़ताल लिए जाने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई । परन्तु एक जुलाई 1970 को बीमा चिकित्सा व्यवसायों द्वारा एक दिन की संकेतिक हड़ताल की गई ।

(ग) यह मुख्यतः प्रति व्यक्ति शुल्क में वृद्धि की मांग को लेकर की गई ।

**पुनर्वास विभाग के न्यायालयों में विचाराधीन मामले**

2606. **श्री अब्दुल गनी दार : क्या श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभाजन के बाद से कितने मामले पुनर्वास विभाग के न्यायालयों में विचाराधीन हैं;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) विचाराधीन मामलों में मुसलमानों के मामलों का क्या प्रतिशत है ?

**श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया)** : **(क)** : 1-7-1970 को पुनर्वास विभाग के विभिन्न न्यायिक अधिकारियों के मंडलों के पास लगभग 4,370 मामले शेष थे ।

**(ख) और (ग)** : इस लंबन के बहुत से कारण हैं और न तो इस बारे में कोई पृथक आंकड़े रखे गये हैं कि इनके लंबन के क्या कारण हैं और न ही सम्बन्धित व्यक्तियों के समुदाय-वार आंकड़े रखे गये हैं । इस जानकारी को एकत्रित करने में जो समय तथा श्रम लगेगा । वह प्राप्त संभावी परिणामों के अनुरूप नहीं होगा ।

**Detection of Unlicensed Radio Sets**

*2607. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4823 on the 2nd April, 1970 and state :

(a) the number of unlicensed radio sets detected in the country during the financial years 1967-68 and 1968-69 ;

(b) the action taken by Government against the persons found using unlicensed radio-sets ; and

(c) the action proposed to be taken by Government to ensure that the people do not use radio-sets without licences in future ?

**Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) :**

| | | | |
|---|---|---|---|
| (a) | *1967 | .. | 1,15,311 |
| | 1968 | .. | 1,17,950 |
| | 1969 | .. | 1,49,462 |

(b) In 1967, 1,11,846cases were settled on payment of surcharge and 4091 were prosecuted in the court of Law. In 1968, 1,17,753 cases were settled on payment of surcharge, and 1710 were prosecuted in the Court of Law. In 1969, 1,44,870 cases were settled on payment of surcharge and 3,807 were prosecuted in the court of Law. The figures given include unsettled cases carried over from the earlier year.

(c) Anti-piracy drives would continue to be organised all over the cuntry regularly and vigorously to detect people using radio sets etc. without licences. Amnest may also be declared at suitable intervals to induce people to take out/renew their licences.

*The figures of radio sets detected are reckoned in terms of calendar years.

### Reinstatement of P.&. T. Employees of Madhya Pradesh suspended due to participation in September, 1968 Strike

*2608. **Shri Hukam Chand Kachwai**: Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 751 on the 2nd April, 1970 and state :

(a) whether Government have since collected the requisite information ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) the number of suspended employees who have since been reinstated and of those who are yet to be reinstated ; and

(d) the action proposed to be taken by Government to reinstate the remaining employees ?

**Ministei of State in the Ministry of Information and Boradcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) and (b)** The information has already been collected and placed on the table of the Lok Sabha. [**Placed in the library See. No. L. T. 3951/70**].

(c) All the suspended employees have since been reinstated.

(d) Question **does** not arise.

### P. and T. Employees Victimised and Suspended in U. P. due to September, 1968 Strike

*2609. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the number of P. and T. employees victimised and suspended in various Districts of U. P. District-wise for participating in September, 1968 strike ;

(b) whether Government propose to reconsider their cases and remit the punishment of those employees who have not so far been reinstated in view of the assurance given by Government to this effect ; and

(c) the number of those employees in the State who have not so far been reinstated ?

**Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a)** The required information has already been furnished to the Lok Sabha in reply to part (a) of the Starred Question No. 753 on 2nd April, 1970.

**(b)** This part of the Question does not arise in view of the reply to part **(a)**.

**(c)** Nil.

### Features on Life of Great Personalities of 19th Century not Broadcast by A. I. R., Delhi

2610. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the programmes relating to the birth-day celebrations of the world famous Indian phillosphers such as Swami Vivekanand, Swami Ram Tirth, Gurudev Rabindra Nath Tagore and other great persons of the 19th Century are broadcast in various parts of the country but the skits and features on their life are not broadcast from Delhi Station of All India Radio ;

(b) whether it is also a fact these names do not find a place in the list on the basis of which special programmes including features are broadcast; and

(c) if the reply to parts (a) and (b) be in the affirmative, the reasons therefor ?

**Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral )** : (a) All India Radio Stations including All India Radio, Delhi, usually notice in their programmes the birth anniversary of Rabindranath Tagore, If public functions are held on the birthdays of Swami Rama Tirth, Swami Vivekanand etc. these are also covered by All India Radio depending on the news value of such public functions.

(b) Yes, Sir.

(c) The list does not contain names of literary figures, philosphers or religious leaders.

### महाराष्ट्र में बहु-फसलें उगाने का परीक्षण

2611. **श्री देवराव पाटिल** : क्या **खाद्य तथा कृषि मन्त्री** यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के जिन क्षेत्रों में बहु-फसलें उगाने का परीक्षण किया गया है उनके नाम क्या हैं; और

(ख) अभी तक हुए परीक्षणों के क्या परिणाम निकले हैं ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे)** : (क) समन्वय सस्य प्रयोग योजना (भा० कृ० अनु० परिषद) के अधीन आदर्श सस्य केन्द्र करजत (जिला कोलाबा ), लखमपुर ( जिला नासिक ) और अकोला ( जिला अकोला) मे कार्य चल रहा है इन अध्ययनों के लक्ष्य उपरोक्त क्षेत्रों के लिये अति उचित दो या तीन फसल चक्र मालूम करना है ।

राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना के अधीन, कोल्हापुर और अकोला जिलों में 1968-69 में 3 फसलों के चक्र के बारे में 2 प्रदर्शन किये गये। इस योजना के अधीन इसी वर्ष में 2 फसलों के चक्र पर सारे राज्य में 41 प्रदर्शन किये गये।

(ख) करजत में अनुसंधान कार्य खरीफ 1969 में आरम्भ किया गया था। और अकोला में 1969-70 के खरीफ में। करजत केन्द्र से इस समय केवल वर्ष के एक भाग आंकड़े उपलब्ध हैं और नीचे दिये गये हैं :—

**उत्पादन किलोग्राम / हैकटार**

| खरीफ | रबी | ग्रीष्म |
|---|---|---|
| 4579 (चावल) | 383 (चावल) | परती<br>पम्पिंग इन्जिन के फेल होने के कारण फसल फेल हो गई। |
| 4142 (चावल) | 1247 (गेहूँ) | मक्का (अभी उपलब्ध नहीं हैं) |
| 4234 (चावल) | 1144 (गेहूँ) | परती |
| 4379 (चावल) | 347 (चावल) | मक्का (अभी उपलब्ध नहीं हैं) |

कोल्हापुर जिले में राष्ट्रीय प्रदर्शन में, फसल चक्र ज्वार-ज्वार-मक्का का था। कुछ उपज 11·38 मीटर टन प्रति हैक्टार थी। (पहली फसल ज्वार 6 मीटरीटन, दूसरी फसल ज्वार 4·38 मीटरी टन और तीसरी फसल मक्का 1·5 मीटरीटन)। अकोला में ज्वार-गेहूँ-सब्जी (बीन के गुच्छे) के चक्र का अनुकरण किया गया। कुल उपज 10·85 मीटरी टन प्रति हैक्टार हुई (पहली फसल ज्वार 6·27 मीटरी टन दूसरी फसल गेहूँ 2·90 मीटरी टन तीसरी फसल सब्जी 1·68 मीटरी टन प्रति हैक्टार)। वर्ष 1968-69 में, राज्य में 41 दो फसलों प्रदर्शन किये गये और उपज में 3·13 से 10·80 मीटरी टन प्रति हैक्टार का अन्तर था तटीय क्षेत्रों में कोल्हापुर सांभली, जलगांव और नन्देद में फसल का चक्र धान-धान और ज्वार-ज्वार का था। सतारा और चन्द्रपुर में धान-ज्वार का था। शेष जिलों में ज्वार-गेहूं या बाजारा-गेहूँ के इन फसल चक्र का अनुकरण किया गया।

## अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की कनवेंशन संख्या 87 तथा 88 को अंगीकार करना

2612. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कुछ कार्मिक संघ-संगठनों ने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की कनवेंशन संख्या 87 तथा 88 को तुरन्त अंगीकार करने के लिये सरकार से निवेदन किया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन कनवेंशनों को अंगीकार करने में क्या कार्यवाही की गई है तथा इन्हें सम्पूर्णतया स्वीकार कर अपनाने में सरकार को क्या कठिनाइयां हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा किस तारीख तक विधान पेश करने की सम्भावना है ?

**श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया)** : (क) समभ्वतः आशय अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कि अभिसमय संख्या 87 से है, जो संघ बनाने की स्वतंत्रता तथा संगठित होने के अधिकार की रक्षा, 1948 के सम्बन्ध में है, और अभिसमय संख्या 98 (न कि 88) से है, जो संगठित होने के अधिकार तथा सामूहिक रूप से सौदा कारी करने के सम्बन्धित विषयों के बारे में है। कुछ ट्रेड यूनियन संगठनों ने समय-समय पर सरकार से इन दो अभिसमयों से अनुसमर्थन के लिए आग्रह किया है।

**(ख) और (ग)** : अभिसमय संस्था 87 का अनुसमर्थन नहीं किया गया है, क्योंकि ट्रेड यूनियन अधिनियम के कुछ उपलब्ध तथा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की संस्थाओं से सम्बन्धित नियम अभिसमय की आश्यकताओं के पूर्णतः अनुरूप नहीं हैं।

अभिसमय संख्या 98 के अनुसमर्थन का प्रश्न विचाराधीन है। राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों पर किये गये निर्णयों को ध्यान में रखते हुए तथा कुछ तकनीकी विषयों में स्पष्टोकरण प्राप्त करने के बाद, इस पर आगे विचार किया जायगा।

## कालकाजी तथा लाजपतनगर, नई दिल्ली में प्लाटों की नीलामी

2613. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुनर्वास विभाग ने अप्रैल से जुलाई 1970 तक में व्यवसायिक नीलाम कर्ताओं के माध्यम से नई दिल्ली के लाजपतनगर तथा कालकाजी क्षेत्रों में रिहायसी प्लाटों की नीलामी द्वारा बिक्री की थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या कई भावी खरीदारों की शिकायत के अनुसार ये नीलाम कर्त्ता अपने दलाल लाये थे जिन्होंने ऊंची बोली दी ताकि प्लाटों का अधिक मूल्य मिले और नीलामकर्त्ताओं को अधिक प्रतिशत कमीशन मिले, जो प्लाटों के विक्रय मूल्य पर आधारित होता है और इसके फलस्वरूप कई इच्छुक खरीदार नीलामकर्त्ताओं के दलालों को अत्यधिक ऊंची बोली होने के कारण प्लाट नहीं खरीद सके ; और

(ग) यदि हां, तो इन नीलामकर्ताओं जैसे बिचौलियों को बीच में लाने के क्या कारण है तथा जिस प्रकार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अपने कार्यालय के पारिसर में नीलामी की जाती वैसे इन प्लाटों की नीलामी विभागीय रूप से न किये जाने के क्या कारण हैं ?

**श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया)** : (क) जी, हाँ नीलाम द्वारा बिक्री अप्रैल 1970 में नहीं, अपितु जून और जुलाई 1970 के महीनों के अन्तर्गत, की गई थी।

(ख) नीलाम कर्त्ताओं के दलालों द्वारा ऊंची बोली देने के बारे में सरकार को कोई शिकायत नहीं मिली है। बोलियां इच्छुक खरीदारों द्वारा दी गई थीं जो कि प्लाटों को खरीदने के इच्छुक प्रतीत होते थे।

(ग) नीलाम, अनुमोदित नीलाम कर्त्ताओं के माध्यम से, विभागीय अधिकारियों की देखरेख में किये जाते हैं। यह व्यवस्था उचित और सस्ती समझी जाती है। नीलाम मौके पर किए जाते हैं, न कि कार्यालय स्थान में, ताकि इच्छुक खरीदारों को सम्पत्तियों की स्पष्ट जानकारी प्राप्त हो।

**दिल्ली में निर्धारित समय के पश्चात् दुकानों का खुला रहना**

2614. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में दुकानें तथा संस्थान इनके खुलने के सरकारी समय के अतिरिक्त समय में तथा अवकाश के दिन भी खुले रहते हैं क्योंकि क्षेत्र निरीक्षण कर्मचारियों को दुकानदारों द्वारा मासिक दान दिया जाता है ताकि वे क्षेत्र निरीक्षक के बिना किसी हस्तक्षेप के अपना कारोबार कर सकें ; और

(ख) सरकार द्वारा दिल्ली दुकान तथा संस्थान अधिनियम को उचित रूप से शब्दशः लागू करने तथा इस अधिनियम के उपबन्धों का कुछ दुकानदारों तथा श्रम विभाग के निरीक्षण कर्मचारियों द्वारा दुरुपयोग को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया)** : (क) जी नहीं ।

(ख) दिल्ली दुकान तथा संस्थान अधिनियम को लागू करने के लिए दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली के विभिन्न तीन क्षेत्रों में निरीक्षण-कार्य के लिए अनेक निरीक्षक नियुक्त किए हैं । दुकानदारों द्वारा किये गये उल्लंघनों का पता लगाने के लिये सहायक श्रम आयुक्त, श्रम अधिकारी, उप मुख्य तथा मुख्य निरीक्षक के पदों के वरिष्ठ अधिकारी और ये निरीक्षक नियमित तथा आकस्मिक निरीक्षण करते हैं । इन सब मामलों में अपराधियों के विरुद्ध अभियोजक कार्यवाही की गई है ।

**संसद सदस्यों द्वारा दिल्ली प्रशासन के श्रम-आयुक्त को भेजे गये पत्र-व्यवहार**

2615. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1970 में संसद के किसी सदस्य ने दिल्ली प्रशासन के श्रम आयुक्त को कोई पत्र लिखा था ;

(ख) यदि हां, तो उन संसद सदस्यों के नाम क्या हैं तथा उन्होंने किस प्रकार की शिकायतें की थीं ;

(ग) इन शिकायतों पर उक्त अधिकारी द्वारा क्या कार्यवाही की गई ; और

(घ) क्या उच्च अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिये जाने के उपरान्त भी, श्रम आयुक्त का संगठन नीचे के स्तर पर फैले हुए भ्रष्टाचार के कारण इन शिकायतों पर कोई कार्यवाही करने में असमर्थ हैं ?

**श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) : एक विवरण संलग्न है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 3952/70]**

(घ) जी, नहीं ।

**निष्क्रान्त सम्पत्ति-परिरक्षक, नई दिल्ली के कार्यालय से खोये हुए कागजात**

2616. **श्री लताफत अली खां** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महा परिरक्षक / मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त, नई दिल्ली के ध्यान में यह बात आई थी कि उन द्वारा निष्क्रान्त तथा सम्पत्ति परिरक्षक दिल्ली द्वारा, सम्भाली जाने वाली सम्पत्ति सम्बन्धी बारह फाइलों, अर्थात फाइल संख्या 075/ आर० जे० यू० डी० आई० 54, और फाइल संख्या 375-एम० सी० जी० / 54 आदि, से कागजात तथा न्यायालय शुल्क लगे प्रार्थना पत्र और महत्वपूर्ण दस्तावेज गुम हो गये हैं ;

(ख) आदेश किस आधार पर किये गये थे ;

(ग) न्यायालय शुल्क लगे प्रार्थना-पत्रों तथा न्यायालय कागजातों को बरामद करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(घ) पैरा क, ख तथा ग में वर्णित कितने व्यक्तियों पर अन्याय का प्रभाव पड़ा है ; और

(ङ) पीड़ितों को पुनः स्थापित करने प्रतिक्रिया देने राहत देने तथा निर्वाह भत्ता देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

**श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया)** : (क) जी, नहीं।

(ख) रिकार्ड में उपलब्ध सामग्री और प्रत्येक मामले के गुणावगुणों के आधार पर आदेश दिये गये थे।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) चूंकि मामले न्यायिक रूप से निपटाये गये थे, इसलिये किसी व्यक्ति को भी कोई हानि नहीं हुई है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

## छोटे उर्दू समाचार पत्रों को सरकारी विज्ञापन देना

2617. **श्री लताफत अली खां** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 जुलाई, 1970 के पाक्षिक समाचार पत्र 'दारुलसल्तनत' में छोटे उर्दू समाचार पत्रों को दिये जाने वाले सरकारी विज्ञापनों के बारे में छपे लेख की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं।

**सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल)** : (क) जी, हां।

**(ख) और (ग)** : उन समाचारपत्रों को, जो सरकार द्वारा निर्धारित कसौटी को पूरा करते हैं, सरकारी विज्ञापनों के लिये प्रयुक्त किया जा रहा है। छोटे और मध्यम दर्जे के समाचारपत्रों, विशेषकर भारतीय भाषाओं, जिनमें उर्दू भी शामिल है, में प्रकाशित होने वालों का अधिकाधिक उपयोग किया जा रहा है। इस नीति पर अमल जारी रहेगा।

**गांधी शताब्दी के दौरान दिये गए सरकारी विज्ञापन**

2618. **श्री लताफत अली खां :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गांधी शताब्दी के अवसर पर सरकार द्वारा भारतीय समाचारपत्रों को दिए गए सरकारी विज्ञापनों पर कुल कितना धन व्यय हुआ ; और

(ख) कुल धनराशि का कितना भाग उर्दू भाषा में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को दिया गया ?

**सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) :** (क) 5,37,245.00 रुपए ।

(ख) 41,784.00 रुपए ।

**पश्चिमी बंगाल तथा केरल में बन्द कर दी गई मिल,**
**कारखानें तथा उद्योग**

2619. **श्री जी० कुचेलर :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) 1967 से अब तक केरल तथा पश्चिमी बंगाल में कितनी मिलें, कारखाने तथा उद्योग धंधे बन्द कर दिये गये हैं ; इसके राज्यवार क्या कारण है,

(ख) कितने श्रमिक बेरोजगार हो गये हैं ;

(ग) क्या कोई प्रतिकर दिया गया है, यदि हां, तो कितना और कितने श्रमिकों को ; और

(घ) क्या उन्हें पुन: खोलने तथा इनका राष्ट्रीयकरण करने के लिये राज्यों द्वारा कोई प्रयास किए गए थे, यदि हां, तो किस प्रकार के ?

**श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) :** (क) से (घ) : सूचना राज्य सरकार से मांगी गई है और प्राप्त होने पर सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

**काम पाने का मूल भूत अधिकार को संविधान में शामिल करना**

2620. **श्री म० ला० सोंधी :**
**श्री शिव चरन लाल :**
**श्री शिव कुमार शास्त्री :**
**श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
**श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :**
**श्री राम चरण :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एक संशोधन द्वारा काम पाने के मूलभूत अधिकार को भारतीत संविधान में शामिल करने पर विचार कर रही है, और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) :** (क) और (ख) उपलब्ध सीमिति साधनों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान अवस्था में इस तरह का कोई कदम उठाना व्यावहारिक नहीं समझा गया है ।

## श्रम कानूनों में परिवर्तन

2621. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय श्रम सम्मेलन के 17वें अधिवेशन में निर्णय किये जाने के बाद भी राज्य सरकारें श्रम कानूनों में परिवर्तन करने संबंधी सुझावों पर विचार करती जा रही है ;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त सम्मेलन में यह फैसला किया गया था कि केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों की वैधानिक तथा प्रशासनिक नीतियों तथा प्रबन्धकों तथा श्रमिकसंघों की नीतियां भारतीय श्रम सम्मेलनों में पूरे त्रिपक्षीय विचार विमर्श के पश्चात समय-समय पर 'स्वीकृत' नीति संबंधी मुख्य बातों के विरोध में न हों और कि नीति अथवा सिद्धान्त संबंधी कोई मुख्य नये मामले संबंधी प्रस्तावों पर सामान्यतः भारतीय श्रम सम्मेलन या स्थायी श्रम समिति के परामर्श के बाद ही विचार किया जाये ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, तथा इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

**श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) :** (क), (ख) और (ग) : प्रश्न के भाग (ख) में उल्लिखित निष्कर्ष, जुलाई, मद्रास में 1959 में हुए 17वें भारतीय श्रम सम्मेलन में किया गया था। इस निष्कर्ष को राज्य सरकारों आदि के पास क्रियान्विति के लिए भेज दिया गया है।

पिछले कुछ वर्षों में, कुछ राज्य सरकारों ने, भारतीय श्रम सम्मेलन का स्थायी श्रम समिति से परामर्श लिये बिना, कुछ कार्यवाही की है जिसमें कानून बनाना भी शामिल है, तथा जिसमें नीति के मुख्य सिद्धन्त शामिल है। सम्बन्धित राज्य सरकारों को 17वें भारतीय श्रम सम्मेलन के निष्कर्षों के दृढ़ता से पालन कराने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

## राजधानी में डिब्बा बन्द गोमांस के आयात पर प्रतिबन्ध

2622. **श्री मणिभाई जे० पटेल :** **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :**

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राजधानी में डिब्बा बन्द गोमांस के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए कोई कार्यवाही कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) :** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं होता।

(ग) भारत सरकार ने संवैधानिक, कानूनी तथा आर्थिक समस्त पहलुओं से गोरक्षा के प्रश्न की जांच करने के लिए स्थापित की हुई समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा करने का निर्णय किया है।

**Machinery to Remove Differences between Agricultural Labourers and Land-Lords**

2623. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 9695 on the 14th May, 1970 regarding machinery to remove differences between agricultural labourers and landlords and state :

(a) whether the requisite information has since been collected ;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor ?

**Minister of Labour and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya) : (a) to (c)** : The requisite information is still awaited from some State Governments and will be placed on the Table of the Sabha on its receipt.

**निगमित क्षेत्र के कर्मचारियों को अहस्तान्तरणीय ईक्विटी शेयर खरीदने की छूट**

2624. **श्री के० अमात : श्री अदिचन :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निगमित क्षेत्र के कर्मचारियों को यह छूट देने के प्रस्ताव पर विचार किया है कि वे एक मास के वेतन के मूल्य तक के प्रत्यक्ष मूल्य के या वार्षिक बोनस के, जो भी राशि दोनों से अधिक हो, अहस्तान्तरणीय ईक्विटी शेयर खरीद लें ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा किये गये निर्णय का ब्यौरा क्या है ?

**श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) और (ख)** : उक्त प्रस्ताव विचाराधीन है । उसके ब्यौरे अभी तैयार करने हैं ।

**भूमिगत जल विकास आयोग का गठन**

2625. **श्री वेणी शंकर शर्मा : श्री जगेश्वर यादव :**
**श्री लताफत अली खां : श्री ईश्वर रेड्डी :**
**श्री रामावतार शास्त्री : श्री चित्ति बाबू :**
**श्री क० मि० मधुकर :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमिगत जल खोज कार्य में लगे हुये विभिन्न संगठनों के कार्यों को समन्वित करने के उद्देश्य से केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के ढंग का एक भूमिगत जल विकास उद्योग बनाने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस के द्वारा कब तक कार्य आरम्भ किये जाने की संभावना है और इससे संभवत क्या लाभ होगा ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री अन्नासाहेब शिन्दे)** : (क) सरकार राष्ट्रीय स्तर पर एक केन्द्रीय भूमिगत जल संस्था की स्थापना के प्रस्ताव पर, जो खोज, विकास तथा देश के भूमिगत जल संसाधनों के वैज्ञानिक प्रबन्ध के सभी पहलुओं के लिये उत्तरदायी होगी, विचार कर रही है। ऐसी संस्था वर्तमान दोनों ही केन्द्रीय एजेन्सियों, पैट्रोलियम तथा रसायन, खनिज एवं धातु मंत्रालय में भारतीय भू-सर्वेक्षण विभाग के भूमिगत जल विंग और खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की समन्वेषी नलकूप संस्था जो भूमिगत जल समन्वेषण तथा अध्ययन से सम्बन्धित है, के कार्यों को संभालेगी और राज्यों के भूमिगत जल संगठनों के कार्यों का मार्गदर्शन और समन्वय भी करेगी।

(ख) इस अवस्था में कोई व्यौरा देना सम्भव नहीं है क्योंकि यह अभी तैयार किया जा रहा है।

(ग) प्रस्तावित संस्था द्वारा कब तक कार्य शुरू कर दिया जायेगा इसकी निश्चित तिथि बताना सम्भव नहीं है। प्रस्तावित संस्था के लाभ उस समय पता लगेंगे जब हमारे बहुमूल्य भूमिगत जल संसाधनों के विकास तथा वैज्ञानिक प्रबन्ध को आयोजित तरीके से करने के लिये अवसर प्रदान किये जायेंगे। उल्लिखित दोनों एजेन्सियों द्वारा दोहरे प्रयत्नों की सम्भावना से बचने के अलावा प्रस्तावित संस्था समस्त भूमिगत चित्र पर समुचित रूप से विचार करने योग्य हो जायेगी ताकि उन पक्षों पर जिन पर अब तक काफी ध्यान नहीं दिया गया भविष्य में ध्यान दिया जा सके।

## राष्ट्रीय वैधानिक, अन्तरिक्ष प्रशासन का उपग्रह सम्बन्धी टेलीविजन कार्यक्रम

2626. **श्री जगेश्वर यादव** : **श्री अदिचन** :
**श्री इसहाक साम्भली** : **श्री चन्द्रशेखर सिंह** :
**श्री क० हाल्दर** : **श्री धीरेश्वर कलिता** :
**श्री जी० मो० विश्वास** : **श्री देविन्दर सिंह गार्चा**
**श्री जनार्दनन** : **श्री वेणीशंकर शर्मा** :

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय वैधानिक अन्तरिक्ष प्रसासन के उपग्रह सम्बन्धी टेलीविजन कार्यक्रम में भारत द्वारा भाग लेने पर अनुमानतः कितना धन खर्च होगा ; और

(ख) देश में टेलीविजन प्रसारण के विस्तार के लिए कितना धन व्यय होगा ?

**सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री ( श्री इ० कु० गुजराल)** : (क) लगभग 4 करोड़ रुपए।

(ख) देश में भूमि पर आधारित टेलीविजन केन्द्रों के विस्तार के लिए लगभग 112 करोड़ रुपए व्यय होंगे।

## Strike in Colagate Factory

2627. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the causes of the strike by workers of the Colgate Factory ;

(b) the date since when the aforesaid factory has been closed and the number of persons affected thereby ; and

(c) the steps being taken to resume work in the said factory and the time by which it is likely to be restarted ?

**Minister of Labour and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya) : (a) , (b) and (c) :** The matter falls in the State sphere.

**इन्जीनियरों को रोजगार देने के लिए एकीकृत ग्रामीण सेवा केन्द्र**

2628. **श्री नम्बियार :** **श्री म० गोपालन :**
**श्री ई० क० नायनार :** **श्री अ० कु० गोपालन :**
**श्री पी० पी० एस्थोस :** **श्री के० एन० अब्राहम :**
**श्री क० अनिरुद्धन :** **श्री विश्वनाथ मेनन :**
**श्री ज्योतिर्मय वसु :** **श्री उमानाथ :**

**क्या खाद्य तथा कृषि** मन्त्री **यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बेरोजगार इंजीनियरों को रोजगार देने के लिए एकीकृत ग्रामीण सेवा केन्द्र की स्थापना करने का भारत सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ; और

(ग) भारत में बेरोजगार इंजीनियरों की कुल संख्या क्या है और उसमें से कितने इंजिनियरों के इस कार्यक्रम में आ जाने की सम्भावना हैं ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) :** (क) भारत सरकार ने कृषि अभियन्ताओं, स्नातकों तथा कृषि-डिप्लोमाधारियों, आदि को नौकरी प्रदान करने के उद्देश्य से कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना करने के लिए एक योजना तैयार की है ।

(ख) इस स्कीम में चतुर्थ योजना की अवधि में 5,000 कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना करने की व्यवस्था है । इस स्कीम में प्रारम्भ में मार्गदर्शी आधार पर 500 केन्द्रों की स्थापना करने का प्रस्ताव है, जिनसे प्राप्त होने वाले अनुभव के आधार पर अतिरिक्त केन्द्रों की स्थापना क्रमबद्ध रूप से की जायेगी । इन केन्द्रों की स्थापना में उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जावेगी जहां कि सिंचाई सुविधाओं, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा अन्य स्थापनात्मक सुविधाओं के फलस्वरूप कृषि विकास के सम्बन्ध में पूर्वानुमान लगाया जा सकता है । अभी योजना का व्यौरा विचाराधीन है और इसकी क्रियान्विति के सम्बन्ध में अभी निर्णय नहीं किया गया है ।

(ग) रोजगार कार्यालय के मौजूदा रजिस्टर में 31-12-1969 को इंजिनियरिंग स्नातकों तथा डिप्लोमाधारियों की संख्या 57,834 थी, यदि योजना को पूर्णतः कार्यान्वित कर दिया जाये तो इससे 50,000 बेरोजगार इंजिनियरों, कृषि स्नातकों, डिप्लोमाधारियों आदि को रोजगार प्राप्त होने की सम्भावना है ।

**गुजरात के महाडाकपाल द्वारा स्वेच्छा से पद निवृत होने के बाद अपने कार्य पर वापस आना**

2629. **श्री द० रा० परमार : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में अहमदाबाद, परिमंडल के महाडा कपाल मई, 1970 को एकाएक स्वेक्षा से सेवा निवृत हो गये थे ;

(ख) यदि हां, तो उक्त महाडा कपाल कैसे एक हप्ते के बाद फिर अपने काम पर वापस आ गए;

(ग) क्या विभागीय नियमों के अन्तर्गत महाडाकपाल जैसे अधिकारों के लिए ऐसा करने की अनुमति है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस विषय में क्या कर्यवाही की गई अथवा करने का विचार है ?

**सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री ( श्री शेर सिंह ) :** (क) जी नहीं ।

(ख), (ग) तथा (घ) : प्रश्न ही नहीं उठता ।

**रुस तथा चीन से रेडियो प्रसारण**

2630. **श्री जार्ज फरनेन्डीज : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीन और रूस के रेडियो स्टेशनों द्वारा कितने घन्टे तक भारत के बारे में प्रसारण किया जाता है; और

(ख) ये प्रसारण कितनी भाषाओं में किये जाते हैं ?

**सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री ( श्री इ० कु० गुजराल) :**

| | |
|---|---|
| (क) (1) रेडियो पीकिंग | 8 घन्टे 30 मिनट |
| (2) रेडियो मास्को | 19 घन्टे |
| (3) रेडियो पीस एन्ड प्रोग्रेस | 1 घन्टा |
| (ख) (1) रेडियो पीकिंग | 5 भाषाओं अर्थात् अंग्रेजी, हिन्दी उर्दू, तमिल तथा बंगला में । |
| (2) रेडियो मास्को | 12 भाषाओं अर्थात् अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू, तमिल, बंगला, कन्नड, मलयालम, उड़िया पंजाबी, तेलुगु, मराठी तथा गुजराती में । |
| (3) रेडियो पीस एन्ड प्रोग्रेस | एक भाषा में अर्थात् अंग्रेजी में । |

**Report of Committee on Nationalisation of Sugar Industry in Uttar Pradesh**

*2631. **Shri Deven Sen** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Committee on the nationalisation of Sugar Industry in Uttar Pradesh has submittd its report to the State Government and to the Central Government ; and

(b) if so, the suggestions given in the report and the reaction of Government in this regard ?

**The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde)** : (a) The report of the 'Three Men Committee' appointed by the Government of Uttar Pradesh to study the problems of the sugar industry in the State has been submitted to the State Government. It has not yet been made available to the Central Government.

(b) Does not arise.

**तमिलनाडु से मलयालियों को भूमि से बेदखल किया जाना**

2632. **श्री ए० श्रीधरन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि तमिलनाडु सरकार मलयालम भाषा भाषी अल्प संख्यकों को गुडल्लूर तालुक से उनकी भूमि से बेदखल कर रही है ।

(ख) यदि हाँ, तो सरकार उनको संरक्षण के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ; और

(ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

**खाद्य. कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री ( श्री अन्नासाहेब शिन्दे)** : (क) से (ग) : आवश्यक जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

**करनाल (हरियाणा) में पंजाबी कृषकों का अपनी जमीन से निष्कासन.**

2633. **श्री मीठालाल मीना** :
**श्री राम किशन गुप्त** :
**श्री गु० चं० नायक** :
**श्री अजमल खां** :
**श्री नंजा गौडर** :
**श्री सत्य नारायण सिंह** :
**श्री दे० अमात** :
**श्री अ० कु० गोपालन** :
**श्री उमानाथ** :
**श्री के० अनिरुद्धन** :
**श्री ई० के० नायनार** :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 जून के 'टाइम्स आफ इन्डिया' में प्रकाशित एक समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें बताया गया है कि हरियाणा पुलिस कारनाल जिले के किसानों पर क्रूर अत्याचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या करनाल से किसानों को जबरन निष्काषित करने के लिये इस तरह के अत्याचार किये जा रहे हैं ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे)** : (क), (ख) और (ग) अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायगी ।

**गोरक्षा आन्दोलन के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये व्यक्ति एवं उसका हाल**

2634. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई, 1970 से दिल्ली में चलाये गये गोरक्षा आन्दोलन में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये; और

(ख) इस समस्या को हल करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ।

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब पी० शिन्दे)** : (क) पहली मई, 1970 से 9 अगस्त, 1970 तक दिल्ली में चलाये गये गोरक्षा आन्दोलन के सम्बन्ध में 362 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है ।

(ख) अपेक्षित जानकारी प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है ।

**विवरण**

भारत सरकार ने भारत के सेवा निवृत्त मुख्य न्यायपूर्ति की अध्यक्षता में 29 जून, 1967 को गो रक्षा समिति नियुक्त की जिसने गो रक्षा के प्रश्न, इस विषय के समस्त पहलुओं अर्थात संवैधानिक, कानूनी आर्थिक तथा अन्य सुसंगत पहलुओं पर विचार करने के पश्चात् सरकार को गायों बछड़ों, सांड़ों और बैलों की रक्षा के लिये समुचित व्यावहारिक उपायों की सिफारिश करनी थी । समिति को संविधान के अनुच्छेद 48 के उपबन्धों के प्रभावसाधक रूप में कार्यान्वियन के उपायों के बारे में सुझाव देने और किसी ऐसे सुझाव पर भी कि गौ तथा गौवंश के वध पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने के लिये संविधान को संशोधित किया जाना चाहिये, के बारे में सुझाव भी देने थे ।

सर्वदलीय गोरक्षा महाविधान समिति के प्रतिनिधियों ने अपने आपको समिति से अलग कर लेने के कारण समिति अपने कार्यों को पूरा नहीं कर सकी । 12 मार्च, 1970 को खाद्य और कृषि मन्त्री ने एक अन्य सूचना प्रश्न के उत्तर में लोक सभा में एक वक्तव्य देते हुये कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्वाचित संविधान के अनुच्छेद 48 में दिये गये निदेशक सिद्धान्तों की क्रियान्विति के लिये भारत सरकार वचनवद्ध है और इस दिशा में सतत प्रयत्न कर रही है । उन्होंने सर्वदलीय गौरक्षा महाभियान समिति से अपने निर्णय पर पुर्नविचार करने और समिति के सदस्यों के रूप में कार्य प्रारम्भ करने का अनुरोध किया था । खाद्य और कृषि मन्त्री ने 26 मार्च, 1970 को श्री जगद्‌गुरू शंकराचार्य जी को इस वक्तव्य और लोक सभा में 12 मार्च, 1970 को हुई चर्चा की एक प्रति भेजते हुये उन्हें तथा सर्वदलीय गोरक्षा महाभियान समिति से अनुरोध किया था कि वे समिति की मन्त्रणाओं में भाग लेने की अपील पर गम्भीरता से विचार करें ताकि सरकार के विचारार्थ समिति अपनी रिपोर्ट को अन्तिम रूप दे सके । खाद्य और कृषि मन्त्री ने 26 मार्च, 1970 को राज्य सभा में भी इसी प्रकार का एक और वक्तव्य दिया था । यद्यपि श्री जगद्‌गुरू

शंकराचार्य और सर्वदलीय गोरक्षा समिति के कार्य में सहयोग देने के लिये सार्वजनिक अपीलों के पश्चात् काफी समय व्यतीत हो गया है, तथापि अभी तक समिति के प्रतिनिधियों ने गोरक्षा समिति में अपना कार्य शुरू नहीं किया है। सरकार आशा करती है कि सर्वदलीय गोरक्षा महाभियान समिति के प्रतिनिधि सदस्य भारत सरकार के अनुरोध के उत्तर में समिति की कार्यवाही में भाग लेंगे जिससे कि समिति जल्दी से जल्दी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सके। समिति की सिफरिशें प्राप्त होने पर सरकार उन पर पूर्ण रूप से तथा तुरन्त विचार करेगी।

**संयुक्त मोर्चा सरकार के पत्तन के बाद पश्चिम बंगाल में किसानों के लिए राहत कार्य**

2635. **श्री क० हाल्दार :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में राज्यपाल के शासन के पश्चात राजनैतिक तथा आर्थिक हालत और खराब हो गई है ;

(ख) क्या किसानों को कृषि सम्बन्धी ऋण नहीं दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप काफी भूमि अकृष्ट रह जायेगी ; और

(ग) क्या संयुक्त मोर्चा सरकार के पश्चात सभी प्रकार के राहत कार्यों को बन्द कर दिया गया है ; और

(घ) यदि हां तो क्या सरकार किसानों की सहायता के लिए शीघ्र उपाय करेगी ?

**खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री ( श्री अन्नासाहेब शिन्दे )** : (क) जी, नहीं

(ख) जी, नहीं। यह कहना सच नहीं है कि किसानों को कृषि सम्बन्धी ऋण नहीं दिया जाता है या भूमि के बड़े क्षेत्र अकृष्ट रहने की संम्भावना है।

**(ग) तथा (घ)** राज्य सरकार उपलब्ध धन से आवश्यक उपाय कर रही हैं।

**खान अधिनियम में संशोधन**

2636. **श्री मुहम्मद इस्माइल :** **श्री के अनिरुद्धन :**
**श्री भगवान दास :** **श्री सत्य नारायण सिंह :**
**श्री ई० के० नायनार :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार खान अधिनियम में संशोधन करने का विचार कर रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार खान अधिनियम में क्या मुख्य परिवर्तन करना चाहती हैं ?

**श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया)** : (क) जी, हां।

(ख) मुख्य परिवर्तन, जो विचाराधीन संशोधनों के अन्तर्गत प्रस्तावित है, समस्त देश के लिए एक माइनिंग बोर्ड की स्थापना, कर्मचारियों के प्रतिनिधियों द्वारा खानों के निरीक्षणों के लिए

प्रबन्ध करना एवं सुरक्षा साधनों में उनका सम्पर्क, बचाव उपकार की दर में वृद्धि, बचाव केन्द्र समिति को निगम का स्तर प्रदान करने तथा अधिनियम के अन्तर्गत अधिक गम्भोर अपराधों के लिए न्यूनतम सजा से सम्बन्धित हैं।

### पश्चिम बंगाल में पारिवारिक भूस्वामित्व को अधिकतम सीमाएं

2637. **श्री दे० अमात :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल में कानूनी तौर पर पारिवारिक भू-स्वामित्व की अधिकतम सीमाएं लागू करने का निर्णय किया है, यदि हां, तो वह क्या है ;

(ख) क्या अन्य केन्द्र, शासित क्षेत्रों में भी इसी प्रकार की अधिकतम सीमाएं लागू की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो जहां तक केन्द्र शासित क्षेत्रों का सम्बन्ध है, ये अधिकतम सीमा कहां कहां लागू की गई है और कहां-कहां अभी लागू की जानी है ; और देश भर में समान रूप से ये अधिकतम सीमाएं लागू करने के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही हैं ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) :** (क) जी हां। सरकार को एक परिवार की समस्त रैयतों के स्वामित्व वाली कुछ भूमि पर उच्चतम सीमा निर्धारित करने के साथ-साथ उच्चतम सीमा के स्तर में कमी करना तथा इसे भूमि की श्रेणी में सम्पृक्त करना, तथा छूट सम्बन्धी प्रावधानों का भी पुनर्शोधन करना हैं।

**(ख) और (ग) :** दिल्लो, हिमाचल प्रदेश (पंजाब से स्थानान्तरित हुए क्षेत्रों के अतिरिक्त), मणिपुर, पांडिचेरी तथा त्रिपुरा में एक परिवार के समस्त सदस्यों के अधिकार वालों कुल भूमि पर उच्चतम सीमा लागू है। चन्डीगढ़ तथा हिमाचल प्रदेश के स्थानान्तरित क्षेत्रों में स्वामित्व पर कोई उच्चतम सीमा लागू नहीं है, किन्तु राज्य सरकार को भू-स्वामियों की स्वीकृत स्तर से अधिक भूमि पर विस्थापित पट्टेदारों को बसाने का अधिकार प्राप्त है। गोवा, दमन, दीव, दादरा और नगर हवेलो तथा पांडिचेरी (माहे क्षेत्र के अतिरिक्त) में अभी उच्चतम सीमा लागू की जानी है। लक्षद्वीप, मिनिकाय तथा अमनिदीप समूह में अधिक भूमि वाले भू-स्वामी मौजूद नहीं है।

मुख्य मंत्रियों के नवम्बर 1969 में हुए अधिवेशन में भी यह विषय विचारार्थ प्रस्तुत हुआ था। हाल ही के टैक्नोलौजिकल विकास तथा सामाजिक आवश्यकताओं और उच्चतम सीमा के निर्धारण तथा भूमिहीन कृषि श्रमिकों को क्रमबद्ध रूप से अधिशेष भूमि के वितरण के कार्यक्रम को शीघ्र कार्यान्वित के प्रकाश में उच्चतम सीमा के स्तर, अन्तरण तथा छूटों के प्रावधान के पुनरीक्षण का निर्णय किया गया था। खाद्य तथा कृषि मन्त्री ने सभी राज्यों के मुख्य मन्त्रियों का ध्यान इस निर्णय की ओर आकर्षित किया था तथा सुझाव दिया था कि 1972-73 के अन्त तक कार्यक्रम को पूर्ति के लिए विधायी तथा प्रशासनिक कार्यवाही करने की दृष्टि से आवश्यक कदम उठाये जाने चाहिये।

### Setting up of Super-Bazars during Fourth Five Year Plan

2638. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the **Minister of Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the details of profit and loss shown by each Super Bazar at the end of 1969 ; and

(b) the number of Super Bazars proposed to be set up by Government in the various States during the Fourth Five Year Plan ?

**Minister of State for Food and Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde)**: (a) Audited figures of profit and loss are generally prepared in a consolidated form for the wholesale/central store as a whole, and not separately for the Department Store (Super Bazar) run by it. While the figures of profit and loss of each Department Store (Super Bazar) cannot, therefore, be given, it is estimated that, out of 80 Department Stores functioning at the end of the Cooperative Year 1968-69, 48 were in profit and 32 were in loss.

(b) Twenty-five new Department Stores are envisaged to be set up in various States during the Fourth Plan period.

## बूचड़ खानों में तथा अन्यथा पशुओं के अनुपयोगी अवशिष्ट पदार्थों से विदेशी मुद्रा कमाना

2639. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चमड़ा अनुसन्धान संस्थान ने अभी हाल में किये एक अध्ययन में यह सिफारिश की है कि बूचड़ खानों में तथा अन्यथा पशुओं के अनुपयोगी अवशिष्ट पदार्थों का अधिक अच्छी तरह से उपयोग करके इनसे विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है;

(ख) संस्थान द्वारा की गई सिफारिशें और सुझाव क्या हैं तथा उनके कार्यान्वयन से प्रति वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा को आय होने की सम्भावना है; और

(ग) इन सुझावों को क्रियान्वित करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे ) : (क) से (ग) :** केन्द्रीय चर्म अनुसंधान संस्था के निदेशक से अध्ययन रिपोर्ट की एक प्रति भेजने के लिए कहा गया है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर अपेक्षित जानकारी प्रदर्शित करने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा।

## 1970-72 के दौरान उर्वरक की सप्लाई के लिये नार्वे का प्रस्ताव

2640. **श्री नंजा गौडर :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नार्वे की सरकार ने 1970 और 1972 के दौरान 3 करोड़ 60 लाख क्राउनों की लागत के उर्वरक के रूप में भारत को सहायता देने का प्रस्ताव किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क)** जी हां। उर्वरकों का मूल्य नार्वे की मुद्रा के रूप में 395 लाख क्राउन होगा।

(ख) सहायता में कैलशियम अमोनियम नाइट्रेट (26 प्रतिशत दान) और यूरिया (46 प्रतिशत एन ) का निशुल्क भेजा जाना शामिल होगा। समझौते के अधीन नार्वे सरकार भारत को 1970 में लगभग 20,000 मीटरी टन कैलशियम अमोनियम नाईट्रेट और 1971 में लगभग 18,000 मीटरी टन यूरिया भेजेगी। नार्वे द्वारा 1972 में सप्लाई होने वाले उर्वरक की मात्रा और किस्म के बारे में उचित समय पर 1971 में बातचीत द्वारा निर्णय किया जायेगा।

## उर्वरकों पर अधिकार की समाप्ति के बारे में मैसूर के कृषि मंत्री के विचार

2642. **श्री लोबो प्रभु :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य के कृषि मन्त्री, श्री रचैया के इस वक्तव्य पर क्या कार्यवाही की गई है कि जब तक उर्वरकों पर 10 प्रतिशत अधिकार समाप्त नहीं कर लिया जाता तब तक उर्वरकों का प्रयोग सीमित रहेगा और न बिके स्टाकों में वृद्धि होगी ; और

(ख) उनके इस सुझाव पर मन्त्रालय की क्या प्रतिक्रिया है कि केन्द्रीय सरकार को उर्वरकों को स्टाक में रखना चाहिये और उसे व्याज, गोदाम तथा परिवहन पर होने वाले खर्च को स्वयं वहन करना चाहिये ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे)** : (क) पहली मार्च, 1969 से उर्वरकों पर लगाये गये उत्पादन-शुल्क के प्रभाव के विषय में मन्त्रालय ने विचार किया है। योजना के वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये यह अपरिहार्य समझा गया था। मन्त्रालय से सम्बद्ध अर्थ-शास्त्रियों के एक पैनल का मत है कि उत्पाद मूल्ल के मौजूदा स्तर पर वैज्ञानिक आधार पर उर्वरक का प्रयोग, विशेषकर सिंचित क्षेत्रों में, उपकर लगने से मूल्यों में वृद्धि के बावजूद लाभकर है। 1961-62 से 1968-69 तक के सात वर्षों के दौरान यह पाया गया कि गेंहूं के मूल्य 103 प्रतिशत, चावल के मूल्य 97 प्रतिशत, खाद्यान्नों के मूल्य 101 प्रतिशत और व्यापारिक फसलों सहित समस्त कृषि पण्यों के मूल्यों में 76 प्रतिशत वृद्धि हुई। दूसरी ओर इसी अवधि के दौरान अमोनियम सल्फेट के मूल्य केवल 47 प्रतिशत और युरिया के 29 प्रतिशत बढ़े। वास्तव में पिछले नौ महीनों में अमोनियम सल्फेट (रंगीन तथा चूर्ण) के मूल्य 100 रुपये प्रति मीटरी टन कम किये गये। इन परिस्थितियों में उर्वरकों पर उत्पादन शुल्क तथा सीमा-शुल्क समाप्त करना सम्भव नहीं है।

(ख) भारत सरकार आयातित उर्वरकों की अधिप्राप्ति और वितरण की एक योजना चला रही है ताकि उन्हें कृषकों में उचित मूल्य पर बराबर-बराबर वितरित किया जा सके। राज्यों और अन्य इच्छुक व्यक्तियों को उर्वरकों का वितरण एक से मूल्यों पर किया जाता है। केन्द्रीय उर्वरक पूल न लाभ, 'न हानि' के आधार पर कार्य करता है और प्रेषिति को माल भेजने से पूर्व के समस्त व्यय अर्थात् व्याज, गोदाम प्रभार तथा परिवहन प्रभार पूल के लेखे में डाले जाते हैं। पूल भी उर्वरकों का एक बड़ा भण्डार रखता है ताकि वह अल्प-सूचना पर जरूरतमन्द राज्यों की मांग को पूरा कर सके और वास्तव में वह उस पर वित तथा गोदाम प्रभार वहन करता है। पूल देश के किसी ऐसे स्थान तक जहां रेलगाड़ी जा सकती हैं, उर्वरक भेजने के परिवहन व्यय को भी वहन करता है। पूल के लिये इससे अधिक व्यय वहन करना सम्भव नहीं है।

## बेरोजगारी के कारण पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था की स्थिति

2643. **श्री स० मो० बनर्जी :** **श्री समर गुह :**

**क्या श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के अनुसार पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था की वर्तमान स्थिति मुख्यतः शिक्षित नवयुवकों में बेरोजगारी की समस्या के कारण उत्पन्न हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इन नवयुवकों को रोजगार देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है और क्या सरकार ने इस बारे में योजना आयोग को कोई निदेश दिये हैं ?

**श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) :** (क) और (ख) शिक्षित नवयुवकों में फैली बेरोजगारी वर्तमान स्थिति का केवल एक मात्र कारण नहीं होगी। केन्द्रीय तथा पश्चिमी बंगाल सरकारों की चौथी पंचवर्षीय योजना और वार्षिक योजनाओं में कृषि, उद्योग, सिंचाई व बिजली, परिवहन और संचार और शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन जैसी सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में सम्मिलित विभिन्न विकास कार्यक्रमों द्वारा बेरो जगार नवयुवकों के लिए अधिकाधिक नियुक्ति अवसर उपलब्ध होने की सम्भावना है।

### सरकार द्वारा संचालित सहायता प्राप्त दुग्ध वितरण योजनाओं के कार्य का मूल्यांकन

2644. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा संचालित/सहायता प्राप्त दुग्ध वितरण योजनाओं के प्रतिनिधि-ग्रुप के कार्य का सरकार ने कोई मूल्यांकन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उनका कब तक मूल्यांकन किया जायेगा ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे):** (क) जी, नहीं। फिर भी डेरियों की कार्य पद्धति के सम्बन्ध में विभागीय तौर पर समय समय पर पुनर्विलोकन का कार्य होता रहता है।

(ख) योजना आयोग कुछ शहरी दुग्ध आपूर्ति योजनाओं का मूल्यांकन करने का इरादा रखता है।

### नकद मजूरी तथा असल मजूरी

2646. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में औद्योगिक कृषि क्षेत्र तथा खानों में काम करने वाले मजदूरों को कितनी नकद तथा असल मजूरी मिलती है ; और

(ख) विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय की तुलना में यह कितनी है ?

**श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) :** (क) एक विवरण (परिशिष्ट 1) जिसमें विभिन्न राज्यों के निर्माणकारी उद्योगों में लगे हुए श्रमिकों की 1964 तथा 1968 की प्रति व्यक्ति वार्षिक नकद आयु दी गई है, सदन की मेज पर रख दिया गया है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3153/70**] चूंकि वास्तविक मजूरी उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों द्वारा नकद आय में से मुद्रास्फीति कम करके निकाली जाती है और चूंकि प्रत्येक राज्य के औद्योगिक श्रमिकों के बारे में

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अलग-अलग रूप से उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए प्रत्येक राज्य के सम्बन्ध में प्रति व्यक्ति वास्तविक आय का हिसाब लगाना संभव नहीं है ।

एक विवरण (परिशिष्ट II), जिसमें 1964-65 के दौरान, जब कि ग्रामीण श्रमिक जांच की गई थी; कृषि श्रमिक परिवारों के खेतिहर श्रमिकों की औसत दैनिक नकद तथा वास्तविक आमदनियां दिखाई गई हैं, सदन की मेज पर रख दिया गया है । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 3953/70]

खान क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के सम्बन्ध में जानकारी राज्य सरकारों से प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) 1964-65 में विभिन्न राज्यों की प्रतिव्यक्ति आय दिखाने वाला एक वक्तव्य (अनुबन्ध III) जो कि चालू मूल्यों के आधार पर निर्धारित की गई है सभा पटल पर रखा गया है । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 3953/70]

## चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में रुई उत्पादन में वृद्धि पर व्यय

2647. **श्री एस० आर० दामानी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में रुई उत्पादन में वृद्धि के लिये सरकार का कितनी धनराशि व्यय करने का विचार है ।

(ख) चतुर्थ योजना के पहले वर्ष में कितनी राशि वास्तव में खर्च की गई और कौन-कौन सी योजनायें आरम्भ की गई ;

(ग) चतुर्थ योजना की शेष अवधि में इस पर व्यय की जाने वाली राशि के वर्षवार, और राज्य-वार आंकड़े क्या है ;

(घ) सरकार के रुई विकास कार्यक्रम कुल कितने क्षेत्रों में लागू हैं और इसका राज्य-वार, ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यह धनराशि किन प्रमुख योजनाओं पर खर्च की जायेगी और उससे रुई के उत्पादन में कितनी वृद्धि होने की आशा है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री ( श्री अन्नासाहेब शिन्दे)** : (क) चौथी योजना के दौरान कपास उत्पादन के विकास की केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिये 390 लाख रुपयों की व्यवस्था की गई है ।

(ख) वर्ष 1969-70 के दौरान, कपास विकास की निम्नलिखित केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिये, राज्य सरकारों तथा कृषि विश्वविद्यालयों ने 88·18 लाख रुपये का व्यय हुआ बताया था ।

( 1 ) कपास उत्पादन को बढ़ाना ।

( 2 ) समुद्र द्वीप के कपास का विकास ।

(3) कपास के केन्द्रक तथा मूल बीजों का उत्पादन (विश्वविद्यालय)

(ग) चौथी योजना के शेष वर्षों के लिये परिव्यय के आंकड़े वर्षवार तथा राज्यवार तैयार नहीं किये गये हैं। तथापि, वर्ष 1970-71 के दौरान कपास विकास की केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिये 39·853 लाख रुपये की एक राशि आवंटित की गई है। इस राशि के राज्यवार आंकड़े सभा पटल पर रखे गए हैं। [**ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 3954/70**]

(घ) भारत सरकार द्वारा कपास विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के राज्यवार ब्यौरा को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा गया। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3954/70**]

(ङ) विस्तृत योजनाओं के सम्बन्ध में प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में बताया गया है। केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं, राज्य पैकेज कार्यक्रमों तथा समन्वित कपास विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के फलस्वरूप, आशा का जाती है कि 1973-74 तक कपास का अतिरिक्त उत्पादन 2‌0 लाख गांठें बढ़ जाने को आशा है।

## स्थायी श्रम समिति द्वारा हड़ताल के अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिश पर विचार

2648. **श्री नि० रं० लास्कर :** **श्री बी० नारायणन :**
**श्री दण्डपाणि :** **श्री मयाबन :**
**श्री सामिनाथन :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हड़ताल अथवा ताला-बन्दी के सम्बन्ध में राष्ट्रीय श्रम आयोग के सुझावों के बारे में श्रम मन्त्रालय की राय पर स्थायी श्रम समिति द्वारा 23 जुलाई की बैठक में विचार किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो समिति ने इस पर क्या निर्णय लिया ; और

(ग) मन्त्रालय के सुझावों से वे कहां तक सहमत हुए हैं ?

**श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डो० संजीवैया) :** (क) सम्बन्धित हितों द्वारा व्यक्त विचारों के प्रकाश में, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय द्वारा तैयार किए गये इस विषय में एक पत्र पर स्थायी श्रम समिति ने अपनी 23-24 जुलाई, 1970 की बैठक में विचार-विमर्श किया।

(ख) और (ग) : समिति ने साधारण रूप से पत्र में दिये गये सुझावों को मान लिया। समिति के निष्कर्षों का अन्तिम रूप हमेशा की तरह लोक सभा के पटल पर रख दिया जायेगा।

## सब्जियों के मूल्यों का विनियमन

2649. **श्री लताफत अली खां :** **श्री ईश्वर रेड्डी :**
**श्री जगेश्वर यादव :** **श्री झारखण्डे राय :**
**श्री अदिचन :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े नगरों में सब्जियों के मूल्यों को विनियमित करने के लिये कोई कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री ( श्री अन्नासाहेब शिन्दे)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं होता ।

**Applications for telephone connections in Bhind City in Madhya Pradesh**

*2650. **Shri Yashwant S.ingh Kushwah** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communitions be pleased to state** :

(a) The capacity of the existing Telephone Exchange in Bhind City in Madhya Pradesh and the number of connections provided so far;

(b) the number of applications for telephone connections pending and the time since they are pending ; and

(c) the action taken by Government against the officer responsible for such delay?

**The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh)** : —

| | | |
|---|---|---|
| (a) Capacity | .. .. | 200 lines. |
| Working connections | .. .. | 126 |

(b) 34, since March 1970.

(c) The Exchange capasity was incrcased by 50 lines on 31st March, 1970. There was some delay in proving new connections therea fter due to the introduction of prescribed applicationn Forms for new telephone connections; 16 new connections have been sanctioned recently and these will be provided as soon as the payments are received. Further new connection will continue to be provided thereafter.

**पश्चिम बंगाल में सीधे डायल करके टेलीफोन करने की व्यवस्था**

2651. **श्री गणेश घोष : श्री ज्योतिर्मय बसु :**
**श्री मोहम्मद इस्माइल :**

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में सीधे डायल करके टेलीफोन करने की व्यवस्था हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के क्या नाम है;

(ग) क्या पश्चिमी बंगाल में भी ऐसी व्यवस्था करने की कोई योजना है; यदि हां, तो कब; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह)** : (क) कुछ राज्यों में कुछेक स्थानों पर ट्रंक डायलिंग की सुविधाएं उपलब्ध हैं ।

(ख) 1. दिल्ली-संघ राज्य-क्षेत्र

2. बिहार

3. गुजरात

4. हिमाचल प्रदेश-संघ राज्य क्षेत्र

5. जम्मू व कश्मीर

6. महाराष्ट्र

7. मैसूर

8. पंजाब

9. राजस्थान

10. तमिलनाडु

11. उत्तर प्रदेश

12. चंडीगढ़-संघराज्य क्षेत्र

(ग) जी हां, चौथी पंचवर्षीय योजना ( 69-74 ) में पश्चिमी बंगाल में कलकत्ता, आसंसोल दुर्गापुर और खड़गपुर से सीधी ट्रंक डायलिंग सेवा की व्यवस्था करने की योजनाएं हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

**दुर्गापुर में उद्योगवार रोजगार**

2652. **श्री गणेश घोष : श्री मोहम्मद इस्माइल : श्री ज्योतिर्मय बसु :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में वर्षवार दुर्गापुर के सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में अलग-अलग उद्योगवार कितने-कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया; और

(ख) वहां गत 3 वर्षों में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में अलग-अलग, कारखानों की वर्षवार संख्या क्या है;

(ग) इस अवधि में दुर्गापुर के औद्योगिक रोजगार में वृद्धि, कमी अथवा स्थिरता के क्या कारण हैं ?

**श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क), (ख) और (ग) :** सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा की मेज पर रख दी जायगी।

**13 अगस्त, 1970 के लिये प्रश्न**

2653. **श्री गणेश घोष : श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री मोहम्मद इस्माइल :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) 1968 से 1970 तक पश्चिम बंगाल में चावल तथा अन्य खाद्यान्नों का अलग-अलग वर्षवार कुल कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) 1968 से 1970 तक वर्षवार देश में से कितना चावल अधिप्राप्त किया गया ;

(ग) वर्ष 1968 से 1970 तक वर्षवार चावल की कुल कितनी आवश्यकता थी ;

(घ) 1968 से 1970 तक वर्षानुसार इसकी कुल कितनी कमी रही ; और

(ङ) 1968 से 1970 तक पश्चिम बंगाल ने वर्षानुसार कुल कितना अनाज अन्य राज्यों तथा अन्य देशों से मंगाया ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री ( श्री अन्नासाहेब शिन्दे )** : (क) : 1968 और 1969 के वर्षों में पश्चिमी बंगाल में अनाजों का उत्पादन इस प्रकार हुआ था ;

| वर्ष | अनाजों का उत्पादन लाख मीटरी टन में |
|---|---|
| 1968 | 54. 85 |
| 1969 | 58. 91 |

1970 के आंकड़ें अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) : 1968 से 1970 तक के वर्षों में पश्चिमी बंगाल में चावल और धान (चावल के हिसाब से ) की कुल आन्तरिक अधिप्राप्ति नीचे दी जाती है :—

| वर्ष | अधिप्राप्त की गई मात्रा हजार मी० टन में |
|---|---|
| 1968 | 319 |
| 1969 | 447 |
| 1970 (18-7-70 तक) | 299 |

(ग) और (घ) : खपत संबन्धी वैज्ञानिक आंकड़ों के अभाव में और खाद्यान्नों तथा अन्य वैकल्पिक खाद्य पदार्थों की उपलब्धि में घट-बढ़ होने से खाद्यान्नों की आवश्यकता में घट-बढ़ होने, उनके तुलनात्मक मूल्य और आय-स्तर आदि के कारण किसी वर्ष में किसी राज्य में खाद्यान्नों की आवश्यकता अथवा कमी का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है। तथापि पश्चिमी बंगाल सरकार 16 औंस प्रति दिन प्रति व्यक्ति खपत मानते हुए और चारा, बीज, बर्बादी आदि के लिए सकल उत्पादन का 10 प्रतिशत निकाल कर शेष को निवल उपलब्धि मानकर अपनी आवश्यकता और कमी का हिसाब इस प्रकार लगाया है :—

| वर्ष | आवश्यकता (लाख मीटरी टन में) | कमी (लाख मीटरी टन में) |
|---|---|---|
| 1968 | 69. 87 | 20. 5 |
| 1969 | 72. 45 | 19. 4 |
| 1970 | 74. 50 | * |

*उत्पादन के पक्के आकड़े उपलब्ध न होने के कारण इसका हिसाब नहीं लगाया जा सका।

उत्पादन के अस्थाई अनुमान के आधार पर राज्य सरकार ने 1970 के लिए 20 लाख मीटरी टन खाद्यान्न की कमी होने का हिसाब लगाया है।

(ड): कोई भी राज्य दूसरे देशों से सीधे आयात नहीं करता है। व्यापार खाते में भारत के अन्य राज्यों से पश्चिमी बंगाल को आयात किये गये खाद्यान्नों के आंकड़े भी उपलब्ध नहीं हैं। सरकारी खाते में सभी प्राप्ति केन्द्रीय भंडार से हुई थी। इनके वर्षवार आंकड़े इस प्रकार हैं:—

| वर्ष | प्राप्ति हजार मीटरी टन में |
|---|---|
| 1968 | 1517 |
| 1969 | 1310 |
| 1970 ( 15-7-70 तक) | 714 |

## मनीपुर में लागू किये गये श्रम सम्बन्धी कानून

2654. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर संघ राज्य क्षेत्र में अब तक लागू किये गये श्रम सम्बन्धी कानूनों की कुल कितनी संख्या है और ये कानून किस-किस तिथि से लागू किये गये हैं ; और

(ख) मनीपुर में प्रत्येक अधिनियम का पालन किस अभिकरण के जरिये कराया जा रहा है?

**श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) और (ख)** : सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर यथा-समय रख दिया जायगा।

## मणिपुर की पंचायत परिषद्

2655. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मणिपुर को पंचायत परिषद ने मणिपुर के उप राज्य पाल को ज्ञापन दिया है और उनसे मिलने की इच्छा व्यक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो मणिपुर सरकार को पेश की गई पंचायत परिषद की शिकायतें क्या-क्या हैं ;

(ग) क्या मणिपुर में पंचायतें संवंधित अधिनियम के अन्तर्गत कार्य कर रही हैं तथा अपने कार्यों और उत्तरदायित्वों के पालन को निभा रही हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उनके कार्यभार का सक्षिप्त मूल्यांकन क्या है तथा पंचायतों को अपने कार्यों का पालन करने में किन कटिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उप मन्त्री ( श्री स० चु० जमीर ) : (क) से (घ)** : मणिपुर प्रशासन से आवश्यक जानकारी मांगी गई है और प्राप्त होने पर यथा शीघ्र लोक सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

## मणिपुर में सहकारी खेती समितियां

2656. **श्री एम० मेघचन्द्र :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मणिपुर में अब तक पंजीकृत की गई सहकारी खेती समितियों की कुल संख्या क्या है ;

(ख) इनमें से कितनी समितियों को भूमि प्राप्त हुई है ;

(ग) इन समितियों में कितनी समितियां कार्य कर रही है ; और

(घ) एलंगखेंगपोकपी सहकारी कृषि समिति के कितने सदस्य हैं और कौन-कौन हैं और उनमें से कितने इम्फाल के हैं और कितने स्थानीय हैं ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उप-मन्त्री ( श्री जगन्नाथ पहाड़िया):** (क) मणिपुर प्रशासन ने सूचित किया है कि मणिपुर में अब तक 147 सहकारी कृषि समितियां पंजीकृत की गई हैं। इनमें से, 35 संयुक्त कृषि समितियां तथा 112 सामूहिक कृषि समितियां हैं।

(ख) व (ग) सभी, 35 संयुक्त कृषि समितियां तथा 31 सामूहिक कृषि समितियां, जिन्हें वन्दोबस्त विभाग द्वारा भूमि आवंटित की गई है, संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही हैं। शेष 81 समितियों को भूमि आवंटित न करने के अभाव में, उनका कार्यकरण सम्बन्धी मूल्यांकन सम्भव नहीं है।

(घ) एलंगखेंगपोकपी सामूहिक कृषि समिति की सदस्य संख्या 650 है, जिनमें सभी स्थानीय भूमिहीन कृषक हैं।

## छोटे ट्रैक्टरों का उत्पादन, मांग और आयात

2657. **श्री सीताराम केसरी :** **श्री लखन लाल कपूर :**

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में छोटे ट्रैक्टरों का उत्पादन किसानों की मांग की तुलना में बहुत कम हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए छोटे ट्रैक्टरों का आयात करने की सरकार की कोई योजना है ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि विश्व बाजार में छोटे ट्रैक्टरों के मूल्य काफी बढ़ गये हैं ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री ( श्री अन्नासाहेब शिन्दे ) :** (क) देश में इस समय 12 से 25 अश्व-शक्ति के छोटे ट्रैक्टरों का देशी निर्माण नहीं होता है।

(ख) जी हां। विदेशी सम्भरण कर्ताओं को 12 से 25 अश्व-शक्ति के 16,000 ट्रैक्टरों के आयात के लिए आर्डर पहले ही दे दिये गये हैं। 12 से 25 अश्व-शक्ति के लिए बातचीत चल रही है। सप्लाई की स्थिति को सुगम बनाने की दृष्टि से विदेशों में रहने वाले भारतीय

सम्बन्धियों से भेंट के रूप में ट्रैक्टरों के आयात की अनुमति भी दे दी गई है। विभिन्न विश्व बैंक परियोजनाओं के अन्तर्गत ट्रैक्टरों का आयात करने के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है।

(ग) जी हां। समस्त अश्व-शक्तियों के ट्रैक्टरों के मूल्य गत वर्षों की तुलना में अधिक कोट किये जा रहे हैं।

**कृषि विश्वविद्यालय, पंतनगर में अनाज, तिलहन, सोयाबीन तथा दालों का विश्लेषण**

2658. **श्री सीताराम केसरी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी प्रकार के अनाज, तिलहन, सोयाबीन तथा दालों के विश्लेषण के लिए कृषि विश्वविद्यालय, पंतनगर में एक आधुनिक प्रयोगशाला स्थापित की गई है ;

(ख) क्या सरकार की योजना देश के अन्य भागों में इसी प्रकार की प्रयोगशालाएं स्थापित करने की है ; और

(ग) क्या सरकार बिहार में प्रयोगशाला की स्थापना के लिए विचार करेंगी ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री ( श्री अन्ना-साहेब शिन्दे ) :** (क) अनाजों, तिलहनों, दालों तथा सोयाबीन के बीजों के विश्लेषण के लिए उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पंतनगर में एक प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है।

(ख) जी नहीं। भारत सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है।

(ग) यह प्रश्न राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है।

**इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज**

2659. **श्री सीताराम केसरी :**
**श्री शिव कुमार शास्त्री :**
**श्री राम चरण :**
**श्री बे० कृ० दासचौधरी :**
**श्री शिव चरण लाल :**
**श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
**श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :**

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंज का डिजाइन तैयार करने के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो यह प्रयोग कब तक पूरे हो जायेंगे ; और

(ग) यह एक्सचेंज कब तक चालू हो जाएगा ?

**सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री ( श्री शेर सिंह ) :** (क) जी हां। अब दूर संचार अनुसंधान केन्द्र में इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज का विकास किया जा रहा है।

(ख) दूर संचार अनुसंधान केन्द्र में अब जो प्रयोग किए जा रहे हैं उनके 1972 में पूरे होने की आशा है।

(ग) प्रथम इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज का व्यापारिक सेवा के लिए क्षेत्र में परीक्षण 1975 में किए जाने की आशा है।

**मजदूर संघ द्वारा स्थायी श्रम समिति की बैठक का बहिष्कार**

2560. **श्री सीताराम केसरी :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्थायी श्रम समिति की बैठक जुलाई, 1970 के अन्तिम सप्ताह में हुई थी,

(ख) क्या कुछ मजदूर संघों ने इस बैठक का बहिष्कार किया है, और

(ग) यदि हां, तो बहिष्कार करने के क्या कारण हैं ?

**श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया)** : (क) स्थायी श्रम समिति की एक बैठक नई दिल्ली में 23 और 24 जुलाई, 1970 को हुई थी।

(ख) अखिल ट्रेड यूनियन कांग्रेस तथा यूनाइटिड ट्रेड्स यूनियन ने भाग नहीं लिया।

(ग) बैठक के प्रयोजन तथा उसकी कार्यसूची में सम्मिलित की गई विषय-सूचो के सम्बन्ध में असहमति।

**दिल्ली में लघु कृषक विकास एजेंसी**

2661. **श्री मणिभाई जे० पटेल :**                    **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने संघ राज्य क्षेत्र में लघु कृषक विकास एजेन्सी के अन्तर्गत किसी योजना को निर्धारित न करने के विरोध में सरकार को कोई अभ्यावेदन दिया है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ख) दिल्ली में ऐसी योजनाओं के निर्धारित न रहने के क्या कारण हैं ;

(ग) लघु कृषकों तथा मध्यम वर्ग कृषकों के लिए सरकार द्वारा कितनी योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है तथा विभिन्न राज्यों को, राज्य-वार कितनी योजनाओं में स्वीकृति की गई है ; और

(घ) इन योजनाओं पर कुल कितना धन खर्च होगा ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) से (घ)** : मुख्य कार्यकारी पार्षद ने दिल्ली के लिए कम से कम एक मार्गदर्शी योजना के नियतन का अनुरोध किया था। इस प्रश्न पर योजना आयोग तथा केन्द्रीय कृषि विभाग में सक्रिय रूप से विचार हो रहा है। विभिन्न राज्यों को लघु कृषक विकास एजेन्सियों के नियतन की राज्यवार सूची संलग्न है। प्रत्येक मार्गदर्शी परियोजना पर औसतन परिव्यय 1·5 करोड़ रुपये तक होगा।

**विवरण**

| | लघु कृषक विकास एजेन्सी |
|---|---|
| 1. आन्ध्र प्रदेश | 3 |
| 2. आसाम | 2 |

| | |
|---|---|
| 3. बिहार | 3 |
| 4. गुजरात | 3 |
| 5. हरियाणा | 2 |
| 6. जम्मु और काश्मीर | 2 |
| 7. केरल | 2 |
| 8. मध्य प्रदेश | 3 |
| 9. महाराष्ट्र | 3 |
| 10. मैसूर | 3 |
| 11. उड़ीसा | 3 |
| 12. पंजाब | 2 |
| 13. राजस्थान | 3 |
| 14. तमिल नाडु | 3 |
| 15. उत्तर प्रदेश | 4 |
| 16. पश्चिमी बंगाल | 3 |
| 17. हिमालय प्रदेश | 1 |
| 18. नागालैंड | 1 |
| 19. त्रिपुरा | — |
| 20. मणिपुर | — |
| | 46 |

**जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य से ट्रैक्टरों का आयात और उनका वितरण**

2662. **श्री नन्द कुमार सोमानी : श्री स० कु० तापड़िया :**

**क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य सरकार, एक करार के अन्तर्गत, भारत को दस हजार ट्रैक्टरों का निर्यात करेगा और वहां से चार हजार ट्रैक्टर आ भी चुके हैं ?

(ख) यदि हां, तो इन ट्रैक्टरों का वितरण किस प्रमार और किस मूल्य पर और किस माध्यम से किया है ; और

(ग) गत दो वर्षों में और कौन सी कृषि संबंधी मशीनरी जर्मन से प्राप्त हुई है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री ( श्री अन्नासाहेब शिन्दे )** : (क) आर एस 09 के 3,000 ट्रैक्टरों के आयात के लिये राजकोय व्यापार निगम तथा पूर्वी जर्मनी के संभरणकर्त्ताओं के बीच एक करार किया गया था। इनमें से अब तक केवल 1,998 ट्रैक्टर प्राप्त हुये हैं। ऐसे 7,000 ट्रैक्टरों के आयात के लिये 24 सितम्बर 1969 को एक अन्य करार

भी किया गया था। इस करार तथा पहले के करार में से अधिशेष ट्रैक्टरों का आयात रोक दिया गया है।

(ख) ये ट्रैक्टर, आंध्र प्रदेश, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, मैसूर तथा तमिलनाडु के राजकीय कृषि-उद्योग निगमों के माध्यम से वितरण के लिये आवंटित किये गये थे। आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान राजकीय निगमों के पास बिकने के लिये पड़े हुये कुछ ट्रैक्टरों को भारतीय सहभागियों यथा सर्वश्री इंडियन एग्रो मशीन्स ने बेचने के लिये ले लिया है।

इन ट्रैक्टरों की लागत तथा भाड़ा सहित कीमत 10,600 रुपये थी। आयातित ट्रैक्टरों की कोई अखिल भारतीय विक्रय कीमत निर्धारित नहीं है और यह विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न हैं। तथापि, विक्रय कीमत राजकीय व्यापार निगम के मूल्य निर्धारण सूत्र के अनुसार निर्धारित की जाती है, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित है :--

(i) लागत, बीमा तथा भाड़ा मूल्य।

(ii) प्रबन्ध, निष्कासन, लागत बीमा, भाड़ा मूल्य पर 3 प्रतिशत बन्दरगाह तथा अन्य विभिन्न प्रभार, बन्दरगाह से बाहर तथा आखिरी रेलवे स्टेशन तक वास्तविक व्यय में अतिरिक्त रूप से वहन भाड़ा, पैकिंग, रस्सी, मालगाड़ी के आकस्मिक व्यय आदि।

(iii) सीमा शुल्क, यदि कोई हो।

(iv) डी टी-14 बी ट्रैक्टरों के सम्बन्ध में लागत-बीमा तथा भाड़ा के मूल्व पर 20 प्रतिशत तथा अन्य सभी किस्मों के ट्रैक्टरों के सम्बन्ध में 16 1/2 प्रतिशत के मार्जन की अनुमति लागत-बीमा तथा भाड़े पर दी जाती है। इस मार्जन में लागत, बीमा तथा भाड़ा मूल्य पर राजकीय व्यापार निगम का 1 1/2 प्रतिशत मार्जन भी सम्मिलित है। मार्जनों में वित्तीय तथा ऊपरी खर्च सम्मिलित है और इन्हें कम से कम सम्भव स्तर तक रखा जाता है।

(ग) वर्ष 1969-70 के दौरान पूर्वी जर्मनी से 10 कटाई की मशीनों तथा अन्य उपस्करों का आयात भी किया गया था।

**टेलीफून कनेक्शनों की मांग पूरी करने में असफलता**

**2663. श्री नन्द कुमार सोमानी : श्री सु० कु० तापड़िया :**

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़े और छोटे नगरों में टेलीफून कनेक्शनों को जनता की कुल मांगों में से आधी मांगों को भी पूरा न कर पाने के बारे में सरकार के पास क्या कारण हैं ;

(ख) क्या इसका एक कारण केन्द्रों में अपनाई जाने वाली पुरानी पद्धति जिसके परिणाम-स्वरूप इन केन्द्रों में अधिक भार को स्वीकार नहीं किया जाता है ;

(ग) क्या सरकार पी० एल० 480 से नए स्रोतों को जुटाकर अथवा विश्व बैंक से ऋण लेकर कनेक्शनों की इस मांग को पूरा करेगी ?

**सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) :** (क) 1 अप्रैल, 1970 को पूरे देश भर में सीधे टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या लगभग 8.9 लाख थी और प्रतीक्षा सूची में नये कनेक्शनों के लिए 4.14 लाख नाम थे। तदनुसार, 1000 लाइनों और इससे अधिक की उपस्कर क्षमता वाली टेलीफोन केन्द्र प्रणालियों में सीधे टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या 6.35

लाख थी और प्रतीक्षा-सूची में लगभग 3.54 लाख नाम थे। गत कुछ वर्षों में देश भर में टेलीफोन की मांगों, चालू कनेक्शनों और प्रतीक्षा सूची में हुई वृद्धि नीचे लिखे अनुसार है :--

| तारीख | टेलीफोन की मांग | चालू कनेक्शन | प्रतीक्षक सूची | कुल मांग के प्रतिशत के रूप में प्रतीक्षा सूची |
|---|---|---|---|---|
| 1-4-61 | 5.00 लाख | 3.34 लाख | 1.66 लाख | 33 प्रतिशत |
| 1-4-66 | 9.71 लाख | 6.22 लाख | 3.49 लाख | 36 प्रतिशत |
| 1-4-69 | 12.45 लाख | 8.18 लाख | 4.27 लाख | 34 प्रतिशत |
| 1-4-70 | 13.06 लाख | 8.91 लाख | 4.15 लाख | 32 प्रतिशत |

इस तरह यह पता चल जायेगा कि इस बात में सचाई नहीं कि सरकार कुल टेलीफोन मांगों की आधी की भी पूर्ति नहीं कर पाती रही है। फिर भी, यह सत्य है कि इस बात के बावजूद कि काफी संख्या में अतिरिक्त टेलीफोन लगाये गये हैं, पिछले कुछ वर्षों में प्रतीक्षा सूचियों और नये टेलीफोन कनेक्शनों के लगाये जाने की प्रतीक्षा अवधि में लगातार वृद्धि होती गई है।

टेलीफोन की सभी माँगें पूरी करने में सरकार की लाचारी का मुख्य कारण यह है कि आर्थिक विकास के कार्य में विनियोग की जाने वाली उपलब्ध धनराशि जिसकी अनेक समान रूप से महत्वपूर्ण कार्यों के लिये आवश्यकता है, सीमित नहीं है।

उत्तरोत्तर योजनाओं में दूरसंचार के विकास के लिए जितने साधनों का नियतन किया गया था वे मागें पूरी करने में जरूरत से कम इसलिए हो गए कि प्रतीक्षा सूचियों के लंबी होने और एक नया टेलीफोन कनेक्शन देने की औसत प्रतीक्षा अवधि में वृद्धि होने के कारण उनकी संख्या अधिक हो गई।

चौथी योजना के लिए प्रस्ताव तैयार करते समय डाक-तार विभाग ने इस रुख को मोड़ने तथा औसत प्रतीक्षा अवधि को धीरे-धीरे घटा कर लगभग 10 वर्षों से 1 वर्ष तक लाने की कार्रवाई का प्रस्ताव रखा था तदनुसार चौथी योजना के दौरान दूरसंचार के लिए लगभग 846 करोड़ रुपये के व्यय के प्रस्ताव की एक योजना तैयार कर ली गई है। तो भी, विनियोग की जाने वाली समस्त धन राशि के सीमित होने के कारण सिर्फ 467.75 करोड़ रुपये का नियतन ही संभव हो सका। इस निवेश से यह आशा की जाती है कि औसत प्रतीक्षा अवधि को 4 से 5 वर्षों के बीच के मौजूदा आंकड़ों पर रोक रखना संभव हो सकेगा।

विनियोग की जाने वाली धन राशि संबंधी सीमाओं के अतिरिक्त टेलीफोन केन्द्र के उपस्कर, केबल आदि जैसे प्रत्यक्ष साधनों की सीमाओं के कारण भी टेलीफोन के विकास में रुकावट आती है। बाद की योजनाओं में और अधिक निवेश की मंजूरी देने के लिए ही, सरकार टेलीफोन केन्द्र के उपकरण, टेलीफोन केबलों, टेलीफोन संबंधी औजारों और टेलीफोन पारेषण उपकरणों को देश में ही तैयार करने की क्षमता का विस्तार करने की योजनाओं के संबंध में कार्रवाई कर रही है।

(ख) जी नहीं।

(ग) जहां तक विदेशी वित्तीय साधनों का संबंध है, सरकार सभी संभव साधनों को ध्यान में रखती रही है, इसमें विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से मिलने वाले ऋण साख शामिल हैं। सरकार ने भूतकाल में दूरसंचार के विकास के लिए विश्व बैंक / अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ

ऋण / साख प्राप्त किये हैं और हालैंड और चेकोस्लावाकिया के विपक्षीय ऋण और कनाडा सरकार से प्राप्त किये हैं और भविष्य में अगर आवश्यक हुआ तो इसी तरह के ऋणों / साखों पर विचार करेगी।

## सुपर बाजारों के धन का गबन

2664. **श्री शिव कुमार शास्त्री :**
**श्री राम चरण :**
**श्री शिव चरण लाल :**
**श्री प्रकाश वीर शास्त्री :**
**श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि राजधानी में सुपर बाजारों द्वारा लिए जाने वाले मूल्य अब बाजार के मूल्यों से पहले की तरह कम नहीं होते हैं।

(ख) क्या सरकार को शिकायतें मिली हैं कि सुपर बाजारों के क्रय अधिकारी माल सप्लाई करने वालों और निर्माताओं के साथ मिले हुए हैं और वे अधिक बीजक बनवा कर मुनाफे के एक बड़े अंश का गबन कर रहे हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या इन शिकायतों के बारे में जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो कितने क्रय अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है और हर मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे)** : (क) जी नहीं, सुपर बाजार के मूल्य बेची गई वस्तुओं के गुण तथा किस्म को देखते हुए सामान्यतया बाजार मूल्यों से उपयुक्त सामान्यतया बाजार मूल्यों से उपयुक्त समानता रखते हैं।

(ख) जी नहीं, सिवाय इसके कि इस सम्बन्ध में एक आरोप कल्पितनाम-सम्बन्धी शिकायत में लगाया गया है।

(ग) कल्पितनाम-सम्बन्धी शिकायत महा प्रबन्धक, सुपर बाजार को जांच तथा आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजी गई थी, किन्तु आरोप सही नहीं पाया जाता था।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

## बनस्पति तेल के मूल्य का पुनरीक्षण

2665. **श्रीमती शारदा मुकर्जी** : क्या **खाद्य, तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में बनस्पति के मूल्य में बढ़ोतरी अथवा घटोतरी की जाने वाली है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे)** : **(क) तथा (ख)** : वनस्पति तेल उत्पादन नियंत्रण आदेश, 1947 के अन्तर्गत अधिसूचित बनस्पति के मूल्य देशी कच्चे तेलों तथा निर्गम मूल्य और सस्ते आयातित सोयाबीन के तेल, जिसकी

बनस्पति तैयार करने के लिए प्रयोग करने की अनुमति दी गयी गई हो, के प्रयोग की मात्रा के संदर्भ में निर्धारित किए जाते हैं। क्योंकि देशी तेलों के मूल्यों में घट-बढ़ होती रहती है और सोयाबीन के तेल के प्रयोग की मात्रा में उसकी उपलब्धि के अनुसार फेर-बदल होता है, इसलिए बनस्पति के मूल्यों में उपर्युक्त तत्वों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर संशोधन किया जाता है।

**काश्मीर में आई० टी० आई० के सहायक कारखाने के बिलों की जांच का कार्य एक गैर सरकारी फर्म को सौंपा जाना**

2666. **श्री ए० श्रीधरन :** **श्री यमुना प्रसाद मन्डल :**
**श्री क० लकप्पा :**

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काश्मीर में आई० टी० आई० के सहायक कारखाने के बिलों आदि की जांच का कार्य मैसर्स कोठरी एण्ड एसोशिएट्स को सौंपा गया है ;

(ख) उक्त कम्पनी ने किस प्रकार की सहायता दी है ;

(ग) क्या सरकार के पास इस कार्य के लिए अपनी कोई व्यवस्था नहीं हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और किन परिस्थितियों में कार्य एक गैर-सरकारी कम्पनी को सौंपा गया है ?

**सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख) :** सर्वश्री कोठारी एण्ड एसोसियेट्स, जम्मू और काश्मीर राज्य में, स्थापित की जा रही अनुषंगी इकाई के निर्माण-कार्य के पर्यवेक्षण में, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सहायता कर रहे हैं। बंगालौर में इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज के सिविल इंजीनियर स्कंध द्वारा अन्तिम जांच-पड़ताल तथा अदायगी से पहले ठेकेदारों के बिलों का आरंभिक प्रमाणीकरण भी वे ही करते हैं।

**(ग) और (घ) :** इस प्रकार के कार्य के लिए इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड को श्रीनगर में अपनी कोई व्यवस्था नहीं है। कम्पनी इस प्रयोजन के लिये जो भी व्यवस्था उपयुक्त समझे उसका प्रयोग करने के लिये स्वतंत्र है।

**Ban on Cow Slaughter**

*2667. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that majority of Indian people want complete ban on cow slaughter ; and

(b) if so, the steps taken in this regard, the outcome thereof and the future plan in this regard ?

**Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) :** (a) No survey has been carried out by the Government to ascertain the views of the public in this regard.

(b) A statement indicating the progress made so far towards putting a ban on cow slaughter is attached.

**Statement**

Cow slaughter is a subject which falls under Entry 15 of List II-State list in the Seventh Schedule of the Consttution of India and State Legislatures have excludsive powers to enact laws under Article 246(3) thereof.

2. The progress made so far towards putting a ban on cow slaughter is indicated below :

**I. States/Union Territories which have completely prohibited Cow slaughter**

| Serial no. (1) | States (2) | Serial no. (3) | Union Territories (4) |
|---|---|---|---|
| (1) | Bihar | (1) | Andaman and Nicobar Islands. |
| (2) | Gujarat | (2) | Chandigarh. |
| (3) | Haryana | (3) | Delhi. |
| (4) | Jammu and Kashmir | (4) | Dadra and Nagar Haveli. |
| (5) | Madhya Pradesh | (5) | Pondicherry. |
| (6) | Maharashtra (in Vidharba Region) | | |
| (7) | Mysore. | | |
| (8) | Orissa. | | |
| (9) | Punjab. | | |
| (10) | Rajasthan. | | |
| (11) | Uttar Pradesh. | | |

**II. States which have partially prohibited cow slaughter**

| Serial no. | States |
|---|---|
| (1) | Andhra Pradesh Telengana Region (Also see note 5 below). |
| (2) | Assam. |
| (3) | Mahrashtra (in the former Bombay State). |
| (4) | Tamil Nadu. |
| (5) | West Bengal. |

The above States have been advised to enlarge the scope of the present legislation to bring it in conformity with the Directitve Principle as contained in Article 48 of the Constitution.

**III. States/Union Territories which have not prohibited Cow slauthter**

| Serial no. | States | Serial no. | Union Territories |
|---|---|---|---|
| (1) | Kerala (Also See Note I below) | (1) | Laccadives Islands. |
| (2) | Nagaland | (2) | Goa, Daman and Dieu |

The above States/Union Territories have been advised to enact suitable legislation for prohibiting the slaughter of cows in conformity with the Directive Principle as contained in Articles 48 of the Constitution.

**Notes—**

(1) Although no legislation has been enacted in Kerala, yet as per Kerala Panchayat (Slaughter Houses and Meat Stalls) Rule 1964 no certificate for slauthter under Rule 8 in respect of cow : is granted, unless the examining authority for reasons to be recorded in writing is of the opinion that (a) animal is over 10 years of age and is unfit for work and breeding or (b) the animal has become permanently incapaciated for work of breeding due to injury or deformity.

(2) In Himachal Pradesh, Section 43 of Punjab Laws Act, 1872 has been made applicable according to which slaughter of kine cannot take place except subject to rules to be framed from time to time, either general or in any particular instance, as prescribed by the State Government. The Government of Himachal Pradesh have informed the Government of India that the religious beliefs of the people provide protection to cows. The Himachal Pradesh Government have stated that to give legal protection, the provisions of Section 43 of Punjab Laws Act, 1872 as applicable to Himachal Pradesh seem to be adequate.

(3) In Tripura, according to an executive order issued in the year 1296 of the Tripura Era by the Maharaja of Tripura, the cow slauthter is banned.

(4) There is no legislation in Manipur banning cow slaughter, but in pursuance of a resolution issued by the erstwhile Manipur Darbar in 1936, cattle are not slaughtered in Manipur Valley.

(5) The Government of Andhra Pradesh have since drafted a comprehensive Bill for "Prohibition of Slaughter of Cows and She Buffaloes" for the whole of the State of Andhra Pradesh. The State Government have intimated that they will process the draft Bill further on receipt of the recommenations of the Cow Protection Committee.

IV. A Committee on Cow Protection has been set up under the Chairmanship of a retired Chief Justice of India to examine the question of cow protection in all its aspects, namely constitutional, legal. economic and others, and recommend to the Government for their consideration appropriate practical steps for the protection of cows, calves, bulls and bullocks. Future plan if necessary in the matter will be made on receipt of the report of the Committee. The Present term of the Committee is upto 30,th September, 1970.

### Displaced Persons Rehabilitated in Madhya Pradesh

*2668. **Shri Onkar Laj Berwa :**
**Shri Jagannath Rao Joshi :**
**Shri Hukam Chand Kachwai :**
**Shri Sharda Nand :**
**Shri Ram Gopal Shalwale :**

Will the **Minister of Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a large number of displaced persons have been rehabilitated in the different districts of Madhya Pradesh during the last several years ;

(b) if so, the total number of displaced families as well as persons settled in different districts of Madhya Pradesh at present with the names of the camps ;

(c) the amount of grant provided by Central Government to the State Government so far for their rehabilitation, housing etc., and

(d) the number of villages and houses for displaced persons in the dififferent districts of

Madhya Pradesh at present and the acreage of forest-land reclaimed, the number of wells sunk and the number of tube-wells installed ?

**The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya) : (a), (b), (c) and (d)** : The required information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

**Recommendations of National Labour Commission**

*2669. **Shri Onkar Lal Berwa : Shri ChengalrayaNaidu :
Shri R. Barua : Shri N. R. Laskar :
Shri Dhandapani : Shri Saminathan :
Shri Narayanan : Shri Mayavan :**

Will the **Minister of Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the main recommendations of the National Labour Commission and the date on which those were received by the Government ; and

(b) the number out of them which have since been accepted by the Government and the reaction of Government in regard to the remaining recommendations ?

**Minister of Labour, and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya) :** (a) The main Recommendations are at pages (VII) to (XXXV) of the Report of the National Commission on Labour, which was received by Government on the 28th August, 1969 and was laid on the Table of the House on the 29th August, 1969.

(b) Of the 300 recommendations, 110 have already been accepted by Government, some with some minor modifications. Of the rest, 5 recommendations were recently considered by the Industrial Committee on Plantations and 47 by the Standing Labour Committee. Further action on these recommendations is being taken by Government in the light of the tripartite conclusions. The remaining recommendations are being examined by Government in the light of the comments received from the various interests concerned.

**A. I. R. Listeners' Reserarch Directorate**

*2670. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Listener's Research Directorate of the All India Radio has recently submitted a survey report to Government for which the Press Information Bureau had sent a questionnaire relating to 209 such newspapers as do not avail of the services of any news Agency ; and

(b) if so, whether a copy of the said survey report or main recommendation would be laid on the Table of the House ?

**Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral)** : (a) Yes, Sir.

(b) A copy of the report is laid on the Table of the House. [**Placed in the Library. See. No. L.T. 3955/70**].

**Purchase of Tarpaulins by Rajasthan branch of Food Corporation of India**

*2671. **Shri Molahu Prasad** : Will the **Minister of Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the number and value of tarpaulins purchased by the Rajasthan Branch of Food Corporation of India for Jaipur Centre ;

(b) the rates and the standard of tarpaulins for the supply of which tenders were accepted during 1969-70 ; and

(c) whether it is a fact that goods were not supplied as per the tender accepted ?

**The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb P. Shinde ) : (a)** No purchases of tarpaulins were effected by Rajasthan Branch of Food Corporation of India for Jaipur Centre during 1969-70.

**(b) and (c)** : Do not arise.

### Films Division (Special) to organise International Film Festivals in India

*2672. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Films Division (Special) has been created to look after the work of organising International Film Festivals in India ; and

(b) if so, the functions of the aforesaid Special Division and the details of work done by the Division since its inception ?

**Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral)** : (a) and (b) : A small Film Festival Cell has been set up since June 15, 1970 in the Ministry by internal re-organisation of work and re-allocation of staff to deal with the following items of work :

(i) International Film Festivals of India.

(ii) India's participation in International Film Festivals abroad.

(iii) Organisation of film programmes in India and abroad under the Cultural Exchange Agreements.

(iv) National Film Awards.

### हरियाणा में खोले गये सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय

2673. **श्री राम किशन गुप्त :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री 26 फरवरी, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 699 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 50 सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालयों में से 31 हरियाणा राज्य के रोहतक जिले में खोले गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं, और

(ग) इस भेदभाव पूर्ण व्यवहार के प्रति क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

**सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री ( श्री शेर सिंह ) :** ( क ) 26 फरवरी, 1970 को अतारांकित प्रश्न-संख्या 699 के दिये गये उत्तर के अनुसार 1968-69 के दौरान हरियाणा राज्य में 9 सार्वजनिक टेलीफोन घर खोले गये जिनमें 2 रोहतक

जिले में खोले गये और 1 अप्रैल, 1969 से 31 जनवरी, 1970 के बीच हरियाणा राज्य में जो 42 सार्वजनिक टेलीफोन घर खोले गये उनमें 31 रोहतक जिले में खोले गये ।

(ख) हरियाणा के अन्य जिलों की तुलना में रोहतक जिले में अधिक संख्या में सार्वजनिक टेलीफोन घर खोले जाने का कारण यह है कि मार्च, 1969 में जनसंख्या के आधार पर पायलट योजना के अन्तर्गत दूरसंचार सुविधाएं प्रदान करने की दृष्टि से एक विशेष सर्वेक्षण के लिए रोहतक और मेरठ दो जिलों का चुनाव किया गया था ।

(ग) चूंकि सभी प्रस्तावों की मन्जूरी इस विषय से सम्बन्धित मौजूदा नीति के दायरे के अंतर्गत ही दी गई है, इसलिए सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के मामले में रोहतक जिले के साथ कोई पक्षपात नहीं बरता गया है ।

### भारत निर्मित बहुउद्देशीय उपग्रह का प्रयोग

2674. **श्री राम किशन गुप्त :** **श्री स० चं० सामन्त :**
**श्री कमल नयन बजाज :**

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री 30 जुलाई, 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 115 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में टेलीविजन प्रसारण के विकास के लिये मन्त्रालय द्वारा क्रियान्वयन के लिये दो प्रस्तावों में से किस प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया है ;

(ख) क्या अणुशक्ति विभाग द्वारा दिये गये प्रस्तावों को जो कि भारत में निर्मित बहुउद्देशीय उपग्रह के उपयोग पर जिसमें 3 टेलीविजन और 3600 टेलीफोन चेनल्स होंगे ; आधारित हैं को क्रियान्वित किया जा रहा है, तो इसका उद्घाटन कब तक कर लिया जायेगा ; और

(ग) दोनों प्रस्तावों पर तुलनात्मक कितनी लागत आयेगी ?

**सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री ( श्री शेर सिंह ) : (क) तथा (ख) :** ये दोनों प्रस्ताव विचाराधीन हैं ।

(ग) परमाणु-ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव में 127·5 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश की संभावना है ।

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय ने कुल 112 करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान लगाया है ।

### सरकारी क्षेत्र में फिल्म स्टूडियो

2675. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में फिल्म स्टूडियो की स्थापना करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों में ऐसे फिल्म स्टूडियों की स्थापना करने का विचार है और क्या केरल राज्य ने ऐसा कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ; और

(ग) सरकार का इस प्रस्ताव के बारे में क्या रवैया है ?

**सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) :** **(क), (ख) तथा (ग) :** सरकारी क्षेत्र में फिल्म स्टूडियो स्थापित करने का केन्द्रीय सरकार का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, महाराष्ट्र, उड़ीसा तथा केरल की राज्य सरकारों से प्राप्त उत्तरों से यह मालूम हुआ है कि वे अपने-अपने राज्यों में फिल्म स्टूडियो स्थापित करने की योजनाओं पर विचार कर रही है। आसाम सरकार गोहाटी में एक फिल्म स्टूडियों पहले ही स्थापित कर चुकी है।

### पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों के लिए राहत शिविरों के कार्य की जांच करने के लिए विशेषज्ञों की समिति

2676. **श्री मा० ला० सोंधी :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों के राहत शिविरों के कार्य की जांच करने के लिए विशेषज्ञों की एक जांच समिति नियुक्त करने का है ;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

**श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) :** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) चूंकि राहत शिविरों के कार्य संचालन की देख-भाल, समय-समय पर, राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार के सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा की जाती है इसलिए इस प्रयोजन के लिए विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति करने से कोई उपयोगी प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा।

### राजस्थान में खजूर का उत्पादन

2677. **श्री जे० के० चौधरी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के रेगिस्तानों में फलों की प्राप्ति के उद्देश्य से खजूर उगाने की दिशा में परीक्षण किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो परीक्षणों के आज तक उपलब्ध परिणामों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री ( श्री अन्नासाहेब शिंदे ) :** (क) जी हां। राजस्थान के श्री गंगानगर नामक स्थान पर फलों की प्राप्ति के उद्देश्य से खजूर उगाने की दिशा में प्रयत्न किये गए हैं।

(ख) सरकारी फल अनुसन्धान केन्द्र, श्री गंगानगर में खजूर की खुदरावी, हिलावो, जेदी और मेदजूल किस्मों से अच्छे परिणाम निकले हैं। उत्पादित फल की किस्म अच्छी है। राजस्थान के इस क्षेत्र में इन किस्मों की खेती करने की सिफारिश की गई है।

(ग) प्रश्न नहीं होता।

**नीलगिरी में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की परियोजनाओं की स्थापना के लिये तमिलनाडु सरकार का निवेदन**

2678. **श्री वे० कु० दासचौधरी : श्री जी० वेंकटस्वामी :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने नीलगिरि में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की परियोजना की स्थापना के लिए निवेदन किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा तथा उसके प्रति सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) :** तमिलनाडु सरकार से ऐसा कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है, किन्तु हाल ही में कृषि मन्त्रियों के सम्मेलन में बोलते हुए तमिलनाडु के मन्त्री ने सुझाव दिया की भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को नीलगिरि में बड़े पैमाने पर रिझोवियम तथा अल्गे कल्चर्ल के उत्पादन और वितरण के लिए एक परियोजना शुरू करनी चाहिए ।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद उचित कार्यवाही करने के उद्देश्य से इस सुझाव पर विचार कर रही है ।

**पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों के पुनर्वास के लिए सेना की सेवाओं की मांग करना**

2679. **श्री जे० के० चौधरी :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न दलों के कुछ संसद् सदस्यों ने हाल ही में प्रधान मन्त्री को एक संयुक्त पत्र भेजा था जिसमें उनसे पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले विस्थापितों के पुनर्वास के लिए सेना को सहायता लेने का अनुरोध किया ;

(ख) क्या यह भी मांग की गई है कि इस बड़े पैमाने पर होने वाले निष्कासन की स्थिति पर नियन्त्रण करने के लिये पाकिस्तान पर दबाव डाला जाये ; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही कर रही है ?

**श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैय।) :** (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) विभिन्न दलों के 22 संसद् सदस्यों ने प्रधान मन्त्री को एक संयुक्त पत्र दिनांक 17-7-1970 को भेजा था । अन्य बातों के साथ-साथ उन्होंने निम्न दो सुझाव दिये थे :—

1. 'राहत और पुनर्वास कार्यों में अधिक स्थायी आवास सुविधाओं के आरम्भ से उनके पूर्ण होने तक, चुने हुए स्थानों पर तुरन्त तम्बुओं के शिविर स्थापित करने के लिये सेना से अनुरोध किया जाये ।'
2. 'हमें अत्यन्त सक्रिय प्रयत्न करना चाहिए—दोनों, सीधे सम्पर्क से और अपने मित्रों के माध्यम से जिससे कि पाकिस्तान ऐसी स्थिति पर, जिसके फलस्वरूप पूर्वी पाकिस्तान

से पश्चिम बङ्गाल में हमारा सीमाओं पर भारी संख्या में शरणार्थियों का आगमन हो रहा है, नियन्त्रण करें।'

प्रथम सुझाव को सरकार ने नोट कर लिया है। तथापि, चूंकि राज्य सरकारों इत्यादि ने शिविरों के स्थापित करने में अभी तक कोई विशेष कठिनाई अनुभव नहीं की है, इसलिये इस प्रयोजन के लिये सेना की सेवाएं अधिग्रहण करने की इस समय कोई आवश्यकता नहीं है। जब कभी भी आवश्यकता अनुभव होगी, सेना के इंजिनीयरिंग एककों का जहां तक संभव होगा, उपयोग किया जायेगा।

जहां तक द्वितीय सुझाव का सम्बन्ध है, अल्पसंख्यकों के भारी संख्या में आने के बारे में पाकिस्तान सरकार को विरोध-पत्र पहले ही भेजे जा चुके हैं जिसमें यह कहा गया है कि बजाय इसके कि वे भारी संख्या में लोगों के आने को, जो कि एक प्रत्यक्ष तथ्य है और जिसे कितना ही अस्वीकार किया जाये, छिपाया नहीं जा सकता, अस्वीकार करें, वह नेहरू-लियाकत करार तथा ताश्कन्द घोषणा के पैरा viii में उल्लिखित दायित्व का पूर्ण पालन करें। करार और घोषणा के अधीन उन्होंने सत्यनिष्ठा से वचन दिया था कि ऐसे आवश्यक उपाय अपनाए जायेंगे जिनसे उनके अल्पसंख्यकों के जीवन, सम्पत्ति तथा उनके सम्मान की सुरक्षा हो और ऐसी स्थितियां उत्पन्न की जायें जिनके फलस्वरूप लोगों का भारी आगमन बन्द हो जाये।

इस मामले के सम्बन्ध में राजनयिक माध्यम द्वारा, वैदेशिक कार्य मन्त्री ने पाकिस्तान सरकार के कानून और व्यवस्था मन्त्री से भी सम्पर्क स्थापित किया है। उन्हें कुछ अश्वासन प्राप्त हुए हैं। आशा है कि अश्वासनों को क्रियान्विति की जायेगी। जब ऐसा हो जायेगा तो आशा है कि यह अभागा प्रव्रजन बन्द हो जायेगा। इस बीच में, पाकिस्तान सरकार ने अल्पसंख्यकों के बारे में, जो कि वास्तव में उनसे ही सम्बन्धित हैं, जो दायित्व स्वीकार किए हैं उनका पालन कराने के लिये प्रयत्न जारी है।

### पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों के लिए दण्डाकरण्या विकास प्राधिकरण द्वारा सिंचाई कार्यक्रम की योजना

2680. **श्री जे० के० चौधरी :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दण्डाकरण्या विकास प्राधिकरण ने पूर्वी पाकिस्तान विस्थापितों के बढ़े हुये आगमन को दृष्टिगत रखते हुये उस क्षेत्र में किसी बड़े सिंचाई कार्यक्रम की योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

**श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) और (ख) :** उड़ीसा सरकार द्वारा प्रायोजित की गई एक सिंचाई योजना में भाग लेने के प्रश्न पर दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण द्वारा विचार किया जा रहा है। ब्यौरे को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

### आसनसोल में स्वचालित केन्द्रीय टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना

2681. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कई वर्षों से आसनसोल के कोयला पट्टी क्षेत्र के व्यापारियों, वाणिज्यिक व्यवसायियों और उद्योगों ने कई बार यह मांग करते हुए अभ्यावेदन दिये हैं, कि आसनसोल और इससे सम्बद्ध एक्सचेंजों में आपस में मिलाने का एक स्वचालित केन्द्रीय कोयला-क्षेत्र टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना की जाय ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अभी तक इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि डाक व तार विभाग द्वारा उपभोक्ता ट्रंक-डायलिंग पद्धति से लागू करने के विरुद्ध अभ्यावेदन भेजे गये हैं क्योंकि इससे कथित निर्माण सामान्य टेलीफोन उपभोक्ताओं को परेशानी होगी और यह निर्णय छोटे मध्यम उद्योगों की प्रगति में भी बाधक होगा, यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) उपरोक्त मांग को पूरा करने के लिये की जा रही कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

**सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) :** (क) जी हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी हां। यह सच है कि एक्सचेंजों के बीच डायल कर एक दूसरे का नम्बर लेने की प्रणाली के चालू किये जाने पर काल चार्ज करों की प्रस्तावित योजना के विरुद्ध अभ्यावेदन दिये गये हैं।

सरकार का यह इरादा है कि आसनसोल के आस-पास के कोयलाखान क्षेत्र में वाणिज्य और उद्योग के विकास के लिए कुशल संचार के हित में वहां टेलीफोन डायलिंग की कुशल सेवा की व्यवस्था की जाए। कालों के प्रभार टेलीफोन सेवा को वित्तीय दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर निश्चित की जाने वाली शुल्क-दरों के अनुसार नियमित कर दिये जायेंगे। सरकार इस बात से सहमत नहीं कि प्रस्तावित योजना से टेलीफोन उपभोक्ताओं को आत्यधिक आर्थिक कठिनाई होगी या इससे लघु या मध्यम उद्योगों का विकास रुक जायेगा।

(घ) आसनसोल के आस-पास लगभग 40 कि० मी० × 20 कि० मी० के कोयला खान क्षेत्र में इस समय नीचे लिखे टेलीफोन केन्द्र काम कर रहे हैं।

| नाम | किस्म | उपस्कर-क्षमता |
|---|---|---|
| 1. आसनसोल | मुख्य स्वचल | 2,400 लाइनें |
| 2. रानीगंज | करचल | 720 लाइनें |
| 3. बाराकर | करचल | 300 लाइनें |
| 4. बहुला | करचल | 300 लाइनें |
| 5. नियामतपुर | करचल | 150 लाइनें |
| 6. जमुरिया | कैबिनेट किस्म का छोटा स्वचल केन्द्र | 100 लाइनें |
| 7. रूपनारायणपुर | –वही– | 100 लाइनें |
| 8. अंडाल | –वही– | 100 लाइनें |

प्रथम कार्यवाही के तौर पर सरकार ने ऊपर के क्षेत्र के सभी एक्सचेंजों को स्वचल बनाने का निश्चय किया है। इस प्रयोजन से अधिकांश टेलीफोन केन्द्रों के लिए उपस्कर के आर्डर पहले ही दे दिये गये हैं और आशा है कि इन्हें 1972-73 तक चालू किया जा सकेगा।

दूसरी कार्रवाई के रूप में सरकार का इरादा ऊपर के टेलीफोन केन्द्रों में से एक दूसरे के बीच परस्पर डायलिंग की पूर्ण सुविधा की व्यवस्था करने का है। फिर भी प्रत्येक टेलीफोन केन्द्र का अपना स्वतन्त्र स्थानीय क्षेत्र बना रहेगा।

विभिन्न टेलीफोन केन्द्रों के बीच की कालों का निश्चय उपभोक्ताओं के स्थानीय काल मीटर के नियतकालिक मीटरिंग के जरिए किया जाएगा जैसा कि उपभोक्ता डायलिंग की स्थिति में होता है। क्रमबद्ध मीटरिंग तरंगों के बीच के अन्तर का निश्चय समय-समय पर निश्चित और घोषित की जाने वाली देश भर में लागू शुल्क-दर अनुसूची के अनुसार ऐसे टेलीफोन केन्द्रों के बीच की दूरी के आधार पर किया जायेगा।

मजदूरी और सामान के मूल्य में लगातार वृद्धि होते जाने से विशेष सीमाओं से अधिक यूनिट शुल्क स्थानीय कालों वाले टेलीफोन प्रणालियों के क्षेत्रों का विस्तार करना संभव नहीं। ऐसा महसूस किया जाता है कि दूरी के आधार पर चार्ज करने की योजना उपभोक्ता और डाक-तार विभाग दोनों के दृष्टिकोण से किफायती एवं युक्तिसंगत है।

**पटना में डाक एवं तार औषधालय का निरीक्षण और उसके लिए डाक्टर की नियुक्ति**

2682. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री 26 फरवरी, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 776 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पटना में डाक एवं तार औषधालय के निरीक्षण के लिए क्या कार्यवाही की गई है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह सच है कि बिहार के स्वास्थ्य सेवा निदेशक ने विहार केन्द्र के महा डाक पाल को लिखा था कि बिहार सरकार पटना में सिविल सर्जन अथवा बिहार सरकार के वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों से सर्वेक्षण कराने और तकनीकी सहायता के दिलाने के लिए उद्यत है जिसके लिए उन्हें 150 रु० मासिक मानदेय डाक एवं तार विभाग को देना पड़ेगा;

(ग) क्या यह भी सच है कि अपने पत्र संख्या यू डी–141/70 दिनांक 13 फरवरी, 1970 में बिहार सर्किल के महाडाक पाल ने स्वीकार किया है कि डा० अन्सारी वह कार्य नहीं कर रहे हैं जिनके लिये उनको डाक एवं तार औषधालय पटना में नियुक्ति हुई है और अपने बाद के पत्र में बिहार सर्किल के महा डाक पाल ने डा० अन्सारी के स्थानांतरण को शिफारिश की है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

**सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) :** (क) 31 मार्च, 1970 को एक विभागीय अधिकारी ने निरीक्षण किया था। दूसरा निरीक्षण किया जा रहा है।

(ख) जी हां। बहरहाल नियत कालिक तौर पर डाक-तार औषधालयों को देखने और उन्हें

तकनीकी परामर्श देने के लिए सिविल सर्जनों को लिखने का प्रस्ताव किसी दूसरे डाक-तार सर्किल से प्राप्त हुआ था और यह पत्र उसी संदर्भ मे था। इस प्रस्ताव पर विचार किया गया और चूंकि कुछ राज्य सरकारें सिविल सर्जनों को यह काम लेने की स्वीकृत देने के लिए इसलिए राजी नहीं हुई कि वे पहले ही बहुत अधिक व्यस्त रहते हैं ; अतः यह प्रस्ताव छोड़ दिया गया।

(ग) और (घ) जी, हां। इस मामले में उपयुक्त कार्रवाई की जा रही है।

**खाद्यान्न गोदाम बनाने के लिये स्वीडन से वित्तीय सहायता**

2683. **श्री जी० वेंकटस्वामी : श्री बी० नरसिम्हा राव :**

**क्या खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में खाद्यान्न के भंडार के लिये गोदाम बनाने हेतु स्वीडन ने वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित सहायता की कुल राशि क्या है ; और

(ग) इस सहायता से कुल कितने गोदाम बनाने का विचार है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासहेब शिन्दे)** : (क) जी हां।

**(ख) और (ग)** : स्वीडन सहायता प्राधिकरण और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (विश्व बैंक से संबंधित सुलभ ऋण) साइलों और गोदामों बनाने के लिए भारत को सहायता देने के संभावनाओं पर विचार करता रहा है। इन गोदाम की भण्डारण क्षमता 300,000 मीटरी टन होगी। इस में लगभग 7.5 करोड़ रुपये की बाहरी सहायता की अपेक्षा की जा रही है। सहायता संबंधी ब्यौरा और सहायता देने वाले दो प्राधिकरणों के अभी अपने अपने भाग का निश्चय किया जाना है।

**पंजाब कृषि उद्योग निगम द्वारा जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य से खराब ट्रैक्टरों के आयात सम्बन्धी मामले की जांच की मांग किया जाना**

2684. **श्री जी० वेंकटस्वामी : श्री जी० वाई० कृष्णन् :**
**श्री वि० नरसिम्हा राव : श्री एन० शिवप्पा :**
**श्री नन्द कुमार सोमानी : श्री बे० कृ० दासचौधरी :**

**क्या खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के कृषि उद्योग निगम ने जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य से 3,000 खराब ट्रैक्टरों के आयात के कारणों की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है ;

(ख) क्या निगम ने केन्द्रीय सरकार से इन ट्रैक्टरों के नियतन अथवा आयात न करने के लिये कहा है ;

(ग) क्या मध्य प्रदेश स्थित ट्रैक्टर परीक्षक यूनिट ने इन ट्रैक्टरों के बारे में प्रतिकूल टिप्पणी की है ;

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ङ) इस मामले में कितनी विदेशी मुद्रा अन्तर्ग्रस्त है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे)** : (क) पंजाब सरकार ने सूचित किया है कि पंजाब कृषि उद्योग निगम ने इस मामले में किसी उच्चस्तरीय जांच की मांग नहीं की है । पूर्वी जर्मनी से 212 लाख रुपये की लागत से 1998 आर एस–09 ट्रैक्टर आयात किये गये थे न कि 3,000 ट्रैक्टर ।

(ख) जनवरी 1969 में 500 ट्रैक्टरों के प्रारम्भिक आवंटन के अतिरिक्त पंजाब कृषि उद्योग निगम ने 25–7–1969 को भारत सरकार से 500 अतिरिक्त आर एस–09 ट्रैक्टरों के आवंटन का अनुरोध किया था, क्योंकि उनके पास इस ट्रैक्टर के 1462 रजिस्ट्रेशन अनिर्णीत पड़े हुये थे। निगम ने सूचित किया है कि ये ट्रैक्टर अन्त-कृषि तथा छिड़काव क्रिया-कलापों आदि के लिये बहुत ही उपयुक्त है। बाद में दिनांक 14-10-69 को निगम ने अपनी मांग वापिस ले ली थी।

(ग) ट्रैक्टर का परीक्षण 1965 में ट्रैक्टर प्रशिक्षण तथा परीक्षण केन्द्र, बुदनी (मध्य प्रदेश) में किया गया था और इसकी एक उपयुक्त मशीन के रूप में सिफारिश की गई थी। लोक सभा सचिवालय को परीक्षण रिपोर्ट की प्रति भेजी जा चुकी है। फिर भी परीक्षण रिपोर्ट के सार तथा टिप्पणियों की एक प्रति सभा पटल पर रखी गई है। [**ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 3956/70**]

(घ) दिसम्बर, 1969 में आन्ध्र प्रदेश राजकीय कृषि-उद्योग निगम से शिकायतें प्राप्त होने पर सरकार द्वारा आर एस–09 ट्रैक्टरों का आयात बन्द कर दिया गया था। इसके साथ ही विभिन्न राज्यों में मौके पर जाकर इन ट्रैक्टरों के कार्य निष्पादन की जांच के लिये एक तकनीकी विशेष समिति स्थापित की गई थी। समिति द्वारा प्रस्तुत सिफारिशें पूर्वी जर्मनी के संभरकों द्वारा सामान्यत: स्वीकार कर ली गई है और उनके द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। पूर्वी जर्मनी के संभरकों द्वारा पांच परिशोधित आर एस –09 ट्रैक्टरों की आपूर्ति भी की गई है, जिनका इस समय देश के विभिन्न भागों में परीक्षण किया जा रहा है। पूर्वी जर्मन से एक और परिशोधित ट्रैक्टर को वायुयान द्वारा यहां परीक्षण के लिये लाया जा रहा है।

(ङ) 212.00 लाख रुपये।

### कपास, पटसन और तिलहन के उत्पादन में कमी

2686. **श्री शारदा नन्द** : **श्री कंवर लाल गुप्त** :
**श्री जि० ब० सिंह** : **श्री रामावतार शर्मा** :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रमुख कच्चे माल तथा कपास, पटसन तथा तिलहन के उत्पादन में कमी हुई है ; यदि हां, तो कितनी ;

(ख) पिछले तीन वर्षों में इनकी कितना कमी हुई ;

(ग) क्या यह सच है कि इसके परिणामस्वरूप मूल्य में वृद्धि हुई है ; और

(घ) अगले वर्ष इस कमी को दूर करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री ( श्री अन्नासाहेब शिन्दे)** : (क) तथा (ख) : जी हां। रूई के सम्बन्ध में पिछले 3 वर्षों में कमी इस प्रकार रही है :-

( लाख गांठों में )

| वर्ष | निबल कमी |
|---|---|
| 1967-68 | 5. 46 |
| 1968-69 | 2. 40 |
| 1969-70 | 6. 87 |

पटसन के सम्बन्ध में, कोई कमी नहीं रहा है सिवाय वर्ष 1968-69 के दौरान, जबकि 6. 10 लाख गाठों का आयात कमी को पूरा करने के लिए किया गया था।

तिलहनों के सम्बन्ध में, सोयाबीन और सूरजमुखी तेलों की निम्न मात्राएं पिछले 3 वर्षों में आयात की गई :—

( मीटरी मनों में )

| वर्ष | सोयाबीन तेल | सुरजमुखी तेल |
|---|---|---|
| 1967-68 | 1,12,163 | — |
| 1968-69 | 73,372 | — |
| 1969-70 | 82,477 | 5,000 |

(ग) मूल्य वृद्धि के सहयोगी कारणों में से एक कारण उत्पादन की कमी रही है।

(घ) योजना के केन्द्रीय और राज्य दोनों क्षेत्रों में, संसाधन-युक्त क्षेत्रों में पैकेज कार्यक्रम प्रणाली के अधार पर, सघन काश्त उपायों को अपना कर उत्पादन बढ़ाने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं। ऐसी किस्मों को निकालने के लिए, जोकि अन्य बातों के साथ-साथ बहुत अधिक उत्पाद न देगी, समन्वित परियोजनाओं पर अनुसन्धान करने वाले वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं।

### Newsprint consumption of "The Patriot" Delhi, "Blitz" Bombay "Davat" and "Organizer"

2687. **Shri Sharda Nand :**
**Shri Jagannath Rao Joshi :**
**Shri Suraj Bhan :**
**Shri Brij Bhushan Lal :**
**Shri Ram Gopal Shalwale :**

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that newsprint consumption of the daily 'Patriot' was 698.93 tonnes, but this Paper was given 1172.62 tonnes of newsprint by Government and that of the Weekly 'Blitz' was 163.27 tonnes whereas it was given 175.60 tonnes and the daily newspaper of Jamait-e-Islamia 'Davat' was given 153.72 tonnes of newsprint against its consumption of only 98.2 tonnes ;

(b) whether it is also a fact that the consumption of newsprint of the weekly 'Organizer'

was 140.26 tonnes but this Paper was given 41.40 tonnes and that of the 'Current' was 117.39 tonnes but it was given 110.65 tonnes ;

(c) the reasons for allotting to the 'Organizer' newsparint less than one third of its actual requirement and for allotting to the 'Patriot' 473.69 tonnes of newsprint in excess of its actual requirement ; and

(d) the remedial measures adopted in this connection, the results thereof and the future policy in this regard ?

**Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) and (b)** : Yes, Sir. The figures relate to the licensing year 1967-68. In the case of Blitz the quantiies referred to are only in respect of its Hindi Edition. The allocations were made in accordance with the policy announced by Government on 6th April, 1967 for the year 1967-68 The quantities of newsprint which could not be consumed by the newspapers concerned, namely, Patriot, Blitz (Hindi) and Dawat were as usual, deducted from their entitlement for the subsequent year. The net allocations for 1967-68 of these newspapers were, therefore, the quantities actually consumed by them.

**(c)** Allocation of newsprint is made to newspapers and periodicals in accordance with provisions of the policy framed annually, having due regard to the anticipated availability of imported and indigenous supplies and the need forfostering the growth of small and medium newspapers.

The newsprint quota of a newspaper/periodical is determined, in accordance with the Policy, on the basis of its permitted average circulation, average number of pages and page area. If the consumption of a newspaper is in excess of its quota, as in the case of **Organizer,** it is not permissibile to make any additional allocation. The unutilised quantity of newsprint with newspapers is deducted from their entitlement for the subsequent year. It may be mentioned that periodicals are free to supplement their requirements by obtaining supplies of printing and writing paper from the market.

**(d)** It has been specifically provided in the Newsprint Allocation Policy for the year 1970-71 that the entitlement of a newspaper will either be its performance during 1969-70 or its entitlement in terms of the policy for that year, whichever is less, plus the increases allowed for meeting the reaquirements of individual newspapers either for increasing their circulation or the number of pages, as found convenient by them.

## उड़ीसा की छोटी सिंचाई योजनाओं के लिए ज्ञापन

2688. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा में छोटी सिंचाई कार्यक्रम चलाने के लिये कोई ज्ञापन प्रस्तुत किया है ;

(ख) क्या ज्ञापन में उड़ीसा के अत्यधिक कमी वाले तथा पिछड़े हुये और आदिम जातीय क्षेत्रों में छोटी सिंचाई के विकास की आवश्यकता पर जोर डाला गया है ;

(ग) यदि हां, तो ज्ञापन की मुख्य रूपरेखा क्या है, वित्तीय परिव्यय कितना है और इसमें कितने जिले आते हैं ; और

(घ) क्या सरकार कार्यक्रम के लिए तथा वित्तीय परिव्यय उठाने के लिये सहमत है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे)** : (क) और (ख) जी, हां। राज्य के योजना तथा समन्वय उप-मन्त्री ने भूतपूर्व केन्द्रीय खाद्य और कृषि मंत्री को एक ज्ञापन दिया था जिसमें राज्य के पिछड़े हुए क्षेत्रों में जहां पर आदिम जाति और अन्य पिछड़े हुए वर्गों की जनसंख्या अधिक है और जो क्षेत्र पहुंच से परे हैं लघु सिंचाई के तीव्र विकास की आवश्यकता पर जोर दिया गया था।

(ग) प्रस्ताव में कोजपुर, मयूरगंज, सुन्दरगढ़ जिलों, पैरालाख मेंडी उप-खंड के गंजम तथा फूलबानो (वौद्य उप-मण्डल को छोड़ कर), के एजेन्सी क्षेत्र में और क्योन्भार, ढेंकनाल, बोलगीर और कालाहाण्डी जिलों के कुछ भागों में 20 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से अतिरिक्त स्तरीय जल लघु सिंचाई परियोजनायें (भण्डारण तथा त्रिकास योजनायें) शुरू करने की व्यवस्था की गई है। चालू वर्ष के दौरान राज्य योजना के अलावा 5 करोड़ रुपये के अतिरिक्त आबंटन पर जोर दिया गया है।

(घ) प्रचलित वित्तोय सहायता प्रदान करने की पद्धति के अर्न्गत राज्यों को केन्द्रीय सहायता एकमुश्त ऋण और अनुदानों के रूप में दी जाती हैं और राज्य योजना के अलावा कोई अन्य केन्द्रीय सहायता देना सम्भव नहीं है। अतः राज्य सरकार को अपनी राज्य योजना से ही अपेक्षित परिव्यय प्रदान करने की सलाह दी गई है।

## बहु फसल उगाने के बारे में गोष्ठी

2689. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में हाल ही में बहु फसल उगाने के बारे में एक गोष्ठी हुई थी,

(ख) यदि हां, तो गोष्ठी में की सिफारिशों / सुझावों की रूप रेखा क्या है ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे)** : (क) जी हां। बहु फसल उगाने के सम्बन्ध में एक गोष्ठी 29 तथा 30 मई, 1970 को नई दिल्ली में हुई।

(ख) गोष्ठी में की गई सिफारिशों की मुख्य बातें निम्नलिखित है :—

(1) गोष्ठी ने बहु फसल उगाने के सम्बन्ध में मार्गदर्शी परियोजना का अनुमोदन किया क्योंकि कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए बड़े लाभ मुख्यतः सघन फसल उगाने से प्राप्त होंगे।

(2) गोष्ठी ने सिफारिश की कि बहु फसल उगाने सम्बन्धी मार्गदर्शी परियोजना केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में शुरू की जानी चाहिए।

(3) गोष्ठी ने यह भी सिफारिश की कि इस मार्गदर्शी परियोजना को सफल बनाने के उद्देश्य से प्रशाशन व्यवस्था काफी सुदृढ़ की जानी चाहिए स्टाफ प्रतिमान में नम्यता, और क्षेत्रीय स्तर पर पर्याप्त मात्रा में प्रशासनिक तथा वित्तीय अधिकार सौंपे जाने चाहिए।

(4) गोष्ठी ने सिफारिश की कि इस मार्गदर्शी परियोजना को अच्छे प्रशिक्षण तथा जानकारी द्वारा सहायता दी जानी चाहिए।

(5) गोष्ठी ने इस बात पर बल दिया कि स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप उपयुक्त लाभदायक फसल उगाने के प्रतिमान तैयार किए जाने चाहिए।

(ग) गोष्ठी में की गई सिफारिशों को दृष्टि में रखते हुए योजना में संशोधन किया गया है। इसे योजना आयोग द्वारा सिद्धान्त रूप में अनुमोदन कर दिया गया है और इस पर आगे कार्य किया जा रहा है।

**खुले बजार में बिकने वाली चीनी पर उत्पादन शुल्क में कटौती**

2690. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीनी उद्योग में चीनी के आधिक्य का संकट आ गया है क्योंकि वर्तमान चीनी वर्ष के अन्त तक 19 लाख टन चीनी का पूर्वावशिष्ट भण्डार बन जाने का अनुमान है जिसके फलस्वरूप 190 करोड़ रुपये के अवरुद्ध हो जाने की सम्भावना है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इण्डियन शूगर मिल्ज एशोसियेशन ने सरकार से इस संकट का सामना करने के लिए 37.5 प्रतिशत वर्तमान उत्पादन शुल्क को घटा कर 25 प्रतिशत करने का अनुरोध किया है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) :** (क) : क्योंकि चीनी एक मौसमी उद्योग है इसलिए पिराई मौसम के दौरान तथा उसके अन्त में चीनी के स्टाक का जमा हो जाना इसके कार्यचालन की एक सामान्य बात है। इस वर्ष चीनी का 43 लाख मीटरी टन का बहुत अधिक उत्पादन होने तथा पिछले वर्ष के उत्पादन की 13 लाख मीटरी टन चीनी बची होने के कारण, चालू चीनी वर्ष 1969-70 (पहली अक्तूबर, 1969 से 30 सितम्बर, 1970 तक) चीनी उद्योग के पास लगभग 19 लाख मीटरी टन चीनी का स्टाक होने की सम्भावना है।

(ख) : जी हां।

(ग) : सरकार का खुली विक्री की चीनी पर उत्पादन शुल्क कम करने का विचार नहीं है।

**अन्नपूर्णा जलपान गृह, नई दिल्ली**

2691. **श्री क० लकप्पा :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय महिला परिषद् द्वारा चलाये जा रहे नई दिल्ली में जनपथ स्थित अन्नपूर्णा जलपान गृह को समिति को सौंप दिया गया है, ताकि खाने की आदतों में परिवर्तन किया जा सके ;

(ख) यदि हां, तो समिति का गठन कब हुआ था ;

(ग) समिति के सदस्यों के नाम क्या है ;

(घ) क्या समिति के लोगों को किसी सरकारी लेखा परीक्षक ने लेखा परीक्षा की है ; और

(ङ) यदि हां, तो वर्ष 1969 में इस जलपान गृह को हुए लाभ और हानि का ब्यौरा क्या है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे )** : (क) अन्नपूर्णा जल–पान गृह बन्द होने के बाद, खाने को आदतों के परिवर्तन सम्बन्धी समिति उसी स्थान पर जलपान-गृह चलाती रही है ।

(ख) 1966 में ।

(ग) समिति के वर्तमान सदस्यों के नाम संलग्न विवरण में दिए जाते हैं ।

(घ) और (ङ) : यह एक निजी पंजीकृत सोसाइटी है और सरकार का इससे कोई भी सीधा संबन्ध नहीं है । तथापि, समिति ने सूचित किया है कि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स मैसर्स सेन गुप्ता शर्मा खन्ना तथा कम्पनी लेखों की लेखा-परीक्षा करती है ।

**विवरण**

**खाने की आदतों के परिवर्तन-हेतु समिति कार्यकारिणी**

**समिति के सदस्य**

| | | |
|---|---|---|
| | श्रीमती मनमोहिनी सहगल | अध्यक्ष |
| 1. | श्रीमती लक्ष्मी रघुरमैया | उपाध्यक्ष |
| 2. | श्रीमती लीला खन्ना | |
| | त्याग पत्र दे दिया | अवैतनिक महामन्त्री |
| | श्रीमती निर्मलनाथ | संयुक्त सचिव-तथा कार्यकारी महामन्त्री |
| 1. | श्रीमती ड्रिस्क अंडरसन | सदस्य (रोम चली गई) |
| 2. | श्रीमती सावित्री खन्ना | सदस्य |
| 3. | श्रीमती प्रकाश कुमार | 13–3–1970 को कोषाध्यक्ष चुनी गई । |
| 4. | श्रीमती सरला चमनलाल | सदस्य । |

**क्योंकारगढ़ के टेलीफोन केन्द्र को वाहक प्रणाली में परिवर्तन**

2692. **श्री गु० च० नायक** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कोई प्रस्ताव उड़ीसा राज्य में क्योंकारगढ़ जिला मुख्यालय स्थित टेलीफोन एक्सचेंज की वाहक प्रणाली (कैरीयर सिस्टम) में परिवर्तित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में प्रस्ताव कब दिया गया था और योजना की क्रियान्विति में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

**सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री ( श्री शेर सिंह ) :** (क) क्योंझरगढ़ पहले ही वाहक केन्द्र है, जिसमें एक स्टैकेबल वाहक प्रणाली है और कटक के साथ सम्बन्ध स्थापित करने वाली दो सरणियां हैं ।

(ख) ऊपर भाग (क) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

**शैक्षणिक संस्थानों में प्राथमिकता के आधार पर टेलीफोन लगाना**

2693. **श्री वेंगलराया नायडू : श्री रा० बरुआ :**

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शैक्षणिक संस्थाओं को प्राथमिकता के आधार पर टेलोफोन देने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का व्यौरा क्या है और क्या इस मामले में अब तक कोई अन्तिम निर्णय किया गया है ?

**सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री ( श्री शेर सिंह) :** (क) मान्यता प्राप्त स्कूलों और कालेजों को पहले ही "विशेष" श्रेणी के अन्तर्गत नाम दर्ज कराने का हकदार बना कर विशेष स्थिति प्रदान की गई है । इस श्रेणी के अन्तर्गत दिए जाने वाले 50 प्रतिशत कनेक्शन टेलीफोन सलाहकार समितियों की सलाह पर बिना बारी के दिए जा सकते हैं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**गहन कृषि कार्यक्रम के लिए जापान को सहायता**

2694. **श्री द० रा० परमार :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में गहन कृषि कार्यक्रम के लिए जापान ने सहायता देने की पेशकश की है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या राज्य सरकारों को कार्यक्रम सम्बन्धी इन प्रस्तावों का मामला भेजा गया था ; और

(घ) यदि हां, तो उन पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री ( श्री अन्नासाहेब शिंदे ) : (क) से (घ)** जी नहीं । जापान सरकार ने सघन कृषि कार्यक्रम के सम्बन्ध में ऐसी कोई सामान्य पेशकश नहीं प्राप्त हुई है । किन्तु आरा (बिहार), व्यारा (गुजरात), खोपोली (महाराष्ट्र) और मोण्ड्या (मैसूर) में चार कृषि विस्तार केन्द्र हैं, जो कि उन्नत मशीनरी और उपकरणों के द्वारा

प्रदर्शन तथा पड़ोसी ब्लाकों में उनके परिणामों के विस्तार तथा कृषि तकनीकों के परीक्षण के लिये जापानी सहायता से स्थापित किये गये हैं।

फार्म यंत्रीकरण के साथ-साथ जापान सरकार कोलावा जिले में खोपला कृषि विस्तार केन्द्र के आस-पास, जो कि उपरोक्त चार केन्द्रों में से एक है, और अधिक विस्तृत रूप से संगठित किये जाने वाले क्षेत्र विकास कार्यक्रम में भी सहायता कर रही है। जापान सरकार ने दंडकारण्य के पारलकोट क्षेत्र में कृषि तथा सामुदायिक विकास की एक परियोजना को कार्यान्वित के लिये भी तकनीकी सहायता प्रदान करनी स्वीकार कर ली है।

सम्बन्धित राज्य सरकारों इन परियोजनाओं को मार्गदर्शी तथा प्रदर्शन कार्यक्रम के रूप में उपयोगी पा रही है।

### Training Camp for Trade Union Workers

2695. **Shri Shashi Bhushan** : Will the **Minister of Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether Government have taken any action so far in regard to the training camp of the Trade Union workers ;

(b) whether Government have prepared any syllabus for the trade union leaders so that there may be healthy atmosphere and harmony among the trade union workers, employees and the management ;

(c) wheher Government have chalked out any programme to promote national integration and education on socialism among the labourers ; and

(d) if so, the details thereof ?

**Minister of Labour and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya)** : (a) A programme of Workers, Education is being implemented through the Central Board for Workers' Education set up in 1958. Under the Scheme, workers sponsored by Trade Unions are trained as Worker-Teachers who in turn conduct unit level classes for the benefit of other workers.

(b) Special programmes ae arranged by the Board for Trade Union officials and a need-based syllabus has also been developed.

**(c) and (d)** : Arising from a recommendation of the Standing Committee of the National Integration Council, a Committee of Trade Union Leaders was appointed to consider for prompting national integration among industrial workers. A programme of action drawn up by the Committee has been commended to all State Governments and other concerned authorities for appropriate action ; the programme includes case studies, publicity through pamphlets, hand bills, etc., seminars/debates and special programmes through workers' education. A Joint Committee of Employer-Employee Members of the Council has also been appointed for the same purpose.

The syllabi for training courses under the Central Board for Workers' Education cover the topic of trade unions and socialism also.

### Recognition to officers' Trade Unions in Public Sector Industries

2696. **Shri Shashi Bhushan** : Will the **Minister of Labour and Rehabilitation be** pleased to state :

(a) the number of establishments of the Publik Sector Industries under the control of Central Government which have accorded recognition to the Officers' Trade Unions ;

(b) the number of establishments where the Office-bearers of the Officers' Trade Unions are outsiders ;

(c) the number of Public Sector Industries where recognition has not been accorded to the Officers' Trade Unions ;

(d) the number of Public Sector Industries which have consulted his Ministry in connection with the according of recognition to Officers' Trade Unions ; and

(e) the policy of his Ministry in this regard ?

**Minister of Labour and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya ) : (a), (b), and (c) :** Staistics relating to Officers' Trade Unions functioning in public sector undertakings are not compiled in the Labour Ministry.

(d) None.

(e) Whe general question of framing broad guidelines regarding formation of Officers' Associations in Public Sector Undertakings is under examination in the Bureau of Public Enterprises.

## Land and Property Belonging to Deptt., of Rehabilitation with Punjab

2697. **Shri Shashi Bhushan :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the details of such land and other property in Punjab which is still under the Department of Rehabilitation and the Government of Punjab do not want to handover the same to the Ministry of Rehabilitation and at several places these properties have been auctioned by Punjab Government ;

(b) the details of the property in Punjab in regard to which Union Rehabilitation Ministry have issued their directions but Punjab Government have refused to act thereon ;

(c) whether Government propose to solve such cases through a Commission or a Tribunal ; and

(d) the reaction of Union Government in this regard ?

**The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya) :** (a) There is no property or land which the Government of Punjab have declined to hand over to the Department of Rehabilitation, Government of India.

**(b), to (d) :** Do not arise.

## नई दिल्ली में ओखला में टेलीफोन केन्द्र

2698. **श्री शशि भूषण :** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 25 जुलाई, 1970 से ओखला में एक नया टेलीफोन केन्द्र चालू किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस टेलीफोन केन्द्र की क्षमता क्या है और जोर बाग एक्सचेंज से कितने टेलीफोन कनेक्शनों का काम इस नये केन्द्र को सौंपा गया है ।

(ग) कुछ टेलीफोन कनेक्शनों का काम इस नये केन्द्र को सौंपे जाने के फलस्वरूप, जोरबाग एक्सचेंज से कितने नये टेलीफोन कनेक्शन दिये जाने की सम्भावना है ; और

(घ) जोरबाग एक्सचेंज से टेलीफोन कनेक्शन लेने की प्रतीक्षा-सूची में छूट प्राप्त श्रेणियों अर्थात् चिकित्सक और स्कूलों के रूप में आवेदकों की संख्या क्या है और क्या इस बार सभी प्रत्याशियों को टेलीफोन कनेक्शन दे दिये जायेंगे और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उन्हें अपेक्षित टेलीफोन कनेक्शन कब तक दे दिये जायेंगे ?

**सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री ( श्री शेर सिंह ) :** (क) जी हां ।

| | |
|---|---|
| (ख) उपस्कर क्षमता | 2500 लाइनें |
| कनेक्शन देने की क्षमता | 2350 लाइनें |
| जोरबाग एक्सचेंज से स्थानान्तरित किए गए टेलीफोन | 1649 |

(ग) 1600

(घ) जोरबाग एक्सचेंज में 444 चिकित्सक और 57 स्कूल विशेष श्रेणी में ( जिसे इससे पहले छूट प्राप्त श्रेणी कहा जाता था ) प्रतीक्षा सूची पर हैं । हाल ही में 62 चिकित्सकों और 4 स्कूलों को टेलीफोन मंजूर किए गए हैं । जोरबाग एक्सचेंज से आगे और कनेक्शन देते समय शेष आवेदकों की भी उत्तरोत्तर कनेक्शन प्रदान कर दिए जाएँगे । फिर भी प्रतीक्षा सूची के सभी व्यक्तियों को टेलीफोन दे देने की ऐसी कोई निश्चित तारीख बता सकना संभव नहीं है क्योंकि विशेष श्रेणी के लिए सीमित कोटा आरक्षित है और आगे और कनेक्शन देना उपस्कर और सामग्री के उपलब्ध होने पर निर्भर करता है और इनकी सप्लाई कम है ।

## टेलीफोन विभाग को समस्याएं

2699. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेलीफोन विभाग को सामान्य रूप में तथ्य विशेषकर राजधानी में किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है; और

(ख) दिल्ली में टेलीफोन लगवाने वालों की औसतन कितने समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है और दिल्ली में नये टेलीफोन कनेक्शनों के लिये कितने मामले अनिर्णित पड़े हैं ?

**सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री ( श्री शेर सिंह) :** (क) अनुमान है कि यह प्रश्न डाक-तार विभाग उन समस्याओं के सम्बन्ध में है जिनका डाक-तार विभाग को टेलीफोन सेवाओं के विकास के लिए सामना करना पड़ता है । ये समस्यायें इस प्रकार है—

**(1) एक के बाद एक योजनाओं में सीमित वित्तीय साधनों का निर्धारण**

जो वित्तीय साधन निर्धारित करना सम्भव हो सका है, उनसे टेलीफोन सेवाओं का इतना विस्तार नहीं किया जा सका है कि टेलीफोनों की मांग को पूरा किया जा सके । इसका बड़ा कारण यह है कि कुल खर्च की जाने वाली धनराशि कम है और अर्थव्यवस्था के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी इसका समान रूप से आवश्यकता है ।

**(2) कई किस्म के उपस्कर केबल आदि की देश में निर्माण की अपर्याप्त क्षमता**

टेलीफोन एक्सचेंज उपस्कर, टेलीफोन केबल और पारेषण उपस्कर की सप्लाई कम रही है। यह या तो निर्माण की क्षमता अपर्याप्त होने के कारण हुआ है या फिर विभिन्न कारणों से जैसे कि कच्ची सामग्री की कमी, श्रमिकों की गड़बड़ी आदि के कारण उत्पादन कम होने की वजह से ऐसा हुआ है। मौजूदा यूनिटों से उत्पादन बढ़ाने और नये यूनिट स्थापित कर क्षमता का विस्तार करके उत्पादन बढ़ाने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

**(3) विदेशी मुद्रा का सीमित होना**

उत्पादन यूनिटों को कुछ आवश्यक कच्चे माल जैसे कि तांबे, सीसे, कतिपय इलेक्ट्रानिक संयंत्रों आदि के लिए और डाक-तार विभाग को कुछ ऐसे निर्मित सामान के लिए, जिसका उत्पादन अभी देश में नहीं हो रहा है या अपर्याप्त हो रहा है, विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है। फिलहाल इस समस्या को विश्व बैंक /आई० डी० ए० से ऋण/साख और कनाड़ा से ऋण लेकर सुलझाया गया है।

**(4) टेलीफोन एक्सचेंजों के लिए स्थानों के अधिग्रहण में विलम्ब**

विभिन्न कस्बों और शहरों में टेलोफोन एक्सचेंजों के भवनों के निर्माण के लिए भूमि की आवश्यकता है। अधिग्रहण की कार्रवाई को अन्तिम रूप देने में आम तौर पर काफी समय लगता है।

उपर्युक्त सभी कठिनाइयों के कारण देश भर में टेलीफोनों के विकास पर असर पड़ता रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में भी टेलीफोन सुविधाओं के विकास में यही कठिनाइयां हैं, क्योंकि उपलब्ध साधनों को विभिन्न कस्बों में समान रूप से लगाना पड़ता है।

दिल्ली के उत्तरी क्षेत्रों में टेलीफोनों के विकास में बिलम्ब विशेषकर इसलिए हुआ है, क्योंकि चांदनी चौक क्षेत्र में उपयुक्त स्थान उपलब्ध नहीं है। ऐसे स्थान के उपलब्ध होने तक इस क्षेत्र को दूर स्थिति स्थानों जैसे कि दिल्ली गेट, करौलबाग आदि से यह सुविधा उपलब्ध करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

(ख) दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शन लगवाने के लिए प्रतीक्षा की औसत अवधि लगभग 6 वर्ष है। उत्तरी दिल्ली में इसमें और भी अधिक समय लगता है। नये कनेक्शनों के लिए लम्बित कुल मामलों की संख्या 63,000 है।

**पूर्वी पाकिस्तान से आये बेरोजगार शरणार्थी**

2700. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी पाकिस्तान से आये बेरोजगार शरणार्थियों की 30 जून, 1970 को कुल कितनी संख्या थी ;

(ख) इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उन्हें रोजगार देने में कितना समय लगेगा ?

**श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया)** : (क) 30 जून, 1970 को रोजगार कार्यालयों में बेरोज़गारों के रजिस्टरों पर पूर्वी-पाकिस्तान से आये नए प्रवासियों की संख्या 10,423 थी।

(ख) बेरोजगारी के मुख्य कारण ये हैं :—

(i) रोजगार अवसरों की कमी और देश में सामान्य आर्थिक सुस्ती की स्थिति ;

(ii) नए प्रवासियों में विक्रय-कुशलता की कमी ; और

(iii) नये प्रवासियों में गतिशीलता की कमी ।

(ग) नए प्रवासियों को रोजगार में लगाने के सभी संभव प्रयत्न किए जा रहे हैं, फिर भी परिशुद्धता की मात्रा से यह बताना कि सभी नए प्रवासियों को रोजगार दिलाने में कितने समय की आवश्यकता है, सम्भव नहीं है ।

**Basis of selection of Speakers for speeches on current topics broadcast by A. I. R.**

*2701. **Shri Mrityunjay Prasad** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the basis on which Speakers are selected for giving speeches on current topics by the A. I. R and whether the text of their speeches is examined before-hand and objectionable parts or sentences are dropped out or changed and whether the opinion expressed by the Speaker in regard to mutual conflicts of two foreign countries is regarded as his personal opinion or whether it is considered that Government agree with his opinion to a great extent; and

(b) whether the attention of Government has also been drawn to the speech of Shri Suhail Azmabadi broadcast at 9.15 p.m., on the 1st July, 1970 from Patna, Ranchi and Bhagalpur Stations of A. I. R. and if so, the reaction of Government in regard to his speech ?

**Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral)** : (a) Speakers are selected on the basis of (i) the nature of the subject to be dealt with ; (ii) their knowledge of the subject ; (iii) the standing of the individual in his particular field ; (iv) the suitability ofthe person from the point of view of the special requirements of the broadcasting medium , and (v) the programme requirements of A. I. R. The text of the proposed broadcast is examined before hand and portions infringing the A. I. R. Code are brought tothe Speaker's notice. Normally they agree to amend the scripts suitably; otherwise, the talk is not broadcast. Except in the case of talks which are broadcast by officials in their official capacity or by Government spokesmen, the opinion expressed in the talks is that of the Speakers.

(b) Yes, Sir. The opinion expressed in the broadcast was that of Shri Azmabadi.

**Death of Cattle due to Shortage of Fodder in Rajasthan**

*2702. **Shri Mrityunjay Prasad** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there was a shortage of fodder due to drought in Rajasthan and more than half of the cattle-heads such as cows, oxen and buffaloes perished there ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the scheme proposed to be formulated by Government to avoid such a calamity in future and to make Rajasthan as rich in cattle-wealth as it was before ?

**Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde)** ; (a) to (c) : The required informa-

tion is not available. Details are being obtained from the State Government and when received will be placed on the Table of the House.

**दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में दूध के उत्पादन में वृद्धि**

2703. **श्री मृत्यंजय प्रसाद :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : दिल्ली से आसपास के क्षेत्रों में दूध का उत्पादन और अधिक बढ़ाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है, ताकि गुजरात और राजस्थान से दूध के आयात को कम किया जा सके ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) :** मेरठ, गुड़गांव, करनाल और बीकानेर (राजस्थान) के आस-पास के जिलों में, जो दिल्ली दुग्ध योजना का दूध सप्लाई करने वाले क्षेत्र हैं, दूध उत्पादन बढ़ाने के लिये केन्द्रीय क्षेत्र में 4 सघन पशु विकास परियोजनायें मंजूर की है। दुधारू पशुओं के खरीदने, प्रजनन सुविधाओं के उपबन्ध, पशु चिकित्सा सेवायें, दाना और चारा तथा अन्य ग्रामीण डेरी विस्तार सेवायें उपलब्ध कराने के लिये ऋण देने के लिये, चौथी-पंच-वर्षीय योजना में 220.37 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। दिसम्बर, 1969 से मई, 1970 की अवधि में, इन चार जिलों से दिल्ली दुग्ध योजना को प्रति मास औसत 49,269 क्विन्टल दूध प्राप्त हुआ। 47.10 लाख रु० की अनुमानित लागत की एक और पशु विकास और डेरी विस्तार योजना रोहतक के चुनिन्दा क्षेत्रों में डेरी विकास कार्यक्रमों के लिये केन्द्रीय क्षेत्र में बनाई गई है। इस योजना में दूध उत्पादकों को ऋण देने, कृत्रिम वीर्य गर्भाधान तकनीकों द्वारा प्रजनन, सुविधायें देने, उचित मूल्यों पर दाना सप्लाई करने और दूध एकत्रण करने के लिये सहकारी संगठन बनाने की व्यवस्था है।

**Documentary Films on Communal Riots**

*2704. **Shri Mrityunjay Prasad** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the time since when Government have been producing documentary films on communal riots and telecasting the same ;

(b) whether the documentary films depicting the burnt houses, injured persons, etc., and on the relief operations conducted at Bhiwandi and Jalgaon have been produced and telecast ;

(c) whether the documentary films on communal riots of Gujarat and Chaibasa had also been produced and telecast ; if not, the reasons therefor ;

(d) whether any assessment has been made of the impact of such films on the viewers and if so, the results thereof; and

(e) whether the A. I. R. or the Films Division have produced and telecast the documentary films depicting the numerous atrocities, murders, arson, etc. committed by Naxalites and other similar anti-national elements in West Bengal and other States ; and if so, the details thereof and if not, the reasons therefor ?

**Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications, (Shri I. K. Gujral)** : (a) No documentary films specifically on communal riots has been produced by the Films Division so far. One T. V. documentary based on reportage and interviews on film mainly covering the communal distrubances at Bhiwandi was telecast on 20th June, 1970, and repeated on 5th July, 1970.

(b) Recent communal riots at Bhiwandi and Jalgaon were covered for newsreels and

featured in Weekly Indian News Review No. 1127 released on 15th May, 1970 and No. 1128 released on 22nd May, 1970.

(c) Riots in Gujarat have been covered and featured in Indian News Review No. 1095 released on 3rd October, 1969.

(d) No, Sir.

(e) Films Division have not produced any documentary film depicting the atrocities. murders, arson etc. committed by the naxalities and other similar anti-national elements in West Bengal and other States. There was also no. T. V. coverage. However, the following items regarding West Bengal and other States were covered and featured in the Indian News Review :

| | I.N.R. No. | Date of release |
|---|---|---|
| (1) News in Brief (Calcutta riots following dismissal of United Front Government). | 1003 | 29-12-'67 |
| (2) Violence Rocks Bombay | 1062 | 14-2-'69 |
| (3) Telangana Agitation | 1080 | 20-6-'69 |

## पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को बसाने के लिये केन्द्र द्वारा विकसित की जाने वाली भूमि का आवंटन

2705. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पूर्व पाकिस्तान ने आने वाले विस्थापितों को बसाने के लिए केन्द्र द्वारा विभिन्न राज्यों में विकसित की जाने वाली भूमि में से 75 प्रतिशत भूमि आवंटित करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है और जून और जुलाई, 1970 के महीनों में विभिन्न राज्यों में कुल कितने विस्थापितों को बसाया गया ?

**श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) :** (क) भारत सरकार ने यह निश्चय किया है कि, इन नई भूमियों के मामले में जो कि पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए राज्य सरकारों द्वारा बिना मूल्य के दी जायेगी, केन्द्रीय सरकार की लागत से भूमियों का उद्धार करने के उपरान्त, उनका 25 प्रतिशत भाग, सम्बन्धित राज्य सरकार को वापिस कर दिया जायेगा ताकि वह उसे अपने भूमिहीन स्थानीय लोगों को आवंटन कर दें।

(ख) मध्य प्रदेश सरकार ने "चम्बल रेवीनस" में कुछ भूमि देने की सहमति दी है जिसका ब्यौरा मांगा गया है। अन्य राज्यों की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है।

## कानपुर की कपड़ा मिलों द्वारा कपड़ा मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित करना

2706. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर की कुछ कपड़ा मिलों ने कपड़ा मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त सिफारिशों को क्रियान्वित करवाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) क्या कानपुर कपड़ा मिल के कर्मचारियों में इस बारे में भारी असन्तोष है ?

**श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क), (ख) और (ग) :** राज्य सरकार से स्थिति का पता लगाया जा रहा है, क्योंकि सिफारिशें उसके द्वारा क्रियान्वित कराई जा रही है।

**कानपुर के चमड़ा कारखानों में चमड़ा मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित करना**

2707. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री 5 मार्च, 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 248 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर के चमड़ा कारखानों में चमड़ा मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया गया है ,

(ख) यदि हां, तो उन कारखानों के नाम क्या है; और

(ग) सिफारिशों को क्रियान्वित करवाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

**श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री ( श्री डी० संजीवैया ) : (क) से (ग) :** सूचना एकत्र की जा रही है।

**मैसर्स मार्शल सन्स एण्ड कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड, कलकत्ता की ओर बकाया कर्मचारी भविष्य निधि**

2708. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स मार्शल सन्स एण्ड कम्पनी ( इंडिया ) लिमिटेड ने जिसका पंजीकृत कार्यालय 33/1, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता में स्थिति है, कर्मचारी भविष्य निधि सम्बन्धी कटौतियों तथा अंशदान की धन राशि का प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त को भुगतान नहीं किया है ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी धन-राशि बकाया है;

(ग) क्या सरकार अवैध रूप में बकाया धनराशि का कम्पनी से भुगतान करने के लिये शीघ्र कार्यवाही करेगी ; और

(घ) क्या इस बारे में अब तक कोई कार्यवाही की गई है ?

**श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क), (ख), (ग) और (घ) :** कर्मचारी भविष्य निधि के प्रशासन का सम्बन्धी कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत स्थापित केन्द्रीय न्यासी बोर्ड से है और केन्द्रीय सरकार से इसका सीधा सम्बन्ध नहीं है। भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न सूचना भेजी है :—

जून 1970 के अन्त में, मैसर्स मार्शल सन्स एण्ड कम्पनी ( इंडिया ) लिमिटेड ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को लगभग 41 लाख रुपये देने थे ( जिसमें पिछले बकाये के 36 लाख रुपये तथा वर्तमान अंशदान के 5 लाख रुपये शामिल थे) 41 लाख रुपयों में से कम्पनी ने लगभग 25 लाख रुपये की कीमत की प्रतिभूति संगठन को हस्तान्तरण कर दी जो कि स्वीकार की जा रही है। इसके अतिरिक्त, लगभग 9 लाख रुपये के मूल्य के राष्ट्रीय योजना बचत प्रमाण-पत्र जी० पी० ओ० कलकत्ता को संगठन के नाम हस्तान्तरण करने के लिए दिए गए हैं। इसके अलावा कम्पनी 2·7 लाख रुपये की राशि भी भविष्य निधि अंशदान के रूप में दी गई हैं।

नवम्बर, 1969 तक किए गए उल्लंघनों के प्रमाण-पत्र के मामले न्यायालय में दायर कर दिए गए हैं तथा दिसम्बर, 1969 से मई 1970 की समयावधि के लिए आवश्यकताओं का मसौदा स्वीकृति हेतु राज्य सरकारों को भेज दिया गया है, जिसकी प्रतीक्षा की जा रही है। अप्रैल 1970 तक किए गए उल्लंघनों के लिए नियोजक पर अभियोजन चलाने के लिए पश्चिमी बंगाल सरकार की स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406/409 के अन्तर्गत कम्पनी को कारण बताओ नोटिस भी दिया गया है।

### दिल्ली की पुनर्वास बस्तियों में पुनर्वास विभाग के खाली प्लाट

2709. **श्री बलराज मधोक** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुनर्वास बस्तियों में अनेक ऐसे खाली प्लाट हैं जिनका स्वामित्व पुनर्वास मन्त्रालय के पास हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने यह सुझाव दिया है कि उक्त प्लाटों को दिल्ली प्रशासन या दिल्ली विकास प्राधिकरण या दिल्ली नगरपालिका को हस्तान्तरित कर दिये जाये जिससे उनका प्रयोग सामुदायिक प्रयोजनों के लिये किया जा सके ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**श्रम** तथा **पुनर्वास मन्त्री (श्री डो० संजीवैया )** : (क) : जी हां।

**(ख) और (ग)** : मुख्य कार्यकारी पार्षद, श्री विजय कुमार मलहोत्रा, ने 4-8-1970 को पुनर्वास विभाग के अधिकारियों से इस प्रश्न पर चर्चा की थी और इस विषय पर विस्तृत टिप्पणी देने का बचन दिया था। ब्यौरेवार प्रस्तावों के प्राप्त होने पर पुनर्वास विभाग द्वारा मामले पर विचार किया जायेगा।

### नई दिल्ली के कालकाजी क्षेत्र में पुनर्वास कालोनियों को नगर निगम द्वारा अपने अन्तर्गत लाना

2710. श्री **बलराज मधोक** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली के कालकाजी क्षेत्र में कुछ पुनर्वास कालोनियाँ ऐसी हैं जिन्हें अभी तक नगर निगम ने अपने अन्तर्गत नहीं किया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इसका कारण यह हैं कि इन कालोनियों में सरकार ने सड़कों, नालियों और पार्कों जैसी सेवाएं-सुविधाएं प्रदान नहीं की है और इन सेवाओं को वहां उपलब्ध कराने के लिए उसने नगर निगम को भी अपेक्षित राशि नहीं दी है ; और

(ग) यदि हां, तो इन कालोनियों की स्थिति क्या है और इन्हें नगर निगम को सौंपने कितना समय लगेगा ताकि वहां के निवासियों को आवश्यक सेवाएं और अन्य नागरिक सुविधाएं शीघ्र ही दी जा सकें ?

**श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया)** : (क) जी, हां।

**(ख) और (ग)** : पुरानी कालकाजी बस्ती के एक भाग में, जिसे कालकाजी एक्सटैन्शन और एल०, एम० तथा एन० ब्लाक कहते हैं, नगर सेवाओं को अभी तक दिल्ली नगर निगम ने अपने हाथ में नहीं लिया है क्योंकि निगम ने उन सेवाओं को अपेक्षित स्तर पर नहीं पाया और कमियों को पूरा करने के लिये निगम को कोई धन-राशि नहीं दी गई। कमियों को पूरा करने इत्यादि पर व्यय के अनुमान निगम ने भेजे हैं। इन अनुमानों की केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग जांच कर रहा है। अन्तिम निर्णय यथा शीघ्र ले लिया जायेगा।

**रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय में संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से अनुसन्धान अधिकारियों के पदों का भरा जाना**

2711. **श्री बलराज मधोक** : **श्री यज्ञ दत्त** :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 21 फरवरी, 1970 की विज्ञापन संख्या 8 (मद संख्या 5) में रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय में रिक्त स्थानों को भरने के लिए रक्षित तथा गैर-रक्षित वर्गों के कितने पदों तथा अनुसंधान अधिकारियों के कितने पदों का विज्ञापन दिया गया था ;

(ख) उक्त विज्ञापन के अनुसार उक्त दोनों वर्गों में अलग-अलग कितने पद भरे गए हैं ;

(ग) क्या वास्तव में भरे गए पदों की संख्या उस संख्या से भिन्न है जिसका विज्ञापन दिया गया था;

(घ) यदि हां, तो क्या यह सच है कि विज्ञापन में दी गई पदों की संख्या से भिन्न पद भरने से पूर्व कोई शुद्धि-पत्र जारी नहीं किया गया था,

(ङ) क्या शुद्धि-पत्र जारी न किए जाने से एक वर्ग के उम्मीदवारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ; और

(च) यदि हां, तो प्रभावित उम्मीदवारों के साथ हुए अन्याय को दूर करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है।

**श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया)** : (क) और (ख) अनुसंधान अधिकारी के दो पदों के लिये 27 जनवरी, 1970 को भेजे मांग पत्र के आधार पर संघ लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञापन निकाला था। इन पदों में एक पद अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए सुरक्षित था और दूसरा अप्रतिबन्धित।

20 मई, 1970 को संघ लोक सेवा आयोग को अनुसन्धान अधिकारियों के 3 अतिरिक्त पदों के लिए एक दूसरा मांग पत्र भेजा गया। इन पदों में एक-एक पद अनुसूचित जाति, अनुसूचित आदिम जाति के उम्मीदवारों के लिए सुरक्षित था, और एक पद अप्रतिबन्धित। इस प्रकार कुल मिलाकर 5 पद भरे जाने थे।

संघ लोक सेवा आयोग ने इन पांच पदों के लिए चार उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश की थी जिनमें तीन उम्मीदवार अनुसूचित जाति के और एक सामान्य उम्मीदवार था। नियुक्ति-प्रस्ताव सभी को भेज दिए गए हैं।

(ग) जी हां।

(घ) जी हां। क्योंकि पहले दिए हुए विज्ञापन के उत्तर में सामान्य और अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के आवेदन पत्रों के संख्या बहुत संतोषजनक थी, इसलिए संघ लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन का संशोधन जारी करना उचित नहीं समझा। फिर भी उन्होंने अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए अलग से एक और विज्ञापन जारी करने का निश्चय किया है।

(ङ) जी नहीं।

(च) सवाल ही पैदा नहीं होता।

## दिल्ली दुग्ध योजना के दुग्ध केन्द्रों से एकत्र की जाने वाली नकद राशि के बारे में सुरक्षात्मक उपाय

2712. **श्री मधु लिमये** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना के कर्मचारी प्रत्येक दुग्ध केन्द्र से नकद राशि को साइकिल पर या पैदल चल कर इकट्ठा करते हैं ;

(ख) इनमें से प्रत्येक केन्द्र पर कितनी औसत नकद बिक्री होती है और कितनी राशि वहां से एकत्र की जाती है और प्रतिदिन सम्पूर्ण नगर में कुल कितनी बिक्री और कितनी राशि एकत्र की जाती है ;

(ग) जो कर्मचारी इन केन्द्रों से नकद राशि एकत्र करके केन्द्रीय दुग्धशाला तक लाते हैं उनकी सुरक्षा के लिए क्या उपाय किये गए हैं ?

(घ) क्या गत तीन वर्षों में गबन के कुछ मामलों की रिपोर्ट की गई है ;

(ङ) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना के चेयरमैन के कृपापात्र लोगों को अग्रिम राशि के रूप में बहुत अधिक राशि दे दी जाती है और उनसे 20 रुपये की किश्तों में वह राशि वसूल की जाती हैं और कुछ मामलों में ऐसा होने की आशंका है कि ऐसे कर्मचारियों से उनकी सेवा निवृत्ति तक भी, पूरी राशि वसूल न की जा सकेगी ; और

(च) यदि हां, तो क्या सरकार इस शिकायत के बारे में जांच करेंगी ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे)** : (क) दिल्ली दुग्ध योजना के दुग्ध डिपुओं से बिक्री के पश्चात् दुग्ध गाड़ियों से यात्रा करते हुए डिपुओं से खाली बोतलें इकट्ठी करते समय रोकड़ लिपिक सामान्य तौर पर नगदी इकट्ठी करते हैं। ऐसे समय जबकि खराबी या कमी आदि के कारण दुग्ध गाड़ी उपलब्ध नहीं होती है, रोकड़ लिपिक साईकिल, बस या पैदल अपनी सहूलियत के अनुसार किसी भी अन्य तरीके से नगदी इकट्ठी कर सकते हैं। इन रोकड़ लिपिकों को रोकड़ कार्य के लिए प्रतिमाह 15 रुपये अतिरिक्त और 4 रुपये प्रति माह साईकिल भत्ते के रूप में दिए जाते हैं।

(ख) हर डिपों से प्रति दिन औसतन बिक्री पर वसूली लगभग 268 रुपये हैं। समस्त डिपुओं से प्रतिदिन औसतन कुल बिक्री और वसूली लगभग 2,54,550 रुपये हैं।

(ग) रोकड़ लिपिक एक डिपो से दूसरे डिपो और केन्द्रीय डेरी क्षेत्रीय कार्यालय जिनमें कि उन्हें विक्रय की राशि जमा करानी होती है। दुग्ध गाड़ियों द्वारा आते-जाते हैं। कभी-कभी सप्लाई में देरी होने / गाड़ी खराब होने / गाड़ियों के कमी के कारण ही उन्हें बस या साईकिल आदि द्वारा सफर करना पड़ता है। ऐसे मामलों में योजना सुरक्षा के कोई उपाय नहीं करती है। फिर भी, रोकड़ लिपिकों द्वारा रोकड़ वसूली पर जीवन बीमा निगम की परिवहन बीमा पालिसी लागू होती है।

(घ) गत तीन वर्षों में इच्छा से नकदी रोकने / गबन के 12 मामले प्रकाश में आए हैं।

(ङ) **और (च)** : जी नहीं। 3 मई, 1964 से 12 मई, 1964 और 13 मई, 1934 से 25 मई, 1964 की अवधि के दौरान भैंस के दूध के स्थान पर टौन्ड दूध सप्लाई किया गया था और उस समय प्रचलित अदायगी पद्धति के अन्तर्गत भैंस के दूध के अग्रिम राशि प्राप्त की गई थी ; अतः शेष पैसे कार्डधारियों को वापिस किए जाने थे। तदनुसार कार्डधारियों के धनवापसी दावों की अदायगी के लिए रोकड़ लिपिकों को अग्रिम धन राशि दी गई थी। रोकड़ लिपिकों को धनवापसी के प्राप्ति बाऊचरों की प्रतियां वापसियों के वितरण के बजूदे में प्रस्तुत करनी थी। 43 रोकड़ लिपिक कुछ राशि के लिए प्राप्ति बाउचरों की प्रतियां प्रस्तुत नहीं कर सके। कुछ लिपिकों को छोड़ कर जिनके मामले का विशेष पुनरीक्षण किया जा रहा है उनसे 20 रुपये प्रति माह की किस्तों में वसूली की जा रही है।

## अगठित श्रमिकों के लिये सामाजिक सुरक्षा

2713. **श्री लोबो प्रभु :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय ने अगठित श्रमिकों, विशेषतया बम्बई नगर में भवन निर्माण का काम करने वाले श्रमिकों के लिये सामाजिक सुरक्षा के क्या उपाय किये हैं,

(ख) चूंकि ऐसे श्रमिकों को वर्षा के दिनों में काम नहीं मिलता है, इसलिए सरकार उन्हें न्यूनतम मजूरी पर अपनी विशेष परियोजनाओं में काम क्यों नहीं देती है और क्या सरकार बम्बई नगर में इस सम्बन्ध में कोई नमूना सर्वेक्षण करेगी ;

(ग) चूंकि रोजगार कार्यालयों में अब केवल उसी क्षेत्र के आवेदक अपना नाम दर्ज करा सकते हैं, क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विरुद्ध इस भेदभाव को दूर करेगी जो इस समय अखिल भारतीय पैमाने की, तथा दिल्ली में और राष्ट्रीय उपक्रमों में होने वाले रोजगार के अवसरों का लाभ नहीं उठा सकते हैं ;

(घ) क्या स्थानीय रोजगार कार्यालयों को अखिल भारतीय केन्द्रों के लिये पंजीकरण का अधिकार प्राप्त होगा जो उन्हें रिक्त स्थान होने पर तत्काल सूचना देंगे ; और

(ङ) क्या रोज़गार कार्यालयों को ऐसे श्रमिकों का नाम दर्ज करने के निदेश दिये जायेंगे ?

**श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री ( श्री डी० संजीवैया ) :** (क) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 बिजली की शक्ति का उपयोग करने वाले उन बारहमासी कारखानों पर लागू होता है जिनमें 20 अथवा उससे अधिक व्यक्ति काम करते हैं। इस अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न प्रकार के कामगारों में किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं होता है, किन्तु भवन निर्माण व्यवसाय में काम करने वाले कामगारों पर यह तब तक विशिष्ट रूप से लागू नहीं होता जब तक कि वे ऊपर निर्दिष्ट किसी कारखाने में काम नहीं करते। कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 अब तक 124 उद्योगों में लागू किया जा चुका है। यह अधिनियम इन उद्योगों के उन सब कर्मचारियों पर लागू होता है जिनका मासिक वेतन एक हजार रुपये से अधिक नहीं हो बशर्ते कि वह निर्धारित अहर्ता शर्त पूरी करते हों। यह अधिनियम अभी तक भवन-निर्माण उद्योग में लागू नहीं किया गया है। फिर भी, भवन-निर्माण काम में नियोजित श्रमिकों को कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अन्तर्गत रोजगार चोट प्रतिकर दिया जाता है।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

**(ग) तथा (घ) :** काम ढूंढ़ने वालों को उस क्षेत्र के रोजगार कार्यालय में पंजीकृत किया जाता है जहां वे रहते हैं। एक कार्यालय के अन्तर्गत समस्त जिला आ जाता है, जिसमें इसके देहाती क्षेत्र भी सम्मिलित हैं। देहाती क्षेत्रों में रहने वाले काम-खोजी इन कार्यालयों में अपने नाम पंजीकृत कराने के अधिकारी है। दूर के स्थानों पर रहने वाले काम-खोजियों को रोजगार सेवा सुविधा प्रदान करने के लिए रोजगार कार्यालय आवेदकों को डाक द्वारा पंजीकृत करते हैं। इसके अतिरिक्त देहाती आवेदकों को रोजगार कार्यालय की सुविधा रोजगार सूचना व सहायता कार्यालय द्वारा दी जाती है, जो कि चुने हुए सामुदायिक विकास खण्डों में काम कर रहे हैं। वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार वैज्ञानिक तथा तकनीकी प्रकार की केन्द्र सरकार की समस्त रिक्तियां, जिनका मासिक मूल वेतन 210 रुपये और इससे अधिक हो तथा वह रिक्तयां जिन्हें नियोजक राज्य या केन्द्र शासित क्षेत्र (जिसमें वह प्रतिष्ठान स्थित हों) के बाहर के रोजगार कार्यालयों में प्रचलित करना चाहते हों, दिल्ली स्थित केन्द्रीय रोजगार कार्यालय को अधिसूचित की जाती है। यह कार्यालय उन्हें देश भर के रोजगार कार्यालयों में प्रचलित करता है। इस प्रकार किसी भी कार्यालय में पंजीकृत आवेदक को इस प्रकार की सब रिक्तियों के लिए प्रत्याशी होने का अवसर मिलता है।

(ङ) प्रश्न के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में निर्दिष्ट वर्तमान पद्धति को देखते हुए रोजगार कार्यालयों को इस विषय में कोई नवीन आदेश देने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

**काली मिर्च के मूल्यों में अत्यधिक कमी**

2714. **श्री लोबो प्रभु :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में काली मिर्च का उत्पादन और मूल्य क्या रहे ;

(ख) क्या सरकार मसाला विकास परिषद की इस आशय की सिफारिश को स्वीकार करती है कि काली मिर्च के गिरते हुए उत्पादन और मूल्यों को ध्यान में रखते हुए उस पर से निर्यात शुल्क उठा लिया जाये ;

(ग) कीड़ों से होने वाली हानि को रोकने के लिए अनुसंधान तथा विस्तार सेवाओं के समन्वय के लिए क्या उपाय, विशेषतः राज सहायता के रूप में, दिये गये हैं, और उसका "पन्नयुर-1" नामक संकर बीज किस हद तक लोकप्रिय बनाया गया है ; और

(घ) भारतीय व्यापारियों को इण्डोनेशिया के साथ बढ़ती हुई स्पर्द्धा को ध्यान में रखते हुए ऐसी क्या कार्यवाही की गई है जिससे इसके उचित मूल्य स्थिर हों सकें ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब पी० शिन्दे) :** (क) 1967 से 1970 के दौरान तीन मुख्य बाजारों में काली मिर्च की महत्वपूर्ण किस्मों के थोक भाव प्रदर्शित करने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा गया। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3957/70**] पिछले तीन वर्षों के दौरान हजार मीटरी टनों में वर्षवार उत्पादन के आंकड़े निम्नलिखित हैं :--

| | |
|---|---|
| 1966–67 | 23.0 |
| 1967–68 | 22.0 |
| 1968–69 | 21.4 |

(ख) काली मिर्च पर निर्यात शुल्क में कमी करने / समाप्त करने के प्रश्न पर कई बार विचार किया गया है किन्तु इसे स्वीकार नहीं किया गया

(ग) इस फसल में कीड़ों के नियन्त्रण के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए सामान्य पौद रक्षा उपायों के अतिरिक्त मुरझान रोग के नियन्त्रण को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना मन्जूर की है। इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार 400 प्रदर्शन खण्डों में 250 रुपये प्रति हैक्टार के हिसाब से पौद रक्षा आदानों को लागत को पूरा करने के लिए केरल सरकार को हर वर्ष एक लाख रुपये का अनुदान देगी। अनुसंधान तथा विस्तार सेवाओं का समन्वय पौदारोपण फसल अनुसंधान संस्था तथा मसाला विकास परिषद सम्बन्धी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसंधान अधिकारियों के प्रतिनिधित्व द्वारा सुनिश्चित किया जाता है।

संकर किस्म पन्नयुर–1 की पौद सामग्री को तेजी से बढ़ाने के लिए भारत सरकार की शतप्रतिशत वित्तीय सहायता से एक केन्द्रीय नरसरी केरल राज्य के नरियामंगलम में स्थापित की गई है और अब तक 3.5 हैक्टार क्षेत्र में संकर लताओं को बोया गया है। 1968-69 के दौरान कुल 32070 जड़दार कर्तनें (रूटिड कटिंग्स) वितरित की गई। चालू वर्ष में लगभग 50,000 जड़दार कर्तनें वितरित की गई हैं। कर्तनें केरल, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडू, मैसूर महाराष्ट्र, पश्चिम बङ्गाल, असम तथा गोवा के राज्यों को सप्लाई की गई। इस प्रयोजन के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत इस किस्म को लोकप्रिय बनाने हेतु केरल, मैसूर तथा तमिलनाडू में किसानों के खेतों में प्रदर्शन खण्ड बनाये गए हैं।

(घ) भारत, इन्डोनेशिया तथा मलेशिया जैसे मुख्य काली मिर्च के उत्पादक देशों में अनौपचारिक बात-चीत के लिए हाल ही में जकार्ता (इन्डोनेशिया) में एक बैठक हुई थी जिसमें यह सुझाव दिया गया था कि एक काली मिर्च संघ की स्थापना की जाये। मामले पर आगे कार्यवाही खाद्य तथा कृषि संगठन द्वारा की जा रही है।

## मंगलौर में सूक्ष्मतरंग तथा टेलिक्स की स्थापना

?715. **श्री लोबो प्रभु :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा

करेंगे कि मंगलौर में सूक्ष्म तरंग तथा टेलिक्स प्रतिष्ठान स्थापित करने के कार्य में कितनी प्रगति हुई है और कब तक इसके पूर्ण होने की सम्भावना है ।

**सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह)** : मंगलौर को सूक्ष्म तरंग द्वारा बम्बई, मद्रास और त्रिवेन्द्रम से जोड़ने के एक प्रस्ताव की हाल ही में मन्जूरी दी गई है । इस कार्य में विस्तृत इन्जीनियरी और भवनों का निर्माण, टावर लगाना वेवगाइड और अन्टेन्ना स्थापित करना और कुल 2400 किलोमीटर लम्बे मार्ग पर रेडियो तथा मल्टीप्लेक्सिंग उपस्कर लगाना शामिल है । विस्तृत इन्जीनियरी का कार्य हाथ में ले लिया गया है । इस योजना पर लगभग 9 करोड़ रुपये लागत आएगी और इसके लगभग 5 से 6 वर्ष तक में पूरे होने की आशा है ।

जहां तक टेलेक्स संस्थापन का सम्बन्ध है, उपस्कर का आर्डर दे दिया गया है और मंगलौर में टेलेक्स सेवा के 1972 के शुरू में उपलब्ध होने की आशा है ।

### मधुबनी को एक अलग डाक डिवीजन बनाना

2716. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री 14 मई, 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 1924 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की सूचना है कि मधुबनी उपमन्डल के निकट सहरसा जिले के निर्मली तथा कुम्हावली खण्ड कोसी नदी के कारण सहरसा के अन्य क्षेत्रों से बिल्कुल अलग हो गए हैं, और इन खण्डों को मधुबनी डाक डिवीजन से जोड़ा जा सकता है तथा इनको जोड़ा भी जाना चाहिये ;

(ख) क्या सरकार ने बिहार सरकार से यह पुष्टि कर ली है कि मधुबनी की एक अलग प्रशासनिक जिले बनाने का विचार है ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि मधुबनी उपमण्डल का वही भाग बाढ़ एवं नदिया के कारण बिल्कुल अलग हो गया है और उसकी 80 मील लम्बी सीमा नेपाल से लगती है जो केवल डाक-संचार पर ही निर्भर रहता है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए मधुवनी को एक अलग डाक-डिवीजन बनाने के प्रस्ताव की जांच की जायेगी ?

**सूचना तथा प्रसारण और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह)** : (क) निर्मली और कुम्हौली ब्लाकों को मधुबनी में मुख्य कार्यालय वाले दोनों डाक उपडिवीजनों में से किसी को साथ सुविधापूर्वक नहीं मिलाया जा सकता ।

(ख) जी हां । मधुवनी के लिए एक नये जिले का निर्मण का प्रश्न बिहारी सरकार के विचाराधीन हैं और अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

(ग) जी हां ।

(घ) मधुबनी के राजस्व उप-डिवीजन के क्लर्कों की संख्या 82 है । अगर निर्मली और कुम्हौली ब्लाक मधुबनी राजस्व उप-डिवीजन के साथ कर दिये जाते हैं तो क्लर्कों की संख्या में 3 की वृद्धि होगी और वह 85 हो जायेगी । चूंकि किसी नये डिवीजन निर्माण के लिए निर्धारित मानकों

के अनुसार कम से कम 150 क्लर्कों की जरूरत होती है, इसलिए सहरसा जिले के निर्मली और कुम्हौली ब्लाकों की मधुबनी के साथ मिला कर एक अलग डाक डिवीजन का निर्माण करना संभव नहीं ।

**बेणीपट्टी के लिये टेलीफोन का कनेक्शन और उसका माधवपुर से जोड़ा जाना**

2717. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री 14 मई, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9658 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेणीपट्टी को काफी समय से टेलीफोन कनेक्शन प्राप्त हैं ;

(ख) यदि हां, तो माधवपुर को सीतामढ़ी से जोड़ने में विभाग को होने वाली भारी क्षति को ध्यान में रखते हुए क्या माधवपुर तथा वेणीपट्टी को परस्पर जोड़ने वाली लाइन के प्रस्ताव पर पुनः विचार किया जायेगा, जिससे मधुबनी का सम्बन्ध उससे स्वतः ही जुड़ जाता है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री ( श्री शेर सिंह ) :** (क) बेणीपट्टी सार्वजनिक टेलीफोन घर है, जिसका सम्बन्ध काफी अर्से से मधुबनी एक्सचेंज से जुड़ा हुआ है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) बेणी पट्टी और मधुवनी दोनों लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर हैं और मौजूदा नियमों के अन्तर्गत उन दोनों का परस्पर सम्बन्ध स्थापित नहीं किया जा सकता और इस तरह मधुबनी उनका मूल एक्सचेंज नहीं बनाया जा सकता ।

**दरभंगा जिले के शहरघाट, सिंगिया तथा बहेड़ी में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र**

2718. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री 14 मई, 1970 के अतारांकिन प्रश्न संख्या 1651 के उत्तर के संबन्ध में यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहारघाट, सिंधिया तथा दरभंगा जिले में बहेड़ी में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र स्थापित करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर इस बीच जांच पूरी कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

**सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री ( श्री शेर सिंह ) :** (क) जी हां ।

(ख) सिंगिया में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव को मन्जूरी दे दी गई है । शहारघाट और बहेड़ी में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलने के प्रस्ताव घाटे के हैं और इनके संभावित घाटे को छूट नहीं दी जा सकती । फिर भी शहारघाट और बहेड़ी में किराये और गारंटी के आधार पर टेलीफोन सुविधा की व्यवस्था की जा सकती है, यदि इनमें दिलचस्पी रखने वाली कोई पार्टी इन दोनों पर होने वाले घाटे को अलग-अलग पूरा करने के लिए तैयार हो ।

## दरभंगा में डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों को राहत

2719. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री 14 मई, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8870 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दरभंगा में डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों की वित्तीय राहत देने के प्रश्न पर इस बीच विचार पूरा कर लिया गया ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और वह कब तक दे दी जायेगी ?

**सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री ( श्री शेर सिंह ) :** (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) : सरकार दरभंगा के डाकतार कर्मचारियों को अग्रिम वेतन के रूप में वित्तीय राहत देने को सहमत नहीं हुई है ।

## अनाज के वसूली मूल्य में कमी का सुझाव

2720. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम के प्रबन्ध निदेशक का विचार यह है कि जब तक वसूली मूल्य में काफो कमी न की जाये तब तक अनाज के बिक्रय मूल्य में वृद्धि होती रहेगी ;

(ख) क्या यह सच है कि वसूली के मूल्यों में कमो करने की बजाये उपभोक्ता मूल्य में वृद्धि होने की सम्भावना है क्योंकि आयात में कमी कर दी जायेगी ; और

(ग) यदि हां, तो इन सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री ( श्री अन्नासाहेब शिन्दे) :** (क) कृषि मूल्य आयोग को 1970-71 के विपणन मौसम के लिए रबी अनाजों की मूल्य नीति पर अपने विचार व्यक्त करते समय भारतीय खाद्य निगम के प्रबन्ध निदेशक आयोग द्वारा अभिव्यक्त इन विचारों से सहमत थे कि आयातित गेहूं की मात्रा में कटौती करने में अगर अधिप्राप्ति मूल्यों में कमी को जाती तो निर्गम मूल्य में बढ़ोतरी करना अनिवार्य होगा ।

**(ख) और (ग) :** प्रमुख खाद्यान्नों के अधिप्रप्ति मूल्यों और निर्गम मूल्यों की सरकारी नोति पर राज्य सरकारों के परामर्श से प्रत्येक मौसम के शुद्ध होने से पूर्व विचार किया जाता है । 1970-71 के विपणन मौसम के लिए सरकार ने यह निर्णय किया था कि अधिप्राप्ति मूल्य पिछले वर्ष के 76 रुपये प्रति क्विंटल के स्तर पर रखे जाने चाहिये और यह भो निश्चय किया कि गेहूं की लाल तथा आयातित किस्मों का उपभोक्ता मूल्य पिछले वर्ष के 78 रुपये प्रति क्विंटल के स्तर पर होना चाहिये ।

## रविवार और छुट्टियों के दिन उपलब्ध डाक सेवाओं का विस्तार

2721. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रशासनिक सुधार आयोग ने रविवार और छुट्टियों के दिन उपलब्ध डाक सुविधाओं का विस्तार करने की सिफारिश की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

**सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क)** जी हां ।

(ख) इन सिफारिशों की जांच की जा रही है ।

### खान श्रमिकों को जूतों के सप्लाई के बारे में नियम

2722. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय की कोई शिकायतें मिलो हैं कि खान मालिकों द्वारा श्रमिकों को जूतों की सप्लाई के सम्बन्ध में नियमों को पालन नहीं किया जा रहा है, और

(ख) यदि हां, तो जिन कोयला खानों में इस नियम का उल्लघंन किया जा रहा है उनके नाम क्या हैं तथा नियमों का उल्लघंन करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ।

**श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) और (ख)** : कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई हैं । तथ्य यह है कि अधिकांश कोयला खान प्रबन्धकों ने अपने श्रमिकों को अभी अपेक्षित जूते सप्लाई करने हैं । खान सुरक्षा महा निदेशक ने प्रबन्धकों को ये निदेश जारी किये हैं कि वे अपने श्रमिकों के लिए नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित जूतों की पूर्ति की व्यवस्था करें । उनका विचार ऐसे मामलों में खान प्रबन्धकों के विरुद्ध मुकदमें चलाने का भी है जहां जूतों की व्यवस्था न किये जाने के कारण दुर्घटनाएं होती हैं ।

### चीनी के लिये लाइसेंस और चीनी वितरण के सम्बन्ध में उदार नीति अपनाना

2723. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969-70 में तथा (जुलाई, 1970 तक) देश में चीनी का कितना उत्पादन हुआ है ; और

(ख) क्या अच्छे उत्पादन को देखते हुए सरकार का विचार चीनी के लिए लाइसेंस और चीनी वितरण सम्बन्ध में उदार नीति अपनाने का है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क)** जुलाई, 1970 के अन्त तक 42. 27 लाख मीटरी टन ।

(ख) राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे शहरी क्षेत्रों में जहां कहीं चीनी के वितरण की मात्रा कम थी, वहां उसकी वृद्धि कर दें । और साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी चीनी वितरण में उदार नीति अपनाएं । लेवी-चीनी के भारिक कोटे को 1968-69 के 1. 59 लाख मीटरी टन

से बढ़ाकर, जितना राज्य सरकारों की आवश्यकता थी, उतना कर दिया है। खुली बिक्री की चोनी में व्यापारियों के लाइसेंस में ढ़ील देने के प्रश्न पर अभी विचार किया जा रहा है।

**औद्योगिक कच्चे माल के लिए वन सर्वेक्षण**

2724. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वनों में औद्योगिक कच्चे माल की उपलब्धता का व्यवस्थित रूप से सर्वेक्षण करने के लिए कोई योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) :** (क) जी हां।

(ख) कृषि विभाग के अधीनस्थ वन साधन निवेशपूर्व सर्वेक्षण परियोजना द्वारा अभी तक केवल तीन क्षेत्रों के कुल 47860 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ही वन संसाधानों का सर्वेक्षण पूर्ण किया है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि में सर्वेक्षण कार्य जारी रखने तथा समग्र रूप स सम्भावित औद्योगिक क्षमता वाले 85,000 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र को आवृत करने का प्रस्ताव है।

**स्मारक टिकटों का निर्यात**

2725. **श्री प्रेमचन्द्र वर्मा :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्मारक टिकटों के निर्यात से विदेशी मुद्रा की कुछ आय होती है; और

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष में कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई थी ; और

(ग) वर्ष 1970 में इस संबन्ध में क्या योजनाएं बनाई गई है और उनका व्यौरा क्या है ?

**सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) :** (क) तथा (ख) जी हां। 1969 के वर्ष में 46742 रुपसे 19 पैसे की विदेशी मुद्रा अर्जित की गई। इसमें विदेशों में भारतीय डाक-टिकट विक्रेताओं द्वारा बेचे गए हमारे डाक टिकटों की राशि शामिल नहीं है।

(ग) विदेशों में हमारे डाक-टिकटों की बिक्री के लिए एजेन्टों की नियुक्ति के काम को अंतिम रूप दिया जा रहा हैं।

**चीनी का भण्डार जमा होने के कारण गन्ने की खेती वाले क्षेत्र में कमी**

2726. **श्री बेदव्रत बरुआ :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र तथा अन्य स्थानों पर चीनी का भण्ड़ार जमा होने के कारण गन्ने पर का मूल्य कम हो गया, है ;

(ख) यदि हां तो क्या यह सच है कि किसान गन्ने के स्थान पर कपास तथा अन्य किस्म की फसलों को उगाने लगे हैं ;

(ग) क्या आगामी वर्ष में इसका प्रभाव चीनी के उत्पादन पर नहीं पड़ेगा; और

(घ) इस स्थिति का सामना करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) :** (क) चीनी की उपलब्धि सम्बन्धी स्थिति सुगम है और गत वर्ष को अपेक्षा इस वर्ष चीनी कारखानें के पास चीनी का अधिक स्टाक है। निर्वात पात्र चीनी कारखानों द्वारा देय गन्ने का न्यूनतम मूल्य सांविधिक रूप से निर्धारित किया जाता है। तथापि, गुड़ तथा खण्डसारी के मूल्यों में कमी होने के कारण गुड़ तथा खण्डसारी के उत्पादन में प्रयुक्त गन्ने के मूल्य, में कमी होने के कारण गुड़ तथा खन्डसारी के उत्पादन में प्रयुक्त गन्ने के मूल्य, सरकार द्वारा निर्वात पात्र चीनी कारखानों के लिए सांविधिक रूप से निर्धारित मूल्य की अपेक्षा कम थे।

(ख) राज्यों से गन्ने के स्थान पर अन्य फसलों को बुबाई के बारे में अभी सूचना प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, संकेत मिला है कि मुख्य गन्ना उत्पादक राज्यों के फैक्ट्री क्षेत्र में गन्ने के अन्तर्गत क्षेत्र गत वर्ष की अपेक्षा केवल थोड़ा कम है, जबकि आन्ध्र प्रदेश में गन्ने के स्थान पर कुछ हद तक रूई तथा अन्य फसलों की बुआई के बारे में समाचार प्राप्त हुए हैं।

(ग) आगामी वर्ष के गन्ना उत्पादन सम्बन्धी पक्के अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं लेकिन गन्ने के अन्तर्गत क्षेत्र तथा मौसम आदि पर निर्भर करते हुए आगामी वर्ष गन्ने का उत्पादन चालू वर्ष की अपेक्षा केवल थोड़ा कम हो सकता है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

## पश्चिम बंगाल के देहातों के लिये ऋण देना

2727. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968-70 तक वर्ष वार बंगाल में देहातों के लिये ऋण को कुल कितनी राशि को आवश्यकता है और मांग है ;

(ख) वर्ष 1968-70 तक वर्ष वार, प्रत्येक साधन और प्रत्येक प्रयोग के लिये पश्चिम बंगाल में देहाती क्षेत्रों को कुल कितना ऋण दिया गया है ;

(ग) वर्ष 1968 से 1970 तक उपर्युक्त ऋण कितने देहाती परिवार को मिला है और ऋण प्राप्त करने वाले प्रत्येक प्ररिवार को औसतन कितना ऋण मिला ; और

(घ) वर्ष 1968 से 1970 तक वर्षवार, इस प्रकार दिये गये ऋण में से 5 एकड़ तक को भूमि वाले किसानों को कुल कितना ऋण प्राप्त हुआ है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) :** (क) वर्ष वार जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) सहकारी संस्थाओं ने मुख्यत: कृषि उद्देश्यों के लिये 1967-68 में 9.62 करोड़ रुपये तथा 1968-69 में 6. 85 करोड़ रूपये की अग्रिम-राशि दी। कृषि उद्देश्यों के लिये वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 30-9 69 को 21 करोड़ रुपये अदा करना बकाया था तथा यह राशि 31-3-70 तक 7.99

करोड़ रुपये हो गई। वर्ष 1969-70 के लिये सहकारी संस्थाओं से अग्रिम-राशि की जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि सहकारी वर्ष केवल 30 जून, 1970 को समाप्त होता है।

(ग) सब साधनों से आवृत किये गये ग्रामीण परिवारों की संख्या के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है। वर्ष 1968-69 के अन्त तक सहकारी संस्थाओं के अंतर्गत ग्रामीण जन संख्या 68 प्रतिशत थी। सहकारी संस्थाओं से प्रत्येक सदस्य को 1967-68 में 92 रुपये तथा 1968-69 मे 54 रुपये ऋण दिया गया।

(घ) जानकारी उपलब्ध नहीं है।

### Acreage of Agricultural and Residential Land in Delhi Under the Custodian

*2728. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the names of the places and the acreage of land in the capital belonging to the Custodian and the acreage of agricultural and residential land separately ;

(b) the names of the persons who are allotted the aforesaid land ; and

(c) the acreage of land so far allotted and that remains to be allotted ?

**The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya)** : (a) The land belonging to evacuees after their migration to Pakistan, no doubt, vested in the Custodian in the first instance but, after the coming into force of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954, these lands were acquired by the Central Government and disposed of under the provisions of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954, and the Rules framed thereunder. As such no land in the Capital now belongs to the Custodian.

There are, however, some cases of composite properties pending before the Competent Officer in which the evacuee interest has to be separated from the non-evacuee share and only after such separation and partition the land would vest in the Custodian.

**(b) and (c)** : Do not arise.

### बिहार में रिग की कमी तथा छोटी सिंचाई के मिले-जुले कार्यक्रम पर प्रभाव

2729. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रिग-मशीनों की कमी के कारण विशेषकर बिहार में छोटी सिंचाई के बहुत से मिले-जुले कार्यक्रम रुक गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) यदि नहीं, तो कुल कितने मिले-जुले सिंचाई कार्य आरम्भ किए गये हैं तथा बिहार और विशेषतया उत्तर बिहार में कितनों ने कार्य आरम्भ कर दिया है ?

**खाद्य, कृषि. सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे )** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) नलकूप लगाने के लिये केवल एक ही कार्यक्रम समूह है जो राज्यों में आरम्भ किया गया है। यह उत्तर बिहार के दरभंगा जिले में चल रहा है।

**आकाशवाणी के युव वाणी कार्यक्रम की सफलता**

2730. **श्री शिव चन्द्र झा :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के युव वाणी कार्यक्रम ने कोई विशेष सफलता प्राप्त की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल)** (क) जी, हां।

(ख) युववाणी सेवा से राजधानी के नवयुवकों की उनकी एक प्रगतिशील कार्यक्रम सेवा की आवश्यकता पूरी हुई है। इस सेवा के चालू होने के एक वर्ष के दौरान 5000 से अधिक नवयुवकों को इस सेवा के अन्तर्गत अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिला है। अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने का यह परिणाम हुआ है कि उनमें न केवल सामयिक संस्कृति एवं कला के प्रति जागरुकता उत्पन्न हुई है अपितु समकालीन समस्याओं और उनका समाधान ढूंढने के प्रति भी।

(ग) सवाल नहीं उठता।

**इन्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज द्वारा एक नये टेलीफोन जिवेल बाक्स का निर्माण**

2731. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्री, बंगलोर ने जिवेल बाक्स नामक एक नया टेलीफोन बनाया है।

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) उपर्युक्त टेलीफोन की महत्वपूर्ण बातें क्या हैं; और

(घ) उपर्युक्त टेलीफोन वाणिज्यिक उपयोग के लिये कब तक उपलब्ध होगा ?

**सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह):** (क) इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड ने तीन नये प्रकार के टेलीफोन उपकरण विकसित किये है जो कोड सं० 671, 672 और 681 के नाम से जाने जाते हैं। किन्तु इनमें से कोई भी "ज्वेल-बाक्स" नहीं कहलाता। यह जरूर है कि 681 प्रकार का टेलीफोन उपकरण अमेरिका के 'इण्टरनेशनल टेलीफोन एण्ड टेलीग्राफ कार्पोरेशन 'द्वारा निर्मित 'ज्वेल-बाक्स' टेलीफोन उपकरण से कुछ मिलता-जुलता है।

(ख) और (ग) : 671 प्रकार का टेलीफोन उपकरण मेज पर रखने वाला है जबकि 672 प्रकार का दीवार पर लगाने के लिये है। दोनों की ही बनावट आकर्षक और सुन्दर है और दोनों की

डायलिंग प्रणाली सुधरे हुए प्रकार की है। 681 प्रकार का उपकरण इन दो अन्य प्रकारों से देखने में अधिक आधुनिक है। इस उपकरण का बाहरी खोल चौखूटे प्रकार का है जिसमें अधुनातन प्रकार के रिसोवर से युक्त हल्का हैण्ड-सेट लगा हुआ है। जब टेलीफोन पर हैण्ड-सेट रखा जाता है तो वह उसके बाहरी खोल पर लम्बाई में रखा जाता है।

(घ) इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड ने 671 और 681 प्रकार के उपकरणों का उत्पादन पहले ही आरम्भ कर दिया है। 672 प्रकार का उत्पादन भी 1970-71 के दौरान आरम्भ हो जाएगा।

## कलकत्ता की जय इंजीनियरिंग एण्ड कम्पनी में तालाबन्दी

2732. **श्री समर गुह** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता में जय इंजीनियरिंग एण्ड कम्पनी में गत छः महीनों से तालाबन्दी है ;

(ख) क्या तालाबन्दी के परिणामस्वरूप इस कम्पनी से लगभग 10,000 कर्मचारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ;

(ग) क्या यह सच है कि इस कम्पनी ने पश्चिमी बंगाल से बाहर एक दूसरा कारखाना आरम्भ किया है ;

(घ) क्या कम्पनी में तालाबन्दी करना कलकत्ता कारखाने को समाप्त करने की तैयारी है जिससे पश्चिम बंगाल के बाहर के दूसरे कारखाने का विकास किया जा सके, क्या कम्पनी के मालिक तथा अवास्तविक श्रमिक नेताओं ने इस उद्देश्य से कोई षड़यन्त्र किया है ; और

(ङ) क्या सरकार इस कम्पनी के 10,000 कर्मचारियों को संकट से बचाने के लिये कार्यवाही करेगी ?

**श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया)** : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

## रेडियो इण्डियन लिबरेशन

2733. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी लेनिनवादी) भारत के किसी स्थान में एक रेडियो केन्द्र स्थापित किये जाने का दावा करता है ;

(ख) क्या दल के मुख्य-पत्र ने मई के दूसरे सप्ताह के अपने अंक में कहा था कि "रेडियो इण्डियन लिबरेशन" का पहला प्रसारण पहली मई, 1970 को रात्रि के 10.45 बजे किया गया था तथा इसे शार्ट वेव के 40 मीटर पर सुना गया था ;

(ग) यदि हां, तो इस मामले के बारे में तथ्य क्या है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

**सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ख)** : सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(ग) अभी तक तथाकथित 'रेडियो स्टेशन' को मानिटर करने के प्रयत्न सफल नहीं हुए हैं, परन्तु चौकसी रखी जा रही है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

**डाक बचत खाता**

2734. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में डाक बचत खातों की कुल संख्या कितनी है और खाते बन्द करने की अंतिम उपलब्ध तारीख तक उनमें कुल कितना धन जमा है ;

(ख) वास्तव में कितने खाते बन्द पड़े हुए हैं और गत पांच और दस वर्षों से जिन खातों में कोई लेन-देन नहीं हुआ है और न ही किसी ने उन पर दावा ही किया है उनकी क्रमशः संख्या क्या है ; और

(ग) उन खातों में कितना धन जमा पड़ा है जिनके बारे में कोई दावा नहीं किया गया है और सरकार उनका निपटान किस प्रकार करना चाहती है ?

**सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह)** : (क) 31-3-69 को देश में डाक बचत खातों की संख्या 1.8 करोड़ थी और उनमें 812 करोड़ रुपये की राशि जमा थी।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और उपलब्ध होने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) निष्क्रिय खातों में जमा अदावी रकम संबन्धी ब्यौरा इकट्ठा किया जा रहा है और उपलब्ध होने पर सभा-पटल पर रख दिया जाएगा। जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, ये रकम डाकघर के लेखे में दर्ज रहता है और जमाकर्त्ता कभी भी इसके लिये आवेदन देकर इसे फिर से चालू करा सकता है और उसकी मृत्यु की स्थिति में उसका दावेदार ऐसा करा सकता है।

**पंजाब डाक सर्किल का विभाजन**

2735. **श्री हेम राज** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री 12 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न-संख्या 2784 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब डाक सर्किल के विभाजन के लिये प्राप्त प्रस्तावों का संक्षेप क्या है ; और

(ख) क्या सरकार ने उन पर विचार किया है, यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**सूचना तथा प्रसारण और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह)**: (क) पंजाब डाक-तार सर्किल का विभाजन करके पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के लिए अलग-अलग डाक सर्किलों के निर्माण के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ख) अभी विभाग इस मामले की जांच कर रहा है।

**Continuation of Wholesale Trade in Foodgrains in Private Sector by Certain States**

*2736. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether any State Government is anxious to continue the whole-sale trade in food-grains wholly or partially in the private sector. ;

(b) if so, the names thereof and the reasons therefor ; and

(c) the reaction of Government thereto ?

**The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) to (c)** : No State Government have expressed their anxiety to retain wholesale trade entirely in the private sector. However, private trade agencies are operating along with public agencies in all the States. Government are carrying on a considerable volume of wholesale trade in major food grains through the public agencies. The procurement and distribution carried out through public agencies have helped to stabilise prices and regulate trade. Complete take-over of the wholesale trade of all foodgrains is not contemplated at present. Expansion of the scope of the State trading by the public agencies is, however, considered by the Government in the light of the situation prevailing from time to time.

**महाराष्ट्र में पेलमोड पद्धति को समाप्त करने की योजना**

2737. **श्री देवराव पाटिल :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में उन क्षेत्रों के नाम क्या हैं जहां पेलमोड पद्धति को समाप्त करने की योजना लागू को गयी है ;

(ख) क्या यह सच है कि इस योजना को केवल आदिम जाति क्षेत्रों में लागू किया जायेगा ; और

(ग) यदि हां, तो इसे गैर-आदिम जाति क्षेत्रों में लागू क्यों नहीं किया जाता ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री अन्नासाहेब शिन्दे)** : (क) पेलमोड पद्धति को समाप्त करने की योजना को महाराष्ट्र के 12 जिलों के वन ग्रामों सहित 44 मौजूदा और 36 प्रस्तावित आदिम जाति विकास खण्ड क्षेत्रों में लागू किया गया है। महाराष्ट्र के जिन क्षेत्रों में यह योजना लागू की गई है, उनके नामों के बारे में महाराष्ट्र सरकार से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

**(ख) और (ग)** यह योजना केवल आदिम जाति क्षेत्रों में लागू की जाती है, अतः इसे गैर-आदिम जाति क्षेत्रों में लागू करने का कोई प्रश्न नहीं है ।

**Post Offices opened in Madhya Pradesh during 1970-71 with telegraph facilities in Hindi**

*2738. **Shri G.C. Dixit** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the number of Post-Offices to be opened District-wise during the year 1970-71;and

(b) the number of the post offices in Madhya Pradesh, with telegraph facilities, at pre-

sent, as also the number of those where telegraph facilities in Hindi and English are available ?

**The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Deapartment of Communcations (Shri Sher Singh)** : (a) The information is being collected and will be laid on the table of the Lok Sabha.

(b) Number of Post-Offices in Madhya Pradesh provided with telegraph facilities as on 6th August, 1970 is 657 and the number of Post Offices where telegraph facilities in Hindi and English are available is 305.

### Commemorative Stamp on Pandit Makhan Lal Chaturvedi

*2739. **Shri G.C .Dixit** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether Government propose to issue a postage stamp in memory of the well known Literature, the late Pandit Makhan Lal Chaturvedi ;

(b) if so, the date by which it is likely to be issued ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

**The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) to (c)** : No proposal for the issue of a commemorative stamp in honour of late Pandit Makhan Lal Chaturvedi has been received by the P. and T. Department for consideration. This will now be put up before the Philatelic Advisory Committee.

### Post Offices opened in East Nimar in Madhya Pradesh

*2740. **Shri G.C . Dixit** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the number of Post Offices, of all categories , opened in the District of East Nimar in Madhya Pradesh since the 13th April, 1967 upto-date.;

(b) whether the police stations in this district will have telephone connections ; and

(c) if so, by what time ?

**The Minister of State in the Ministry of Information and Broadccasting , and in the Department of Communications (Shri Sher Singh)** : (a) Number of Post Offices, of all categories, opened in the district of East Nimar (Khandwa) in Madhya Pradesh from 13th April, 1967 to 31st July, 1970—8.

(b) and (c) : Out of 18 police stations in East Nimar District, Telephone connections are available at 7 police stations. At 3 other places having police stations telephone facility is available in the P. and T. Premises. At one more place the telephone facility is being provided in P. and T. premises in December, 1970. Telephone connections at these 4 places can be provided at police stations if required by the State Government.

The remaining 7 places are without telephone facility as the proposals to provide public call offices at these places are unremunerative. Such facilities can, however, be provided at these 7 police stations on rent and guarantee basis, if the State Government are willing to indemnify the loss to the Posts and Telegraphs Department.

### Postal Employees provided with housing Facility

*2741. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the total number of employees of Post and Telegraph department and the number of those who have been allotted quarters ;

(b) whether the employees without quarters get some allowance from Government ; if so, the nature of this allowance and the amount thereof ; and

(c) the action being taken by Government for arranging quarters to the remaining employees ?

**The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh)** : (a) (i) 3,68,178.

(ii) 22,348.

(b) Yes in classified stations House Rent Allowance is given to the employees as given to the employees as indicated below :

| Class of City | | Pay per month | | Rate of allownce |
|---|---|---|---|---|
| A and B.1 | .. | Below Rs.100 | | Rs.15 |
| | | Rs.100 to Rs.3,000 | .. | 15 per cent of pay subject to a minimum of Rs.20 and a maximum of Rs.300. |
| | | Above Rs.3,000 | .. | 10 per cent of pay. |
| B-2 | .. | Below Rs.100 | .. | Rs.10. |
| | | Rs.100 and above | | 10 per cent of pay subject to a minimum of Rs.15 ad a maximum of Rs.300. |
| | | Below Rs.620 .. | .. | 7/2 of pay subject to a minimum of Rs.7.50. |
| | | Rs.620 and above | .. | Amount by which pay falls short of Rs.665. |
| | | | | In respect of staff working in non-classified stations and to whom accommodation is not provided, no House Rent Allowance is admissible. |

(c) Within the limited funds available for the 4th Five Year Plan, it has been possible to allot Rs.6.5 crores for land and Rs.10 crores for construction of staff quarters. With this it will be possible to construct about 5600 quarters in the course of the plan period.

## Non-Exhibition of News Reels and Non-Playing of National Anthem in Madhya Pradesh Cinemas

*2742. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there are some cinema houses in Madhya Pradesh where news reels are not shown regularly with films ;

(b) whether it is also a fact that in some cinema houses National Anthem is also not played regulary at the end of each show ;

(c) if so, the action taken by Government against the owners of such cinema houses and whether Government have taken steps to ensure that news reels are shown and National Anthem is played regularly in all the cinema houses in the State ; and

(d) if so, the number of cinema houses which have been found guilty in this regard during the last three years and the nature of action taken against each of them ?

**The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communication (Shri I. K. Gujral)** : (a) to (d) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

### सेंसर बोर्ड द्वारा प्रमाणित चलचित्र हर ग्रायु की जनता के लिये उपयुक्त

2743. **श्री रवि राय** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने यह निर्णय किया है कि सेंसर बोर्ड द्वारा प्रमाणित सभी चलचित्र, दर्शक की ग्रायु पर ध्यान दिये बिना जनता के सभी लोगों को दिखाने के लिए उपयुक्त होने चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

**सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

### ग्रनाज में ग्रात्म निर्भरता

2744. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें विश्वास है कि भारत, यदि वर्ष 1972 के ग्रन्त तक नहीं तो चौथी योजना के ग्रन्त तक ग्रनाज के मामले में ग्रत्मनिर्भर हो जायेगा ;

(ख) क्या उनका ध्यान ग्रन्तर्राष्ट्रीय विकास सम्बन्धी ग्रमरीकी एजेन्सी द्वारा किये गये सर्वेक्षण जो "इकनामिक प्रोग्रेस ग्राफ एग्रीकलचर इन डेवेलपिंग नेशन्स 1950-68 में" प्रकाशित हुग्रा है, के परिणामों की ग्रोर दिलाया गया है ;

(ग) क्या खाद्य उत्पादन में प्राप्त प्रारम्भिक सफलता भारत के कुल कृषि क्षेत्र के एक छोटे से ग्रौर चुने हुए भाग तक सीमित थी ग्रौर यदि बड़े क्षेत्र में खाद्य उत्पादन के कार्य में सफलता प्राप्त करनी है तो सिचाई, विद्युत, सड़कों ग्रौर ऋण ग्रादि की व्यवस्था करने, बड़े पैमाने पर पूंजी लगाने की ग्रावश्यकता होगी ; ग्रौर

(घ) यदि उपर्युक्त भागों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार ने निकट भविष्य में ग्रनाज में ग्रात्मनिर्भरता प्राप्त करने का दावा करने से पूर्व उपर्युक्त बातों पर विचार किया है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे)** : (क) चालू कृषि विकास कार्यक्रमों को सफल क्रियान्विति और मौसमी परिस्थितियां सामान्य होने पर खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना सम्भव हो सकेगा।

(ख) जी, हां।

(ग) उन क्षेत्रों का आकार तथा स्थान-निर्धारण करना जिनमें पिछले कुछ वर्षों के दौरान खाद्य उत्पादन काफी बढ़ गया है, मुख्यरूप में सिंचाई कार्यों के लिए जल आपूर्ति की सुनिश्चिता पर निर्भर करता है।

भारत के अन्य भागों में खाद्य उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से एक और जल की उपलब्धि को बढ़ाना और बेहतर तथा अधिक उत्पादन के लिए उसका पूर्ण उपयोग करना और दूसरी ओर देश मे वर्षा पोषित तथा शुष्क क्षेत्रों के लिए उपयुक्त फसलों की किस्मों तथा बैज्ञानिक पद्धतियों को विकसित करना और उन्हें लागू करना आवश्यक होगा। इन दोनों पहलुओं पर योजना में विचार किया गया है।

सघन कार्यक्रम, सिंचाई तथा शुष्क और वर्षा पोषित खेती का विस्तार जैसे सभी किस्म के कार्यक्रमों को सहायता के तौर पर, सिंचाई, विजली शक्ति सड़क तथा विस्तार आदि के नियोजन के आधार पर एक अवस्थापना का होना आवश्यक है।

(घ) जी, हां। खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए उपलब्धि का अनुमान लगाते समय सरकार ने कृषि अनुसंधान तथा तकनांलोजी की प्रगति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न सम्भाव्यताओं सहित विभिन्न सम्बद्ध साधनों पर भी विचार किया है।

## चावल के उत्पादन में कमी तथा रासायनिक उर्वरक की खपत

2745. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में हुई राज्यों के कृषि मन्त्रियों की दो-दिवसीय बैठक के पश्चात् केन्द्रीय खाद्य तथा कृषि मन्त्री ने यह दावा किया था कि देश चावल के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये तत्पर है ;

(ख) क्या चावल का उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य धान के उत्पादन के गत तीन वर्षों के वर्षवार आंकड़े उक्त आशावादिता की पुष्टि नहीं करते ;

(ग) क्या रासायनिक उर्वरकों की उपज निर्धारित लक्ष्यों से बहुत कम है ;

(घ) क्या 17 जुलाई, 1970 के 'हिन्दू' में 'हरीक्रान्ति रंग बदलती' है जैसे शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचारों से किसानों की निराशा अभिव्यक्त हुई है ; और

(ङ) यदि हां, तो उनकी आशावादिता का आधार क्या है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे)** : (क) जी हां।

(ख) एक दो राज्यों में थोड़ी बहुत कमी के अतिरिक्त गत तीन वर्षों के दौरान प्राय: सभी

राज्यों में चावलों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। यह आशा वैज्ञानिकों द्वारा इस क्षेत्र में किये जाने वाले अनुसंधान पर आधारित है।

(ग) गत तीन वर्षों की अवधि में विभिन्न रासायनिक उर्वरकों को खपत लक्ष्य का 72 प्रतिशत, 63 प्रतिशत तथा 77 प्रतिशत थी।

(घ) दिनांक 17–7–70 के "हिन्दू" में ऐसी कोई सूचना प्रकाशित हुई थो।

(ङ) हमारे देश तथा विदेशों के वैज्ञानिक चावल के सम्बन्ध में अत्यधिक ध्यान दे रहे हैं, जो कि विश्व की प्रमुख फसलों में से एक है। भारतीय वैज्ञानिक प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं। रोग तथा कीट निरोधी, अत्युत्तम तथा मध्यनेत्तम कोटि और अधिक उत्पादन क्षमता वाली किस्मों के विकास के साथ-साथ धान की अधिक उत्पादनशील किस्मों के कृषि क्षेत्र में आगामी वर्षों में पर्याप्त कृषि होने की संभावना है। इनके अतिरिक्त जल लग्न तथा सिंचित वर्षा वाली परिस्थितियों के लिये भी उपयुक्त किस्मों को निमुक्त किया गया है। अनुसंधान के इन परिणामों को विस्तार एजेन्सियों द्वारा खेतों में कार्यरूप दिया जायेगा। निकट भविष्य में हमें भारी सफलता मिलने की आशा है।

## फार्म स्नातकों के लिये नौकरियों की संभावनायें

2746. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान व्यवहारिक जनशक्ति अनुसंधान द्वारा, कृषि स्नातकों, कृषि इंजीनियरों तथा पशुचिकित्सा स्नातकों के लिए नौकरियों की संभावनाओं के सम्बन्ध में किए गए अध्ययन के निष्कर्षों की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) इस अध्ययन के अनुसार चौथी योजना में कृषि स्नातकों, कृषि इन्जीनियरों तथा पशुचिकित्सा स्नातकों की संख्या क्रमशः 24,000, 1,240 और 6,000 होगी किन्तु उक्त अवधि में कर्मचारी भर्ती करने की वर्तमान पद्धति के अनुसार केवल 13,000 , 350 और 2500 अतिरिक्त नौकरियों की व्यवस्था होने की सम्भावना है ;

(ग) क्या वह उपर्युक्त अनुमान से सहमत हैं, यदि नहीं तो वह अपने आंकड़े और उनका आधार बतायें ;

(घ) क्या अभी भी इन वर्गों में अत्यधिक बेकारी है यदि हां, तो कितनी ; और

(ङ) क्या वह इन बेरोजगार लोगों तथा आगामी वर्षों में इन क्षेत्रों में आने वाले लोगों को रोजगार देने सम्बन्धी की गई कार्यवाही की व्यवस्था करेंगे ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे)** : (क) जी, नहीं। व्यवहारिक जनशक्ति अनुसंधान ने कृषि स्नातकों तथा पशुचिकित्सा स्नातकों के सम्बन्ध में अखिल भारतीय आधार पर कोई अध्ययन नहीं किया है। इस संस्था ने समग्ररूप में यांत्रिक, असैनिक इन्जीनियर तथा अन्य इन्जीनियरों का कुछ अध्ययन किया है, किन्तु कृषि इन्जीनियरों का विशेषरूप से अध्ययन नहीं किया।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं होता क्योंकि जिस प्रकार के अध्ययन के बारे में माननीय सदस्य ने जिक्र किया है वह नहीं किया गया।

(ग) कृषि विभाग ने कुछ अस्थायी अनुमान तैयार किये हैं जिसका विवरण संलग्न है।

(घ) उल्लखित वर्गों के कृषि कार्मिकों में बेरोजगारी के विश्वस्त आंकड़े इस समय उपलब्ध नहीं है ।

(ङ) तकनीकी कार्मिकों को रोजगार देने के लिये कई योजनायें तैयार की गई है । प्रथम, चौथी योजना के दौरान 5,000 कृषि-सेवा केन्द्रों की स्थापना के लिये एक योजना है । इस योजना से सम्भवतः 50,000 इन्जीनियरों, स्नातकों तथा अन्य तकनीकी कार्मिकों को रोजगार मिल सकेगा । दूसरे, विभिन्न कृषि-उद्योग निगम कृषि मशीनरी किराये पर देने के लिये केन्द्र तथा उप-केन्द्र स्थापित करेंगे और ऐसी मशीनरी के लिये देखभाल की सेवायें चालू करेंगे । ये केन्द्र तथा उप केन्द्र कई तकनीकी कार्मिकों को रोजगार उपलब्ध करायेंगे । तीसरे, भारतीय स्टेट बैंक ने कृषि स्नातकों तथा उन लोगों को, जो कृषि कार्य करने योग्य बनेंगे और उन्हें करने के लिये इच्छुक होंगे आर्थिक सहायता देने के लिये "फार्म स्नातक योजना" नामक एक योजना तैयार की है । इस योजना की सिफारिश समस्त राज्य सरकारों को की गई है । अन्तः में कृषि वित्त निगम वाणिज्यिक उन बैंकों के माध्यम से जो उससे सम्बद्ध है कृषि कार्यों में धन लगाने के लिये बड़े पैमाने पर जोखिम उठाने का इरादा रखती है । इस सम्बन्ध में वाणिज्यिक बैंकों को तकनीकी रूप से योग्य कार्मिकों को सहायता की आवश्यकता पड़ेगी । इससे कृषि स्नातकों, इन्जीनियरों तथा अन्य व्यक्तियों के खपाये जाने की और अधिक सम्भावना होगी । समस्त राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे यथा सम्भव अपने तकनीकी कार्मिकों को रोजगार दिलाने के उद्देश्य से कृषि वित्त निगम तथा स्थानीय सम्बद्ध बैंकों के साथ इस विषय पर विचार विमर्श शुरू करें ।

## विवरण

| | उत्पादन 1969-73 | कुल आवश्यकता | संभावित अधिशेष |
|---|---|---|---|
| ( i ) कृषि स्नातक | 19,660 | 10,755 | 8,950 |
| ( ii ) पशुचिकित्सा तथा स्नाकोत्तर | 5,170 | 2,555 | 2,515 |
| (iii) कृषि इन्जीनियर | 1,315 | 610 | 705 |

## कुपोषण के उपाय

2747. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : क्या खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 3 जुलाई 1970 के हिन्दू नामक समाचार पत्र में लाखों व्यक्तियों के पालन-पोषण के लिये एक जादुई बिस्कुट (ए मैजिक बिस्कुट टु सेव मिलियन्स) शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि आम्बिया में राष्ट्रमंडल के वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान संगठन तथा आस्ट्रेलिया की बिस्कुट बनाने वाली कम्पनी द्वारा मेलबोन में शुष्क दुग्ध मिश्रण से विशिष्ट रूप से तैयार किये गये बिस्कुटों के प्रयोग को प्रोत्साहन देकर वहां नागरिकों को कुपोषण समस्या का सामना किया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो देश को कुपोषण की विपत्ति से छुटकारा दिलाने के उद्देश्य स क्या वस्तु स्थिति का आवश्यक ब्यौरा प्राप्त करेंगे ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे)** : (क) जी हां ।

(ख) यह सूचना प्राप्त हुई है कि आस्ट्रेलिया के डेरी अनुसंधान प्रभाग ने अर्नाट ब्रोखोफ गैस्ट कम्पनी के सहयोग से एक ऐसे दूध के बिस्कुट को तैयार किया है जिसमें दूध के सभी आवश्यक तत्व विद्यमान हैं। यह भी सूचना प्राप्त हुई है कि जम्बिका में एक ऐसे संयंत्र को स्थापित करने हेतु प्रबंध किए जा रहे हैं जिसकी प्रति दिन क्षमता एक मीटरी टन सप्रेटा दूग्ध चूर्ण से निर्मित बिस्कुट होगी। आस्ट्रेलिया के डेरी अनुसन्धान प्रभाव द्वारा तैयार किए गए आस्ट्रेलियन मक्खन के तेल तथा कोप्रेरिपेटेट (दूध प्रोटीन का सांद्रण) को इन विस्कुटों को तैयार करने के लिये प्रयुक्त किया जायेगा ।

(ग) ऐसे बिस्कुटों के उत्पादन के लागत दाम, सम्भाव्यता से सम्बन्धित विस्तृत सूचना उपलब्ध नहीं है बताया जाता है कि लगभग तीन वर्ष पूर्व न्यूजीलैंड में स्थित डेरी अनुसंधान ने भी सप्रेटा दूग्ध चूर्ण से ऐसे बिस्कुट तैयार किए थे। इन एजेंसियों से विस्तृत सूचना प्राप्त की जाएगी। तथापि, इन दोनों देशों के पास भारी मात्रा में सप्रेटा दुग्ध चूर्ण उपलब्ध है और विश्व के विभिन्न भागों को उसका निर्यात करते हैं सप्रेटा दुग्ध चूर्ण के विस्कुट अधिशेष सप्रेटा दुग्ध चूर्ण के लिए निर्यात का अवसर प्रदान करते हैं। क्योंकि हमारे देश में दूध की कमी है तथा सप्रेटा दुग्ध चूर्ण के उत्पादन की लागत भी बहुत अधिक बैठती है इसलिए बड़े पैमाने पर ऐसे बिस्कुट तैयार करना तब तक सम्भव नहीं होगा जब तक कि बड़े पैमाने पर सूखे सप्रेटा दुग्ध चूर्ण का आयात नहीं किया जाता है। तथापि, सरकार देश में उपलब्ध कच्चे माल से निर्मित न्यूट्रो बिस्कुट, भारतीय बहु-उद्देश्यीय खाद्य, बालाहार, स्तन त्याग खाद्य तथा लैक्टोन जैसे पौष्टिक खाद्य की उपलब्धि में वृद्धि करने के लिये कार्यवाही क ररही है।

## अनुसंधान परिषद के कृत्य

2748. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक ओर राज्यों के कृषि विभागों तथा दूसरी ओर भारतीय कृषि अनुसंधान तथा परिषद तथा कृषि विश्वविद्यालयों के बीच कार्य का विभाजन है ;

(ख) क्या उनका ध्यान मैसूर के कृषि मन्त्री के उस आरोप की ओर दिलाया गया है कि अब कृषि विश्वविद्यालय कृषि विभागों के समानान्तर संगठनों की तरह कार्य कर रहे हैं जिससे अनुसन्धान के क्षेत्र में दोहरा कार्य हो रहा है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है , और

(घ) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है कि कृषि विभागों और भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् तथा कृषि विश्वविद्यालयों के बीच कार्यों के विभाजन को समुचित रूप से कार्यान्वित किया जाये ताकि दोहरा काम और उसके परिणामस्वरूप व्यक्तियों तथा सामान की बरवादी न हो ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे)** : (क) मोटे तौर से कहा जा सकता है कि जहां भी कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किये गये हैं, वे अनुसंधान प्रशिक्षण तथा कृषि-शिक्षा के विस्तार (पशु-चिकित्सा, पशु-विज्ञान तथा सम्बद्ध विषयों सहित) के सम्बन्ध में कार्य करेंगे राज्य सरकारें विस्तार सम्बन्धी कार्य करेंगी ? भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद कृषि-अनुसन्धान तथा शिक्षा को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में कार्य करेंगी। परन्तु राज्यों में समान प्रतिमान मौजूद नहीं हैं। कुछ राज्यों को या तो अनुसन्धान हस्तान्तरित नहीं किया गया है और यदि किया गया है तो आंशिक रूप से।

(ख) हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

(घ) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद द्वारा राज्य सरकारों को परिचालित किये गये मण्डल अधिनियम में कृषि विश्वविद्यालयों के प्रतिमान तथा कार्य दिये गये हैं। सिफारिशों के प्रतिमान न अपनाने वाली राज्य सरकारों के साथ भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद द्वारा मामला उठाया जाता है। भारतीय कृषि अनुसन्धान के दौरा करने वाले दल भी वित्तीय सहायता की सिफारिश करते समय कृषि विश्वविद्यालयों के कार्यों की जांच करते हैं।

## राज्यों में भूमि पर जबरन कब्जा करने के लिए संयुक्त समाज वादी दल द्वारा आह्वान

2749. **श्रीमती इलापाल चौधरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान सारी सरकारी भूमि तथा जमींदारी जोतों पर कब्जा करने के लिए 9 अगस्त, 1970 से एक देश व्यापी आन्दोलन आरम्भ करने के बारे में संयुक्त समाज वादी दल की कथित धमकी की ओर दिलाया गया है जिसमें उनका लक्ष्य कुरु क्षेत्र (हरियाणा) में वर्तमान केन्द्रीय रेलवे मन्त्री को कथित 200 एकड़ भूमि, पुसाड़ यवतमाल जिला (महाराष्ट्र) में महाराष्ट्र के मुख्य मन्त्री को 450 एकड़ भूमि, लगभग 2,000 एकड़ वह भूमि जो कि मूलत: उनको आवंटित करने के लिए थी पाशेट बांध संकट में संगटग्रस्त हुए थे और अब कथित रूप से कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों के हाथ में है ; विहार में दरभंगा के महाराजा की जीत, एर्णाकुलम में कोचीन शासक की महल–भूमि, केरल में कानन देवल टी गार्डन्स की लगभग 70,000 एकड़ भूमि और बम्बई में बिना कब्जा किये पड़े लगभग 22,000 स्वामित्व वाले फ्लैट है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) उक्त भूमि को जबरन कब्जा किये जाने के बचाने के लिए क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे)** : (क) जी हां।

(ख) सरकार पहले से ही भूमि सुधार के कार्यक्रम की तीव्रता से कार्यान्वित करने के

वचन वद्ध है जिसमें अधिकतम भूमि सीमा सम्बन्धी कानून लागू करना और समाज के कमजोर वर्ग की आग्रता लिये हुये भूमिहीन व्यक्तियों को फालतू भूमि देना और पट्टेदारो की सुरक्षा के लिए वर्तमान क़ानूनी व्यवस्था को सुदृढ़ करना और उचित मूल्य आदि शामिल है । सरकार किसी भी व्यक्ति द्वारा कानून को अपने हाथ में लेने के बिल्कुल विरुद्ध है ।

(ग) राज्य सरकारें पूर्णतः सतर्क है और परिस्थित का सामना करने के लिए समुचित कदम उठा रही है ।

**आजाद काश्मीर रेडियो से प्रसारण**

2750. **श्री न० रा० देवघरे :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आजाद काश्मीर रेडियो से प्रतिदिन रात्रि को प्रसारित किये जाने वाले कार्यक्रमों का पता है जिनमें भारतीय नेताओं के प्रति गाली तथा अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की हैं ;

(ग) क्या आकाश वाणी से कोई प्रतिकारात्मक कार्यक्रम भी प्रसारित किया जाता है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

**सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) :** (क) जी, हां ।

(ख) जम्मू और श्रीनगर रेडियो केन्द्र भारत के विरुद्ध किये जाने वाले झूठे प्रचार पर ध्यान रखते हैं और इसका खंडन करने के लिए सही सूचना प्रसारित करते हैं ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

**रेडियो सीलोन से भारतीय माल के विज्ञापनों पर रोक**

2751. **श्री न० रा० देवघरे :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों में वाणिज्यिक सेवाओं को चालू किये जाने की बात को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार का विचार 'रेडियो सीलोन' से भारतीय सामान आदि के विज्ञापन पर रोक लगाने का है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का व्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) :** (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) यह जरूरी नहीं समझा जाता।

**चीनी के अधिक उत्पादन के कारण गन्ना उत्पादकों और चीनी उद्योग को पारिश्रमिक मूल्य देना**

2752. **श्री एम० नारायण रेड्डी :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष चीनी उत्पादन देश की आवश्यकता से अधिक हुआ है ;

(ख) यदि उत्पादन का वर्तमान स्तर बनाए रखा गया तो 1971 में चीनी का पहले का स्टाक देश में इसके एक वर्ष के उपभोग के बराबर होगा; और

(ग) यदि हां, तो इस अधिकता की स्थिति के समाधान तथा गन्ना उत्पादकों और चीनी उद्योग को पारिश्रमिक मूल्य देने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री ( श्री अन्नासाहेब शिन्दे) :** (क) जी हां।

(ख) और (ग) 1969-70 की अपेक्षा चीनी वर्ष 1970-71 में (अक्तूबर, 1970 से सितम्बर, 1971 तक), चीनी का उत्पादन कम और खपत अधिक होने की आशा है। अतः अपेक्षाकृत कम और एक वर्ष की खपत सम्बन्धी जरूरतों से बहुत ही कम स्टाक के बचने की आशा है। कारखाने के क्षेत्रों के गन्ना उत्पादक को लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए, सरकार चीनी कारखानों द्वारा देय गन्ने का न्यूनतम मूल्य निर्धारित कर रही है। जहां तक चीनी उद्योग का संबन्ध है, सरकार टैरिफ आयोग द्वारा अभिस्तावित लागत अनुसूचियों और क्षेत्रों के आधार पर लेवी-चीनी का मूल्य निर्धारित करती है।

**राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम में अनुशासन संहिता के अन्तर्गत कर्मचारी संघ को मान्यता देना**

2753. **श्री इन्द्रजीत गुप्ता :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री 30 अप्रैल, 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 1321 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुशाशन संहिता के अन्तर्गत कर्मचारी संघ को मान्यता देने के प्रश्न पर राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के अधिकारियों के साथ बातचीत की गयी है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

**श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) :** (क)इस विषय पर औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय औद्योगिक विकास के साथ, जिसके अन्तर्गत राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम काम करता है, बातचीत की गई थी।

(ख) निगम के अधिकारियों ने, राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम कर्मचारी यूनियन द्वारा अनुशासन संहिता भंग करने की कुछ शिकायतें की हैं। उनको मान्यता देने के प्रश्न पर आगे विचार करने से पहले, दिल्ली प्रशासन अधिकारियों द्वारा इन शिकायतों की जांच होनी है।

**कृषि विभाग के अन्तर्गत विस्तार निदेशालय के लिए एक अलग आयुक्त**

2754. **श्री मंगलाथुमाडम :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान अधिकारी ने निदेशालय में संयुक्त आयुक्त के रूप में और कृषि विभाग के अर्थिक तथा सांख्यिकीय सलाहकार के रूप में दोहरा कार्य-भार सम्भाला हुआ है ;

(ख) विस्तार निदेशालय के लिए अलग आयुक्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे)** : (क) जी नहीं । आर्थिक तथा सांख्यिकीय सलाहकार ने विस्तार निदेशालय और अर्थ एवं सांख्यिकीय निदेशालय का दोहरा कार्य नहीं सम्भाला हुआ है ।

**(ख) और (ग)** हाल ही में विस्तार निदेशालय का पुनर्गठन होने तथा कृषि विभाग को कुछ मुख्य मदें हस्तांतरित होने के परिणामस्वरूप इसके अन्तिम पदधारी की 9 मई, 1969 से सिंचाई आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्ति के पश्चात् विस्तार आयुक्त के पद को भरना आवश्यक नहीं समझा गया था ।

## भारतीय खाद्य निगम द्वारा बन्दरगाहों से आयातित खाद्यान्नों को हटाना

2755. **श्री मंगलाथुमाडम** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने बन्दरगाहों से आयातित खाद्यान्नों को हटाने के सम्पूर्ण कार्य को अपने हाथ में ले लिया है ;

(ख) यदि हां, तो कितने बड़े बन्दर-गाहों में अनाज के गोदाम बनाये गए हैं; और

(ग) वर्ष 1970 में बन्दरगाहों से खाद्यान्न हटाने का कितना काम बाकी पड़ा है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री ( श्री अन्नासाहेब शिन्दे )** : **(क)** जी हां ।

(ख) भारतीय खाद्य निगम के पास खाद्यान्नों का भण्डारण करने के लिए भारत को सभी प्रमुख बन्दरगाहों, अर्थात् बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, कांडला, कोचीन और विशाखापतनम पर गोदाम हैं ।

(ग) घाटा बन्दरगाह पारगमन शैडों से माल की निकासी, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कि जहाजों से माल उतारने के साथ-साथ चलती है । अत: इस वर्ष में माल की निकासी सम्बन्धी किसी काम के बाकी रह जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

## पूर्वी पाकिस्तान से मछली का आयात

2756. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले 7 जून के "स्टेट्समैन" के पृष्ट 9 स्तम्भ 8 में "मूव टू इमपोर्ट फिस फ्रौम ईस्ट पाकिस्तान" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने इस बारे में केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

**खाद्य, कृषि,, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री ( श्री अन्नासाहेब शिन्दे)** : (क) जी, हां। सरकार का ध्यान कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले 6 जून 1970 के "स्टेट्समैन" में मूव टू इमपोर्ट फिस फ्रौम पाकिस्तान" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है।

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान से मछलियां आयात करने का प्रश्न 1969 में भारत सरकार के समाने रक्खा था।

(ग) भारत सरकार ने एक पक्षीय रूप से 27 मई, 1966 को पाकिस्तान से व्यापार करने पर प्रतिबन्ध हटा लिया था और व्यापार सम्बन्धों को पुन: स्थापित करने हेतु पाकिस्तान सरकार को प्रेरित करने के लिए निरन्तर रूप से प्रयत्न होते रहे हैं जब तक पाकिस्तान सरकार भारत के साथ व्यापार करने पर प्रतिबन्ध नहीं उठा देता मछलियों का आयात संभव नहीं है।

## भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बंगलौर के रेल कोच डिवीजन के कर्मचारियों को निलम्बित किया जाना

2757. **श्री अ० कु० गोपालन : श्री के० रमानी :**
**श्रीमती सुशीला गोपालन : श्री सत्य नारायण सिंह :**
**श्री के० एम० अब्राहम :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, बंगलौर के रेल कोच डिवीजन के सक्रिया कार्मिक संघवादियों सहित 7 कर्मचारियों को झूठे मामले में सेवा से निलम्बित कर दिया गया है, और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह भी सच है कि प्रबन्धकों द्वारा उन कर्मचारियों को उनके विरुद्ध लगाये गये आरोपों के कारण कोई प्रारम्भिक जाँच कराये बिना निलम्बित कर दिया गया था, यदि हां, तो उसके क्या कारण है ;

(ग) क्या सरकार निलम्बन आदेशों को वापिस लेने के लिए और प्रारम्भिक जांच कराने के लिए, प्रबन्धकों पर दबाव डालेगी ;

(घ) यदि हां ; तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

**श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री ( श्री डी० संजीवैया ) : (क) से (ड)** : यह मामला राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है।

**आंध्र प्रदेश में दूसरी फसल के लिए धान की खेती वाले क्षेत्र को सीमित करना**

2758. **श्री अ० कु० गोपालन : श्री के० रमानी :**
**श्री राममूर्ति : श्री गणेश घोष :**
**श्रीमती सुशीला गोपालन :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दूसरी फसल के लिए धान की खेती वाले क्षेत्र को सीमित करने सम्बन्धी कार्यवाही की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या धान की खेती वाले क्षेत्र को सीमित करना देश के लिए अच्छा रहेगा जबकि देश को खाद्य की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री** (**श्री अन्नासाहेब शिन्दे**) : **(क), (ख), (ग) और (घ)** राज्य सरकार से जानकारी मांगी गई है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

**आंध्र प्रदेश में अनबिके उर्वरकों के स्टाक का होना**

2759. **श्री सी० के० चक्रपाणि : श्री अ० कु० गोपालन :**
**श्री प० गोपालन : श्री के० एम० अब्राहम :**
**श्री उमानाथ : श्री पी० पी० एस्थोस :**
**श्री के० रमानी : श्री सत्यनारायण सिंह :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आंध्र प्रदेश के कृषि विभाग के गोदामों में लगभग 4.7 करोड़ रुपये का उर्वरक का भण्डार अनबिका पड़ा है ; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह भी सच है कि आंध्र प्रदेश सरकार को गोदामों के किराये तथा उस पर ब्याज के रूप में धन देने से हुई हानि की क्षतिपूर्ति के लिये राज्य सरकार ने 50 लाख रुपयों की केन्द्र से मांग की थी ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे )** : (क) दिनांक 1–4–1970 को आंध्र प्रदेश सरकार के पास उर्वरक का भंडार निम्न प्रकार से था :—

| | |
|---|---|
| अमोनियम सल्फेट | 50,000 मीटरी टन |
| यूरिया | 50,000 मीटरी टन |

| | |
|---|---|
| कैलसियम अमोनियम नाइट्रेट | 5,000 मीटरी टन |
| अमोनियम फास्फेट | 5,000 मीटरी टन |
| डाइ-अमोनियम फोस्फेट | 25,000 मीटरी टन |

उपरोक्त भंडारों का कुल मूल्य 9.95 करोड़ रुपये हैं।

(ख) से (घ) सन् 1967 के दौरान राज्य सरकार को सप्लाई किये गये डाइअमोनियम फास्फेट के भंडारों के सम्बन्ध में अब तक सरकारी संस्थाओं द्वारा गोदामों का किराया, व्याज आदि पर हुये व्यय के लिये आंध्र प्रदेश सरकार ने भारत सरकार से 50 लाख रुपये तक सहायता स्वीकृति करने का अनुरोध किया है। भारत सरकार ने यह सहायता स्वीकृति कर दी क्योंकि आंध्र प्रदेश सहकार द्वारा जोखिम उठाने, प्रोत्साहन सम्बन्धी व्ययों आदि के लिये 7 रुपये की एक राशि रख ली जाती है तथा इन धन राशि में से काफी धन उपलब्ध हो जाता है। समितियों द्वारा व्याज तथा गोदामों के किराये, आदि के अतिरिक्त लागतों के सम्बन्ध में राज्य सरकार को सहायता देने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये। फिर भी, भारत सरकार के अनुरोध पर भारतीय उर्वरक निगम, ट्राम्बे ने आंध्र प्रदेश सरकार से 4,000 मीटरी टन डाइ-अमोनियम फास्फेट ले लिया है तथा अधिशेष भंडार को ट्राम्बे, उत्तर प्रदेश तथा पंजाब में ले जाने की व्यवस्था के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं।

## पश्चिमी बङ्गाल में अच्छे किस्म के पटसन की कृषि के लिए प्रायोगिक परियोजना

2760. **श्री सत्यनारायण सिंह : श्री भगवानदास : श्री नम्बियार : श्री विश्वनाथ मेनन : श्री गणेश घोष :**

**क्या खाद्य, तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बङ्गाल सरकार ने अच्छे किस्म के पटसन की कृषि हेतु एक प्रायोगिक परियोजना को मंजूरी देने के लिए केन्द्र पर जोर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पश्चिमी बङ्गाल सरकार की मांग पर विचार किया है;

(घ) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री ( श्री अन्नासाहेब शिन्दे) :** (क) पश्चिम बङ्गाल सरकार से ऐसा कोई अनुरोध नहीं आया है। भारत सरकार केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में पश्चिम बङ्गाल में अच्छी किस्म के पटसन के उत्पादन के लिये एक विशेष पैकेज कार्यक्रम चला रही है।

**(ख) से (घ)** पटसन पर एक विशेष पैकेज कार्यक्रम 1970–71 में 53,200 एकड़ भूमि पर आरम्भ किया गया है और 1973–74 तक इस योजना को 1.10 लाख एकड़ भूमि में विस्तृत करने का प्रस्ताव है। विशेष पैकेज कार्यक्रम की नीति ऐसे क्षेत्रों में काश्त के सभी सुधरे तरीकों को अपनाना

है, जहां गलाई की प्राकृतिक सुविधाएं पहिले की विद्यमान होने के कारण पटसन की किस्म अच्छी है ताकि प्रति एकक उपज बढ़े और परिणाम स्वरूप अच्छे रेशे के कुल उत्पादन में वृद्धि हो सके। इस योजना के अधीन भारत सरकार अतिरिक्त कर्मचारियों, कम शक्ति के शक्ति सप्रेयर, सप्रेयर के लिये ईंधन, पूल मूल्य पर यूरिया, मशीनरी और उपकरणों के परिवहन और मन्डारण आदि का सारा व्यय सहन करती है ।

(ङ) प्रश्न नहीं होता

**पश्चिमी बंगाल को अनाज की सप्लाई**

2761. **श्री सरदार अमजद अली :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969–70 के लिए पश्चिमी बंगाल ने वास्तव में खाद्यान्नों की कितनी मात्रा की मांग की थी;

(ख) क्या समूची मांग को पूरा कर दिया गया था ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे)** : (क) पश्चिमी बंगाल सरकार से खाद्यान्नों की मांग पंचांग वर्ष के आधार पर प्राप्त होती है । 1969 के लिए, कुल खाद्यान्नों की मांग 19.1 लाख मीटर टन थी । 1970 के लिए उन्होंने 3.39 लाख मीटरी टन चावल की मांग की थी । गेहूँ के लिए कोई विशिष्ट मांग नहीं की गई थी ।

(ख) जी नहीं । 1969 में, पश्चिमी बंगाल को वास्तव में 13.1 लाख मीटरी टन खाद्यान्न सप्लाई किया गया था । 1970 में अब तक, पश्चिमी बंगाल को 2.16 लाख मीटर टन चावल और 9.60 लाख मीटरी टन गेहूं आवंटित किया गया है ।

(ग) पश्चिमी बंगाल सरकार की मांग 16 औंस प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के आधार पर राज्य की कमी के सैद्धान्तिक अनुमान पर आधारित है। इस आधार पर हिसाब लगाने पर देश में खाद्यान्न की कुल कमी केन्द्र के पास उपलब्ध संसाधनों की अपेक्षा बहुत अधिक होगी। केन्द्रीय भंडार से राज्यों को की जाने वाली सप्लाई, केन्द्र के पास कुल उपलब्धि, अन्य कमी वाले राज्यों की आवश्यकता और अन्य संगत तथ्यों के आधार पर, निश्चित की जाती है ।

**पश्चिमी बंगाल में पटसन के औसत उत्पादन में कमी**

2762. **श्री सरदार अमजद अली :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष पश्चिमी बंगाल में पटसन का औसत उत्पादन कम हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इसका अधिक उत्पादन करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे)**: (क) अभी सन 1970–71 के उत्पादन के अनुमान उपलब्ध नहीं हैं । परन्तु 1969–70 की औसत प्रति एकड़ उपज गत वर्ष के उत्पादन की तुलना में कम नहीं थी ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

(ग) राज्य में पैकेज योजना के कुछ क्षेत्रों के कृषकों को जूट की उपज बढ़ाने के लिए राज्य सरकार निम्न सहायता दे रही है :—

(1) राष्ट्रीय बीज निगम के माध्यम से उन्नत बीज खरीदने के लिए 50 प्रतिशत सहायता दी जा रही है।

(2) भारत सरकार वर्णीय प्रयोग के लिए युरिया की पूरी लागत दे रही है ।

(3) कम परिमाण के शक्ति–चालित फुआरों की 100 प्रतिशत लागत प्रदान की जा रही है ।

(4) कार्यक्रमों को क्रियान्वित के लिए राज्य सरकार को तकनीकी कर्मचारी उपलब्ध करने के लिए भी सहायता दी जा रही है ।

**पश्चिमी बंगाल में पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों के शिविरों का दौरा करने का पुनर्वास मन्त्री का कार्यक्रम**

2763. **श्री सरदार अमजद अली :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने पश्चिमी बंगाल में 24 परगना जिले में हसनाबाद, बशीरहाट और बनगांव के शरणार्थी शिविरों का दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनका यात्रा-कार्यक्रम उक्त राज्य के संसद सदस्यों को परिचालित किया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो क्या यह सच है कि यह यात्रा–कार्यक्रम सभी संसद सदस्यों को उपलब्ध नहीं किया गया था ?

**श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया)** (क) जी, हां ।

**(ख) और (ग) :** जी, हां ।

जिस राज्य में मन्त्री जी दौरे पर जाते हैं वहां के संसद सदस्यों को मन्त्री जी का यात्रा–कार्यक्रम परिचालित किया जाता है ।

**उड़ीसा के समुद्र तट पर मछली पकड़ने के बन्दरगाहों के लिये केन्द्रीय सहायता**

2764. **श्री दे० अमात :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने राज्य में 1300 लाख रुपयों की लागत से मछली पकड़ने के बन्दरगाहों के निर्माण की कोई योजना प्रस्तुत की है ;

(ख) यदि हां, तो इन प्रस्तावित बन्दरगाहों के निर्माण का ब्यौरा क्या है और उनके लिए कितनी केन्द्रीय सहायता मांगी गई है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) :** (क) उड़ीसा राज्य को चौथी पंच वर्षीय योजना में गोपालपुर कोर्तोनिया के तट के छोटे

बन्दरगाहों पर जहाजों को ठहराने से सम्बन्ध रखने वाली केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत बन्दरगाहों के निर्माण के लिए 300 लाख रु० के खर्च का अनुमान लगाया गया है।

(ख) योजना में गोपालपुर तथा चन्दीपुर और किल्का माऊथ के खोलने का विशेष उल्लेख किया गया था। उड़ीसा सरकार ने पहले विभिन्न अवस्थाओं में चन्डीपुर, कीर्तोनिया औंधौं, चांदनीपल तथा गोपालपुर में मछली पकड़ने के लिये बन्दरगाह निर्माण करने के लिए प्रस्ताव रखा था। चन्डीपुर के सम्बन्ध में विस्तृत व्यौरा 1969 में प्राप्त हुआ और इस स्थान पर लगभग 5 लाख रु० की लागत से एक मछली पकड़ने की बन्दरगाह के निर्माण की स्वीकृति दी गई। प्रत्येक राज्य में एक छोटे बन्दरगाह के लिए परिवहन मन्त्रालय की एक योजना के सम्बन्ध में, मिश्रित वाणिज्यिक तथा मछली पकड़ने की बन्दरगाह के विकास के लिए गोपालपुर तथा चांदवाली के स्थानों के विषय में विचार किया गया था। राज्य सरकार ने परादीप में मछली पकड़ने की एक बन्दरगाह की व्यवस्था करने के लिए भी प्रस्ताव रखा है।

इन बन्दरगाहों को केन्द्रीय तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत निर्माण करने का प्रस्ताव है। इन योजनाओं के अन्तर्गत मछली पकड़ने की बन्दरगाहों की लागत पूर्ण रूप से केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन की जायेगी।

(ग) केवल चन्डीपुर के सम्बन्ध में ही विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जहां कि एक बन्दरगह पहले ही स्वीकृति की जा चुकी है। भारत सरकार ने परादीप पोर्ट ट्रस्ट से इस स्थान पर एक मछली पकड़ने की बन्दरगाह के निर्माण के हेतु एक परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए अनुरोध किया है। जांच पड़ताल करने और रिपोर्ट तैयार करने का खर्च भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इस पत्तन पर मछली पकड़ने की बन्दरगाह बनाने के प्रश्न पर परियोजना रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद ही विचार किया जाएगा। अन्य पत्तनों पर मछली पकड़ने वाली बन्दरगाहों के निर्माण पर विस्तृत प्रस्तावों की प्राप्ति के बाद ही विचार किया जाएगा। राज्य सरकार के परामर्श से चुने हुए उपयुक्त स्थानों के सर्वेक्षण का कार्य और विस्तृत योजनायें तथा अनुमान तैयार करने का कार्य संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम निवेशपूर्व मात्स्य बन्दरगाह सर्वेक्षण को सौंपा गया है। इस परियोजना ने हाल ही में उड़ीसा के समुद्री तट का एक प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया है।

## Sales of Land Belonging to Custodian in Bhawanipur Khera in Shahdara

*2765. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state :

(a) whether it is a fact that by mutual agreement between the villagers and the officials of Custodian's office, the land belonging to the Custodian in Bhawanipur Khera in Shahdara sector, has been sold to the people at the rate of Rs.2 per square yard and unauthorised houses have been built upon it ;

(b) whether it is also a fact that the aforesaid land thus sold has neither been given to the refugees nor to the ex-servicemen, but the officers and employees of the Custodian's office have also built their houses on the major portion of that land ;

(c) if so, whether Government propose to order an inquiry by the C. B. I. into this matter ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

**The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya)** : (a) No, Sir. Presumably, the Hon'ble Member refers to village Bhagwanpur Khera in Shahdara Sector. It is not a fact that by mutual agreement between the villagers and the officials of the Custodian's Office, the land belonging to the Custodian in this village has been sold to people at the rate of Rs.2 per square yard.

(b) : No, Sir.

(c) and (d) Do not arise.

## Deputationists in Office of Settlement Commissioner, Delhi

2766. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) The number of employees from officer level to Class IV, who are on deputation to the office of the Settlement Commissioner located in the Capital and the number of employees out of them category-wise who have been continuously working there for the last 5o r3 years ;

(b) whether it is a fact that the employees of this office have been stagnating on account of these deputationists ;

(c) whether Government propose to send all such deputationists back to their parent offices who have been working there for the last 5 or 3 years ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

**The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya)** : (a) Total number of employees on deputation in the office of the Settlement Commissioner in the Capital is four. Of these four, two employees of Class III are with less than three years' service.

| | Number with more than 3 years service on deputation but less than 5 years | Number with more than 5 years service on deputation |
|---|---|---|
| Class I .. .. | | .. |
| Class II .. .. .. | | 2 |
| Class III .. .. .. .. | .. .. | .. |
| Class IV .. .. .. | .. .. | .. |
| Total | .. .. | 2 |

(b) No, Sir.

(c) **and** (d) : The cases of deputationists are examined from time to time in the light of the exigencies of service.

## S. C. and S. T. Employees in Office of Settlement Commissioner, Delhi

*2767. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of Scheduled Caste and Scheduled Tribe employees, from officer level to class IV, working in the office of the Settlement Commissioner located in Jamnagar House in the Capital ;

(b) whether it is a fact that the number of Scheduled Castes employees in the aforesaid office falls far short of the quota reserved for them ; and

(c) if so, the action taken by Government in this regard ?

**The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya)** : (a) The requisite information, as on 1st August, 1970, is as under :

| | |
|---|---|
| Class III .. .. .. .. .. | 24 |
| Class IV .. .. .. .. .. | 12 |
| Total | 36 |

(b) No, Sir. It is negligible, being 2 per cent in Class III and 1 per cent in Class IV.

(c) No fresh recruitment is being made due to winding up of the organisation.

## पोस्टकार्ड के लिए प्रयुक्त होने वाले कागज की किस्म के बारे में शिकायतें

2768. **श्री जगन्नाथ राव जोशी** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोस्टकार्ड के लिए प्रयुक्त कागज के घटिया किस्म के होने के बारे में जनता की ओर से कुछ शिकायतें प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस कागज की किस्म में कब सुधार करेगी ?

**सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

## भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के अधीन समुचित अर्हताओं के बिना तकनीक पदों पर कार्य करने वाले अधिकारी तथा कर्मचारी

2769. **श्री प्र० रं० ठाकुर** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् तथा इसके अधीन विभिन्न संस्थानों तथा केन्दों में कार्य कर हैं ऐसे अधिकारियोंतथा कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन्हें वैज्ञानिक तथा तकनीको पदनाम तो दिये गये हैं (या वे इन पदों पर काम तो कर रहे हैं) परन्तु उनके पास कृषि-क्षेत्र से सम्बन्धित कोई वैज्ञानिक और तकनीकी अर्हतायें नहीं हैं ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे)** : विभिन्न अनुसंधान संस्थानों से जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

### भारत के रिजर्व बैंक के कर्मचारी को बोनस से वंचित रखना

2770. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्तमान बोनस अधिनियम में भारत के रिजर्व बैंक के कर्मचारियों को बोनस की अदायगी से वंचित किया गया है अथवा देने से इन्कार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार बोनस अधिनियम में संशोधन करने के बारे में विचार करेगी क्योंकि भारत के स्टेट बैंक सहित सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों को बोनस दिया जा रहा है ?

**श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) :** (क) धारा 32 (viii) के अनुसार बोनस अदायगी अधिनियम 1965 रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के कर्मचारियों को लागू नहीं होता है।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

### नियोजकों को बागान श्रम अधिनियम के उपबन्धों से छूट

2771. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडू सरकार ने केन्द्र से यह मांग की है कि राज्य सरकारों को यह अधिकार दिया जाये कि वे केन्द्र की पूर्व अनुमति के बिना ही नियोजकों को बागान श्रमिक अधिनियम के उपबन्धों से छूट दे सकें ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

**श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) और (ख) :** तमिलनाडू सरकार का यह प्रस्ताव था कि बागान श्रमिक अधिनियम 1959 की धारा 42 के उपबन्ध को जिसमें, धारा 19 से छूट के अलावा, केन्द्रीय सरकार की अनुमति के बिना इस धारा के अन्तर्गत कोई छूट न देने की व्यवस्था है, हटा दिया जाये ताकि राज्य सरकारें उचित प्रतिबन्धों तथा शर्तों के साथ छूट प्रदान कर सकें यह प्रस्ताव 10 जुलाई, 1970 को नई दिल्ली में होने वाले बागान औद्योगिक समिति के 13 वें सत्र में रखा गया। राज्य सरकार के प्रस्ताव से समिति सहमत नहीं हुई।

### कोयम्बटूर में सिंगानल्लूर में कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल

2773. **श्री के० रमानी :** क्या **श्रम तथा पुर्नावास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में सिंगानल्लूर में पहले ही से निर्मित अस्पताल काफी समय से खोला नहीं गया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त अस्पताल को न खोले जाने के क्या कारण है; और

(ग) उक्त अस्पताल के खुलवाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) :** (क) जी हां।

(ख) और (ग) : अस्पताल तमिलनाडु सरकार द्वारा चालू किया जाता है, क्योंकि कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत डाक्टरी देख रेख का प्रशासन राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने राज्य सरकार को अस्पताल शीघ्र चालू करने की पहले ही सलाह दे दी है।

**आन्ध्र प्रदेश द्वारा दिया गया चावल**

2774. **श्री द० ब० राजू** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश के विभिन्न केन्द्रों से भारतीय खाद्य निगम ने किस-किस मूल्य पर चावल खरीदा है ;

(ख) वर्ष 1969-70 में केन्द्र ने आन्ध्र प्रदेश से कितना चावल मांगा था ; और

(ग) आंध्र प्रदेश ने वर्ष 1969-70 में कितना चावल दिया था ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री ( श्री अन्नासाहेब शिन्दे)** : (क) 1969-70 विपणन मौसम में आन्ध्र प्रदेश में अधिप्राप्त किए गये चावल के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा देय निकासी मूल्य इस प्रकार हैं :—

| किस्म | मूल्य (रुपये प्रति क्विन्टल) |
|---|---|
| 1—छोटा 'बोल्ड' | 72·69 |
| 2—बड़ा 'बोल्ड' | 74·22 |
| 3—मध्यम स्लेंडर | 86·42 |
| 4—बड़ा/छोटा/खूशबूदार स्लेंडर | 109·31 |

(ख) खरीफ विपणन मौसम 1969-70 में, आन्ध्र प्रदेश से केन्द्रीय भंडार को चावल सप्लाई करने हेतु सितम्बर, 1969 में 3·5 लाख मीटरी टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था लेकिन बाद में दो लगातार चक्रवातों और अक्तूबर-नवम्बर, 1969 में फलस्वरूप अधिक बाढ़ के कारण आन्ध्र प्रदेश की फसल क्षतिग्रस्त हो गई थी। तथापि, आन्ध्र प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि वे आन्ध्र प्रदेश से केन्द्रीय भंडार में 3 लाख मीटरी टन तक चावल सप्लाई करने का प्रयास करेंगे।

(ग) वास्तव में जुलाई के अंत तक, लगभग 60,000 मी० टन चावल दिया जा चुका है।

**खेतों में अभी भी खड़े गन्ने का अनुमान**

2775. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में अब (जुलाई में) भी खेतों में गन्ना खड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी अनुमानित मात्रा कितनी होगी ; और

(ग) इस गन्ने को चीनी मिलों द्वारा लिये जाने के क्या कारण हैं ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री ( श्री अन्नासाहेब शिन्दे )** : (क) जी हां।

(ख) लगभग 70 लाख क्विंटल ।

(ग) मुख्य कारण इस प्रकार हैं :—

1–गन्ने से चीनी की बहुत कम वसूली, शोरे को बहुत अधिक मात्रा, बायलरों आदि के रुकने के कारण ईंधन की समस्या ;

2–संयंत्रों का खराब हो जाना ;

3–वर्षा के कारण सप्लाई में कठिनाई ;

4–आगमी सीजन में समय पर पिराई शुद्ध करने के उद्देश्य से मिलों की मरम्मत तथा ओवरहालिंग के लिए बन्द करना ;

5–गन्ने का असामान्य रूप से अधिक उत्पादन ; और

6–गुड़ का कम मूल्य होने के कारण गुड़ निर्माताओं द्वारा गन्ने का कम प्रयोग और परिणामतः मिलों के पास उनकी पिराई क्षमता से अधिक गन्ने का पहुँचना ।

**गाजीपुर जिले (उत्तर प्रदेश) में जमानिया टेलीफोन एक्चेंज में आग लगना**

2776. **श्री सरजू पांडेय** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मई, 1970 के अन्तिम सप्ताह में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में जमानिया टेलीफोन एक्सचेंज में आग लग गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या आग लगने के कारण की कोई जांच की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ?

**सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री ( श्री शेर सिंह )** : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) : यह आग स्विच बोर्ड के अन्दर कपड़े का टुकड़ा रखने से लगी और इससे अन्य उपस्कर में आगे फैल गई । उस समय ड्यूटी पर अंशकालिक चौकीदार को सेवा से हटा दिया गया है । उस समय ड्यूटी पर टेलीफोन आपरेटर और टेलीफोन आपरेटर इंचार्ज को प्रशासनीय कार्रवाई पूरी होने तक निलम्बित कर दिया गया है ।

**भारतीय खाद्य निगम द्वारा जापान से धान कूटने की मशीन का आयात**

2777. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम ने जापान से धान कूटने की मशीन का आयात किया है जिसे पंजाब में स्थापित किया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो उक्त मशीन को कब आयात किया गया था और उसको स्थापित करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) उक्त धान कूटने की मशीन को कब तथा कहां स्थापित किया जायेगा ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क), (ख) तथा (ग) :** भारतीय खाद्य निगम पंजाब के शहर बटाला में एक आधुनिक चावल मिल स्थापित कर रहा है और उसी राज्य में पटियाला में ऐसी ही एक और स्थापित करने का विचार है। चावल मिलों के मूल पुर्जे जापान से आयात किए गए थे और उसी तरह के पुर्जे मैसर्स बिन्नी एण्ड कं०, मद्रास द्वारा तैयार किए जा रहे हैं। बटाला में मिल स्थापित करने में बिलम्ब होने का कारण यह था कि जुलाई, 1969 में सिविल निर्माण के लिए दिए गये ठेकेदार के दोषी पाए जाने के कारण, दिसम्बर 1969 में रद्द कर दिया गया था। इसलिए नये टेंडर मंगवाए गये और फरवरी, 1970 में काम शुरू किया गया था। आशा है कि यह मिल अक्तूबर, 1970 में चालू हो जाएगी। पटियाला की मिल के लिए भूमि प्राप्त करने के प्रबन्ध किए जा रहे हैं।

### ग्रीन पार्क, नई दिल्ली स्थित दिल्ली दुग्ध योजना की बूथ संख्या 982 के डिपो मैनेजर के विरुद्ध शिकायत

2778. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 17 जुलाई, 1970 के "स्टेट्समैन" के दिल्ली अंक में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें ग्रीन पार्क, नई दिल्ली में स्थित दिल्ली दुग्ध योजना की बूथ संख्या 982 के डिपो मैनेजर के व्यवहार के विरुद्ध शिकायत का उल्लेख किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासहेब शिन्दे) :** (क) जी हां।

(ख) एक ग्राहक श्री पी० वी० एस० सुब्रामणियन ने डिपो सं० 982 पर 30 जून, 1970 सायं को 20 टोंड दूध की बोतलों और डिपो सं० 981 पर 1 एक जुलाई, 1970 को प्रातः 80 टोंड बोतलों की सप्लाई के लिये दिल्ली दुग्ध योजना को कहा था और तदनुसार सप्लाई आदेश जारी किया गया था। दूध सप्लाई के लिये प्रविष्ठ करते समय 30 जून, 1970 की सप्लाई के लिये संबद्ध बलर्क ने गलती से डिपो सं० 982 के स्थान पर 182 लिख दिया। इसलिये दूध डिपो सं० 982 को भेज दिया गया और इस सप्लाई आदेश के भुगतान में डिपो सं० 982 पर दूध प्राप्त नहीं हुआ। श्री सुब्रामणियन को कठिनाई के बचाने के लिये डिपो एजेन्ट ने नकद अदायगी पर दूध का प्रबन्ध पड़ोस के डिपो सं० 460 से कर दिया। 1 जुलाई, 1970 को श्री सुब्रामणियन को दूध सं० 981 से सप्लाई कर दिया गया था।

(ग) दिल्ली दुग्ध योजना के अधिकारियों ने 17 जुलाई, 1970 के समाचार पत्रों में प्रकाशित श्री सुब्रामणियन की शिकायत की तुरन्त जांच की। डिपो सं० 982 से दूध न सप्लाई करने की श्री सुब्रामणियन की बात सिद्ध हो गई और उन्हें 8 रुपये 40 पैसे की राशि 17 जुलाई, 1970 को वापिस कर दी गई। श्री सुब्रामणियन का आरोप कि उन्हें डिपो अधिकारियों को 2 रुपये अधिक अदा करने पड़े सिद्ध नहीं हुआ।

दिल्ली दुग्ध योजना की इस गलती जिसके परिणामस्वरूप 30 जून, 1970 को डिपो सं० 982 पर दूध नहीं भेजा जा सकता, के लिये जिम्मेदारी तीनों कर्मचारियों को भविष्य में सतर्क के लिये लिखित रूप से चेतावनी दी गई है ।

**उर्वरकों के स्टाक का जमा होना तथा उसका निबटान**

2779. **श्री न० रा० देवघरे :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1 अप्रैल 1969 को लगभग 200 करोड़ रुपये मूल्य के उर्वरक का अप्रयुक्त स्टाक जमा हो गया था;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) इस उर्वरक की लागत में आयात पर व्यय की गई राशि कितनी है;

(घ) उक्त उर्वरकों को कैसे और कहां रखा गया है ; और

(ङ) जमा स्टाक का प्रयोग करने के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क)** पहली अप्रैल 1970 को विनिर्माताओं, वितरकों, राज्य और केन्द्रीय सरकारों के पास उपलब्ध उर्वरकों के स्टाकों का मूल्य लगभग 199 करोड़ रुपए था ।

(ख) खरीफ, 1970 के लिए उर्वरकों की मांग 277 करोड़ रुपए मूल्य की थी । इन आवश्यकताओं में से दो तिहाई से तीन चौथारी तक की मात्रा अप्रैल में उपलब्ध होनी थी ताकि इससे एक या दो मास पश्चात् ही खरीफ की फसल के लिए उसका वितरण हो सके । इसके अतिरिक्त यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि उर्वरकों की आवश्यकता का एक भाग सदा पाइपलाइन में रहना चाहिए जिससे कि कृषकों के लिए उर्वरकों की कमी न रहने पाये और आयात तथा संचलन की अनिश्चिन्ताओं के परिणामस्वरूप आने वाली विभिन्न प्रकार की घटा-बढ़ी को सहन किया जा सके । इस दृष्टि से देखने पर यह स्पष्ट है कि पहली अप्रैल,1970 को मौजूदा माल अधिक नहीं था, प्रत्युत कृषकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अत्यावश्यक था ।

(ग) राज्यों के पास आयातित उर्वरकों के स्टाक के बारे में अलग से जानकारी उपलब्ध न होने के कारण इन स्टाकों की लागत के आयात घटकों का निर्धारण करना सम्भव नहीं है ।

(घ) भारत सरकार के केन्द्रीय उर्वरक पूल के उर्वरकों का स्टाक भारत खाद्य निगम, राजकीय भाण्डागार निगमों और विभिन्न राज्यों के केन्द्रीय भांडागार निगम के गोदामों में रखा जाता है । विनिर्माताओं, राज्य सरकारों और वितरकों का स्टाक उनके अपने भांडागारों में था ।

(ङ) 1969-70 के खरीफ तथा रबी मौसमों में उर्वरकों के ऊपर लिखित स्टाक खप गये और राज्यों की योजना के अनुसार खरीफ, 1970 के दौरान शेष स्टाक की खपत होने की सम्भावना है ।

**भुवनेश्वर और कटक के बीज डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था**

2780. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भुवनेश्वर में टेलीफोन प्रयोग कर्त्ताओं को कटक ट्रंक-काल मिलाने में बहुत कठिनाइयां होती हैं ;

(ख) क्या सरकार का भुवनेश्वर और कटक के बीच डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था जिसकी बहुत आवश्यकता है ; करने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसा कब किया जायेगा ?

**सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री ( श्री शेर सिंह ) :** (क) सरकार को भुवनेश्वर से कटक ट्रंक काल भेजने में आने वाले किसी गम्भीर कठिनाई की जानकारी नहीं है। इनके भेजने में नाम मात्र की देरी ही होती है।

(ख) जी हां।

(ग) मार्च, 1972 तक।

**भुवनेश्वर को अधिक टेलीफोन कनेक्शन दिये जाने के उद्देश्य से अतिरिक्त टेलीफोन लाइनों का दिया जाना**

2781. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नये टेलीफोन कनेक्शनों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के उद्देश्य से उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में इस वर्ष कोई नई टेलीफोन लाइनों को व्यवस्था की गई है ;

(ख) यदि हां, तो वहां कितनी नई लाइनों को व्यवस्था की गई है और इस बारे में कितने आवेदन विचाराधीन हैं , और

(ग) भुवनेश्वर में प्रस्तावित स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज कब से काम करना आरम्भ कर देगा ?

**सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह):** (क) जी हां।

(ख) 1 अप्रैल, 1970 को भुवनेश्वर में एक टेलीफोन केन्द्र था। इसकी क्षमता 1560 कनेक्शनों की थी और इससे 1530 कनेक्शन काम कर रहे थे। उस समय तक प्रतीक्षा सूची में 434 आवेदन थे। उसके बाद मई, 1970 में टेलीफोन केन्द्र की क्षमता में 120 लाइनों की और वृद्धि कर दी गई है और 57 टेलीफोन कनेक्शन दिये जा चुके हैं। मौजूदा प्रतीक्षा-सूची 360 की है।

(ग) 1971 के अन्त तक नये स्वचल टेलीफोन केन्द्र के चालू हो जाने की संभावना है।

**गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिये 1967-70 में उड़ीसा को केन्द्र से अनुदान**

2782. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा **करेंगे कि :**

(क) गहरे-समुद्र में मछली पकड़ने के कार्यक्रमों के लिये उड़ीसा को 1967-68, 1968-69 **तथा** 1969-70 में पृथक कितनी राशि दी गई ;

(ख) क्या गहरे-समुद्र में मछली पकड़ने सम्बन्धी कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा तथा परिणाम क्या हैं ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री ( श्री अन्नासाहेब शिन्दे ) : (क) तथा (ख) :** गहरे-समुद्र में मछली पकड़ने का कार्यक्रम उडीसा सरकार द्वारा इन वर्षों में कार्यान्वित नहीं किया गया था । अतः गहरे-समुद्र में मछली पकड़ने के सम्बन्ध में उड़ीसा को कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गई ।

(ग) प्रश्न नहीं होता ।

## सेवाइल लिमिटेड एडवरटाईजिग एजेन्सी में कर्मचारी के कार्य घन्टे

2783. **श्री स० चं० सामन्त :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई की सेवाइल लिमिटेड एडवर्टाइजिंग एजेन्सी दिल्ली में अपनी एक शाखा कब से चला रही है ;

(ख) निजामुद्दीन पश्चिम तथा दिल्ली के अन्य स्थानों पर इस एजेन्सी का शाखा संस्थापन दिल्ली दुकान तथा संस्थापन अधिनियम के अधीन कब से पंजीकृत है,

(ग) क्या यह संस्थापन कार्यालय के कर्मचारियों तथा पेन्टर जैसे तकनीशियनों का प्रति सप्ताह 50 घंटे से अधिक समय तक कार्य करने को बाध्य करता है ; और

(घ) दिल्ली प्रशाशन के श्रम विभाग का निरीक्षक इस संस्थापन द्वारा 'के' फार्म की घोषणा का पालन किये जाने की जांच करने के लिये पिछली बार इस संस्थापन में कब गया था ?

**श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क), (ख),(ग) और (घ) :** अपेक्षित सूचना दिल्ली प्रशासन से एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

## बहरामपुर (उड़ीसा) में पुराना कटक के स्थान पर सार्वजनिक टेलीफोन घर

2784. **श्री अ० दीपा :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा राज्य में बहरामपुर सुपरिन्टेडेंट डिविजन में पुराना कटक के स्थान पर एक सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने का है ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क)** जी हां ।

(ख) पुराना कटक में चालू वित्त वर्ष के दौरान एक सार्वजनिक टेलीफोन घर खोले जाने की आशा है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

## उड़ीसा में अल्हामलिक में डाकघर

2785. **श्री अ० दीपा :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा राज्य में अल्हामलिक में डाकघरों की दशा अच्छी है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि वहां के कर्मचारियों के लिये कर्मचारी क्वार्टरों की कोई व्यवस्था नहीं है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार वहां नये डाकघर खोलने का है, और यदि हां, तो कब ?

**सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) :** (क) यद्यपि 1968 में अल्हामलिक डाकघर की इमारत की मरम्मत की गई; फिर भी उसकी हालत अच्छी नहीं है। इमारत राज्य सरकार की है, अतः इस मामले में राज्य सरकार के साथ उसकी मरम्मत के लिए लिखा-पढ़ी की जा रही है।

(ख) और (ग) जिस स्थान पर और जिस इमारत में अभी डाकघर चल रहा है, वे राज्य सरकार की (भूतपूर्व रियासत की इमारत) है। डाक–घर विभाग को उन्हें हस्तांतरित करने के प्रश्न पर राज्य सरकार के साथ बातचीत चल रही है। जब हस्तांतरण का कार्य पूरा हो जाने पर कर्मचारियों के क्वार्टर और नये डाकघर की इमारत के निर्माण के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है।

## कृषि उत्पादन के लिये उर्वरक ऋण तथा पंजीकृत उपकरण की व्यवस्था

2786. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि विकास के लिये उर्वरक, ऋण तथा सुधरे पंजीकृत उपकरण की व्यवस्था करने के मामले में अब तक क्या प्रयत्न किये गये हैं ;

(ख) कृषकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में वे कहां तक समर्थ हैं ; और

(ग) उसे पूरा करने के लिये कौन-सी अग्रेतर कार्यवाही करने का विचार है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री ( श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क), (ख) और (ग)** चतुर्थ योजना की अवधि में प्रस्तावित कृषि उपलब्धि के लिये उर्वरकों, संस्थात्मक ऋणों, ट्रैक्टरों, आदि जैसे आदानों की आवश्यकताओं का मूल्यांकन कर लिया गया है और इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये प्रति वर्ष एक क्रमबद्ध रूप से हर सम्भव प्रयास प्रयत्न किया जा रहा है। उर्वरकों, ट्रैक्टरों तथा अन्य यांत्रिक उपकरणों जैसे आदानों के देशी उत्पादन के अभाव की पूर्ति, जहां कहीं आवश्यक तथा संभव हो, आयात द्वारा की जाती है। संस्थात्मक ऋण की आपूर्ति को सहकारी समितियों को सशक्त बनाकर तथा कृषि पुनर्वित्त निगम, कृषि वित्त निगम तथा वाणिज्यिक बैंकों, आदि द्वारा ऋण की व्यवस्था कर के पर्याप्त सीमा तक बढ़ाया जा रहा है।

सामान्यतः अब देश में उर्वरकों का अभाव नहीं है। ट्रैक्टरों की उपलब्धि में अधिक उत्पादन तथा अधिक आयात के फलस्वरूप पर्याप्त सुधार हो गया है। फिर भी अभी पूर्ण मांग की पूर्ति नहीं हुई है। संस्थात्मक एजेन्सियों द्वारा कृषि ऋण के मांग के अधिकांश मांग की पूर्ति की जा रही है।

चतुर्थ योजना में वृद्धिगत मांग की पूर्ति के लिये उर्वरकों, ट्रैक्टरों तथा अन्य कृषि उपकरणों जैसे विभिन्न आदानों का देशी उत्पादन पर्याप्त सीमा तक बढ़ाया जा रहा है। कृषि तथा सम्बन्धित क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये संस्थात्मक संस्रोतों से ऋण की आपूर्ति में वृद्धि के लिये कार्यक्रमों तथा नीतियों को भी अपनाया जा रहा है। छोटे कृषकों तथा सीमान्त कृषकों को निश्चित रूप से अधिकाधिक संस्थात्मक ऋण की उपलब्धि के लिये विशेष कदम उठाये जा रहे हैं।

### अखिल भारतीय छोटे उर्दू समाचार पत्र सम्पादक परिषद का संकल्प

2787. **श्री लताफत अली खां** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 जुलाई, 1970 के दिल्ली के पाक्षिक समाचार पत्र "पियदम" में, नई दिल्ली में दिनांक 15 जुलाई, 1970 को आयोजित अखिल भारतीय छोटे उर्दू समाचार पत्र सम्पादक परिषद के सदस्यों की बैठक में पारित संकल्पों के बारे में प्रकाशित लेख की ओर आकर्षित किया गया है ;

यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या इस बारे में कोई कार्यवाही की गई है ; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल)** : (क) जी, हां।

**(ख) और (ग)** परिषद द्वारा की गई अधिकांश मांगें न ही तो सम्भव हैं और न हो उनको स्वीकार किया जा सकता है। अन्य मांगें केन्द्रीय सरकार के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आतीं। तथापि, सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि छोटे समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं को सस्ते से सस्ता तथा अच्छी किस्म का उपलब्ध अखबारी कागज आवंटित किया जाएगा। विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा जारी विज्ञापनों में उर्दू समाचार पत्रों की स्थिति संतोषजनक है।

### Supply of Power Tillers to small Farmers and their Manufacture

*2788. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government propose to give power tillers to small farmers having land upto 5 acres ;

(b) if so, the number of power-tillers (5 plough) given to farmers during the last two years ; and

(c) the names of places where these are being manufactured in public and private sectors ?

**The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb P. Shinde)** : **(a) and (b)** : There is no statutory control over the distribution of indigenously manufactured power tillers. In so far as imported power tillers are concerned, distribution was hitherto in the hands of private firms. As such information about the number of power tillers given to farmers during the last two to three years is not available.

Under the 8th Yen Credit, 2,226 power tillers are being imported by the various Indian

collaborators. 90 per cent of these are to be distributed to the farmers through the Agro-Industries Corporations set up in the various States and the balance 10 per cent directly by the Indian collaborators. These power tillers will be distributed by the Corporations according to the rules formulated by them.

(c) At present power tillers are being manufactured by Messrs. Krishi Engines Pvt. Ltd. at Hyderabad and 'Mitsubishi' power tillers are being manufactured by Messrs V. S. T. Tillers Tractors Ltd., at their factory at Bangalore.

M/s. J. K. Satoh Agriculture Machines Ltd., Kanpur have also been licenced to manufacture Satoh power tillers at their undertaking at Kanpur.

After the power tiller industry was delicenced, the following schemes have been approved for the manufacture of power tillers :

(1) M/s. Indequip Engineering Ltd., Ahmedabad. Iseki Power tillers for a capacity of 10,000 nos. per annum.

(2) M/s. Beegee Corporation Ltd., Patiala. Hako Power tillers for a capacity of 15,000 nos. per annum.

(3) M/s. Maharashtra Cooperative Engineering Society Ltd., Shiroli. Yanmar Power tillers for a capacity of 10,000 nos. per annum.

(4) M/s. Southern Industrial Corporation Ltd., Madras. Landmaster Power tillers for a capacity of 4,000 nos. per annum.

Letter of Intent has also been issued to the Kerala Agro-Industries Corporation for the manufacture of Kubota power tillers with a capacity of 12,000 nos. per annum.

## कृषकों को किराये के आधार पर ट्रैक्टर देने सम्बन्धी योजना के लिये गुजरात को वित्तीय सहायता

2789. **श्री द० रा० परमार :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य ने कृषकों को किराये पर ट्रैक्टर देने के लिये वित्तीय सहायता देने के लिये कहा था ।

(ख) यदि हां, तो इसे कितना ऋण दिया गया और किन शर्तों पर दिया गया ; और

(ग) अब तक गुजरात के लिये कितने ट्रैक्टर दिये गये हैं ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री ( श्री अन्नासाहेब शिन्दे ) : (क) और (ख) :** गुजरात राज्य से भाड़े पर कृषकों को ट्रैक्टर सप्लाई करने के लिये कोई विशिष्ट प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है। योजना आयोग ने 1970-71 के लिये कृषि उत्पादन योजनाओं के लिये 2.42 करोड़ रुपये का परिव्यय मंजूर किया है। मंजूर किये परिव्यय का कृषि उत्पादन की विभिन्न योजनाओं में नियतन स्वयं सरकार द्वारा किया जाता है।

(ग) गुजरात राज्य कृषि उद्योग निगम को नियतन किये गये / सौंपे गये ट्रैक्टरों की स्थिति नीचे दी गई है :

| (1) 1968-69 | नियतन किये गये | सौंपे गये | सितम्बर 1970 के अन्त से पहले दिये जाने वाले की संख्या |
|---|---|---|---|
| | सं० | सं० | |
| जेटर-2011 | 300 | 91 | 209 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| डी० टी० | 375 | 300 | 75 |
| 14 वी | | | |
| आर० एस० 09 | 478 | 478 | — |
| बाइलारस | 50 | 50 | — |
| जोड़ | 1203 | | |

(2) **1969-70 :** 1900 ट्रैक्टरों का नियतन किया गया। गुजरात कृषि उद्योग निगम के अनुरोध पर नियतन किये ट्रैक्टरों में से 100 यू-650 ट्रैक्टरों की पहली किश्त अस्थायी रूप से दे दी गई है।

**वन्य जंतुओं का ह्रास**

2790. **डा० कर्णी सिंह :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 8 जुलाई, 1970 के टाइम्स आफ इंडिया के पृष्ठ 6 पर वन्य जन्तु के विषय पर प्रकाशित समाचार के बारे में जानकारी है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने देश में वन्य जंतुओं के निरन्तर ह्रास को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की है, अथवा करने का विचार है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब (शिन्दे) :** (क) जी हां।

(ख) पशुओं और पक्षियों की सुरक्षा राज्य का विषय है। वन्य प्राणियों की परिरक्षा के लिए उठाए गए कदमों में मुख्यत: ये शमिल हैं :- (1) राष्ट्रीय उद्यानों और आश्रय-स्थलों की स्थापना (2) जीवित या मरे हुए वन्य पशुओं और पक्षियों के निर्यात पर प्रतिबन्ध (3) दुर्लभ और समाप्त हो रहे पक्षियों और पशुओं की सुरक्षा (4) उपयुक्त वन्य प्राणि कानून बनाना और वन्य प्राणियों के प्रति प्रेम पैदा करने के लिए आम जनता को शिक्षित करना।

भारत सरकार ने भारतीय वन्य प्राणि मन्डल की सिफारिश पर एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की है। यह समिति अन्य बातों के साथ-साथ मौजूदा राष्ट्रीय उद्यानों और आश्रय-स्थानों के सुधार तथा उपयुक्त स्थानों में नए राष्ट्रीय उद्यानों और आश्रय स्थलों के निर्माण के लिए उपयुक्त सुझाव देगी इस विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट शीघ्र ही मिलने की सम्भावना है।

## अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

## CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

**जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य से भारत सरकार द्वारा दोषपूर्ण ट्रैक्टर खरीदे जाने का समाचार**

**Shri Yash pal Singh** (Dehra Dun) : Sir, I call the attention of the Minister of Food

and Agriculture to the following matter of urgent public importance and to request that he may make a statement thereon :

"Reported purchase of a large number of defective tractors by the Government of India from the German Democratic Republic and sale of those tractors to the farmers of Punjab through the Punjab Agro-Industries Corporation."

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे)** : वर्ष 1968-69 में, 15,000 ट्रैक्टरों के आयात करने का निर्णय किया गया था। इनमें से, 3000 आर० एस० 09 जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक से आयात करते थे। परन्तु वास्तव में केवल 1998 ट्रैक्टर आयात किये गये हैं जिनकी कुल लागत 212 लाख रुपये हैं, न कि 400 लाख रुपये जैसा कि माननीय सदस्यों ने बताया है।

2. चैकोस्लाविया 5000 जैटर-2011 और रूस 6000 डी० टी-14बी और 500 वाईलरस कुल 11,500 ट्रैक्टर सप्लाई करने के लिए सहमत हुए। इस प्रकार 4000 का अन्तर रहा। इस बीच में चैकोस्लावाकिया में कुछ आन्तरिक घटनाएं घटी जिसके परिणामस्वरूप उस देश में उत्पादन कार्यक्रम को बड़ा धक्का लगा और इससे चैकोस्लावाकिया से 5000 ट्रैक्टरों की प्राप्ति की भी सम्भावना कम हो गई। चूंकि एक बहुत बड़ी मांग अपूर्ण थी, 3000 आर० एस०-09 ट्रैक्टर आयात करने का निर्णय किया गया और दिसम्बर 1968 में राज्य व्यापार निगम ने समझौते को अन्तिम रूप दिया।

3. ट्रैक्टर का परीक्षण बुदनी के परीक्षण केन्द्र में किया गया और भारतीय परिस्थितियों के लिए उपयुक्त पाया गया। दिसम्बर 1969 में, आन्ध्र प्रदेश से इनके ठीक न कार्य करने के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई। तब तक लगभग 1000 ट्रैक्टर प्राप्त हो चुके थे और लगभग 1000 समुद्रीय मार्ग में थे। तत्काल ही आगे आयात स्थगित कर दिया गया और विभिन्न राज्यों में इन ट्रैक्टरों के कार्य के बारे में मौके पर अध्ययन करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की गई थी। इस समिति की शिफारिशों को साधारणतः जर्मन डैमोक्रेटिक रिपब्लिक के सम्भरणकर्ताओं ने मान लिया और वे इन्हें लागू कर रही है। जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के सम्भरणकर्ताओं ने पांच परिशोधित ट्रैक्टरों की भी सप्लाई की है, जिनका आजकल देश के विभिन्न स्थानों में परीक्षण किया जा रहा है। एक और परिशोधित ट्रैक्टर जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक से बुदनी में परीक्षण के लिए हवाई जहाज द्वारा भेजा जा रहा है।

4. कृषि-उद्योग निगम पंजाब का 1600 ट्रैक्टरों की अपनी आवश्यकता तथा 1000 ट्रैक्टरों की वास्तविक मांग की तुलना में कुल 600 ट्रैक्टर प्राप्त हुए है। नवम्बर 1969 से पहले, निगम ने 250 ट्रैक्टर तथा शेष ट्रैक्टरों को अनुवर्ती महीने में प्राप्त किया। कुल 600 ट्रैक्टरों में से लगभग 500 ट्रैक्टर किसानों को बेचे गये, जिनमें से कोई भी निगम को वापिस नहीं किया गया। हाल में पंजाब कृषि-उद्योग निगम से प्राप्त रिपोर्टों से प्रतीत होता है कि इनकी बिजली सम्बन्धी प्रणाली में दोष होने की कुछ शिकायतें मिली थीं, जो निगम द्वारा स्थापित किये गये पाँच मरम्मत केन्द्रों में से एक केन्द्र मुख्यतः जालन्धर केन्द्र में रिपोर्ट की गई थी। मरम्मत किये गये 118 ट्रैक्टरों में से, 150 ट्रैक्टरों की जालन्धर में मरम्मत की गई, जिनमें 90 ट्रैक्टर केवल एक बार ही वर्कशाप में आये। अन्य चार वर्कशापों में मरम्मत किये गये ट्रैक्टरों की संख्या 5 से 25 भिन्न-भिन्न है। यह सब गारंटी अवधि के अन्दर हुआ है।

5. इन ट्रैक्टरों के विक्रय-पूर्व तथा विक्रय के पश्चात् की सेवा का उत्तरदायित्व पंजाब कृषि-उद्योग निगम का है, जिसने चलते-फिरते वर्कशापों को प्रणाली को स्थापित किया है। चलते-फिरते वहनों द्वारा सम्भवतः विभिन्न किस्मों की मरम्मत और ट्रैक्टरों की बढ़तो हुई संख्या के मरम्मत के लिए अधिक मांग के कारण, सेवा में अन्तर तथा कमियां हुई है। विशेषकर किसान को खरीफ की बुआई के समय, कुछ कठिनाइयां हुई थीं, लेकिन निगम यथार्थ मामलों में कम दरों पर मरम्मत सम्बन्धी सेवा प्रदान करता था। यद्यपि इस प्रस्ताव का काफी कम प्रत्युत्तर रहा। जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के संभरणकर्ताओं ने तकनोकी विशेषज्ञो की समिति को सिफारिशों को स्वीकार कर, सब दोषयुक्त भागों को बिना मूल्य के बदलना तथा देश में किसानों को बितरित किये गये सब 2000 ट्रैक्टरों के परिशोधन के लिए रुपया देना शुरू कर दिया है और गारन्टी अवधि को बढ़ा दिया हैं।

6. पहले वे अतिरिक्त पुर्जों से भरे एक पूरे हवाई जहाज को लाये और मुफ्त बदलने की सेवा देने के लिए ऐसा ही एक परेषण माल 20 अगस्त तक यहां पहुँचने की सम्भावना है। अकेले पंजाब में, सम्भरण कर्ताओं ने 2,11,788 रुपए की राशि के अतिरिक्त पुर्जों के गारन्टी दावों को पहले ही पूरा कर दिया है। प्रतिस्थापन तथा परिशोधन करने के लिए उन्होंने पंजाब ( तथा अन्य ) कृषि-उद्योग निगम को 15 अतिरिक्त जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन्जीनियर तथा 10 भारतीय इन्जीनियरों की सेवायें सुपुर्द करना भी स्वीकार किया है।

7. इस प्रकार मालूम होगा कि पंजाब में सप्लाई किये गये ट्रैक्टरों की केवल कुछ प्रतिशत में मुख्यतः बिजली सम्बन्धी दोष देखे गये और जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के सम्भरणकर्ताओं तथा पंजाब कृषि-उद्योम निगम द्वारा पर्याप्त की गई है। वे किसानों को पहले ही बेचे गये ट्रैक्टरों के सम्बन्ध में, पंजाब तथा अन्य स्थानों में हाल हीं मे किये जा रहे परीक्षण के आधार पर बिना लागत के, जैसा आवश्यक समझा जाये, दोषयुक्त भागों को बदलने तथा ऐसे परिशोधन करने के लिए विक्रय-पूर्व तथा विक्रय के बाद की सेवा के लिए उत्तरदायी हैं।

8. जैसाकि पहले बताया गया है जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन से इन ट्रैक्टरों का आयात स्थागित कर दिया गया है।

**Shri Yashpal Singh :** I would like to know whether Government is prepared to give compensation to those agriculturists or get those tractors back and refund them their money or whether Government is prepared at least to issue instructions to the banks to recover the money after 10 years from such agriculturists who have suffered and who could not sow the seeds for Kharif crop uptil now ?

**The Minister of Food and Agriculture (Shri F. A. Ahmed) :** We have no information about any loss for which compensation should be paid. So far as the question of defective tractors are concerned the defects have been removed by replacing the components. G. D. R. suppliers have accepted the recommendations of technical experts and agreed to replace the defective parts free of cost. They have also promised to meet the expenditure incurred on modifications in 2000 tractors distributed to the agriculturists. They have also increased the Warranty period.

**Shri Yashpal Singh :** I want to know whether those agriculturists will be given any compensation whose tractors have not worked even for two hours due to this reason. They could not sow the Kharif crop ?

**Shri F. A. Ahmed** : I have already stated that we have not received any report to that effect.

**श्री श्रीचन्द गोयल** (चन्डीगढ़) : मंत्री महोदय के वक्तव्य से पता चलता है कि 200 से अधिक किसानों ने उनसे शिकायत की थी कि वे ट्रैक्टरों की मरम्मत समय पर न करवा सकने के कारण उन ट्रैक्टरों का उपयोग नहीं कर सके। मुझे पता चला है कि परीक्षण रिपोर्ट से भी ज्ञात हुआ था कि वे ट्रैक्टर भारतीय भूमि के लिये उपयुक्त नहीं थे। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह उस परीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति सभा-पटल पर रखें। क्या पंजाब तथा आन्ध्र प्रदेश के अतिरिक्त तमिलनाडु राज्य से भी इस सम्बन्ध में शिकायतें मिली हैं ? मुख्य प्रश्न यह है कि क्या कृषि-उद्योग निगम अथवा जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य ने निःशुल्क मरम्मत करना आरम्भ कर दिया है परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने निःशुल्क मरम्मत के स्थान पर प्रत्येक किसान से 1,000 रुपये वसूल किये हैं और फिर मरम्मत भी नहीं की गई है। क्या कृषि उद्योग निगम की मरम्मत सम्बन्धी चलती फिरती गाड़ी का उपयोग किया गया था ? मुझे पता चला है कि इस गाड़ी का बिल्कुल उपयोग नहीं किया गया है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकान इन ट्रैक्टरों के स्थान पर किसानों को दूसरे ट्रैक्टर देगी ? क्या सरकार और ट्रैक्टर बनाने के लिये जर्मन लोक-तंत्रात्मक गणराज्य के साथ सहयोग करने पर विचार कर रही है और क्या ट्रैक्टरों के निर्माण में देश को आत्मनिर्भर बनाने का सरकार का कोई विचार है ?

**श्री फखरुद्दीन अली अहमद** : मुझे पता चला है कि परीक्षण रिपोर्ट ठीक है। ट्रैक्टरों का परीक्षण बुदनी स्थिति ट्रैक्टर परीक्षण केन्द्र में किया गया था और उन्हें उपयुक्त बताया गया था। परीक्षण रिपोर्ट की प्रतियां पहले ही लोक सभा सचिवालय को सप्लाई की जा चुकी है। जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य से फालतू पुर्जे आ गये हैं और अब खराब पुर्जों को बदला जा रहा है। इस काम के लिये उन्होंने वहां से 15 इंजीनियर भेजे हैं और यहां से भी 10 इंजीनियर नियुक्त किये गये हैं। 1,000 अथवा 2,000 रुपये की हानि के बारे में अथवा ट्रैक्टरों के काम न करने के बारे में हमें कोई शिकायत नहीं मिली है।

**Shri Om Prakash Tyagi** (Moradabad) : It appears from the statement that requirement of tractors was 15,500 in all and Government have imported them from Communist countries. I want to know as to why they have been imported from Communist countries only when we are receiving defective goods whichpo are supplied by those countries ?

**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रश्न का सम्बन्ध जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य से है। आप इसी देश से आयात के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं, अन्य देशों के बारे में नहीं।

**श्री बलराज मधोक** (दक्षिण दिल्ली) : मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में अन्य देशों का उल्लेख किया है।

**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय को भी अनावश्यक रूप से बड़ा उत्तर नहीं देना चाहिये ताकि इस प्रकार की कठिनाई पैदा न हो।

**Shri Om Prakash Tyagi** : May I know the reasons for not getting the tractors from other countries ? Whether any expert committee had examined the tractors prior to the said deal mith G. D. R. with a view to know whether they were suitable for Indian soil or not, if so whether they were got tested in Budni on their arrival in this country ? In case they were got tested at both the occasions then what were the test reports ? If they have been

proved defective on their arrival here, then will the Government take action against the reporting authorities ?

May I also know whether it is a fact that the General Manager, Punjab Agro-Industries corporation had sent a complaint that these tractors are defective and demanded the appointment of a high power inquiry committee to go into this matter, if so whether his suggestion is being accepted ? I would also like to know whether Government is contemplating to send back the defective tractors to G. D. R. and if not, the reasons therefore ?

**श्री फखरुद्दीन अली अहमद श्री** : माननीय सदस्य ने सर्वप्रथम यह पूछा है कि समाजवादी देश से ट्रैक्टर क्यो खरादे गये हैं इसका एक कारण यह है कि उपभोक्ताओं ने ऐसी ट्रैक्टरों की मांग की थी । जिस प्रकार के ट्रैक्टर जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य से मंगवाये गये हैं उनकी मांग 160! थी जबकि हम केवल 600 ट्रैक्टर सप्लाई कर सके हैं हमने 500 ट्रैक्टर बाद में सल्पाई करने का बचन दिया ह । दूसरा कारण विदेशी मुद्रा है । हम ये ट्रैक्टर सुलभ मुद्रा वाले क्षेत्रों से प्राप्त कर रहे हैं और ये सस्ते भी हैं । हमारे देश में चेकोस्लोवाकिया में बने ट्रैक्टरों की काफी मांग है । जहां तक तकनोकी विशेषज्ञों को समिति का रिपोर्ट का सम्बन्ध है, हमने ट्रैक्टरों में खराबी के बारे में पूछताछ की है और जर्मन लोक तंत्रात्मक गणराज्य से भी हमें रिपोर्ट मिली है, उनको सभा-पटल पर रखने पर मुझे कोई अपात्ति नहीं है ।

**Shri Om Prakash Tyagi** : I had asked whether the tractors were got tested before purchasing them ? What action is being taken against the persons who had furnished wrong reports?

I had also asked whether General Manager of Punjab Agro-Industries Corporation has requested that an Inquiry Committee should be appointed to find out details in connection with the purchase of these defective tractors ? I had also asked whether all these tractors would be sent back to G. D. R. ?

**श्री फखरुद्दीन अली अहमद** : मैं पपले ही बता चुका हूं कि इन ट्रैक्टरों के लिये क्रयादेश देने का निर्णय करने से पूर्व तकनीकी विशेषज्ञों से प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था जिसके अनुसार ट्रैक्टर अच्छी किस्म के थे और इसी आधार पर इनको क्रयादेश दिया गया था तकनोकी विशेषज्ञों ने जो प्रतिवेदन दिया था वह ठीक था ट्रैक्टरो में कुछ छोटी छोटी खामियां पाई गई हैं जिनको ठीक किया जा रहा है ।

## सभा-पटल पर रखे गये पत्र
## PAPERS LAID ON THE TABLE

### 'जन संचार के माध्यम का समन्वय' के बारे में प्रसारण तथा सूचना माध्यम सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन

**सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ई० कु० गुजराल)** : मैं, श्री सत्यनारायण सिंह की ओर से जन संचार के माध्यम का समन्वय' के बारे में प्रसारण तथा सूचना माध्यम सम्बन्धी समिति के प्रातवेदन के भाग 2 में दर्ज सिफारिशों पर की गई कार्यवाही के

विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । [**ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-3945/70**] ।

**पश्चिमी बंगाल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1970**

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे)** : मैं पश्चिमी बंगाल राज्य विधान-मन्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1970 की धारा 3 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत पश्चिमी बंगाल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) (राष्ट्रपति का 1970 का अधिनियम संख्या 16) की एक प्रति, जो दिनांक 13 जुलाई, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था सभा पटल पर रखता हूं । [**ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०3946/70**]

**अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं**

अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 को धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति—

(एक) चीनी (वहन पर नियन्त्रण) आदेश, 1970, जो दिनांक 22 जुलाई, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० यस० आर० 1098 में प्रकाशित हुआ ।

(दो) चीनी (मूल्य निर्धारण) नवां संशोधन आदेश, 1970, जो दिनांक 24 जुलाई, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1100 में प्रकाशित हुआ था । सभा पटल पर रखता हूं । [**ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०–3949/70**] ।

**कोयला खान श्रमिक कल्यान संगठन का वार्षिक प्रतिवेदन**

**श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विश्वनाथ राय)** : मैं

(एक) वर्ष 1967-68 के लिये कोयला खान श्रमिक कल्याण संगठन के क्रियाकलापों सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन को एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । [**ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 3948/70**]

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । [**ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 3449/70**] ।

---

## लोक लेखा समिति

## PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

**एक सौ तेईसवां प्रतिवेदन**

**श्री सुचेता कृपलानी** (गोंडा) : मैं वर्ष 1968-69 के विनियोग लेखे (सिविल), (डाक और तार)-(रेलवे) तथा (प्रतिरक्षा सेवाएं) में उल्लिखित स्वीकृत अनुदानों और प्रभारित विनियोगों के अतिरिक्त व्यय तथा लोक लेखा समिति के 43वें प्रतिवेदन में दर्ज सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई

कार्यवाही के बारे में समिति का 123वां प्रतिवेदन ( हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण ) प्रस्तुत करती हूँ ।

---

## सदस्यों की गिरफ्तारी
## ARREST OF MEMBERS

**अध्यक्ष महोदय :** मैं सदन् को (एक) जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर, से प्राप्त दिनांक 12 अगस्त, 1970 के बेतार संदेश की सूचना देता हूँ। जिसमें बताया गया है कि लोक सभा के सदस्य मौलाना इसहाक साम्भली को 12 अगस्त, 1970 को शान्ति भंग होने की आशंका के कारण दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 151, 107 और 117 (3) के अधीन गिरफ्तार किया गया और उन्हें मुजफरनगर जेल में रखा गया ।

(दो) पुलिस उप-अधोक्षक, सदर, पूर्णिया, से प्राप्त दिनांक 12 अगस्त 1970 के एक तार की यह सूचना भी देता हूँ जिसमें बताया गया है कि लोक सभा के सदस्य श्री एस० एम० जोशी को 12 अगस्त, 1970 को 10.00 बजे म० पू० पर अवैध जनसंग्रह का नेतृत्व करने के तथा भूमि पर अतिचार करने के कारण भारतीय दंड संहिता की धारा 144/447 के अधीन गिरफ्तार किया गया और उन्हें बिहार में पूर्णिया जेल में रखा गया ।

---

## कार्य मन्त्रणा समिति
## BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

### बावनवां प्रतिवेदन

**संसदीय कार्य और नौवहन तथा परिवहन मन्त्री ( श्री रघुरामैया ) :** मैं प्रस्ताव करता हूँ "कि यह सभा कार्य मन्त्रणा समिति के 52वें प्रतिवेदन से, जो 12 अगस्त, 1979 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

**Shri Prakash Vir Shastri** (Hapur) : Sir, an item at S. No.11 in the list of Business has been appearing for the last four days continuously, but the same has not been taken up for discussion. Some time should be allotted for discussion on this item.

**Mr. Speaker** : This is because of the fact that time has been extended for discussion on the report of the Scheduled Castes Commissioner. We are helpless.

**Shri S. M. Banerjee (Kanpur)** : Sir, at least two hours should be allotted for discussio on this issue.

**Mr. Speaker** : This matter was raised in the Business Advisory Committee which was agreed to. The report of the Business Advisory Committeee shall have to be adopted by the House in the first instance.

**श्री बि० प्र० मन्डल** ( मधेपुरा ) : मैं प्रस्ताव करता हूं : कि कार्य मंत्रणा समिति के 52वें

प्रतिवेदन को समिति के मध्याह्न भोजन काल समाप्त करने और शनिवार को बैठक निश्चित करने सम्बन्धी अपने निर्णय पर पुन: विचार करने के लिए समिति को वापस भेजा जाए।

**श्री स० मो० बनर्जी :** देश में हो रहे भूमि आन्दोलन के बारे में कम से कम 10 घन्टे का समय नियत होना चाहिए। इस के लिए या तो सत्र की अवधि बढ़नी चाहिए और या मध्याह्न भोजन काल समाप्त होना चाहिए।

**Shri Abdul Ghani Das** (Gurgaon) : I oppose lunch hours having been cancelled.

**श्री रंगा** ( श्रीकाकुलम): कुछ माननीय मित्र भूमि हथियाओं आन्दोलन के बारे में चर्चा करने के बहुत इच्छुक है। इस मामले पर चर्चा होनो ही चाहिए, परन्तु इसके लिए सत्रावधि बढ़नी चाहिए न कि समाज विरोधी तत्वों के बारे में हो रही चर्चा के समय को कम किया जाए।

**Shri BalRaj Madhok** (South Delhi) : A decision to cancel the lunch hours was arrived at in the Business Advisory Committee in order to complete the business of the House within the prescribed time. But the time table which has been prepared yesterday shall not be allowed to come into force. Therefore, either the current sessions should be extended or consultative Committees should be converted into Parliamentary Committees. The motion of Shri Prakash Vir Shastri should be given priority or taken up to for discussion .

**Shri Manubhai Patel** (Dabboi) : My inconclusive motion on prohibition should be concluded by extending the period of the current session.

**Shri Shiv Chandra Jha** (Madhubani) : I am not opposed to extending the time to 20 hours for the discussion on the report of the Commissioner for Scheduled Castes and Tribes, but time should be allotted for discussion on the Land Grab Movement in the country. A reign of terror has been established all over the country to curb this movement. Thousand of persons have been arrested particularly in U. P. State. This matter should be discussed. Will the hon. Minister tell the House as to when a discussion would be held on the Fourth five Year Plan ?

**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : मध्याह्न भोजन काल समाप्त नहीं करना चाहिए क्योंकि काफो अनुभव के उपरान्त ही इसका निर्णय किया गया था। भूमि वितरण आन्दोलन के बारे में भो गम्भीरता से विचार होना चाहिए। इस मामले के लिए 3 या 4 घन्टे की व्यवस्था करना तो बहुत हो हास्यास्पद होगा अतः इस मामले के लिए और अधिक समय चाहिए। सदन को इस बात की पहले से सूचना देनी चाहिए कि क्या सत्रावधि बढ़ा दी गई है अथवा नहीं।

**श्री समर गुह :** (कन्टाई) भूमि सुधार सम्बन्धी आन्दोलन को 'भूमि सुधार' का नाम देकर उस पर चर्चा होनो चाहिए। इस भूमि सत्याग्रह के विरुद्ध समस्त राजनीतिक दलों का विचित्र गठ-जोड़ हो गया है। सरकार भो 23 वर्षों से खेतिहर कृषक की अवहेलना करती आ रही है।

अनुसूचित जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन पर चर्चा में कुछ व्यवधान डाला जा सकता है परन्तु इस बारे में चर्चा होनी चाहिए। ऐसा लगता है कि सत्ताधारी दल में आन्तरिक विरोध होने के कारण इस विषय पर चर्चा को टाला जा रहा है। यदि "राजनीतिक महत्व" के अर्थ को इस सदन में समझा जाता है और देश में घटने वालो आवश्यक घटनाओं के महत्व को समझा जाए तो इस मामले को भूमि सुधार के लिए अथवा भूमि सत्याग्रह के रूप में मानकर इस पर तुरन्त चर्चा की जानी चाहिए।

**Shri Prakash Vir Shastri** : I had drawn the attention of the House to the issue mentio-

oned in item 11 of List of Business which has been postponed since May 16, 1969. This matter should be given priority for discussions.

Regarding Land Reforms Government should have brought forward a legislation in this regard; but for the last 20 years Government have totally ignored this vital issue and that is why there is vide spread agitation all over the country. This agitation should not be encouraged by having discussion on this issue in the House......(**Interruption**).

**श्री के० रमानी** (कोयम्बतूर) : अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित प्रतिवेदन पर 20 घन्टे तक चर्चा करने का कल सर्वसम्मति से निर्णय किया गया था। परन्तु इस मामले की केवल आलोचना करने मात्र से उद्देश्य की सिद्धि नहीं होगी। इसलिए भूमि सुधार के मामले पर ठीक चर्चा के लिए नियत तीन घन्टे की अवधि को बढ़ा कर पांच घन्टे कर दिया जाए क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की यही इच्छा है और मामला महत्वपूर्ण भी है। हम इसके लिए मध्याह्न भोजन काल का भी त्याग कर देंगे।

**श्री सोनावने** (पेंढरपुर) : अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित प्रतिवेदन पर विचार करने के लिए नियत अवधि में व्यवधान नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि यह मामला देश को प्रभावित करने वाला है।

**Shri Randhir Singh** : Sir, at least three days must be allotted for the discussion on the land grab movement so that the activities of land grabbers may be exposed before the country but it should not be done at the cost of the time allotted for discussion on the Report of the Commissioner for Scheduled Castes Tribes. The session should be extended for this purpose.

**श्री रघुरामैया** : मैं यह स्थिति स्पष्ट कर देता हूँ कि मध्याह्न भोजन काल समाप्त करना सरकार का विचार नहीं है अपितु न चाहते हुए ऐसा करना पड़ा है क्योंकि कई मामलों पर चर्चा करनी शेष है और सरकार सत्र की अवधि बढ़ाना नहीं चाहती। भूमि सम्बन्धी संकल्प पर चर्चा करने के लिए 3 घन्टे नियत करने की इच्छा व्यक्त की गई है। तो समय कहां से आये। यदि सदन मध्याह्न भोजन काल चाहता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। प्रस्ताव को इस प्रकार पढ़ा जाए कि यह सभा, कार्य मंत्रणा समिति के 52वें प्रतिवेदन से, जो 12 अगस्त, 1970 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, इस रूप भेद के अध्याधीन सहमत है कि प्रतिवेदन के पैरा 3 को हटा कर मंगलवार से चालू करा के अन्त तक सदन की बैठक 11 बजे से सायं के 6 बजे तक चलने की सिफारिश करती है।

**अध्यक्ष महोदय** : कार्य मन्त्रणा समिति के बारे में कैसे निर्णय किया जाए ? जब समिति कोई निर्णय सर्वसम्मति से करती है तो सदस्यों को इस प्रकार विरोध नहीं करना चाहिए। यह बात ठीक नहीं।

**श्री च० का० भट्टाचार्य** (शदगंज) : जब कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन का सदन में संशोधन किया जाता है, तो कुछ निश्चित परम्पराओं का पालन करना होता है और संशोधित रूप में उसे स्वीकार भी किया जाता है।

**अध्यक्ष महोदय** : जो सदस्य पहले इससे सहमत हुए थे, अब इसका विरोध करने लगे हैं आप परम्पराओं के सम्बन्ध में बोल रहे हैं।···(**व्यवधान**)···

**श्री बलराज मधोक** (दक्षिण दिल्ली) : मैंने जो कुछ कहा, उस पर अटल रहता हूं।

**श्री शिवनारायण** (बस्ती) : आप के माननीय सचेतक ने कार्यमंत्रणा समिति के नियमों का उल्लंघन किया है। मैंने या श्री मधोक ने नहीं किया।

**अध्यक्ष महोदय** : मध्याह्न भोजन के समय सम्बन्धी उपलब्ध को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

**कई माननीय सदस्य** : सहमत हुए।

**अध्यक्ष महोदय** : अतः पैरा 3 हटा दिया जाता है। शनिवार की बैठक के प्रस्ताव के बारे में आप लोगों का क्या मत है ?

कई माननीय सदस्य सहमत न हुए।

**श्री सु० कु० तापड़िया** (पान्की) : अगर सरकार सत्र की अवधि नहीं बढ़ाती है तो, हम सहयोग नहीं देंगे। शनिवार की बैठक से हम सहमत नहीं होते।

**श्री रघुरामैया** : यह मेरा सुझाव नहीं है। कई माननीय सदस्यों ने कई विषयों पर चर्चा करना चाहा। इसके लिए समय कैसे मिलेगा ? अगर सदन यह नहीं चाहता है तो मैं उसमें बाधा उपस्थित करना नहीं चाहता।

**अध्यक्ष महोदय** : हम निर्णय लेते हैं कि माध्याह्न भोजन का समय रहेगा और शनिवार को बैठक नहीं होगी। कल 20 घंटे की मांग स्वीकार की गई थी।

अब प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 52वें प्रतिवेदन से, जो 12 अगस्त, 1970 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, इस रूपभेद के अध्याधीन सहमत है कि प्रतिवेदन के पैरा 3 तथा 4 को हटा दिया जाए।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**
**The motion was adopted**

**इसके पश्चात् लोक-सभा मध्यान्ह भोजन के लिए दो बजकर पैंतालिस मिनट म० प० तक के लिए स्थगित हुई।**

**The Lok Sabha then adjourned for lunch till forty-five minutes past fourteen of the Clock.**

**मध्यान्ह भोजन के पश्चात् लोक-सभा दो बजकर उनचास मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई।**

**The Lok Sabha re-assumbled after lunch at forty nine minutes past fourteen of the Clock.**

[ **उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. DEPUTY SPEAKER IN THE CHAIR. ]

**श्री धीरेश्वर कलिता** (गोहाटी) : श्रीमान्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय बिना यह कहे कि सभा स्थगित हुई या नहीं, 1-40 बजे चले गए उन्होंने यह भी नहीं कहा कि सभा कब

पुनः समवेत होगी । पहले भी जब वित्त विधेयक पर चर्चा हो रही थी, उन्होंने यही गलती की थी । अतः मैं चाहता हूं कि यह ठीक किया जाए ।

**Shri Shiva Chandra Jha** (Madhubani) : Mr. Deputy Speaker, Sir, ever thouhh these things may seem negligible, but procedurally this is wrong. The Speaker went away without mentioning at what time the House will be re-assembled even whether it is adjourned or not. I want your ruling in this regard.

**Shri Suraj Bhan** (Ambala) : We must be made to know what exactly is the situation since the Speaker did not make any mentioning of the proceedings.

**श्री रा० को० अमीन** (ढ़ंढ़का) अक्सर लोक-सभा का वर्षाकालीन अधिवेशन 6 सप्ताह तक होता है । इस बार चूंकि मंत्रियों को विदेश जाना है, इसलिए अवधि बहुत कम कर दी गई । मंत्री महोदय कहते हैं कि सत्र की अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी । कहुत से विषयों पर चर्चा की जानी है, क्या मंत्री महोदय सही स्थिति को स्पष्ट करेंगे ?

**श्री नन्दकुमार सोमानी** (नागौर) श्रीमान्, नियम 377 के अन्तर्गत मेरा निवेदन है । जब कोई सदस्य गिरफ्तार किया जाता है, तो पुलिस को इसकी स्पष्ट सूचना सदन को देनी चाहिए कि सदस्य को किस कारण से गिरफ्तार किया गया । गत हफ्ते में मुझे निषेध नियंत्रण पुलिस निरीक्षक ने गिरफ्तार किया और एक दिन की कैद की सजा दी गई । शराब से मैं कोसों दूर हूं । मैं यह स्पष्ट कहना चाहता हूं कि मैं बम्बई को चावल के राशन के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन चला रहा था ।

**श्री रणधीर सिंह** (रोहतक) : श्रीमान्, मेरे माननीय मित्र द्वारा उठाये गए प्रश्न के संबंध में मैं यह कहना चाहता हूँ कि सदन में उस समय शोरगुल का वातावरण था, जब अध्यक्ष महोदय बिना कहे चल दिये । यह बहुत ही छोटी सी बातें हैं । इस प्रकार की बातों से सदन का समय बर्वाद मत कीजिए ।

**श्री श्रीचन्द गोयल** (चंडीगढ़) : श्रीमान्, मैं अपका ध्यान नियम संख्या 15 की ओर आकर्षित करता हूं । इसके आधार पर अध्यक्ष महोदय सभा को 2.45 तक या किसी भी समय तक स्थगित कर सकते हैं । चूंकि वे यह कहना भूल गए, अतः सदस्यों को 2-45 बजे समवेत होने के लिए अनुदेश नहीं दिया जा सकता । अतः यह बैठक नियम के अनुसरण में नहीं है । यह नियम का भंग है, आप व्यवस्था दीजिए ।

**Shrimati Jayaben Shah** (Amreh) : We should not waste time in these technical matters. If it amounts to violation of any rule, let them refer the record. We have to discuss so may matters here . Let us do that.

**श्री ई० के० नायनार** (पालघाट) : गत दो महीनों से केरल के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के अध्यापक हड़ताल कर रहे हैं । मैंने उद्योग मंत्री को पत्र लिखा था, मगर उन्होंने कहा कि यह राज्य सरकार के अधीन हैं । केरल में अब राष्ट्रपति शासन चल रहा है । अतः में संबंधित मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वे इस पर एक वक्तव्य दें ।

**श्री रघुरामैया** : मैं भी यह मानता हूं कि यह एक तकनीकी बात है । फिर भी इसका मतलब असल में यह है कि सभा स्थगित नहीं हुई ।.........**(व्यवधान)**

**श्री धीरेश्वर कलिता** : यह आप कैसे कह सकते हैं ?.........**(व्यवधान)**...

**श्री रघुरामैया :** हम जानते हैं कि कानून में कोई बात स्पष्ट और कोई अस्पष्ट हो सकती है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कुछ कहा नहीं होगा। मगर इसका मतलब सब ने समझ लिया।

**उपाध्यक्ष महोदय :** अब हम सभा का कार्य आरम्भ करेंगे।

**श्री धीरेश्वर कलिता :** आपकी व्यवस्था क्या है ? (······व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय :** मुझे अध्यक्ष के कार्यालय से सूचना मिली कि 2-45 को सभा पुन: समवेत हो रही है, जहां तक मैं समझ रहा हूं, अध्यक्ष महोदय ने सभा स्थगित की थी। यही स्थिति है। आपको अगर कोई शंका है, तो अध्यक्ष महोदय से बात कीजिए।

जहां तक श्री नन्दकुमार सोमानी द्वारा उठाये गए व्यवस्था के प्रश्न का संबंध है, रिपोर्ट में केवल पुलीस अधिकारी के दद का नाम लिखा गया था।

अब रेलवे मन्त्री महोदय कल की दुर्घटना के सम्बन्ध में एक वक्तव्य देंगे।

---

## खागा में रेलवे दुर्घटना के बारे में वक्तव्य

### STATEMENT RE. RAILWAY ACCIDENT AT KHAGA

**रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा ) :** दिनांक 12-8-70 को लगभग 05.32 बजे जब रेल संख्या 40 डाउन दिल्ली-हावड़ा जनता एक्सप्रेस उत्तर रेलवे के कानपुर इलाहाबाद दुहरा बड़ा लाइन सैक्शन पर शत नारायणी और खागा के मध्य चल रही थी तो खागा स्टेशन से बाहर स्थित सिगनल के पास चलती हुई गाड़ी का इन्जन तथा पांच डिब्बे पटरी से उतर कर गाड़ी के इन्जन के तीसरे से सातवें डिब्बे से जा टकराए। इन्जन से दूसरा डिब्बा पटरी से नहीं उतरा और चौथा तथा छठा डिब्बा धक्के के बल से मुख्य लाइन की ओर चले गए और इन्होंने लाइन रोक दी। गाड़ी संख्या 7 अप तूफान एक्सप्रेस, जो खागा स्टेशन से 05.31 बजे गुजरी, गाड़ी संख्या 40 डाउन जनता एक्सप्रेस के चौथे और छठे डिब्बे से एक तरफ से टकरा गई 40 डाउन जनता एक्सप्रेस के ये डिब्बे मुख्य लाइन को रोके हुए थे और इसके परिणाम स्वरूप 7 अप तूफान एक्सप्रेस का इन्जन तथा नौ डिब्बे क्षतिग्रस्त हुए किन्तु गाड़ी पटरी से नहीं उतरी।

इस दुर्घटना के फलस्वरूप 9 व्यक्तियों को गम्भीर चोटें आई तथा 20 व्यक्तियों को मामूली चोटें आई। घायल व्यक्तियों को प्राथमिक उपचार सहायता दी गई और उनको फतेहपुर के सरकारी अस्पताल में दाखिल किया गया। 20 व्यक्तियों को जिनको मामूली चोटें आई। उनको प्रथम उपचार के बाद घर जाने दिया गया। अस्पताल में दाखिल किये गये व्यक्तियों में से एक व्यक्ति की बाद में मृत्यु हो गई।

मृत यात्री के संबंधियों को 500 रुपये और गम्भीर रूप से घायल व्यक्तियों को 200 रुपये प्रतिव्यक्ति सहायता के रूप में दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त 4 अन्य गम्भीर रूप से घायल होने वाले व्यक्तियों को 100 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से सहायता दी गई है।

यह सूचना मिली है कि वहां से गुजरनेवाले एक ट्राफी चालक और उनकी पत्नी ने रेलवे पथ के उस स्थान में कुछ व्यक्तियों को संदेहात्मक स्थिति में देखा, जहां दुर्घटना हुई और रेलवे फाटक के द्वारपाल को रेलवे पथ की सुरक्षा के लिए सूचित किया। 40 डाउन जनता एक्सप्रेस के चालक

ने डेटोनेटरों का विस्फोट कर दिया, जोकि द्वारपाल द्वारा रखे गए थे और अपनी रेलगाड़ी को नियंत्रित कर लिया, नहीं तो रेल के पटरी से उतर जाने से और अधिक गम्भीर परिणाम होते। यद्यपि वह अपनी रेलगाड़ी उस स्थान से पहले नहीं रोक सका ; जहां आने वाले रेलपथ के बाई ओर की रेल की फिसलेट उखाड़ी गई थी।

रेलवे सुरक्षा, लखनऊ के अतिरिक्त आयुक्त दुर्घटना स्थल पर पहुँच गए हैं और उन्होंने अपनी जांच आरम्भ कर दी है।

---

## अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव तथा अस्पृश्यता संबन्धी समिति के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव—जारी

## MOTIONS RE : REPORTS OF THE COMMISSONER FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES AND THE COMMITTEE ON UNTOUCHABILITY—(Contd.)

**Randhir Singh** (Rohtak) : I have made an appeal to the Government while speaking yesterday, that surplus land above the ceiling limit which is fixed at 30 standard acres, should be distributed to the landless, Harijans, drivers and such other deserved persons. Not only in villages, but the surplus land in cities also should be distributed. Maximum ceiling limit of Rs.2 lakhs should be strictly imposed in villages as well as in cities. Thus the surplus land which comes in the hands of the Government should be distributed without any delay. It is a widely known fact that a handfull of people own big farms in the country. With a view to escaping from the payment of income tax, some people such as Birlas etc. have set up companies. There should not be two standards in dealing with the big farms owned by these people and the ordinary land.

Whatever aid the Government gives to the scheduled castes and Tribes, it should not be given a colour of charity. Proper incentive should be provided to them and every effort should be made to uplift their living condition. In every field preferential treatment should be given to them.

I am closely connected to the rural life. There the poor agricultural labourers work in the field right from dawn till evening. But the minimum wages Act is not enforced there. The labourer should get wages according to the quantam of work which he has done. To-day working hours are also not fixed. In villages the labourers are treated as mere slaves and are even forced to do menial work.

Economic back-wardness is not the only problem facing these people. The problem of social backwardness is there. Harijans are our bretherss. But they are outcasted today. We don't accept the, 'Vedas' or the 'Shastras' which advocate caste system. We are with the poor and hungry millions. We would not accept anything just because it was said by some Rishis or some religious leaders. We firmly believe in social eqauality. We are committed to that. In the Constitution we laid down the principles of social equality. But we could not achieve that great goal. Therefore it is of prime importance that we must give social justice to the our Harijan brothers.

Shri Bhandare has said that those who are involve in offences of untouchability, should be fined or sentenced to simple inprisonment. But this is not enough. Those who comit such

offences, should be sentenced to imprisonment for at least 7 or 8 years. Similarly the concerned officers who are found guilty of dereliction in this regard should be dismissed from service.

Harijans must have proper representation in Public Service Commission, Planning Commission etc. So me seats in Supreme Court and High Courts should be reserved for Harijans. Similarly in judiciary,Executive and in diplomatic field also they should be given proper place. It is said that the Harijans who are recruited in police force or army, are not courageous enough. But I take strong exception to this view. Courage or heroisn is not the monopoly of Jats or Rajputs. I firmly believe that the Harijans can shine in this field. I want that a separate platoon consisting of Harijans be created in our Miiltary Services.

To-day the Harijans are living in a distressing condition. In the houses where they live, even animals cannot live. Their income is too meagre to meet the basic requirements of life. They are not permitted to draw water from the public wells. It is a matter of shame for the country as a whole, that millions of our Harijan brothers are living in slums, in cramped huts which is the abode of all kinds of diseases. At least the Government should construct a community hall and make necessary arrangements for water pipes so that these poor, helpless people can at least draw water without the fear of being attacked by the people of superior class. The State Governments should be given instructions to fulfill the basic requirements of the Harijans. In Punjab and Haryana, it is alleged that the right of ownership of plots allotted already to Harijans, is not given to them even after 10 years or so have elapsed. The Government is requested to take special care in giving the right of ownership to them.

I would like to say a few words regarding rural housing also. One G. D. Naidu, in South, has chalked out a plan of constructing a building with one room, latrine and other amenities at a surprisingly low cost of Rs.700. 95 percent of the Harijans live in such houses, where even the mosquitoes are afraid to go, what to speak of human beings ? Therefore the Government, under the rural housing scheme, should take necessary steps to construct houses for Harijans who are living in extremely unhygienic conditions. An amalgamated colony should be constructed. They should instruct the State Governments to construct the houses for Harijans in such a manner so as to be closer to those of non-Harijans.

One thing I have to say regarding education. To day the number of Scholarships given to Harijans to go abroad for study is much less. This should be increased. The amount of scholarship should also be increased.

Now I want to say one thing about the backward class. The Constitution provides for the appointment of a Commission for the backward class. A commission is already appointed and it has submitted its report. These people are livingin more precarious conditions than Harijans. Therefore necessary measures should be taken for improvement of their living conditions.

Finally I would like to say one thing regarding the caste system. I don't know whether this will disappear from our society or not. But in order to ward off the evil of caste system, we must encourage the inter-caste marriages, as some of our great leaders have done.

Mr. Deputy speaker, sir , I would like to appeal to the Government through you that all the recommendations of the Committee should be implemented and thereby eliminate social injustice that prevails in our society.

**श्रीमती इलापाल चौधरी** (कृष्णनगर) : अध्यक्ष महोदय, हमने अनुसूचित जातियों और जन जातियों के उत्थान के लिए अपनी संविधान में बहुत कुछ लिख रखा है । गांधी जी ने तो इसी कार्य के लिए अपना जीवन दे दिया चैतन्य महाप्रभु ने समाज की जात पांत से मुक्त करने के

लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। ब्राह्म-समाज ने जात पांत निवारण के लिए रचनात्मक योग दान दिया। इस समाज ने अर्न्तजातीय विवादों का कभी विरोध नहीं किया। चौधरी रणधीर सिंह ने इस विषय पर जो वक्तव्य दिया है उसमें उन्होंने दो चार बातें बहुत सराहनीय कहो है। अब तक इस सभा में विभिन्न विषय पर 18 संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किये जा चुके हैं और हम अपने संविधान में 18 बार संशोधन कर चुके हैं। यह बहुत ही हास्यास्पद बात है कि गांधीजी के विचारों की पृष्ठभूमि में हमने संविधान के अनुच्छेद 335 में संशोधन करने के बारे में कभी नहीं सोचा।

संविधान के अनुच्वेद 335 में यह व्यवस्था है कि सेवाओं के लिए नियक्तियां करने में प्रशासन की कार्यक्षमता बनाये रखने की संगीत के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों पर भी ध्यान दिया जायेगा। इसके साथ ही अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि सार्वजनिक संस्थाओं की भी अनुसूचित जातियों तथा अनु- सूचित जन जातियों के लिए कुछ स्थान आरक्षित रखने चाहिये। परन्तु यह आदेशात्मक नहीं हैं। अतः अच्नुछेद 335 अभावपूर्ण है। यह आवश्यक है कि संविधान के इस अनुच्छेद में संशोधन किया जाए क्योंकि ज्योंही अनुसूचित जनजाति का कोई उम्मीदवार नियुक्ति के लिए आता है तो संघ या राज्य अथवा सरकारी क्षेत्र के उपक्रम यह कहते हैं कि "प्रशासन की कार्य क्षमता बनाये रखने की दृष्टि से" हम इस उम्मदोवार को नहीं ले सकते। मेरे विचार से यह अनुचित बात है। साथ ही यह भी कहते हैं कि योग्य उम्मीदवार नहीं मिलते। मेरा विचार है कि इलाहाबाद को तरह प्रत्येक राज्य में पूर्व परिक्षा केन्द्र होने चाहिये। इन केन्दों में अनुसूचित जातियों और जन जातियों के उम्मीदवारों की परिक्षाओं और साक्षात्कार आदि के लिए प्रशिशित किया जाना चाहिये। यदि हम अनुसूचित जातियों और जनजातियों के समूचे समुदाय का उत्थान करना चाहते हैं तो हमें उन्हें इस के लिए उचित प्रशिक्षण दे। की व्यवस्था करनी चाहिये। इन जातियों के लोगों की संख्या भारत की जनसख्या का 25 प्रतिशत है अतः हम उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते। वास्तव में यही लोग तो भारतवर्ष के आदिवासी है। इन्हीं में तो भारत भूमि की वास्तविक छवि झलकती है। अतः इन लोगों के उत्थान के लिए हमें हर सम्भव प्रयत्न करना चाहिये। संविधान के अनुच्छेद 335 और 16 संशोधन करने के लिए विधेयक प्रस्तुत किया जाना चाहिये।

दूसरी बात, अनुचित जाति के लोगों के लिए। 85, 965 मकान बनाये गये हैं और 51,523 मकानों के लिए भूमि दी गई है परन्तु इन लोगों की संख्या को देखते हुए यह पर्याप्त नहीं है। इनके लिए सरकार को और मकान बनाने चाहिये तथा इस प्रयोजन के लिए अधिक धन राशि जुटाई जानी चाहिये।

मैं इससे पूर्णतया सहमत हूं कि सरकार के पास जो "खास" भूमि है वह इन लोगों को दो जानी चाहिये। इसको अपेक्षा कि कुछ लोग अवैध रूप से भूमि हथियाने के लिए अन्दोलन चलायें सरकार को स्वयं ही यह भूमि हरिजनों और अनुसूचित जातियों व अनसूचित जनजातियों में बांट देनी चाहिये। यदि कृषि कार्य के लिए सरकार उन्हें भूमि दे देगो तो इन्हें दर दर भटकना नहीं पड़ेगा जैसा वह प्रायः भटकते रहते हैं। आप कहते हैं कि उन लोगों को उकसाया जाता है परन्तु मैं कहती हूं कि इसमें इन लोगों का क्या दोष है इसके पीछे राजनोति लगती है और यदि वह

लोग जागरूप हो तो इस राजनीति की भाप ले। यदि उन्हें यह विश्वास हो जाये कि आप निश्चय ही उनके लिए कुछ कर रहे हैं तो वह लोग भला राजनीतिज्ञों की झूठी बातों में क्यों आये ?

अब आप जरा मेहतरों की स्थिति को ही लीजिये। मैं पश्चिमी बंगाल के अपने चुनाव-क्षेत्र का ही उदाहरण देती हूं। वहा रह रहे इन लोगों की दुर्दशा तो भारत सरकार के माथे का कलंक है। इन लोगों के आवास के लिए कोई योजना आजतक कार्यान्वित नहीं की गई। मैं समझती हूं कि इन लोगों के लिए बस्तियां तथा बनाई जाये और हरिजन बस्ति मेहतर बस्ती और अनसूचित जातियों की बस्ती जैसी इनकी अलग बस्तियां होनी चाहिये। आजकल जिस दशा में यह लोग रह रहे हैं आप निश्चय ही उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते।

अभी प्रधानमन्त्री ने तीन वर्ष तक के बच्चों को आहार आदि के लिये तीन करोड़ रुपये का अनुवंटन किया है। मेरा विचार है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के बच्चों के कल्याण के लिए अलग धन की व्यवस्था की जानी चाहिये। इनके बच्चें कुपोषण आदि के कारण बीमार हो जाते हैं। उनके लिए तीन से पांच वर्ष तक शिशु आहार की व्यवस्था की जानी चाहिये। अगर प्रत्येक करदाता इस प्रयोजना के लिए एक रुपया भी दें और इसी प्रकार अन्य संस्थायें भी धन दें तो इस कार्य में सभी लोगों का योगदान हो सकता है।

आज, आये दिन हमारे देश के विभिन्न भागों में ऐसी घटनायें हो रही हैं जिससे यह पता चलता है कि हरिजनों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। इन लोगों को कत्ल किया जाता है। इनके बच्चों को सताया जाता है और इनके घर जलाये जाते हैं। सरकार को इन सभी बातों की ओर शीघ्र ध्यान देना चाहिये। इस प्रकार की प्रत्येक घटना का तदर्थ प्रतिवेदन संसद में पेश किया जाना चाहिये। इस प्रकार का अपराध करने वाले अपराधी को कठोर दण्ड दिया जाना चाहिये चाहे उसका सम्बन्ध किसी भी राज्य से क्यों न हो।

श्रीमान जी जब हम जनजातियों और हरिजनों को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे ही बहन भाइयों का शोषण हो रहा है। अब वह लोग कुछ ऊपर उठ रहे है। हमें भारत भूमि की सभ्यता और संस्कृति के इन वास्तविक प्रतीकों पर गर्व करना चाहिये। मेरा यह विश्वास है कि उपयुक्त शिक्षा प्राप्त करने के बाद यह लोग किसी से पीछे नहीं रहेंगे।

**Shrimati Jayaben Shah** (Amrelt): Mr. Deputy Speaker, Sir, the debate on this issue is going on for last so many days and many things said by hon. Members are common. I would like to give a few suggestions on this vital national issue.

The very first thing that I would like to say is that the work of Scheduled Castes and Scheduled Tribes' uplift should be entrusted to a separate Ministry. This Ministry should specifically look after the interests of these Communities. It will be more advisable if this job is taken over by the Prime Minister herself so that every thing is done in a very enthusiastic way. In States too, the vital issue should be taken up by Chief Ministers or other Senior Ministers.

Secondly, although there is tall talk of sympathy with Harijans by everybody but nothing concrete is done by anybody. Even their basic requirement of drinking water is not being met but still we are celebrating Gandhi Centenary the man who gave his life for this cause. This basic requirement should be given the highest priority.

I want to ask the Government, what it has done for these people. The Government has not done even the 25 per cent work for their uplift. It is a matter of shame for the entire nation. No time limit has been fixed for it. May I ask the Government what is the barrier in its way ? Why we are not doing anything for these people ?

The attention of the House has been drawn towards the Education and Unemployment problems of these people by several Members. I want to stress upon the miserable condition of scavengers of our country. They are still carrying the night-soil on their heads. It is inhuman. This system should be stopped altogether and some new and modern method should be adopted for it. Equal educational facilities and equal social status should be provided to the children hailing from this community. We should try to abolish the untouchability between Harijans and Non-Harijans for ever. If we succeed in doing so, only then the era of real socialim and democracy will start.

Several constitutional amendments are brought forward in this House according to the need of the time. I wish a legislation should be brought to the effect that no man will carry another man's night soil. Even if it is a State subject, it should be taken by the Centre and even if it has to amend constitution to this effect. Shri Sonavane has said that minimum 20 hours should have been allotted for the debate on this issue but I think even this time will be insufficient. Gandhiji wanted that the daughter of a scavenger should be the Prime Minister of this country. The followers of Gandhiji and those who respect him should do their best to fight for this human cause of upliftmet of Harijans. These people should not be treated as second class citizens.

In the end I will again request the honourable Minister that while replying to the debate, he must give an assurance that manual scavenging system will come to an end within one or two years. Such an assuiance will be a blessing for this country.

****श्री के० रमानी** (कोयम्बतूर) हमारे देश में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लोगों की संख्या लगभग 10 करोड़ है, जोकि इस देश की कुल जनसंख्या का पांचवां भाग है। विश्व में कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां कि इतने विशाल जनसमुदाय का कोई इस प्रकार का वर्गीकरण किया गया हो। जब कभी हम विदेश जाते हैं तो वहां विदेशी लोग सबसे पहला प्रश्न यह करते हैं कि वह लोग कौन होते हैं जिन्हें अनुसूचित जतियों अथा अनुसूवित जनजातियों के लोग कहा जाता है। हिन्दू समाज की इस दमनकारी जातपात व्यवस्था को हिन्दू धर्म का एक आवश्यक गुण माना जा रहा है। परन्तु हमें सदा इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि जब तक हम जात पांत समाप्त नहीं करते तब तक हम कोई भो प्रगतिवादी सामाजिक परिर्वतन अपने समाज में नहीं ला सकते।

[ श्री क० न० तिवारी पीठासीन हुये
SHRI K. N. TIWARI IN THE CHAIR ]

सभापति महोदय, यदि हम अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्थिति में वास्तव में कोई सुधार लाना चाहते हैं तो हमें सर्वप्रथम उनको आर्थिक स्थिति में सुधार करना होगा। हर वर्ष आयुक्त के प्रतिवेदन पर चर्चा करना तो केवल एक परम्परा बन गई हैं परन्तु इस महत्वपूर्ण

**मूल तमिल के अंग्रेजी अनुवाद से अनुदित
English Translation of speech delivered in Tamil.

तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं देता कि हमने अपने समाज से अस्पृश्यता को किसी सीमा तक समाप्त किया है, सामाजिक-दमन को हमने कितना कम किया है और जात पांत जैसी बुराई को समाप्त करने में हमें कितनी सफलता मिली है। यदि केवल हम यह मान लें कि जहां तहां कुछ स्कूल खोलने, इन लोगों के लिए कुछ छात्रवृतियों और नौकरियों का आरक्षण करने से हम इस समस्या को सुलझा सकते हैं तो यह केवल हमारा भ्रम है। हां, इस प्रकार की कार्यवाही एक आरम्भिक सोपान अवश्य कही जा सकती है।

इस तथ्य से सभी अवगत हैं कि इन 10 करोड़ लोगों में से लगभग 90 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं। यह आवश्यक है कि उनके जीवनयापन के लिए भूमि की व्यवस्था होनी चाहिये। तभी तो इन लोगों का आर्थिक सुधार हो सकता है। आज यह बेचारे अन्य लोगों की भूमि और खेतों में कार्य कर जीवनयापन करते हैं। इनके बिना खेती नहीं हो सकती। इन के बिना हमारी सफाई व्यवस्था भी नहीं चल सकती। परन्तु फिर भी हमने इनकी स्थिति सुधारने के लिने क्या किया है? आयुक्त ने इनके लिए कौन से कल्याणकारी कार्यक्रम को क्रियान्वित किया है? हमारी सरकार या उसके समाज कल्याण विभाग ने इसके लिए क्या किया है? इन-लोगों को सम्पूर्ण राष्ट्रीय धारा के साथ मिलाने के लिए क्या किया गया है? हम कहते हैं कि आदमी आदमी में कोई अन्तर नहीं। यह लोग हमारे समाज के आवश्यक अंग हैं और इन्हें समाज की प्रमुख्य धारा में मिलने के लिए कुछ न कुछ अवश्य किया जाना चाहिये।

जब श्री बसुमतारी की अध्यक्षता में समिति ने मेरे चुनाव क्षेत्र कोयम्बत्तूर का दौरा किया तो मैंने उन्हें हरिजनों की विभिन्न समस्याओं से अवगत करवाया। हम चुनाव के दिनों में थोड़ा बहुत व्यय करके इन लोगों को कुछ सुविधायें जुटा देते हैं और इन के वोट प्राप्त कर लेते हैं। अतः राजनीतिज्ञ इन लोगों को शतरंज के मोहरों की तरह प्रयोग कर रहे हैं। इनके अधिकारों के लिये सच्चे अर्थ में कोई भी कुछ नहीं कर रहा।

यदि आप इन लोगों के लिए कुछ नहीं करेंगे तो यह लोग स्वंय संघर्ष करेंगे। गांवों में रहने वाले यह नौ दस करोड़ लोग अपने मजदूर संघ बना लेंगे और आये दिन आन्दोलन करते रहेगें। सरकार अब भी थोड़ा बहुत भूमि वितरण कार्य कर रही है उससे हरिजनों की समस्या सुलझने वाली नहीं है। ऐसा केवल उन्हें कुछ शान्त करने के लिए ही किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में मेरा यह सुझाव है कि सम्पूर्ण भूमि जो बड़े बड़े जमींदारों, रजवाड़ों और महाराजाओं के कब्जे में है, वह सारी सरकार अपने कब्जे में ले ले और पुनः उसका वितरण हरिजनों में कर दे। भूमि सुधार के लिए यह एक आधार भूत प्रश्न है कि हरिजनों को पहले भूमि दी जाये बाद में वह लोए भले ही सहकारी खेती के लिए राजी हो जायें। क्या यह उचित है कि कुछ लोगों के पास तो लाखों एकड़ भूमि रहे और कुछ बेचारे भूख से तड़प तड़प कर मरते रहें? यह कहा का न्याय है? भूमि सुधार अत्यावश्यक है और यदि इसे करने के लिए संविधान में भी हमें कोई संशोधन करना पड़ता है तो हमें वह भी करना चाहिये। यदि संविधान को समाप्त भी करना पड़ता है तो भी कोई बड़ी बात नहीं क्योंकि संविधान लोगों के हितों के लिये ही तो बनाया गया था। अब यदि परिवर्तित परिस्थितियों में वह लोगों के हितों को सुरक्षित नहीं रखता तो उसे समाप्त कर नया संविधान भी बनाया जा सकता है।

आज औद्योगिक श्रमिकों का निर्दयतापूर्ण शोषण किया जा रहा है। यदि छोटे छोटे किसान और मध्यम वर्ग के लोग मिल कर उद्योगपतियों और पूंजीपतियों के विरुद्ध संघर्ष आरम्भ कर दें तो इस देश में आन्दोलन आ सकता है तभी यह समस्या सुलझाई जा सकती है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आयुक्त तथा समाज कल्याण विभाग चाहें और अधिक स्कूल खोल दें। इन लोगों को और छात्रवृत्तियों दे दें या इनके लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कर, नौकरियों में कुछ आरक्षण कर दें परन्तु इससे हरिजनों की आधारभूत समस्या का समाधान नहीं हो सकता।

जात पांत की समस्या हमारे सम्पूर्ण समाज में बहुत व्यापक है। यह समस्या केवल भारत में ही है तथा विश्व के किसी अन्य देश में इसके दर्शन नहीं होते। हम जब कभी विदेश जाते हैं तो वहां के लोग बहुत उत्सुकता से हमसे प्रश्न करते हैं कि यह जात पांत क्या होती है? यहां भी बहुत सदस्यों ने बड़े जोरदार शब्दों में इसका विरोध किया है। मैं इस सभा के सदस्यों को यह चुनौती देना चाहता हूँ कि यदि वह वास्तव में इसका विरोध करते हैं तो फिर भला अपने नाम के साथ मुकर्जी, चौधरी तथा नायर आदि उपनाम क्यों जोड़ते हैं? क्या वह इन उपनामों को छोड़ने के लिए तैयार है। यदि हमें जात पांत के विरुद्ध संघर्ष करना है तो हम सभी का उसमें पूर्ण योगदान देना होगा। इस प्रश्न पर सभी राजनीतिक दलों को एक हो जाना चाहिये।

मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि भूमिहीन श्रमिक की स्थिति सुधारने के लिए वह क्या करने जा रही है। इसके लिए उसने कौन सी योजना बनाई है? आज तक सरकार ने इसके लिए केवल एक विभाग खोला है और उसकी देखभाल के लिए एक मन्त्री नियुक्त किया है। इस विभाग ने हरिजनों के लिए कुछ स्कूल खोले हैं और हरिजन उत्थान के लिए व्यय की जाने वाली धनराशि कुछ बढ़ा दी है। परन्तु अभी भी कई ऐसे नाममात्र स्कूल हैं, जहां केवल एक ही अध्यापक कार्य करता है। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ जब चुनाव निकट होता है तो हरिजनों को कुछ सुविधायें उपलब्ध करवा दी जाती है उन्हें एक दो दिन के लिए मुफ्त भोजन देकर उन के वोट खरीद लिये जाते हैं। धनी लोग केवल अपने स्वार्थ साधन के लिए कुछ दया दिखा देते हैं।

हरिजन कल्याण की समस्या का समाधान केवल कुछ स्कूल खोलने या छात्रवृत्तियां देने से होने वाला नहीं है हमें इसके लिए कुछ ठोस कार्य करना होगा हरिजनों को भूमि देने के लिए सरकार को ठोस कार्य करना काहिये। ऐसा नियम होना चाहिये कि कोई भी व्यक्ति 10 एकड़ से अधिक भूमि न रख सके। इसके साथ ही व्यापार उद्योग तथा परिवहन आदि में इन लोगों की नौकरियों के लिए व्यवस्था करनी चाहिये। सभी राजनीतिक दलों को एकबद्ध होकर जात पांत व्यवस्था, अस्पृश्यता आदि से संघर्ष कर इन लोगों को इन बुराई से राहत देनी चाहिये। यही केवल मात्र ऐसा तरीका है जिससे यह समस्या सुलझाई जा सकती है।

**Shri Yamuna Prasad Mandal** (Samastipur) : According to article 17(a) of the Constitution, untouchability has been abolished and its practice in any form declared forbidden. In the Gandhi Centenary year a Social Policy Resolution should be passed establishing a casteless Society, without which untouchability and inequality cannot be abolished. But even after 23 years of independence casteless society has not been established.

A Kaka Kalelkar Commission was appointed under article 340 of the Constitution for investigating the conditions of other backward classes. But the Government has not taken care of the report submitted by this Commission.

The titles of the reports of the Commissioner for the years 1966-67 , 1967-68 and 1968-69 are misleading because the commissioner has investigated the matters relating to the safeguards provided for the other backward classes. But there is no reference of other backward classes in the titles of the reports of the Commissioner, The titles of the reports should have been "Report of the Welfare Commissioner for A. B. C. and O. B. C. i.e. Amelioration of the Backward classes and other Backward classes. Similar suggestion was made in the report of Kaka Kalelkar Commission. The present title of the reports is misnomer and misleading Therefore, a proper title to the reports of the Commissioner should be given comprising the "backward Classes."

Regarding safeguards against suppression in the 16th report of the Commissioner Scheduled Castes and Scheduled Tribes on page 18, it has been stated that 190 poor Harijans and those belonging to backward Classe, who were to be given selection grade have been superseded. Such types of atrocities and sufferings have been given to these poor people in the country. They do not want persons belonging to Harijans and Scheduled Castes and Scheduled Tribes to make progress. In such circumstances there is no use of reservations and safeguards. The Government should take effective steps to remove the sufferings and greievances of these people.

Regarding monetary help, this is not given for years together. These poor people, who apply for this help, have to wait for more than seven years and even after that no help is given to them. Regarding distribution of land to the landless people belonging to scheduled Castes and other backward classes. the statistics show that surplus land in Jammu and Kashmir has been completely distributed to these landless people, but the position in other states is very critical as not an inch of the land has been distributed there.

So far as the Housing problem of thse people is concerned, it is very critical and acute one, particularly in rural areas. These poor people live in small huts and they have to creep there like insects. Whatever has been done by the State Governments in this regard is not sufficient. Government should take up this matter and solve this problem of these poor people.

The Department of Social Welfare should be kept separated from that of Law so that proper attention may be given to the lots of these people.

A separate cell for the amelioration of backward classes should be set up in the Planning Commission. More funds should be allocated for the uplift and welfare of these people. The Planning Commission should keep this aspect in view while allocating the funds during the Fourth Five Year Plan ; that provision for more funds is made for the welfare of these people.

**Shrimati Tarkeshwari Sinha (Barh)** : Mr. Chairman, a number of Members have participated in the discussion. However, I am happly at one thing: previously whenever these reports used to come up before the House, only Scheduled Caste and Scheduled Tribes Members used to speak on it and it used to appear as if others had nothing to do with it. But this time there has been a change, which indicates that others have also realized that this report is an important matter for the country and all sections in the country should be equally interested in it, so that the disablities of the Scheduled Castes and Tribes could be tackled on a National level. The member who spoke before me praised the Prime Minister and the Government. But I want to say that when Jammu and Kashmir is a part of India, why this reservation for Harijans is not there ? I want to know whether the Harijans living in Jammu and Lashmir have got different uights than those living in other parts of the country. I want a reply from the Government of India as to why this discrimination is there in Jammu and Kashmir ? I want that while replying to the debate the hon'ble Law Minister should

declare that Scheduled Castes and Scheduled Tribe people would get equal rights in Jammu and Kashmir also.

Secondly, I want to refer to Article 335 of the Constitution which reads :

"The claims of the members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes shall be taken into consideration, consisistently with the maintenanance of efficiency of administration."

I would request the hon. Law Minister, who is present here, to see to it. There are no two opinon tnat administrative efficiency should not be connected with any caste or community. It is an insnlt to Scheduled Castes and Tribes to say that their claims will be taken into consideration consistent with the efficiency in administration. They have been given equal rights with others in the Constitution. I feel that Art. 335 should be amended and the following portion should be deleted from it :

"consistently with the maintenance of efficiency of administration." If Government brings such an amending Bill, we will support it.

We would have to do justice to those with whom we have been doing injustices for thousands of years and for this we would have to take the first step soon. It has been rightly said that children are the product of environment. If one does not get good food, his growth is circumscribed. We can see this difference through comparison between the efficiency of the children of poor and those of well-to do families. All children have equal efficiency in the early stages , but differences develop in accordance with the care they get and the environments in which they are brought up . Actually, these conditions have been created by Society. Justice demands that everybody should get equal opportunites in life.

I remember that when the Constitution was being framed, some people told Mahatma Gandhi that the right of adult suffrage should not be incorporated in the Constitution because people were backward and uneducated and they would not be able to properly use this right. Mahatma Gandhi asked them whether they thought that since their circumstances were better before the independence, the torch of freedom would shed more light in their homes than of those who had been brought up in adverse environments ? They have been oppressed by the Society. If there is no light in their life, those who have brought them to this state would have to atone it now. We have to create a conviction within us that the responsibility for their well being lies upon us. Only then we will be able to raise our voice for mitigating their woes and sorrows.

We have to see why the people of backward classes do not qualify in the competitive examinations. Are they lower quality of human beings ? Do they possess less intelligence than us ? Are they not born of a womb of a mother ? The fact is that they did not get proper environments so that they c ould develop as healthy children. Therefore Society would have to atone for it and give to them what had been denied t o them. The facilities being allowed to them at present are very meagre.

The reports on Scheduled Castes and Scheduled Tribes are eye-openers, . The report for this year is hair-raising. We find that small children, aged 5, 6 and 8 years have to go about working for their livelihood. If they do not work, there is no protection for them. These small children have to work for as much as ten hours.

Child Labour has been banned. But if one reads a few paragraphs of this report it will take the breath out of him. They are compelled to work in conditions which put us to shame. Ours is an independent country and it is a shameful thing for us. Most of the children who work belong to Scheduled Castes and Scheduled Tribes. They start doing work right from their childhood, with the result that they cannot read or write. If this cannot be stopped by law, at least facilities to make them literate should be provided.

We had announced that we would introduce the 10 point programme in all cities by 1975. However, it would be enough even if we were able to make arrangements for only for drinking water. To-day, the Harimans who have to cover long distance to go to the wells for drawing drinking water, need this facility most. We find there are separate wells for Harijans in villages. And at somė places those wells are situated at long distances. We have no right to say that we are talking of Harijan welfare when we have not been able so far to make arrangements for drinking water for them.

These days land-grab movement is going on. What is the idea behind it ? There is a report of Planning Commission that ten lakh acres land is annually urbanised for industrialisation etc. Where does this industrialization takes place ? It mostly takes place where tribal people live, because raw material is avaitable at these places. And if we go through the figures of those people who have become landless due to Industralisation we find that most of these people are from Scheduled Castes and Scheduled Tribes, who possess small patches of land. I want that if land belonging to those people who possess land to the extent of 2 acres, is acquired for urbanisation or in dustrialisation, they should be given land in lieu thereof, not cash compensation.

There are people who are in the habit of tall -talking I do not think they have any seriousness. They merely shed crocodile tears. Tatas and Birlas have been given big leases. They hold so much of land. They were not born with those lands, How did they come to acquire them. No body would sell his land unless compelled by circumstances. They got these lands from the Government itself. 95 per cent of the big farms are leases from the Government. There is drkness below the lamp.

If the Government is serious, it should cancel the leases of these lands and distribute the lands amongst Harijans. The ruling party at the centre is in power in Andhra Pradesh also where big farms have been leased out to Dalmia. Singhania, Sahu Jain, Birla and Tata, Their leases should be cancelled and that land should be distributed amongst Harijans and Tribals.

People need employment, for earning their lirelihood. So long as decentralization of industries does not take place unemployment problem could not be solved and opportunities for employment could not be created. If problem of unemployment is to be solved, it can be through accelerating the process of decentralisation of industry and setting up, cottage industries.

There is a place called Shivakashi in Tamilnadu. Match boxes' crackers, Fireworks etc. are manufactured there. They need paper and they have to pay black-market rate to the manufacturers of paper. Most of the people who work in these industries are illeterate people from the villages. Their requirements of paper should be met.

**श्री कार्तिक उरांव (लोहारदाग)** : सबसे पहले तो मैं इस बात का स्वागत करता करता हूं......

**सभापति महोदय** : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें ।

---

## नियम 193 के अधीन चर्चा

## DISCUSSION UNDER RULE 193

### आसाम में बाढ़

**सभापति महोदय** : अब असम में बाढ़ से हुए विनाश और उसकी रोकथाम के लिये किये किये उपायों पर चर्चा की जाएगी ।

**Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani)** : I rise on a permit of order, Sir. Please allow the flood situation in Bihar also to be taken up along with it.

**Mr. Chairman** : There is no point of order in it.

**श्री हेम बरुआ** (मंगलदायी) : असम का सामरिक महत्व होते हुए भी उसकी अपेक्षा की जा रही है। बाढ़ के फलस्वरूप मूल्य बढ़ रहे हैं। भूकम्प से तथा सिलोगुडी में रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल से राज्य में और भी क्षति हुई है।

जब चीन ने देश पर आक्रमण किया तब तत्कालीन प्रधान मंत्री ने असम के लोगों के कल्याण के लिये कामना करते हुए आकाशवाणी से भाषण प्रसारित किया था।

इस प्रदेश में वर्ष में दो बार बाढ़ आती है जिससे महाविनाश होता है। क्या समुचित आयोजन के द्वारा उस विनाश को कम नहीं किया जा सकता ? तकनीकी विकास से धरती और चन्द्रमा का अन्तर कम हो गया है। क्या वही तकनीकी विकास बाढ़ की तीव्रता को कम करने में उपयोग में नहीं लाए जा सकते।

बाढ़ से लगभग 30 लाख लोगों को हानि हुई है। बाढ़ के पश्चात् बारपत में हैजा का प्रकोप छा गया था।

डा० राव एक अधिकारी के साथ अमरीका के बाढ़ नियंत्रण कार्य को देखने गये थे। परन्तु उन्होंने असम में उन उपायों का उपयोग नहीं किया। कुछ विदेशी विशेषज्ञों ने भी असम की बाढ़ का अध्ययन करने के पश्चात् अपने सुझाव दिये थे। परन्तु उन पर कुछ ध्यान नहीं दिया गया।

प्रधान मंत्री श्री नेहरू 1954 में असम गये थे और उन्होंने इस बारे में कुछ सुझाव दिये थे परन्तु वह भी 15 वर्षों में क्रियान्वित नहीं किये जा सके।

जब बाढ़ का पानी उतरता है तब नदियों के किनारे कट जाते हैं। 1950 से अबतक बाढ़ का मुकाबला करने के लिये 150 करोड़ रुपया व्यय किया गया परन्तु बाढ़ अभी भी वैसी ही भयानक हैं।

हम कृषि में सुधारों की बात करते हैं परन्तु कृषि योग्य भूमि का दस प्रतिशत बाढ़ से खराब हो जाता है।

राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण नीति की, 1954 में घोषणा करते समय अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन उपायों की चर्चा की गई थी। परन्तु कोई भी दीर्घकालीन उपाय नहीं किए गये। बाढ़ के अध्ययन के लिए नियुक्त एक उच्च स्तरीय समिति ने कहा था कि उनसे प्रति व्यक्ति क्षति असम में सार्वाधिक है। परन्तु इस बारे में कुछ भी कार्यवाही नहीं की गई। मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि इस वर्ष 8.6 करोड़ रुपया की क्षति हुई है तथा 21 व्यक्तियों की जानें गईं। मंत्री लोग बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई दौरा करने के पश्चात् सभी प्रकार के आश्वासन दे देते हैं जिनपर कभी कार्यवाही नहीं की जाती। मंत्री लोग गोहाटी जाते हैं, पार्टी के कार्यों के लिये और उनकी यात्रा पर व्यय किया जाता है जनता के धन से। यह अनुचित है।

कहा जाता है कि असम में भारी वर्षा नहीं हुई तो भी बाढ़ भयंकरतम आई। एक समाचार छपा था कि चीन ने तिब्बत में एक आण्विक उपक्रम स्थापित किया है जिसके फलस्वरूप भारत में बाढ़ आती हैं।

आयंगर समिति ने 1954 में बांधों का सुझाव रखा था परन्तु नदियों के जल-स्तर बढ़ जाने के कारण उक्त उपाय व्यर्थ सिद्ध हो चुके हैं और उनके निर्माण से भ्रष्टाचार फैलता है।

ब्रह्मपुत्र नदी बहती तो भारत में है परन्तु उसका स्रोत चीन में है। उसके लिये मंत्री महोदय ने अवरोधक डैम बनाने का वचन दिया था परन्तु उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। असम में कोई भी बहुद्देशीय परियोजना नहीं है। अकेले ब्रह्मपुत्र से 3·6 करोड़ किलोवाट बिजली पैदा की जा सकती है। अन्य नदियों से भी बिजली पैदा की जा सकती है। सरकार को ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे असम को बाढ़ नियंत्रित की जा सके। इस बारे में उचित आयोजन में विशेषज्ञों से परामर्श लिया जाना चाहिए।

**डा० राम सुभग सिंह** (बक्सर) : मैं समझता हूं कि असम में ब्रह्मपुत्र तथा सुरमा पर्वती क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण है, असम के पूरे क्षेत्र से वनों का उन्मूलन। तथ्य तो यह है कि पूरे देश में वनों को बिना सोचे समझे काटा जा रहा है। मणिपुर, त्रिपुरा, असम और नेफा में तो यह कार्य बिना रोक टोक किया जा रहा है। सिंचाई मंत्रालय और वन विभाग को वार्षिक बैठकें होनी चाहिए जिनमें निश्चय किया जाए कि कैसे वनों को काटा जाए तथा कहां पर नये वन आरोपित किये जायें। कोसी क्षेत्र में भारत सेवक समाज द्वारा धन का भारी दुरुपयोग किया जा रहा है जिसके बारे में जांच की मांग की गई थी। हम सदा से कहते आ रहे हैं कि हम कोसी क्षेत्र में बाढ़ पर नियंत्रण रख सिंचाई कार्य करेंगे। परन्तु उसमें सफलता नहीं मिली। ब्रह्मपुत्र की बाढ़ को भी नियंत्रण में नहीं लाया जा सका। गोहाटी के निकट शिलांग के मार्ग पर एक बड़ा बाढ़ नियंत्रण भवन तो बन गया है परन्तु मैं जानना चाहता हूं कि कुछ कार्यवाही भी की गयी है अथवा नहीं ?

**श्री नि० रं० लास्कर** ( करीमगंज) वहां अस्पताल बना दिया गया है।

**डा० राम सुभग सिंह :** यह तो और भी बुरी बात है आपको ब्रह्मपुत्र के क्षेत्र में नेफा से पाकिस्तान सीमा तक वनारोपन करना चाहिए। इससे हमारे देश का पूर्वीय क्षेत्र स्वर्ग बन जाएगा।

यद्यपि डिब्रूगढ़ असम का एक सुन्दर नगर है, यहां हर वर्ष बर्बादी होती है। भले ही वहां पर निकास कुलयां स्थापित की गई हैं, परन्तु उनकी हालत अच्छी नहीं है और जिन कार्यों का वचन दिया गया था उन्हें पूरा नहीं किया गया।

धुबरी में हर वर्ष ब्रह्मपुत्र की बाढ़ से कटाव आते हैं। ऐसे ही उत्तरी बंगाल के कई नगरों और पटना में भी कटाव आते हैं। उनको सुरक्षा के उपाय किए जाने चाहिए। पटना में पुल का शिलान्यास किया गया था परन्तु उसका कार्य शुरू नहीं किया गया। ऐसे कार्यों से क्या लाभ है ? उस कार्य को कब पूरा किया जाएगा ?

अकाल का इस विषय से सीधा सम्बन्ध है। दक्षिण बिहार में वर्षा न होने के कारण व अकाल का प्रकोप है। बाढ़ नियंत्रण एवं सिंचाई कार्यों के लिये विभिन्न समितियों द्वारा दिये गये सुझावों को क्रियान्वित किया जाना चाहिये।

जब भी किसी क्षेत्र में बाढ़ आती है आप करोड़ों रुपया व्यय करते हैं जिससे कुछ लाभ नहीं होता। इसके स्थान पर यदि आप एक क्षेत्र में एक परियोजना पर अपनी कार्यवाहियों को

केन्द्रित करें तो इससे अच्छे परिणाम निकलेंगे। असम में बाढ़ और भूकम्प का प्रकोप रहता है। अपको वहां बसे लोगों की सुरक्षा के उपाय करने चाहिए।

असम के वन्य क्षेत्र में अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश से भारी समस्या उत्पन्न हो गई है जिसकी ओर न भारत सरकार ने ध्यान दिया है और न असम सरकार ने। मैं समझता हूं कि सिंचाई विभाग इस ओर ध्यान देगा।

**श्री लीलाधर कटकी** (नवगांव) मैं प्रतिपक्ष के नेता, डा० राम सुभग सिंह का आभारी हूं कि उन्होंने असम में ब्रह्मपुत्र और बरक नदियों की बाढ़ पर तुरन्त नियंत्रण करने की आवश्यकता का जोरदार समर्थन किया। हम अन्य राज्यों में बाढ़ की उपेक्षा नहीं करना चाहते अपित बाढ़ की समस्या की ओर ध्यान केन्द्रित करना चाहते हैं। मेरी देश के सभी भागों में बाढ़ पीड़ित लोगों से विशेषत: अलकनन्दा क्षेत्र में पीड़ित लोगों के साथ विशेष सहानुभूति है।

इस वर्ष ब्रह्मपुत्र में भारी बाढ़ आई है परन्तु 1950 में आई बाढ़ और भूकम्प तो बहुत ही भयंकर थे।

बाढ़ से 1950 से 1969 तक 130.34 करोड़ रुपये की क्षति पहुंची। उस क्षति में से 104 करोड़ रुपये की हानि तो फसल की हानि ही थी।

कृषि क्षेत्र में हमारा वार्षिक विकास 4.4 करोड़ रुपये का रहा है। इस प्रकार हमारी आर्थिक स्थिति में ह्रास हुआ है। इन वर्षों में 909 मनुष्यों की जानें गई और 1,20,000 ढोर मारे गये। ब्रह्मपुत्र के किनारे पर बने 40 बांध नष्ट हो गये और कई गांव बह गये। डिब्रुगढ़ भी लगभग बह गया है बांधों से जहां लाभ होते हैं वहां हानि भी होती है। जो क्षेत्र बांधों के भीतर नदी की ओर बने होते हैं वे नष्ट हो जाते हैं। जब बाढ़ के जोर से बांध टूटते हैं तो सहसा ही बाढ़ भयानक रूप ले लेती है। इस वर्ष ब्रह्मपुत्र का जल-स्तर निरन्तर ऊँचा बना रहा। बाढ़ नियंत्रण के लिए कोई दीर्घकालीन प्रयत्न नहीं किये गये। हम सदस्य लोग और राज्य सरकार इस समस्या के समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए कहते आ रहे हैं। हम लोग 1964 से ही प्रधान मंत्री तथा अन्य सम्बद्ध मंत्रियों से आवेदन करते आये हैं। आज जो सुझाव यहां दिए गये हैं वे सभी हम 1964 से देते आ रहे हैं। पिछले वर्ष 5 दिसम्बर को प्रधान मंत्री ने घोषणा की थी कि सरकार प्रभाव कार्यवाही करेगी। उसके अनुसार 24 जुलाई, को ब्रह्मपुत्र नियंत्रण बोर्ड की गोहाटी में स्थापना हो गई है। आयोग बाढ़, कटाव सम्बन्धी समस्याओं की जांच करेगा और बचे हुए जल का सिंचाई कार्यों में उपयोग किया जाएगा। इन कार्यों के लिए केवल 30 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जबकि डा० राव का मत है कि इनके लिए 250 करोड़ रुपये आवश्यक हैं। जांच कार्य प्रारम्भ होने से पहले इस बारे में स्पष्ट आश्वासन दिया जाना चाहिये। पगलादिया और पुथीमढ़ी नदियों पर नियंत्रण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि इन नदियों में बाढ़ आने पर पूरे असम का शेष भारत से सम्बन्ध विच्छेद हो जाता है।

प्रधान मन्त्री के 5 दिसम्बर के भाषण में पर्याप्त धन दिये जाने का आश्वासन दिया गया है इसलिये डा० राव को इस बारे में शंका करने की आवश्यकता नहीं है।

मन्त्रालय को अपनी जांच जारी रखनी चाहिये और अपनी रिपोर्ट के साथ आवश्यक धन के लिए योजना आयोग और वित्त मंत्रालय से मांग करनी चाहिये।

यह सभा इस स्थिति को स्वीकार नहीं कर सकती जिसमें असम के लोगों को नियंत्रण

योग्य प्राकृतिक विपदाओं को निरन्तर सहते रहना पड़े। सौभाग्य से इस मंत्रालय में अनुभवी मंत्री हैं।

जहां तक बरक का सम्बन्ध है परियोजना कार्यान्विति के लिये बहुत पहले तैयार हो गई थी परन्तु मणिपुर के कुछ क्षेत्रों के डूब जाने के कारण उसमें कुछ विलम्ब हो गया। मुझे पता चला है कि डा० राव ने इसका कोई विकल्प खोज लिया है। अन्य मामलों की तरह इसमें और विलम्ब नहीं होना चाहिए।

राज्य सरकार राहत कार्यों पर प्रतिदिन एक लाख रुपया व्यय कर रही है। केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकार की किसी रूप में सहायता करनी चाहिए क्योंकि राज्य की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है।

बाढ़ से बेघर हुए लोगों को फिर से बसाने के लिए हम चाहते हैं कि केन्द्र नालीदार लोहे की चादरें दे। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री इन सब बातों की ओर ध्यान देंगे।

**Shri Shri Chand Goyal** (Chandigarh) : The House is discussing the flood situuation in Assam. The Hon'ble Minister has made a statement about Floods in various part of the country, in which be has said that there has been a loss of about 9 crores and 8 lakhs of rupees on account of floods in Assam. These were preliminary estimates. I thinks that the loss would be much more and hon'ble Minister would be in a possition to give us the latest figures about this loss.

It is good that immediately after the Floods the Minister paid a visit to District Kamrup and made arrangements for plugging the cracks and holes which had developed in the dam on Rivar Brahmaputra and to avoid their occurrence in future. I think by now some arrangements must have been made in this regard.

I am happy that Brahmaputra Flood Control Commission has been inaugurated. But I think that this is a belated step. Floods in Brahmaputra and its tributaries are not a new thing. Every year property worth crores of rupees is lost, many lives are lost and the whole economic structure of Assam is shattered. Our Government should have taken some steps in this regrd earlier so that this problem could have been solved on a priority basis, As the State Government is not in a position to make arrangements for huge resources that would be required for thie purpose, it was possible only at Central Government level. I hope that with the inauguration of Flood Control Commission, it would be possible to tackle this problem in the near future. I hope the Commission will not work in a bureaucratic manner and that it would fix up a time-schedule and finish the work according to it. I feel that this work shou.d be finished within six months to one year.

I had read an article by one Engineer of the Punjab Irrigation Department about the Floods. It was stated there that apart from apparent losses, these floods reduce the fertility of the land. There could be some gains from this. It was suggested therein that hwereever possible flood waters should be stored and used afterwards. I feet that the hon'ble Minister should read that article and try to have the practical suggestions made there inimplemented.

Floods are a natural calamity, and therefore, they can not be fully controlled. But foreigners feel that in this age of Science, with the advent of technology, many a imposible things have been made possible in several countries. Cannot we make some such arrangements through embankment. etc., so that in the event of heavy rains, cracks or holes do not occur. We have to see upto what extent foreign countries have been a successful in takckling this problems with the help of Science.

The question of providing assistance is also there. Against a tentarive loss of Rs. 9 to 10 crores, assistance of about Rs.23 lakhs has been provided . I want to ask you how far this can be called a relief. Central Government should provide assistance to the State Government with an open heart ; otherwise, the resettlement of the uprooted people would become a problem. These people should be given sufficient assistance in the form of seed loans etc. so that they could make arrangements for their livelihood, and sow their fields again. We should deal with the problem of floods on a national level. Government should consider separately the short term as well as long -term measurers that need to be taken .

I hope Hon. Minister would consider all these points and provide assistance to flood-affected people.

**श्री देवव्रत बरुआ** (कलियाबोर) : अनुमानित हानि में अन्य हानियां तथा विनाश एवं महामारी से होने वाली हानियां शामिल नहीं हैं । बाढ़ों से आसाम में जो हानि हुई उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता ।

[ **श्री श्रीचंद गोयल पीठासीन हुए**
SHRI SHRICHAND GOYAL IN THE CHAIR ]

इसलिए हमारी मांग है कि आसाम सरकार को तत्कालिक राहत दी जानी चाहिए ताकि वह राज्य बाढ़ों से उत्पन्न हुई स्थिति का सामना कर सके । यद्यपि बाढ़ का कारुणिक दृश्य समाप्त हो चुका है फिर भी उसके दुष्परिणाम अब भी दृष्टिगत होते हैं । सारी फसलें नष्ट हो गई हैं । परिणामतः लाखों लोगों को पूरे वर्ष भुखमरी का सामना करना पड़ेगा । इसके अतिरिक्त भूमि-कटाव की समस्या पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया हैं । ब्रह्मपुत्र नदी ने आसाम को कई वर्ग मील भूमि हड़प ली है । दो वर्ष पूर्व मन्त्री महोदय ने मिट्टी निकालने के लिए दो ड्रेजर उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया था । परन्तु अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है । ब्रह्मपुत्र नदी पर नियन्त्रण करना सामर्थ्य से बाहर हो गया है । मंत्री महोदय को इस सम्बन्ध में कार्यवाही करनी चाहिए अन्यथा भूमि का कटाव बढ़ता जाएगा । यदि ड्रेजरों को उपलब्ध कराया गया होता तो ब्रह्मपुत्र नदी से जो भूमि कटाव हुआ है उसको रोका जा सकता था । अतः मैं माननीय मन्त्री से अनुरोध करता हूँ कि वे शीघ्र ही ड्रेजरों को उपलब्ध कराएं अन्यथा अगली बार जब बाढ़ आएगी, तो उससे होने वाली क्षति कहीं अधिक होगी ।

ब्रह्मपुत्र नदी कहीं-कहीं पर 10–15 मील चौड़ी है । आसाम की खेती वाली भूमि इस नदी में समा गई है । इससे जो हानि हुई है, उसका लेखा-जोखा नहीं किया गया है और न ही इसकी बाढ़ से हुई हानि को रिकार्ड में सम्मिलित किया गया है । प्रसन्नता की बात है कि इस सम्बन्ध में ब्रह्मपुत्र घाटी आयोग की स्थापना की गई है । मन्त्री महोदय इस मामले में रुचि ले रहे हैं हमें आशा है कि मन्त्री महोदय ही नहीं उप-मन्त्री भी आसाम का दौरा करेंगे और उसकी स्थिति की जांच करेंगे ।

**श्री हेम बरुआ** : मेरा अभिप्राय मंत्री महोदय से नहीं था, मैं तो उन लोगों की बात कर रहा था जो शोषित जनता के खर्चे पर दौरा करते हैं । (**व्यवधान**)

**श्री देवव्रत बरुआ** : माननीय संसद सदस्य अल्प कालीन सत्र में दो बार तथा दीर्घकालीन सत्र में चार या पांच बार त्रिवेन्द्रम तक चले जाते हैं । उनके दौरों को तो उपयुक्त मान लिया

जाता है परन्तु जब मन्त्री महोदय दौरे पर जाते है तो उनके दौरे को राजनीतिक दौरा कहकर अनुपयुक्त ठहराया जाता है ।

**श्री हेम बरुआ :** चाहे कोई संसद सदस्य हो अथवा माननीय मन्त्री, जब भी वह दलीय कार्य के लिये दौरे पर जांए तो उनको अपने खर्चे से वहां जाना चाहिए ।

**श्री बे० कृ० दास चौधरी** (कूच-विहार) : माननीय सदस्य ने आरोप लगाया है कि माननीय सदस्य चार या पांच बार घर जाते हैं । इस आरोप को रिकार्ड में शामिल नहीं किया जाना चाहिए ।

**सभापति महोदय :** माननीय सदस्य ने किसी के विरुद्ध आरोप नहीं लगाया हैं । माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें ।

**श्री बेदव्रत बरुआ :** यह बड़ी विचित्र बात है कि सरकार बाढ़-नियन्त्रण पर धन व्यय करना नहीं चाहती, इसलिए नहीं कि सरकार के पास संसाधन नहीं हैं बल्कि इसलिए कि वह इसे राज्य का मामला समझती है । मैं जानता हूँ कि इसमें संवैधानिक कठिनाईयां हैं । परन्तु जब अणु शक्ति से विद्युत पैदा करने के कार्य के लिए सरकार राज्यों को धन दे सकती है तो इस मामले में भी सरकार को पोछे नहीं हटना चाहिए । सरकार को बाढ़-नियंत्रण कार्य के लिए धन प्रदान करना चाहिए और इस मामले में खोज-कार्य किया जाना चाहिए । इन वर्षों में बाढ़-नियंत्रण के लिए जो उपाय किये गये वे अवैज्ञानिक थे । इसो कारण सरकार को बाढ़-नियन्त्रण को नीति दोषपूर्ण रही । मिट्टी को इकट्ठा करने के लिए तटबन्ध बनाए जा रहे है परन्तु हमारा दृष्टिकोण वैज्ञानिक नहीं है । तटबंध बनाने के कार्य के पीछे भी निहित स्वार्थ होते हैं क्योंकि तटबन्ध बनाने में काफो धन व्यय करना पड़ता है । सरकार को इस मामले में कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए । जब तक सरकार ड्रेंजरों का प्रबन्ध नहीं करती तब तक तटबन्ध बनाने से कोई लाभ नहीं ।

पाकिस्तान में ऐसी कई सहायक नदियां है जिसके माध्यम से हम नदी की दिशा को मोड़ सकते है । राज्यसभा में मन्त्री महोदय ने कहा था कि ब्रह्मपुत्र नदी का मुहाना चीन की ओर है और यह नदी पाकिस्तान से होकर आतो है, इसलिए सरकार इस मामले में कुछ नहीं कर सकती पाकिस्तान के आवामी नेता श्री शेख मजिबुर रहमान ने गत वर्ष कहा था कि बाढ़ की समस्या को सुलझाने के लिए भारत और पाकिस्तान को आपसी सहयोग से काम लेना चाहिए । पूर्वी क्षेत्र की समस्या को आपसी सहयोग से हो सुलझाया जा सकता है । इसो प्रकार मछली की समस्या को भी सुगमता से सुलझाया जा सकता है । पूर्वी पाकिस्तान में तो मछलियां नाम-मात्र मूल्य पर बेची जाती हैं जबकि पश्चिमी बंगाल और आसाम में पर्याप्त मात्रा में मछलियां नहीं मिलती है। सरकार इस मामले में पाकिस्तान सरकार से बातचीत क्यों नहीं करती ? सरकार को इस मामले में पहल करनी चाहिए । भारत-विभाजन के जो दुष्परिणाम हुए हैं उससे आसाम अभी तक मुक्त नहीं हो सका है । मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह पाकिस्तान सरकार से स्वयं बातचीत करे ताकि आपसी सहयोग से बाढ़ को समस्या को सुलझाया जा सके ।

**श्री नन्द कुमार सोमानी** (नागौर) : सभापति महोदय अत्यन्त खेद एवं चिन्ता की बात है कि आसाम, जो कि पिछड़ा हुआ और निर्धन राज्य है, के प्रति केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार का रवैया उपेक्षा पूर्ण रहा है । राष्ट्रीय महत्व में इस विषय पर अधिकारी वर्ग एवं मंत्री महोदय कोरी सहानुभूति दिखा रहे हैं । कुछ दिन पहले राज्यसभा में मंत्री महोदय ने बताया था कि

ऐसी महत्वपूर्ण समस्या का समाधान नहीं मिल सका। इस वक्तव्य से ही सरकार की आंखें खुल जानी चाहिए थी क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी के प्रकोप का परिचय न केवल स्वन्त्रता प्राप्ति के बाद मिलता है बल्कि इसके प्रकोप का तो पूरा इतिहास है। यदि ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को नियंत्रण में कर के आसाम की जनता तथा देश के अन्य भागों के लिए प्रयोग में नहीं लाया जाता तो इसके लिए सरकार को ही दोषी ठहराया जाएगा ?

24 जुलाई को ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियन्त्रण आयोग की स्थापना की गई ब्रह्मपुत्र योजना के लिए यदि तकनीकी जानकारी की आवश्यकता है तो उसे शीघ्र ही प्राप्त किया जाना चाहिए। यदि माननीय मन्त्री यह कहते हैं कि देश तकनीकी विद्या में काफी प्रगति कर चुका है तो उनसे यह अपेक्षा की जाती हैं कि वे ब्रह्मपुत्र नदी तथा आसाम घाटी की समस्या को सुलझाने में भी भी रुचि दिखायेंगे। यह शिकायत मिली है कि ब्रिटिस राज्य के समय में जल-विज्ञान सम्बन्धी जो आंकड़े तैयार किए जाते थे, अब उनको ठीक प्रकार से तैयार नहीं किया जा रहा है। मन्त्रालय को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वर्षा होने से पानी का स्तर किस अनुपात से बढ़ता है, नदी कितनी गति से अपना मार्ग बदलती है, मिट्टी इकट्ठी होने से कितनी हानि होती है ? सरकार को इस समस्या पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

कहा गया है कि कुछ समय के अन्दर 250 करोड़ रुपये की आवश्कता होगी। आवश्यक राशि की दृष्टि से यह राशि प्राथमिकता के आधार पर जुटाई जानी चाहिए।

सरकार ने तदर्थ आधार पर समस्या का समाधान खोजने का प्रयत्न किया है। मेरा अनुरोध है कि सरकार को इस कार्य के लिए एक मास्टर प्लान बनानी चाहिए। ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकल कर पाकिस्तान से होती हुई किस प्रकार बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं इसके पूरे आंकड़े तैयार किए जाने चाहिए।

वर्षा-ऋतु में आसाम के ऊपरी भाग तथा निचले भाग के बीच संचार व्यवस्था तीन या चार महीने के लिए पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो जाती है। बाढ़ों से जो क्षति होती है, जान-माल की हानि होती है, उसका तो अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता। समझ में नहीं आता कि सरकार ड्रेजर मगवाने के लिए आदेश देने मे इतना विलम्ब क्यों कर रहीं है ? मन्त्री महोदय को विलम्ब का कारण बताना चाहिए। यदि ड्रेजर मगवाने के लिए आदेश बहुत पहले ही दिये जा चुके हैं तो वे अभी तक प्राप्त क्यों नहीं हुए हे और सरकार ने इस मामले में शीघ्र कार्यवाही क्यों नहीं की हैं ?

बाढ़ की चेतावनी देने की विधि भी संतोष जनक नहीं है। बाढ़ की चेतावनी उस समय दी जाती है जब लोगों के घर जलमग्न होने लगते हैं। सरकार को बाढ़ आने की चेतावनी सम्बन्धी प्रणाली इस प्रकार की बाननी चाहिए कि जब बाढ़ 100 या 200 किलोमीटर दूर हो, उस समय लोगों को बाढ़ की सूचना मिल जाए। इस प्रकार लोगों के जान-माल की रक्षा की जा सकती हैं।

ब्रह्मपुत्र भारतीय नदियों में सबसे बड़ी है और पानी की सम्पूर्ण मात्रा का एक तिहाई भाग इस नदी में है फिर भी यह पानी न तो सिंचाई के लिए ही और न ही अन्य उद्देश्यों के लिए ही प्रयोग में लाया जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी का स्त्रवण-क्षेत्र कैचमैन्ट एरिया 9.24 लाख वर्ग कोलोमीटर है। इतना अधिक विस्तार होने के बावजूद भी 10 करोड़ रुपये की वार्षिक हानि होती है। ब्रह्मपुत्र नदी का मुहाना तिब्बत में है और इसका 400 किलोमी-

टर भाग पूर्वी पाकिस्तान में है। हमें चीन और पाकिस्तान सरकार से बातचीत करनी चाहिए क्योंकि यह न केवल हमारे हित में है बल्कि उन दोनों देशों के हित में भी हैं। यदि इन देशों के साथ बातचीत करने का वातावरण नहीं हैं तो हमें मास्टर प्लान बनानी चाहिए और जब भी इन देशों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हो जाएगा, उस समय मास्टर प्लान को कियान्वित कर दिया जाएगा। अतः इस समय सारे आंकड़े एकत्र कर लिए जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त लोगों की जान-माल की रक्षा के लिए सारे देश के लिए एक मास्टर प्लान बनाई जानी चाहिए।

ब्रह्मपुत्र नदी में मिट्टी इकट्ठा होने के कारण नदी की सतह संकीर्ण हो गई हैं। इस बात का पता 1950 में ही लग गया था। उसी समय ड्रेजरों का आदेश दे दिया जाना चाहिए था। और तकनीकी सहयोग से मास्टर प्लान बनाई जानी चाहिए थी। अब भी आशा की जा रही है कि आसाम के लिए 1972 तक ड्रेजर उपलब्ध हो जाएगे। मुझे आशा है कि सरकार बड़े-बड़े उपकरण जुटाने में शीघ्र कार्रवाई करेंगी।

यह सुझाव दिया गया है कि डिब्रूगढ, सिलघाट, गोहाटी, चन्द्रडिग तथा धुबरी में बांध बनाए जाने चाहिए क्योंकि पुरातात्विक तथा जलवैज्ञानिक आधार पर ये स्थान उपयुक्त हैं। इन बांधों से नदी को नियंन्त्रण में लाया जा सकेगा। धुबरी क्षेत्र में बांध बनाने के लिए मैंने मन्त्री महोदय से पत्र व्यवहार भी किया है पर अभी तक वहां बांध नहीं बनाया गया है।

इसी प्रकार कजिरंगा वन भी ब्रह्मपुत्र नदी की बाढ़ से हर वर्ष बरबाद हो जाता है। यदि हम ब्रह्मपुत्र नदी के प्रकोप से इस वन की रक्षा नहीं करते तो भय है कि इस वन में रहने वाली दुर्लभ गेंडा जाति समाप्त हो जाएगी। अतः इस मामले में सर्वेक्षण किया जाना चाहिए कि शेष गेंडा जाति का किस जगह स्थानान्तरण किया जाए ताकि यह वंश बढ़ता रहे।

ब्रह्मपुत्र नदी की बाढ़ की समस्या तथा आसाम की समस्या को चौथी पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

**श्री धीरेश्वर कलिता** (गोहाटी) : अगस्त, 1950 में आसाम में बड़े जोर का भूकम्प आया था। उसके बाद से न तो राज्य सरकार ने और न ही केन्द्रीय सरकार ने भूगर्भीव सर्वेक्षण किया है। 1950 के बाद से आसाम में निरन्तर बाढ़ें तथा भूकम्प आ रहे हैं। इन भूकम्पों का प्रभाव नदी के जलस्तर पर पड़ सकता है। और उसका जलस्तर ऊँचा हो सकता है तथा नदी के किनारों पर भीं प्रभाव पड़ सकता है।

नदी के बाढ़ से हर वर्ष जितनी भूमि नष्ट होती हैं, उसका ब्यौरा इस प्रकार है;

| वर्ष | क्षेत्र (हेक्टरों में) |
|---|---|
| 1953 | 0. 81 लाख |
| 1954 | 31. 46 लाख |
| 1955 | 14. 05 लाख |
| 1956 | 5. 99 लाख |
| 1957 | 3. 96 लाख |
| 1958 | 12. 45 लाख |

| | |
|---|---|
| 1959 | 10. 35 लाख |
| 1960 | 4. 73 लाख |
| 1961 | 1. 92 लाख |
| 1962 | 16. 22 लाख |
| 1963 | 5. 82 लाख |
| 1964 | 7. 60 लाख |
| 1965 | 6. 94 लाख |
| 1966 | 17. 85 लाख |
| 1967 | 2. 55 लाख |
| 1968 | 4 .05 लाख |
| 1969 | 8 .5 लाख |

1970 वर्ष में 3, 14, 925 एकड़ भूमि आसाम से आई बाढ़ों के कारण नष्ट हो चुकी हैं। इसी प्रकार 1953 में बाढ़ के कारण 40 व्यक्तियों की, 1954 में 32 व्यक्तियों की, 1955 में 190 व्यक्तियों की, 1956 में 5 व्यक्तियों की जानें गईं। इसी प्रकार प्रत्येक वर्ष बाढ़ के कारण करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति नष्ट होती है।

सरकार ने 1953 के बाद से तटबंध बनाने शुरु कर दिये परन्तु वे तटबंध अवैज्ञानिक ढंग से बनाए गए हैं। आसाम की जनता ने समझा कि इन तटबंधों से कुछ राहत मिलेगी परन्तु जब तटबन्ध बनाए गए तो मिट्टी इकट्ठा होने लगी और नदी का सतह ऊँचा उठना शुरु हो गया और यही कारण है कि आसाम में एक या दो बार भारी बौछार पड़ने से नदी में बाढ़ आ जाती है। तटबन्धों को अवैज्ञानिक ढंग से बनाया गया है और फसलों की तथा जान-माल की क्षति के कारणों में से एक कारण यह है। अतः मैं चाहता हूँ कि सरकार को इस मामले में जांच करवानी चाहिए।

ब्रह्मपुत्र नदी का जल-प्रवाह किनारों को काटता जा रहा है। इस कटान को रोकने के वजाय आसाम का इन्जीनियरिंग विभाग 100 फुट के तटबन्ध बना रहा है। क्या इससे बाढ़ को रोका जा सकता है ? सरकार को पता है कि पर्वत-स्कन्धों से कटाव को रोका जा सकता है, फिर भी तटबन्ध बनाए जा रहे हैं।

धारापुर और सुआत कांची ब्रह्मपुत्र नदी की बाढ़ से नष्ट हो रहे हैं। यदि इनकी रक्षा नहीं की जाएगी तो यह नदी दक्षिण की ओर बहने लगेगी और वहां का राष्ट्रीय राजपथ नदी के जल–प्रवाह में समा जाएगा। सरकार को इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिए। ब्रह्मपुत्र नियंत्रण आयोग ने तीन-स्तरीय प्रणाली अपनाई है। पहला निकाय नीति बनाता है, दूसरा उसको व्यवहारिक रूप से देता है और तीसरा निकाय बाढ़ नियन्त्रण सलाहकार आयोग है। इस निकाय में देशी तथा विदेशी तकनीकी- विशेषज्ञ व्यक्ति हैं। परन्तु इस तीन-स्तरीय प्रणाली से क्या लाभ होगा यह पता नहीं चलता। गोहाटी और शिलांग के बीच बरनी में एक पहाड़ की चोटी पर नदी अनुसन्धान संस्थान खोला गया परन्तु अब इसे सैनिकों का अस्पताल बना दिया गया है। यदि ब्रह्मपुत्र नियन्त्रण आयोग के नाम पर इस प्रकार के परिवर्तन किये जाते रहे तो सरकार आसाम की

जनता से सहयोग की आशा नहीं कर सकती। ब्रह्मपुत्र नियन्त्रण आयोग में एक चीफ इन्जिनियर नियुक्त किया गया है जिसको ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कोई ज्ञान नहीं। आपको इन सभी पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए।

माननीय प्रधान मन्त्री ने आसाम के लिए केवल 50,000 रुपये की सांकेतिक राशि प्रदान की है जबकि वहां करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति नष्ट हो गई। इस मामले में सरकार को बाढ़ स हुई क्षति को पूरा करने के लिए कम से कम 20 करोड़ रुपये की धन-राशि प्रदान करनी चाहिए।

डाक तथा तार विभाग और रेलवे में काम करने वाले केन्द्रीय सरकार के कई कर्मचारियों के मकान और रहने की जमीन आदि बाढ़ के पानी में बह गई है। ऐसे लोगों को बाढ़ राहत अग्रिम दिया जाना चाहिए ताकि वे मकानों को बना सकें और तत्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें।

**श्री बसुमतारी** (कोकराझार) : सभापति महोदय यह एक राष्ट्रीय समस्या है तथा हमें इस बारे में आलोचना करने के बजाय इसे हल करने का प्रयास करना चाहिए। यह सब जानते हैं कि बांधों का ठीक प्रकार से निर्माण नहीं किया गया। साथ ही आसाम की सभी नदियों की गहराई बहुत कम हो गई है और जब ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों में जल का स्तर चढ़ जाता है तो किसानों को अपनी फसलों की रक्षा करना बड़ा ही कठिन हो जाता है। बांधों के निर्माण से पूर्व समुचित अध्ययन तथा तैयारियां नहीं की गई; परन्तु इसमें सारा कसूर केवल सरकार अथवा लोगों का भी नहीं है क्योंकि इन बांधों का निर्माण उन वैज्ञानिक तथा तकनीकी लोगों द्वारा किया गया जो हमें उपलब्ध हो सकते थे। होना यह चाहिये था कि ये बांध नदी-तट से एक या आधे मील की दूरी पर बनाये जाते परन्तु ये तो ठीक नदी-तट पर ही निर्मित किये गये। अत: नदियों की गहराई कम होने के कारण सभी गांवों में बाढ़ आई।

उस दिन मैंने मोहूजा तालुक का दौरा किया तथा देखा कि लोगों ने रहने के लिये मकान बना रखे थे। उन्हें बांधों पर ले जा कर आश्रय दिया गया। मैंने वहां के लोगों के कष्ट देखे हैं। उन लोगों ने मेरे साथ बड़ी शांति और प्रेम से बात-चीत की। वे लोग बड़े समझदार हैं उनकी मांग है कि श्री कु० ल० राव ब्रह्मपुत्र आयोग को क्रियान्वित करें।

साथ ही वे लोग चाहते हैं कि पगलादिया परियोजना अविलम्ब आरम्भ की जाये। अपने शाब्दिक अर्थों में भी यह नदी एक "पगली नदी" है तथा इससे भीषण हानि होती है। उन्होंने 1957 में मांग की थी कि इस नदी पर कोई परियोजना चलाई जाये और हम लोगों को बताया गया था कि उक्त नदी के तट के नियंत्रित करने के लिये सरकार कोई परियोजना तैयार कर रही है। परन्तु सरकार ने जो कुछ किया वह गलत किया। यह बात सरकार भी स्वीकार करती है परन्तु उसके अधिकारी फिर भी इस कार्य को बड़ा कारगर तथा लाभदायक कार्य बताते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार पगलादिया परियोजना को कब पूरा करेगी? गत वर्ष भी वहां रेलवे लाइन को एक मास के लिये बन्द कर दिया गया था और अब की बार भी बाढ़ से कई स्थानों पर रेलवे लाइनें बह गयी है। सरकार से निवेदन है कि वह इस परियोजना को शीघ्र ही पूरा करे। कहा जाता है कि प्रधान मन्त्री ने यह वक्तव्य दिया है कि इस परियोजना के लिये पर्याप्त धन उपलब्ध है। हम विश्वास दिलाते हैं कि इस कार्य में हर कोई सरकार के साथ सहयोग करेगा। मन्त्री महोदय इस परियोजना के लिये और अधिक धन उपलब्ध करायें।

इसके अतिरिक्त असम राज्य केवल बाढ़ों का ही शिकार नहीं बल्कि भूकम्पों तथा सूखे का भी शिकार है तथा केन्द्र सरकार लगातार इस राज्य को उपेक्षा करती जा रही है। यह राज्य बड़ा ही मुसीबत जदा राज्य है फिर भी यहां के लोग शिकायतें नहीं करते। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इस राज्य को बाढ़ों तथा अन्य प्राकृतिक संकटों से बचाने के लिये ठोस कार्यवाही करेंगे क्योंकि केवल ऊपरी सहानुभूति से तो कुछ भी लाभ नहीं होने का।

**श्री ज्योतिर्मय बसु :** (डायमंड हार्बर) हमारा देश एक बड़ा देश है और यदि नदियों पर समुमित नियंत्रण न किया जाये तो उनमें भारी बाढ़ आती है।

नदी-तलों के ऊँचा होने का कारण तट-भूमि का कटना, रेत निकालने के कार्य में ढील आदि हैं। इसी कारण नदियों में बाढ़ आतो है। इस सम्बन्ध में हमने अनेक परियोजनायें बनाईं परन्तु अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त न हो सके। तट-बन्ध अधिनियम, जिसे ब्रिटिश सरकार ने गत शताब्दी में बनाया था, उसे सरकार ने अभी तक पूरी तरह लागू नहीं किया। आज नदी तलों पर कार्य किया जाता है, खेती-बाड़ी की जा रही है और उस क्षेत्र में मकानों का निर्माण किया गया है। इस कारण वर्षा का जल रुक जाता है और अपने स्वाभाविक ढंग से बह नहीं पाता। इसके अतिरिक्त इस स्थिति को ध्यान में रखे बिना ही अनेक रेलवे पुलों तथा पुलियाओं का निर्माण कर दिया गया। यह कार्य बाढ़ नियंत्रण की आवश्यकताओं को ध्यान रख कर नहीं किया और फलस्वरूप पानी का स्वाभाविक प्रवाह रूक जाता है और बाढ़ आ जाती है।

अक्तूबर, 1968 में दार्जीलिंग तथा जलपाइ गुड़ी की भयंकर बाढ़ों के कारण 30,000 लोग मारे गये तथा करोड़ों रुपये की संपत्ति की हानि हुई। सरकार सामान्य जनता के प्रति कोई लगाव नहीं रखती। वह तो केवल ऊपरी सहानुभूति जताती है सरकार प्रतिरक्षा तथा पुलिस मन्त्रियों आदि पर तो खूब धन खर्च कर सकती है परन्तु जनता को भलाईयां करने के लिये उसके पास धन नहीं है। उत्तर बंगाल में सिंचाई साधनों की अत्यन्त उपेक्षा की गई है। बाढ़ चेतावनी प्रणाली भी असम में समुचित ढंग से कार्य नहीं कर रही है। पिछले अनुभवों से हमें सबक सीखना चाहिये ताकि भविष्य में जान व माल को हानि से बचा जा सके।

हमारे पडोसी चीन ने अनेक बड़ी-बड़ी नदियों को नियंत्रित करके अपने लाखों करोड़ों लोगों की जान व माल की रक्षा की है। हमारे सिंचाई मन्त्री चीन का दौरा कर चुके हैं। क्या उन्होंने वहां से कोई बात सीख कर उसे क्रियान्वित करने का कोई प्रयास किया ? उन्होंने अन्य देशों का दौरा भी किया है। हम जानना चाहेंगे कि क्या वह उन बातों को यहां क्रियान्वित करना चाहेंगे ? क्या कारण है कि डा० कु० ल० राव फरक्का बांध के बारे में तो पाकिस्तान से मित्रता पूर्ण बातचीत कर रहे हैं परन्तु ब्रह्मपुत्र की स्थायी समस्या के समाधान के बारे में कुछ भी नहीं कर रहे हैं ? यह नदी देश में सब से अधिक संकट पैदा करने वाली नदी है। इस नदी के कारण देश के इस राज्य में भीषण विपत्ति आती है। जो हमें मूल्यवान विदेशी-मुद्रा जुटा कर देता है। परन्तु इस राज्य की बड़ी उपेक्षा की जा रही है। माननीय सदस्य श्री बसुमताई से निवेदन है कि हमें भी असम से उतनी ही सदानुभूमि तथा लगाव है जितना किसी भी अन्य सदस्य को है।

सरकार ग्रामीण आवास-निर्माण के लिये कुछ नहीं कर रही हैं। यही कारण है कि आज इतनी अधिक मात्रा में जान और सम्पतियों की हानि हो रही है। यदि सरकार ने पक्के मकानों का

निर्माण किया होता तथा 15-20 वर्ष पूर्व किये गये ग्रामीण आवास परियोजनाओं के वायदे को पूरा किया होता, तो जान-माल का बहुत ही कम नुकसान हुआ होता।

अब सरकार को चाहिये कि वह असम को शीघ्र ही पर्याप्त अधिक सहायता दे ताकि वह राज्य पुर्नवास तथा राहत प्रदान करने का कार्य कर सके। इस कार्य के लिये केवल 6 लाख रुपया देना वहां के लोगों का उपहास करना है जिनके बच्चे, औरतें, घर धन सम्पत्ति आदि बह गये हैं। सरकार अन्य कार्यों पर तो करोड़ों-अरबों रुपये खर्च कर देगी, दिल्ली को सुन्दर बनाने पर 6 करोड़ रुपया भी खर्च करने को तैयार है, परन्तु यह शर्म की बात है कि उनके लिये धन नहीं दे सकती जो मौत के मुंह में आ रहे हैं। असम में 20 से 30 करोड़ रुपये की हानि हुई है। राहत कार्यों के लिये प्रधान मन्त्री के कोण से केवल 50,000 रुपये देना भी एक हास्यास्पद की बात है। इस कार्य के लिये कम से कम 10 करोड़ रुपया तो दिया ही जाना चाहिये। यह राशि भी एक आन्शिक राशि के समान ही होगी। इसके अतिरिक्त बाढ़ बीमा योजना भी चलाई जानी चाहिये। आज जीवन बीम निगम भी सरकार के अधीन है। अतः बाढ़ बीमा योजना प्रारम्भ की जाये ताकि अब कभी भी बाढ़ से क्षति होती है तो उन लोगों को बीमा का धन दिया जा सके।

ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण परियोजना उत्तर बंगाल के मास्टर प्लान जैसा नहीं होना चाहिये और न वह तीस्ता महानदी योजना जैसो ही हो। सरकार यह ध्यान पूर्वक देखे कि यदि सरकार उन त्रस्त लोगों की वास्तविक विपत्तियों को दूर नहीं करती और उनकी रक्षा नहीं करती तो लोग भी उसका साथ नहीं देंगे।

**Shri Shiv Charan Jha** : The motion under discussion, regarding the floods in Assam. be converted into a No-confidence motion. The floods come every year resulting in the heavy loss of both life and property but the Government could not solve this problem even after the 23 years of our Independence. They have utterly failed in controlling the menance of floods.

I fully agree with the different suggestions and references made by the esstwhile speakers in regard to the control of floods in Assam The Government should pay due heed to these suggestions and implement them.

With reference to Bihar State it has been found that the big projects are postponed just after their foundation is laid down and also that other schemes which have already been sanctioned and granted money are also not implemented. The result is that there is allround destruction and it is not being stopped owing to the slackness on the part of this Government Floods in Darbhanga, Saharsa, Muzaffarpur, Champaran of North Bihar can be controlled if the Western Kosi River Project is completed But the Government is sleeping over it since long on the pretext of certain talks with Nepal. Pending talks with Nepal, let the Government start it with the construction of Dagmara Barrage. Kosi River Project is to be made a long range solution.

A serious and horrible situation has developed due to floods in Kosi and Kamlan rivers. Many villages submerged in the flood-water-look like small island. The newspapers are narrating the scenes as the sea's playground.

More than 10 lakh people have been affected by the floods in North Bihar and property worth 5 crores of rupees has been destroyed. The Minor Irrigation Department had sanction in 1966 one Neema Scheme worth Rs.5 lakhs to control the floods. But the Government has done nothing to complete this scheme during these four years. Also the Government are doing absolutely nothing to construct the Bakua river in Darbhanga. It is really

a matter of pity that the Government are not implementing even when they have already sanctioned it and provided finances therefor. The Government's Department, thus, proves itself to be quite good-for-nothing.

It is said that Rs.50,000 have been given to Assam for flood relief measures but not even single pie has been given to Bihar. The Central Government are deliberately neglecting Bihar State. There are certain basic reasons for it to which I do not want to refer now. In case the Government are really anxious to stop or control the floods, they will have to adopt measurers on war-footing. Nothing will come out just by discussing this problem here or outside every year. This problem has to be dealt with at par with other grave problems of the country on war-footing basis. The whole machinery will have to be geared up and made to work effectively. But the Government appears to be offering a cold shoulder to all these things. They should have given at least Rs.10 crores as relief to Bihar. Some amount should be given from the Prime Minister's Relief Fund also immediately. There should be a special machinery to work on war-footing to control floods. Let this Department resign forthwith if they are not able to do it.

**श्री नि० रं० लास्कर :** असम तथा बिहार की बाढ़ों के विषय में बहुत कुछ कहा गया है। क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री ऐसे मामलों के विशेषज्ञ हैं तथा वह उन बाढ़ों के स्वरूप को पूरी तरह जानते तथा समझते हैं। वह हमें बताते तो काफी कुछ हैं कि क्या-क्या किया जायेगा परन्तु वस्तुतः कुछ किया नहीं जा रहा है। ब्रह्मपुत्र तथा उसकी सहायक नदियों को नियंत्रित करने को योजनाओं को क्रियान्वित नहीं किया गया है। असम को बाढ़ समस्या एक निरन्तर तथा स्थायी समस्या है। हर वर्ष भयंकर बाढ़ आती है तथा लोगों को भारी मुसाबतों का सामना करना पड़ता है।

इस वर्ष की बाढ़ तो और अधिक भयंकर रही। वहां लोगों को हालत का अनुमान आप सहज ही नहीं लगा सकते। अधिकांश लोगों को पेड़ों पर आश्रय लेना पड़ रहा है तथा उनके आस-पास ही अनेक सर्प भी बाढ़ के कारण रहते हैं।

बिहार भारत का एक सुन्दर भाग है परन्तु इन बाढ़ों के कारण वहां की सुन्दरता नष्ट होती जा रही है। वहां की अर्थ व्यवस्था वर्ष प्रति वर्ष बिगड़ती जा रही है। वहां मुख्यतः लोग खेतीहर हैं तथा जैसा कि श्री कटकी ने कहा, वहां 6 करोड़ रुपये के अधिक के मूल्य की फसल को क्षति पहुंची। अब आप ही बताइये कि लोगों का जीवन किस प्रकार बचेगा। हमें प्रसन्नता है कि सरकार ने इस सम्बन्ध में एक आयोग की नियुक्ति की है परन्तु उनके प्रस्तावों को क्रियान्वित करने के लिये धनराशि भी तो चाहिये। देश में असंख्य योजनायें चलाई जा रही हैं तथा उनमें करोड़ों रुपया लगाया जा रहा है परन्तु इस मानवीय समस्या को हल करने के लिये भी तो कुछ न कुछ किया जाना चाहिये।

यह अत्यन्त खेद का विषय है कि छोटी बाटक घाटी के बारे में पेश किये गये प्रस्तावों को सरकार क्रियान्वित नहीं कर सकी। बाटक नदी तो एक छोटी सी नदी है। मन्त्री महोदय हमें प्रायः यह आश्वासन देते रहे कि बाटक नदी परियोजना का जांच कार्य पूरा होते ही बांध के निर्माण का कार्य आरम्भ कर दिया जायेगा परन्तु इस जांच कार्य को पूरा होने पर भी यह कहा गया है कि पड़ोसी प्रदेश मणिपुर इस सम्बन्ध में आपत्ति कर रहा है। मैंने पता किया है कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। मैं चाहता हूँ कि देश के इस भाग में रहने वाले लोगों की समस्याओं को हल करने के लिये शीघ्र ही इस बाटक बांध का निर्माण कार्य आरम्भ किया जाना चाहिये।

असम में हर वर्ष बाढ़ आती है परन्तु वहां अभी तक कोई भी नदी घाटी परियोजना आरम्भ नहीं की गई है। इससे अधिक और क्या हो ? मन्त्री महोदय से निवेदन है कि वह बाटक परियोजना को शीघ्रता से पूर्ण करायें क्योंकि अब लोगों में असन्तोष फैलने लगा है यदि इस बारे में और अधिक विलम्ब किया गया तो स्थिति नियन्त्रण से बाहर हो जायेगी।

**श्री बे० कृ० दास चौधरी** : असम की बाढ़ के बारे में हमने बड़ी ही रोचक चर्चा यहां की है। प्रति वर्ष बाढ़ों से अवर्णनीय मुसीबतें आती है तथा यह बड़े खेद की बात है कि इन बाढ़ों को रोकने संबंधी अनेक आश्वासनों को सरकार पूरा नहीं कर पाती चाहे ये देश के किसी भी भाग से संबन्धित रहा हो। वैसे मुझे प्रसन्नता है कि केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों की सलाह से बाढ़ नियंत्रण के कार्य को कारगर तरीकों से करने का निर्णय किया है। विशेष रूप से असम राज्य में, तथा उसके लिये सरकार ने ब्रह्मपुत्त बाढ़ नियंत्रण आयोग का गठन किया है। परन्तु बाढ़ समस्या तो देश-व्यापी समस्या है तथा उसका हल करने के लिये केवल 217 करोड़ रूपये को नहीं बल्कि और अधिक धन भी उपलब्ध करना होगा। यदि आवश्यक हो तो देश के अन्य भागों के लिये भी केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण आयोगों का गठन किया जाना चाहिये।

उत्तर बंगाल के विशेषकर कूच बिहार तथा जलपाई गुड़ी क्षेत्रों में भीषण बाढ़ से वर्णनातीत आफतें आती हैं तथा राज्यपाल, अधिकारी तथा मन्त्रीगण हेलीकाप्टरों में बैठकर उन भयानक दृश्यों को देखते हैं परन्तु केवल दौरा कर लेने से ही समस्या का हल नहीं हो जाता। उसके लिये बाढ़ नियंत्रण हेतु विभिन्न योजनायें बनाई तथा क्रियान्वित की जानी चाहिये। बंगाल में काफी जल सम्पदा उपलब्ध है परन्तु हम उसका लाभ उठाने के लिये इस सम्पदा को नियंत्रित नहीं कर सके हैं। 1905 तथा 1907 में वहां के लिये कर्णफूल बांध परियोजना तथा तीस्ता घाटी बांध योजना चालू करने के बारे में निर्णय किया गया था इसके पश्चात् 1924 में तीस्ता घाटी बांध परियोजना का पुनरावलोकन किया गया तथा फिर 1945 तथा 1946 में 53 करोड़ रूपये की लागत पर एक अस्थायी योजना भी तैयार भी गई थी। 11 दिसम्बर 1945 को भारत सरकार के जल सिंचाई तथा नौवहन सलाहकार इन्जीनियर श्री ए० एन० खोसला ने तीस्ता बांध परियोजना तैयार की थी परन्तु न जाने क्यों सरकार ने बंगाल की नदियों के जल के संरक्षण और विनियमन करने की योजना को भी ताक पर रख दिया जबकि उसे बाढ़ के परिस्थितियों के बारे में भली प्रकार से मालूम था।

वर्ष 1968 में एक अभूतपूर्व बाढ़ आई जिसमें 20,000 से अधिक लोगों की जानें गई तथा इससे भी अधिक लोग बेकार हो गये उस भीषण बाढ़ के कारण 100 करोड़ रुपये से भी अधिक की सम्पत्ति नष्ट हो गई। यह अनुमान लगाया गया है कि केवल उत्तर बंगाल के अन्य जिलों में ही प्रतिवर्ष औसत 3 से 4 करोड़ रूपये के मूल्य की सम्पत्ति नष्ट होती है। मन्त्री महोदय ने बताया है कि बाढ़ों से असम में 10 करोड़ रुपये से अधिक की हानि हुई जबकि उत्तर बंगाल में प्रति वर्ष 3-4 करोड़ रुपये की हानि हुई। इस प्रकार पिछले दस वर्षों में वहां 30-40 करोड़ रुपये की हानि हुई तथा वर्ष 1965 में तो 110 करोड़ रुपये से भी अधिक की हानि हुई थी। इस प्रकार कुल हानि 140 करोड़ रुपये होती है। वर्ष 1968 में प्रधान मन्त्री ने यह कहा था कि उत्तर बंगाल के विशेष रूप से कूच बिहार तथा जलपाईगुड़ी में आने वाली भारी बाढ़ों को नियंत्रित किया जाये तथा यह भी

कहा था की इस कार्य के लिये पैसे की कमी बाधा नहीं बनेगी। इन वचनों को पूरा किया जाना चाहिए।

वर्ष 1969 में सिचाई मंत्रियों की नैनीताल में हुई बैठक में एक योजना के मसौदे पर चर्चा की गई तथा उस योजना के अनुसार उत्तरी बंगाल में बाढ़ों को नियंत्रित करने के लिये 5 उपाय किये जाने चाहिये। सलाहकर समिति के प्रतिवेदन में इसका ब्यौरा प्राप्त है। इस योजना पर 184.38 करोड़ रुपये के खर्च का अनुमान किया गया था। राज्य सरकार ने भली प्रकार केन्द्र सरकार को सूचित कर दिया है कि ये योजनायें लोगों की भारी मुसीबतों से बचाने की बड़ी-बड़ी योजनायें तथा अपने सीमित साधनों के कारण राज्य सरकार के लिये उन्हें क्रियान्वित करना संभव नहीं है अतः केन्द सरकार उन्हें अपने हाथ में लें। केन्द्रीय मंत्रियों तथा प्रधान मन्त्री को भी यह सूचना दी गई। अब जाने क्यों सरकार ने उसे उठाकर एक ओर रखा दिया है। अभी इस सत्र में भी इससे संबन्धित एक प्रश्न पूछा गया था तथा सरकार ने उत्तर दिया कि यह असम का विषय है जबकि वर्ष 1964 में केन्दीय मंत्रियों यही कहा था कि यह तो सारे राष्ट्र की समस्या है।

यह समूचा क्षेत्र विश्व भर में सर्वाधिक उपजाऊ है। पूर्वी क्षेत्र से हम चाय, पैट्रोलियम कोयला, तम्बाकू, जूट तथा अनेक अन्य कृषि उत्पाद देश को उपलब्ध करा रहे हैं। असम और उत्तर बंगाल दोनों मिलकर देश को 1500 करोड़ रुपये से अधिक का धन देते हैं। इस क्षेत्र के उत्पादों को देश भर में स्तर के मूल्यों पर बेचा जाता है परन्तु इसके बदले क्या पूर्वी क्षेत्रों को पश्चिम तथा दक्षिण भारत के क्षेत्रों से चीनी आदि पदार्थ स्तर के मूल्यों पर मिल जाते है? यह क्षेत्र देश को काफी धन दे रहा हैं अत: इसलिये भी यह आवश्यक है कि कोई सरकार उत्तर बंगाल तथा असम में बाढ़ों को नियंत्रित करने के लिये और अधिक धन उपलब्ध कराये।

**Shri Lakhan Lal Kapoor** (Kishanganj) : I have just returned from the flood affected areas of Assam and Bengal. It is almost twenty three years that we got independence. Mae I know whether any Master Plan has been prepared to harness the water which flows from thy Himalayan ranges. Plans of the Government remain on the paper and either they have not the time or they lack widom to implement them. Too many natural calamities occus in this country. The Government take their problem lightly although it concerns lakhs and crores of people. It is a criminal negligence on the part of Government. By storing the water of Brahmputra we can save the lakhs of people from hardships and we can also produce more food grains and other things. Assam, North Bengal and North Bihar are backward in every respect. Eastern Canal in North Bihar has not been completed due to shortage of funds. Work on the Gandak Projects is also progressing at a very slow pace. These projects should be completed on war footing so as floods could be controlled and water could be used for irrigation purposes.

Thousands of villages are inundated by flood water in my own constituency. People are living on the roofs of houses. There are no arrangements for evicting them or for supplying them food. It appears that no Government is existing there. Work on the flood-control schemes should be done on war footing.

**सिचाई तथा विद्युत मन्त्री (डा० श्री कु० ल०)** : इस वाद-विवाद में भाग लेने वाले सदस्यों का, जिन्होंने देश की इस महत्वपूर्ण समस्या की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराया है, मैं धन्यवाद करता हूं।

बाढ़ नियंत्रण में बांधों का अपना मपत्व है और बांध बाढ़ नियंत्रण में महत्वपूर्ण कार्य करते

हैं। आसाम में भी स्वतन्त्रता के बाद 2000 मील लम्बे बांध बनाये गये हैं। इसके एक बहुत बड़े क्षेत्र की सुरक्षा हुई है। इस बार ब्रह्मपुत्र नदी के बांध में दरार पड़ जाने के कारण क्षति हुई है। दरारें अनेक स्थानों पर हुये हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो इस बार उस क्षेत्र में बाढ़ भी नहीं आती।

यह कहना कि कोसी से उत्पन्न होने वाली बाढ़ पर नियन्त्रण नहीं किया गया है बिलकुल गलत है आज उत्तर बिहार में क्यों खुशहाली है उसका कारण यही है कि कोसी की बाढ़ पर बांध बना कर नियन्त्रण कर लिया गया है। यह कहना भी गलत है कि पेस्ट्रन कोसी कनाल से बाढ़ नियन्त्रित हो सकेगी। माननीय सदस्य को तथ्यों का पता नहीं है। माननीय सदस्य इस मामले पर मेरे साथ बातचीत कर सकते है मैं उनको ठीक जानकारी दूंगा। यदि आसाम में भी इसी प्रकार बांधें बनाये जाते जैसे कोसी पर बनाये गये हैं तो आसाम आज बहुत समृद्ध होता। 1950 की बाढ़ के बाढ़ से नहीं सतह ऊंची हो गई है और इस प्रकार यदि वहां पर बांध न बनाये गये होते तो इस वर्ष आसाम के और अधिक क्षेत्र बाढ़ग्रस्त होते। इसलिए बांधों को और अधिक मजबूत किया जाना है। यह ठीक है कि कई बांधें ठीक स्थान पर नहीं बनाये गये हैं। कई स्थानों पर पानी उनके ऊपर से निकल जाता है। पहला क्षेत्र तथा प्रथमारी में पुलों के नीचे के स्थान को और अधिक चौड़ा किया जायेगा ताकि पानी आसानी से निकल जाये और बांध में दरार न पड़ने पाये मैंने रेलवे मन्त्री को इस कार्य को आगामी दो मौसमों में पूरा करने के बारे में पत्र लिखे हैं। मैं यह निवेदन कर रहा था कि रखरखाव ठीक ढंग से नहीं किया गया। कमजोर बांध न के समान ही होते हैं। वास्तव में यह अधिक खतरनाक हैं। प्रथमारी बांध के उपर कोई सड़क नहीं हैं। वहां पर बाढ़ की चेतावनी देने की अथवा बिजली की भी कोई व्यवस्था नहीं है। अतः मैंने बांध के ऊपर वहां पर सड़क बनाने का सुझाव दिया है। महत्वपूर्ण स्थानों पर बिजली की व्यवस्था भी की जानी चाहिये। वहां पर टेलीफोन भी होना चाहिए और इसका प्रबन्ध किया जा रहा है।

मुझे आशा है कि आगामी दो वर्षों में इस क्षेत्र को बाढ़ मुक्त कर दिया जायेगा। बाढ़ नियंत्रण आयोग की स्थापना से इस रोक पर कुछ प्रभाव पड़ेगा। इन क्षेत्रों में बहुत कम पानी उपलब्ध है पहला क्षेत्र में दरारों को भर दिया गया है। प्रमारी क्षेत्र में एक दरार को करना शेष है और आशा है कि यह कामे कल परसों तक पूरा हो जायेगा। मैं इस बात से सहमत हूँ कि किनारों की ठीक ढंग से देखभाल की जानी चाहिए और इन्हें और अधिक मजबूत बनाया जाना चाहिए।

कुछ माननीय सदस्यों ने कटाव का भी उल्लेख किया है। मुख्य नदी के कटाव द्वारा ही आपत्ति हो रही है। नदी के किनारे पर पत्थर लगाने के लिए चार से पांच करोड़ रुपये खर्च करने होंगे। सकमी नदी के किनारे पर पत्थर लगाना सम्भव नहीं है। धुबरी में हमने कुछ कार्य किया है और हम पर अब तक लगभग 50 लाख रुपये खर्च किये जा चुके हैं। कटाव को नियन्त्रित करना बहुत कठिन है। गंगा जैसी नदी भी कटाव करती है। गंगा नदी द्वारा अनेक स्थानों पर कटाव किया जा रहा है। मैं इस विषय पर समूचे विश्व के देशों से जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करूंगा। मैंने कटाव सम्बन्धी कुछ अनुसंधान केन्द्रो का रूस जार्जिया में निरीक्षण किया है। यह जानने के लिए कि कटाव को किस प्रकार कम किया जा सकता है मैं कुछ लोगों को वहां भेजूंगा।

बाढ़ नियन्त्रण के मामले में पाकिस्तान के साथ सहयोग करने के बारे में हम बहुत समय से सोच रहे हैं। फरक्का परियोजना के पूरा होने से न केवल भारतीयों को बल्कि पाकिस्तानियों को भी

लाभ होगा। ब्रह्मपुत्र के बारे में अभी हमारे पास कोई विशिष्ट योजना नहीं हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का तीन चौथाई भाग भारत में है ; बांधें बनाने के अतिरिक्त पानी स्टोर करके भी हम बाढ़ पर नियंत्रण कर सकते हैं। हम पगलादीपा नदी पर जलाशय बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यह परियोजना बहु-प्रयोजनीय होगी। परन्तु ऐसा पूरी जांच पड़ताल के पश्चात् ही किया जाना है।

श्री हेम बरूआ ने कहा है कि आसाम की उपेक्षा की गई है। किसी भी समिति ने इस समाज का अध्ययन नहीं किया था। इन सभी त्रुटियों को दूर करने आदि के लिए ही ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियन्त्रण आयोग स्थापित किया गया है।

श्री बे० कु० दासचौधरी ने कहा है कि तीस्ता बांध नहीं बनाया गया है। परन्तु जांच करने पर पता लगा था और भू-गर्भीय विशेषज्ञों का भी यह मत था कि इस स्थान पर 100 फुट ऊंचा बांध नहीं बनाया जा सकता। बंगाल से यह प्रस्ताव प्राप्त हुआ था कि तीस्ता पर जो भी बांध बनाया जाय वह केवल बिजली उत्पादन करने के लिए ही होना चाहिए न कि बाढ़ नियंत्रण के लिये इस प्रकार अनेके कठिनाइयां उत्पन्न हो गई थी, जो योजना तकनीकी तौर पर ठीक होगा उसको क्रियान्वित किया जावेगा।

जहां तक बारेल बांध का सम्बन्ध है हम इस बारे में अभी तक किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सके कि कितना क्षेत्र पानी में डूब जायेगा,

मैं फाक बांध को पूरा करने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। इस मामले में पोंग बांध देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पोंग बांध में हम आगे कार्य नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हिमाचल प्रदेश अपने कुछ क्षेत्रों के पानी में डूब जाने पर आपत्ति कर रही है।

पश्चिम बंगाल और आसाम में भू-संरक्षण का मामला बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर बंगल में विशेषकर यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है। बाढ़ सम्बन्धी समस्या की जांच करने के लिये 1968 में एक जांच समिति नियुक्त की गई थी। उन्होंने सुझाव दिया था कि इसके लिए 80 करोड़ रुपये अवश्य व्यय किये जाने चाहिए। इसमें से 50 करोड़ रुपये भू-संरक्षण पर व्यय किये जाने चाहिए परन्तु इन सब के लिए हमारे पास पूरा व्यौरा होना चाहिए और विस्तृत योजना तैयार की जानी चाहिए। तथा हम आगे कार्यवाही कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में हमारे देश में अन्य देशों की अपेक्षा बहुत अधिक कार्य हुआ है। हमने बाढ़ नियन्त्रण पर 200 करोड़ रुपये व्यय किये हैं। इससे हम अपने खाद्य उत्पादन में वृद्धि करने में भी सफल हुए हैं।

आसाम में भी एक समिति ने बांधों की उपयोगिता पर विचार किया था। उनका मत है कि ये बहुत लाभदायिक सिद्ध हुए हैं, आसाम की मुख्य समस्या बांध बनाने, बने हुए बांधों को और मजबूत बनाने तथा उनकी उचित देख-भाल की है।

**श्री हेम बरुआ** ( मंगलदायी) : क्या आसाम के फालतू पानी को देश के किसी सूखाग्रस्त क्षेत्र तक नहीं पहुंचाया जा सकता ?

**डा० कु० ल० राव** : यदि ऐसा करना सम्भव होता तो हम अवश्य करते।

**Shri Lakhan Laj Kapoor** : May I know whether we can not divert the excess water of Assam to the drought affected areas by laying down the pipes an has been done in the case of oil ?

**डा० कु० ल० राव :** माननीय सदस्य के पास कुछ अच्छे सुझाव हैं। मैं उनके साथ अलग से बातचीत कर सकता हूं, फिर भी मैं इतना बता दूं कि केवल बहुत थोड़ा पानी ही इस तरह दूसरे स्थानों पर ले जाया जा सकता है। ब्रह्मपुत्र नदी में बहुत अधिक पानी होता है।

**श्री ज्योतिर्मय बसु :** अन्तर्देशीय जल परिवहन सर्वेक्षण समिति में हमने यह सुझाव दिया था कि ब्रह्मपुत्र की राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया जाय ताकि इसके रखरखाव को जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार की हो जाये। राज्य सरकारों के पास इस कार्य के लिए धन नहीं है। केन्द्रीय सरकार ने गत 20 वर्षों में उनको बर्बाद कर दिया है।

**डा० कु० ल० राव :** इस बात की जांच की जा रही है कि ब्रह्मपुत्र में जहाजरानी हो सकती अथवा नहीं। मैंने इस बारे में एक पूरी योजना बनाई है।

इस आयोग में अनेक सलाहकार हैं। हमें आशा है कि आगामी एक अथवा दो सप्ताह में अमरीकी सलाहकार इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव देंगे। ऐसे कुछ अन्य व्यक्तियों की सेवाओं को प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है जोकि हमें कटाव के बारे में कुछ परामर्श दे सकें।

**श्री हेम बरुआ :** कुछ विदेशी विशेषज्ञ इन क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं और उन्होंने कुछ सिफारिशें भी की है।

**डा० कु० ल० राव :** परन्तु उनके प्रतिवेदन ऐसे हैं कि उन पर हम कुछ कार्यवाही नहीं कर सकते। मैंने इस बारे में एक विस्तृत योजना तैयार की है। उस पर कार्यवाही की जायेगी। ड्रेजर से नदी की सतह को दस फुट नीचा लाना सम्भव नहीं है। दबाव पड़ने पर हम एक चैनल बनाकर उसमें पानी डाल सकते हैं। हमने इस कार्य के लिए बड़े बड़े दो ड्रेजरों का क्रयादेश दिया है। परन्तु इनका निमार्ण देश में ही किया जाना है इसलिए उनको प्राप्त करने में कुछ विलम्ब हो रहा है। परन्तु उन्होंने आगामी वर्ष के मध्य में एक ड्रेजर सप्लाई करने का आश्वासन दिया है। परन्तु माननीय सदस्यों को यह नहीं सोच लेना चाहिए कि इससे सारी समस्या हल हो जायेगी।

हमने आसाम में नियंत्रण आयोग स्थापित किया है। परन्तु आसाम स्टाफ तथा धन की कमी है। वहां पर केवल एक ही चीफ इन्जीनियर है जिसका कार्यालय शिलोंग में है। परन्तु अब वहां पर पर्याप्त कर्मचारी तथा इन्जीनियर भेजे गये हैं। हम धन की कमी को भी पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं।

हम अनुसंधान केन्द्र को नीची सतह पर ले आये हैं। ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण आयोग में जल मण्डल अध्ययन सम्बन्धी एक विशेषज्ञ को नियुक्त किया जायेगा। मुझे आशा है कि विज्ञान तथा टैक्नालोजी की सहायता से हम इस समस्या का कोई अन्य हल ढूंढ लेंगे।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा था कि सिंचाई तथा कृषि मंत्रालय में कोई समन्वय नहीं है। यह बात ठीक नहीं है वास्तव में भू-संरक्षण सम्बन्धो सलाहकार कृषि मन्त्रालय के अधीन कार्य करते हैं। मैंने कृषि मन्त्रालय से एक विस्तृत योजना बनाने के लिए कुछ विशेषज्ञ भेजने का अनुरोध किया है।

प्रधान मन्त्री ने बिहार को 25,000 रुपये भेजे हैं। सहायता के लिये राज्य सरकार ने तकावी ऋणों के रूप में 30 लाख रुपये मंजूर किये हैं और औषधियों के 10 लाख रुपये अलग से मंजूर किये गये हैं। सहायता के लिये और भी धनराशि व्यय की जायेगी।

नियमों तथा प्रक्रिया के अनुसार केन्द्र सरकार का एक दल इस महीना की 24 तारीख को आसाम जा रहा है। वह दल इस बात का पता लगायेगा कि कितनी सहायता दी जानी चाहिये। राज्य सरकारों से कहा गया है कि वह स्थिति को ध्यान में रखकर जितना धन चाहे व्यय कर सकती है। वह उनको वापस कर दिया जायेगा।

उत्तर बंगाल के लिए हमने एक समिति नियुक्त की थी जिसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है। उनकी सिफारिश यह है कि रेलवे तथा परिवहन मंत्रालय द्वारा पुलों को चौड़ा किया जाना चाहिए। किनारे बनाने पर 25 करोड़ रुपये भू-संरक्षण अनुमानत: 50 करोड़ रुपये और पुलों पर पांच करोड़ लागत आने का अनुमान है। माननीय सदस्यों को पता होना चाहिए बाढ़ नियंत्रण कार्य राज्य योजना के अन्तर्गत आते हैं न कि केन्द्रीय योजनाओं के। हम उनको तकनीकी सहायता तथा समन्वय में कुछ सहायता देते हैं। मुझे पता लगा है कि पश्चिम बङ्गाल सरकार उत्तर बङ्गाल में बाढ़ नियंत्रण के लिए धन की व्यवस्था नहीं की है। मैंने इस मामले पर बङ्गाल सरकार के साथ बातचीत की है।

बाढ़ समस्या आसाम में सबसे गम्भीर है। हम ब्रह्मपुत्र पर लगभग 22 करोड़ रुपये व्यय कर चुके हैं। मेरा अनुरोध है कि वहां पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को दुरुत्साहित नहीं किया जाना चाहिए बल्कि उनको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये ताकि वे अगले दो वर्षों में जांच कार्य को पूरा करलें। इससे हम कोई योजना बना कर उसे आगामी पंच वर्षीय योजना में शामिल कर सकेंगे। प्रश्न पर्याप्त सामग्री प्राप्त करने का है जिसके आधार पर कोई योजना बनाई जा सके, ताकि लोगों के दुखों को कम किया जा सके।

**इसके पश्चात लोक सभा शुक्रवार 14 अगस्त, 1970/23 श्रावण, 1892 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।**

**The Lok Sabha then adjomred till Eleven of the Clock on Friday, the 14th August, 1970/23 Sravana, 1892 (Saka).**

Printed at Law Publishing House, Allahabad